C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXXV, Sixteenth Session, 2018-2019/1940 (Saka)
No. 17, Tuesday, January 08, 2019/Pausha 18, 1940 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 385	12-73
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
**Starred Question Nos.386, 388 to 394 and 396 to 400	74-117
Unstarred Question Nos. 4372 to 4378, 4380 to 4382, 4384 to 4391, 4393, 4395, 4397 to 4407, 4409 to 4414, 4416, 4417, 4419, 4421, 4422, 4424 to 4431, 4433 to 4437, 4439, 4440, 4442 to 4445, 4447 to 4455, 4457 to 4462, 4464, 4466 to 4506, 4508 to 4514, 4516 to 4523,4527 to 4539, 4541 to 4543, 4547 to 4560, 4562 to 4571, 4573 to 4575, 4577 to 4584, 4586 to 4589, 4591 to 4593, 4595, 4597, 4599	118-580

* The sign + marked above the nameof a Member indicates that the question was actually asked by him on the floor of the House.

** Starred Question Nos. 387 and 395 and Unstarred Question Nos.4371, 4379, 4383, 4392, 4394, 4396, 4408, 4415, 4418, 4420, 4423, 4432, 4438, 4441, 4446, 4456, 4463, 4465, 4507, 4515, 4524, 4526, 4540, 4544 to 4546, 4561, 4572, 4576, 4585, 4590, 4594, 4596, 4598 and 4600 were deleted due to suspension of Members from the services of the House under Rule 374A.

PAPERS LAID ON THE TABLE 582-620

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 621

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes 622

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
83rd to 90th Reports 622-623

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
59th and 60th Reports 623

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
Statement 624

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 271 DATED 31.12.2018 REGARDING SCHOOL DROPOUT
Shri Prakash Javadekar 625-635

STATEMENTS BY MINISTERS
(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Impact of Chemical Fertilizers and Pesticides on Agriculture and Allied Sectors in the Country' pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 636

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Comprehensive Agriculture Research based on Geographical Conditions and Impact of Climatic Changes to ensure Food Security in the country' pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Shri Radha Mohan Singh 637

(ii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2018-2019) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowermen

Shri Thaawar Chand Gehlot 638

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Rao Inderjit Singh 639

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 205th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 203rd Report of the Committee on Border Security; Capacity Building and Institutions pertaining to the Ministry of Home Affair

Shri Kiren Rijiju 653

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Trade Unions (Amendment) Bill, 2019 640-652

(ii) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019 663-664

(iii) Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 664, 824-1067

DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL, 2018 654-662, 665-719

Motion to Consider 655

Dr. Harsh Vardhan 655-662, 703-711

Dr. Shashi Tharoor 665-676

Dr. Sanjay Jaiswal 677-680

Shri Kalyan Banerjee 681-685

Dr. P.K. Biju	686-690
Dr. Boora Narsaiah Goud	691-695
Shri Kaushalendra Kumar	696
Shri N.K. Premachandran	697-700
Shri Prem Das Rai	701-702
Clauses 2 to 61 and 1	712-719
Motion to Pass	719

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2019
(As reported by Joint Committee) 720-823

Motion to Consider	720
Shri Rajnath Singh	720-729, 812-822
Prof. Saugata Roy	732-742
Shri Rajendra Agrawal	743
Shri S.S. Ahluwalia	744-751
Shri Bhartruhari Mahtab	752-761
Shri Arvind Sawant	762-767
Shri Mohammad Salim	768-777
Shri Mulayam Singh Yadav	778-779
Shri Badruddin Ajmal	780-786
Shri P.K. Kunhalikutty	787-789

Shrimati Bijoya Chakravarty	790-797
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	798-799
Shri Asaduddin Owaisi	800-803
Shri Rajesh Ranjan	804-805
Shrimati Meenakashi Lekhi	806-808
Shri Sunil Kumar Singh	809-811
Clauses 2 to 4 and 1	823
Motion to Pass	823

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY FOURTH AMENDMENT) BILL, 2019

Motion to consider	824
Shri Thaawar Chand Gehlot	831, 979- 986
Prof. K.V. Thomas	835-841
Shri Arun Jaitley	842-852
Dr. M. Thambidurai	853-863
Shri Sudip Bandyopadhyay	864-867
Shri Anandrao Adsul	868-871
Shri A.P. Jithender Reddy	872-877
Shri Ram Vilas Paswan	878-887
Shri Bhartruhari Mahtab	888-897
Shri Jitendra Chaudhury	898-901

Shrimati Supriya Sadanand Sule	902-909
Shri Dharmendra Yadav	910-912
Dr. Mahendra Nath Pandey	913-918
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	919-920
Shri Nishikant Dubey	921-926
Shri Bhagwant Mann	927-929
Shri Upendra Kushwaha	930-935
Shri Deepender Singh Hooda	936-940
Shri Nand Kumar Singh Chauhan	941-943
Shri E.T. Mohammad Basheer	944-947
Prof. Richard Hay	948
Shri N.K. Premachandran	949-953
Shrimati Anupriya Patel	954-957
Shri Dushyant Chautala	958-959
Shri Ramdas Athawale	960-961
Shri Asaduddin Owaisi	962-964
Shri Kaushalendra Kumar	965-966
Shri Prem Das Rai	967-968
Shri Rajesh Ranjan	969-970
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	971-972
Shri V. S. Ugrappa	977-978

Clauses 2 to 3 and 1 1009-1048

Motion to Pass 1048-1067

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

60th Report 832-834

VALEDICTORY REFERENCE 1068-1072

NATIONAL SONG 1072

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 1073

Member-wise Index to Unstarred Questions 1074-1078

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 1079

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1080

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Dr. Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, January 8, 2019/Pausha 18, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow all of you to speak, but after the Question Hour.

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can speak after the Question Hour.

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran Ji, I will allow you to speak but after the Question Hour.

<u>11 01 hrs</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question No. 381, Shri Ramchandra Hansdah.

(Q.381)

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH : Madam, illegal fish catching is very high in island territories, with most of the violators being foreign trawlers targeting sea-cucumbers, shark fish and reef fish. These foreign trawlers also adopt flag-hopping to dock the weak vessel monitoring system of our country. The illegal catches are often transshipped at sea.

Madam, I would like to ask from the hon. Minister as to how many such foreign trawlers have been seized in the last two years by the Indian Coast Guard, who are authorized under the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981, to prevent IUU.

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सवाल विदेशी फिशिंग नौकाओं के संबंध में है। हमारे भारतीय तटरक्षक द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में कड़ी और सतत निगगरानी की जाती है। उसका परिणाम यह है कि जहां वर्ष 2014 में विदेश की 55 नौकाएं जब्त की गयी थीं, वर्ष 2018 में आकर यह संख्या 4 रह गयी हैं। इसका मतलब निगरानी कड़ी हो रही है, जिससे उनके आने की संख्या भी कम हो रही है। हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें बताया है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक इसमें भारी गिरावट आयी है। हमारे तटरक्षक बड़ी मुस्तैदी से इस काम को करते हैं।

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH : Madam, as per Article 7 (Fisheries Management) of the UN Code of Conduct for Responsible Fishing, the Central Government has directed the Maritime States to observe fishing ban during monsoon season. But, most of the coastal States do not have uniform ban period. This also becomes a cause of the IUU fishing.

In this context, will the Central Government endeavour to have a coordination with the coastal States to have a uniform ban period of fishing?

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, हमने सबसे पहले 18 मार्च 2015 को सभी राज्यों के फिशरी मंत्री और अधिकारियों को बुलाया था। उसके पहले स्थिति यह थी कि किसी राज्य में 40 दिन का फिशिंग बैन था, कहीं 80 दिन का था और कहीं 55 दिन का था। सभी राज्यों के साथ बैठकर बातचीत करके पूर्वी और पश्चिमी तट के लिए सामान्य रूप से 61 दिनों के लिए एक समान अवधि के लिए फिशिंग बैन की सहमति बनी और उसको लागू कर दी गयी।

HON. SPEAKER: Now, Shri Suresh C. Angadi.

SHRI SURESH C. ANGADI : Madam, thank you for allowing me to ask a supplementary question.

Madam, there is a Government in Karnataka. The farmers are in great difficulty. There is a huge drought throughout the State. The Fasal Bima Yojna was started by the hon. Prime Minister from Karnataka itself. It is a very good scheme.

The State Government has not taken much interest.

HON. SPEAKER: This Question is about fishing. If the Minister wants to reply, I have no objection. But your supplementary does not relate to this Question.

Actually, you should not take it.

SHRI SURESH C. ANGADI : Madam, I would request the hon. Minister to direct the State Government to clear the amount pending under Fasal Bima Yojana.

माननीय अध्यक्ष: एक तो आप अनरिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं और जब मैं बोल रही हूं, तो भी आगे बोल रहे हो।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना है, कर्नाटक राज्य के अन्दर इस बार लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान समय पर हुआ है, जबकि इससे पहले इसमें काफी समय लगता था। उसका कारण है कि राज्य सरकार ने सहयोग किया और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हमने उसमें दो नए परिवर्तन किए हैं। यदि किसानों के भुगतान में दो महीने से ज्यादा विलम्ब होता है तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा।

HON. SPEAKER: Hon. Members, please do not ask such questions. Your supplementaries should be related to the listed Question.

DR. A. SAMPATH : Madam, my question is very simple and straight. I will not take much time. Our nation is having a coastal belt of around 5000 kilometres. We are having one of the largest and the longest coastal belts in the whole world. Crores and crores of fishermen are earning their livelihood just because of fishing. They go to the sea and they are sacrificing even their lives.

We all know that recently when the Ockhi cyclone came, it was the traditional fishermen of Kerala who became the 'Naval Force' of Kerala and they rescued thousands and thousands of people from the clutches of death.

Madam, this Ministry is called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The fisheries is entirely a different profession but we have clubbed it. So, I would like to know whether the Government of India is willing to split this Ministry into two, namely, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Fishing. If it is done, the issues can be sorted out quickly and more honestly. The decisions would be people friendly. The issue is that many of the officers working in this Ministry have never seen the sea. They have never tasted the salt water. The only time they go to the sea is after the death of people or when they are submerged.

HON. SPEAKER: You have made your point. Now it will not go on record.

…(Interruptions)…[*]

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, जहां तक मैरिन फिशरी की बात है या फिशरी मिनिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने तट नहीं देखा है या मछलियों के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे मंत्रालय में तटीय रेखा 5000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 8000 किलोमीटर है और हमारे 50 प्रतिशत से ज्यादा अधिकारी एवं स्टॉफ इन तटीय राज्यों से हैं। दूसरे, हम राज्य सरकारों के माध्यम से अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तो निश्चित रूप से तटीय राज्यों के अन्दर जो अधिकारी हैं, वे उसी राज्य के अधिकारी हैं और वे मछली जरूर देखते होंगे, मछली जरूर पहचानते होंगे। यदि ऐसे

---

[*] Not recorded

अधिकारी वहां नहीं हैं तो राज्य में जरूर चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यों के अधिकतर कर्मचारी फिशिंग और मैरिन को जानते हैं।

जहां तक मंत्रालय अलग करने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मंत्रालय को अलग करना या साथ रखना एक अलग मुद्दा है, जिस पर हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं।

फिशिंग सेक्टर में पहले जो निवेश होता था, अगर आप वह निवेश देखेंगे तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक दस वर्षों में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये था और अगर आप वर्ष 2014 के बाद का निवेश देखेंगे तो इसमें प्रति वर्ष औसत 407 करोड़ रुपया है। मंत्रालय फिशिंग सेक्टर में पूरा निवेश कर रही है, उसकी बहुत चिंता कर रही है। अगर आप मरीन फिशरीज देखेंगे तो चार वर्षों में मरीन प्रोडक्ट्स जो यहां से एक्सपोर्ट हुई है, उसकी वैल्यू में 95 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन अलग से मंत्रालय बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

PROF. K.V. THOMAS : Madam Speaker, there is depletion of fish in the coastal area, but, at the same time, there are a lot of fishes in the deep sea. But fishing in deep sea is done by foreign countries like Thailand and Japan. So, there has been a suggestion from many coastal States like Kerala that our traditional fishermen should be trained in deep sea fishing and adequate finance should be given so that they could do fishing of the Tuna fish in deep sea. I would like to know if the Government of India will take a positive step in this regard or not.

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के हमारे मछुआरे भाई इसके शिकार होते हैं। डीप सी फिशिंग के वेसल्स नहीं होने के कारण, वे श्रीलंका की ओर चले जाते हैं और बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे और नाव पकड़ी जाती हैं। मोदी सरकार आने के बाद, हम ने वर्ष 2017 में 'नीली क्रांति' के तहत डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देने के

लिए एक योजना बनाई। अब हम इस योजना के तहत डीप सी फिशिंग के लिए 40 लाख रुपये तक की सहायता देते हैं और हम ने शुरू में तीन सौ करोड़ रुपये तमिलनाडु को दिया था। तमिलनाडु की सरकार ने कोचीन शीप यार्ड से मिल कर डीप सी फिशिंग-16 भी तैयार कर ली है, जो जनवरी में रिलीज होगी और हम ने अन्य राज्यों के लिए भी व्यवस्था की है, प्रस्ताव मांगा है और सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है। हमारा जो संसाधन 'टूना' मछली है, वह डीप सी में बड़ी मात्रा में है। हमारे मछुआरों के पास डीप सी फिशिंग वेसल्स नहीं होने का कारण उसकी कीमत 80 लाख रुपया है। भारत सरकार ने यह योजना वर्ष 2017 से शुरू की है, यह तमिलनाडु में प्रारंभ हो चुकी है और अन्य राज्यों से भी हम ने प्रस्ताव मांगे हैं।

माननीय अध्यक्ष : उनको 'टूना' फिश के बारे में मालूम है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, I want to raise a very serious issue.

HON. SPEAKER: You always have serious issues.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, yes. Illegal and unregulated fishing as well as trading of it is taking place in off-shore. A litigation had been filed before the hon. Kerala High Court by one Shri M.K. Salim, who belongs to my constituency, and the hon. High Court had issued an order directing the Government of India to furnish information on the total quantum of fish being caught from off-shore, especially using trawlers in deep sea and also the amount of collected by way of fishing through trawlers in the deep sea. The Government of India has very deliberately avoided giving this estimate before the hon. High Court.

Now, the hon. High Court has issued a Contempt of Court Notice to Government of India. A big corruption with regard to deep sea fishing is going on. Unfortunately, the Government of India is not taking any positive step in this regard.

HON. SPEAKER: What is your question?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister as to what action is the Ministry going to take to control this. Also what is the total statistics regarding the total amount being collected through deep sea fishing?

माननीय अध्यक्ष : सभी के प्रश्न एक साथ हो गए।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के ध्यान में होगा कि जब हम ने इस सदन में एक बार चर्चा की थी तो आपके निर्देश के बाद केरल के सभी माननीय सांसदों के साथ अलग से बैठक की थी। जब हम ने बैठक की थी तो उस समय 'मीनाकुमारी रिपोर्ट-एलओपी' सबसे भारी मुद्दा था और फिर आप जो बता रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है। हम ने सबसे पहला काम किया है कि आप सभी के आग्रह पर ही जो मीनाकुमारी की रिपोर्ट आई थी, जिसके विरोध में सभी लोग थे, उसे रिजैक्ट किया।

दूसरे, जो एलओपी था, बहुत पहले से हिन्दुस्तानी उद्यमी विदेशों से जहाज ला कर, हमारे मछुआरों को जो परेशानी होती थी और बहुत दिनों से जो एलओपी दिया जाता था, उसको समाप्त किया।

महोदया, माननीय सदस्य ने जो तीसरी बात कही है, उसे ध्यान में रखते हुए ईजेड में फिशिंग के रेग्युलेशन के लिए केंद्रीय कानून का मसौदा बनाया गया है और एक Committee for re-drafting Marine Fisheries Bill संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें सभी तटीय राज्यों के प्रतिनिधि हैं, कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है।

(Q. 382)

श्री भीमराव बी. पाटील : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में दिव्यांग बच्चों और नौजवानों को खेल-कूद और उनके सही विकास की आवश्यकताओं को जानने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग इस काम को कर रहा है। दिव्यांगताओं में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, उनमें खेल प्रतिभाएं भी होती हैं, यह महसूस करके यह तय किया गया है कि इनमें खेल-कूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम चरण में पांच नेशनल स्पोर्ट्स सैंटर स्थापित किए जाएं। ये सैंटर्स पांच जोन बनाकर तय किए हैं – पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत। इस प्रकार से पांच स्थानों पर नेशनल स्पोर्ट्स सैंटर्स स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस पर कार्यवाही जारी है। खेल-कूद की गतिविधियों के लिए हम दिव्यांग खिलाड़ियों का सर्वेक्षण करके उनकी यूपीआईडी बना रहे हैं और इसके साथ ही यह काम करना प्रारम्भ किया है।

श्री भीमराव बी. पाटील : महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजना का निर्माण किया गया है, जिससे देश भर के दिव्यांग बच्चों और नौजवानों को खेल-कूद और इससे जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से कितनी राशि दिव्यांग बच्चों और नौजवानों के लिए खेल-कूद की सुविधाओं पर खर्च की गई है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, सामान्यतया खेल-कूद गतिविधियां खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा देखी जाती हैं, परन्तु उस मंत्रालय के साथ मेरा मंत्रालय समय-समय पर विचार-विमर्श करता रहता है और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। मेरे विभाग में इस प्रकार की सीधे-सीधे कोई योजना नहीं है,

लेकिन जागरुकता योजना के अंतर्गत हम उन्हें भी आर्थिक सहायता देते हैं। जैसे प्री-ओलम्पिक में और प्री-एशियाई गेम्स में दिव्यांग खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके गोल्ड, रजत और कांस्य पदक हासिल किए थे, खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया था । मेरे मंत्रालय की तरफ से भी पिछले दो-तीन वर्षों से 1-1 लाख रुये, 2-2 लाख रुपये या ज्यादा की धनराशि देकर प्रोत्साहित करने का काम किया गया है।

महोदया, जो स्पोर्ट्स सैंटर बन रहे हैं, इनकी वजह से हम उन्हें खेल-कूद की गतिविधियों के लिए आर्थिक सहयोग भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और वहां रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।

SHRIMATI APARUPA PODDAR : Thank you, Madam, for giving me an opportunity to ask a question.

Through you, I would like to say that the hon. Minister has given the details. He has set up five centres but मुझे दुख है कि उन्होंने पूरे देश में सिर्फ पांच जगहें ही स्पोर्ट्स सैंटर के लिए चुनी हैं। अगर हर राज्य में स्पोर्ट्स सैंटर बनाए जाते, तो मुझे लगता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छा होता।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए 2017 में कैम्प लगाया गया था और आज 2019 शुरू हो गया है। मंत्री जी खेल-कूद के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो कैम्प लगाया गया था, आज तक बच्चों तक सामान नहीं पहुंचा है। इसके लिए मैंने मंत्री जी को पर्सनली चिट्ठी भी लिखी थी और आज आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि यदि वे सामान पहुंचा देंगे, तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। हम यह भी प्रस्ताव रखते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में आप इस तरह की स्किल प्रतिभा के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं और यदि सोच रहे हैं, तो कब तक काम शुरू होगा और यदि नहीं सोच रहे हैं, तो क्यों नहीं सोचा है?

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष महोदया, अभी तक बच्चों को सामान नहीं मिला है। कैम्प में इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। माननीय सदस्या ने बहुत अच्छे से सवाल पूछा है।

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैंने बताया है कि खेल और युवा मामले मंत्रालय की ओर से जिला लेवल या अन्य लेवल पर खेल गतिविधियां होती हैं, उनमें दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सहभागिता प्राप्त करने का अधिकार है और उनके माध्यम से हम उन्हें सुविधाएं देते हैं। जहां तक जो पांच नेशनल स्पोर्ट्स सैंटर्स बनाने का निर्णय लिया गया है, मैं खुशी के साथ कहता हूं कि इसके पहले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया था। प्रत्येक सैंटर की लागत 238 करोड़ रुपये से अधिक की है। वहां छात्रावास की सुविधा भी होगी, ट्रेनिंग की सुविधा भी होगी और इसके बाद अगर आवश्यक होगा और अन्य राज्यों से जमीन उपलब्ध होगी, तो हम अन्य राज्यों के लिए भी विचार कर सकते हैं। अभी मेघालय में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, पंजाब के जीरकपुर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए निर्णय किया है। इन चारों राज्यों की सरकारों ने हमें 25 एकड़, 18 एकड़ और 50 एकड़ तक भूमि स्पोर्ट्स सैंटर्स के लिए उपलब्ध कराई है। गुजरात के अहमदाबाद में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ जो स्पोर्ट्स सैंटर बन रहा है, हम उसके संपर्क में हैं। हम वहां दोनों प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हमने खेल-कूद गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमने इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय काम किए हैं, इसलिए हमारे काम की प्रशंसा करनी चाहिए।

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Madam Speaker, I thank you for giving me the opportunity.

Madam, in Kolar and Chikballapur Districts of Karnataka, around 10,000 disabled people are there. I have written a letter to the hon. Minister and requested him to visit these two districts and instruct the officers concerned as they are not working properly. I requested him repeatedly. The hon. Minister was kind enough to instruct the officers. But they are not implementing the programme properly and it is not reaching the deserving people. So, I would like to know from the hon. Minister whether he would appoint a Nodal Officer to coordinate with the Deputy Commissioner of the districts so as to find out the disabled people and implement the programmes at the earliest.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इन साढ़े चार, पौने पांच वर्षों में हमने देशभर में 750 से अधिक कैम्प लगाकर लगभग 12 लाख लाभार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण बांटे हैं। अभी लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार बचे हुए हैं, वहां मैं इसी माह के अंत तक स्वयं जा रहा हूं। हिंदुस्तान का एक भी प्रांत ऐसा नहीं है, जहां दिव्यांगजनों को हम यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी उतनी सामग्री दी है, जितनी सामग्री दूसरे राज्यों में दी है। पश्चिम बंगाल का दूसरे-तीसरे नम्बर पर स्थान आता है। यह कहना उचित नहीं है कि किसी राज्य में दिव्यांगों को उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। सभी राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री शरद त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के द्वारा मंत्री जी ने दिव्यांगजनों के हित के लिए काम किया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा।

माननीय मंत्री जी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत-सी योजनाओं की शुरुआत की है, उसके लिए बजट भी दे दिया गया है। उसी के आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, विशेषकर मंत्री जी ने जो पाँच ज़ोन्स खोले हैं, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार नौकरी व शिक्षा में आरक्षण, सर्टिफिकेट, उपकरण आदि उपलब्ध कराने और फिजियोथेरेपी हेतु दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कोई योजना है?

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने सामान्यतया प्रत्येक राज्य में कम्पोजिट रीजनल सेन्टर (सीआरसी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। देश के लगभग आधे राज्यों में यह सुविधा है। हमारे विभाग की ओर से भी यह सुविधा है और डीडीआरएस योजना के तहत हम एनजीओज के माध्यम से भी ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी सहित अन्यान्य प्रकार की जो भी दिव्यांगता की श्रेणियाँ हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजनाएँ हैं और उन योजनाओं पर अमल किया जा रहा है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन साढे चार वर्षों में हमने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड्स में छह रेकॉर्ड्स बनाये हैं। हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न केवल दिव्यांगजनों से संबंधित है। आप फुटबॉल खेलते हैं but this question is for *Divyangjan.*

श्री प्रसून बनर्जी : स्पीकर मैडम, अभी जो बातें हो रही हैं, वे अच्छी लग रही हैं। नेशनल सेन्टर फॉर स्पोर्ट्स के जो लोग तकलीफ में हैं, उनको सामने लाना अच्छी बात है। मिनिस्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई कि जब खिलाड़ी लोग गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीतते हैं, तो उनको राशि मिलती है। जब कोई खिलाड़ी छोटे लेवल से बनता है, तो उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है। कोई खिलाड़ी केवल

रोटी-सब्ज़ी खाकर वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकता है। फिर भी खिलाड़ी लोग इतनी अच्छी कोशिश करते हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं।

हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों को खाने-पीने की चीज़ें अच्छी तरह से देनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। चैम्पियन बनने के लिए सात लाख रुपये की राशि मिलती है, यह ठीक है। लेकिन, उसके पहले भी सात लाख रुपये की राशि खिलाड़ियों पर खर्च करनी होगी। ऐसा करने से स्पोर्ट्स ऊपर उठेगा।

माननीय अध्यक्ष : जब इसके लिए सेन्टर्स शुरू हो जाएंगे, तो यह अपने आप हो जाएगा।

श्री प्रसून बनर्जी : धन्यवाद मैडम।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है?

श्री थावर चंद गहलोत : मैंने इस विषय में निवेदन किया है। जब इस प्रकार के खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, तो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले सरकार को, विशेष रूप से श्री थावर चंद गहलोत जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने साढे चार साल में अपने विभाग में दिव्यांगजनों के लिए नाम परिवर्तित किया। जो लोग ईश्वरीय कारणों से डिसेबल हो जाते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांगजन में परिवर्तित किया। इसके साथ ही, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, वर्ष 2016 में दिव्यांगजन से संबंधित एक एक्ट लाया गया, जिसमें उनसे संबंधित बहुत-सी एक्टिविटीज़ को ऐड किया गया।

बहुत समय से मस्कुलर डिसट्रोफी को भी उसमें शामिल करने की डिमांड की जा रही थी, उसको भी सरकार ने उसमें शामिल किया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

मैं मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जो काम हुए, उनमें एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिव्यांग जन के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या सरकारी नौकरियों में जो रिज़र्वेशन परसेंटेज दिये गए हैं, तो क्या विभिन्न विभागों से इसके आँकड़े आए हैं, जिससे पता चल सके कि विभिन्न विभागों में कितने दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हुए हैं?

श्री थावर चंद गहलोत : मैं राज्यवार आँकड़े तो दे सकता हूँ, लेकिन राज्यों के विभागों को कितने-कितने पैसे दिए गये हैं, इसकी जानकारी मांगी गई है। वे हमारे मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी हैं। समिति की बैठक के दौरान इस प्रकार की जानकारी का आदान-प्रदान होता है, उसके बाद भी अगर वे कहेंगे, तो मैं अलग से जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दूँगा।

(Q. 383)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए। आज तो आपका ही दिन हो गया है।

श्री अजय मिश्रा टेनी : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र किसान और बाजार के बीच में एक महत्पवूर्ण कड़ी है। हम मानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जहां एक तरफ कृषि उत्पादकता को बढ़ाने व किसानों के नुकसान को कम करने के साथ-साथ वर्ष 2022 के लिए किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से सहायक होने जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी व भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। पिछली सरकार के सापेक्ष जहां उन्होंने वर्ष 2014 से चार सालों के अंदर मेगा फूड पार्कों की एक चेन बनाई है और कोल्ड स्टोरेज का बड़ी संख्या में निर्माण किया है, वहीं लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की कृषि उपज के प्रसंस्करण की क्षमता का विकास भी किया है। देश की बड़ी आबादी और विकसित होते उपभोक्ता बाजार के कारण वर्ष 2025 तक इसके चार लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मेरी जानकारी के अनुसार फसल कटाई के बाद तकनीक, सुविधा व कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए सौ प्रतिशत एफ.डी.आई. की स्वीकृति है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का आकलन करने तथा देश के छोटे व मध्यम उद्यमियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन कराया गया है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम आए हैं?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, the hon. Member has asked whether FDI has an impact on the food processing sector. Though the question does not relate to that yet I would still highlight over here that he is absolutely right.

अगर हमें वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, तो खाद्य प्रसंस्करण इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आज किसानों को अपनी आय को बढ़ाने के लिए केवल किसानी से मूल्य वृद्धि की तरफ जाने की ज़रुरत है। माननीय सदस्य ने यह बिलकुल सही कहा है कि जहां-जहां हमारे मेगा फूड पार्क्स लगे हैं और जहां हमारी कोल्ड चेनें लगी हैं और किसानों के साथ जहां काम हो रहा है, वहां उन्हें मूल्य वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि इस सरकार के पिछले साढ़े चार सालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कागज़ों पर नहीं, बल्कि हकीकत में ज़मीन पर उतरे, उनकी ग्राउंडिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के साथ-साथ विदेशी निवेश भी इस सेक्टर में आए। आज हम अपने देश में दुनिया में सब से ज़्यादा उत्पादन प्रोड्यूस ज़रुर करते हैं, लेकिन हमारी प्रसंस्करण की लेवल केवल दस फीसदी है। छोटी लेवल होने के कारण जहां छोटे-छोटे देश कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, वहीं इस कारण हमारे यहां बर्बादी भी ज़्यादा होती है।

इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किएट किया, वहीं वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया जैसी बड़ी मेगा एग्ज़िबिशंस लगाकर हमने दुनिया भर को हिंदुस्तान की काबिलियत के बारे में बताया। आपको यह बताते हुए मुझे खुशी होती है कि वर्ष 2017 में पहली बार मंत्रालय की तरफ से वर्ल्ड फूड इंडिया कराया गया था। इसमें तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का एफ.डी.आई. आया, जिसमें से 11 बिलियन डॉलर की ग्राउंडिंग भी हमने शुरू कर दी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वर्ष 2014 में जब यह सरकार आई थी, उस टाइम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स का एफ.डी.आई. होता था। पिछले साल दिसंबर तक यह तकरीबन दोगुना होकर 9005 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। अत: एफ.डी.आई. इस क्षेत्र में भी आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की पॉलिसीज़ के कारण इसमें बढ़ावा हो रहा है। जैसे इंडस्ट्री का रॉ-मेटेरियल किसान की फसल है, तो ऑव्यसली किसान के ऊपर भी इसका पॉज़िटिव इंपैक्ट हो रहा है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सेकेंड सप्लिमेंटरी।

श्री अजय मिश्रा टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार व माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने व उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने के साथ ही ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाने के साथ ही साथ लगभग पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार दिलाया है। इसके लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं।

सरकार की मेगा फूड कोल्ड स्टोरेज चेन और दूसरे संसाधन जुटाने की पहल वास्तव में स्वागत योग्य है। जिस तरह से यह क्षेत्र बढ़ रहा है, आने वाले समय में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, सेल और डिस्ट्रिब्यूशन में बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य् में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग नीति बनाने के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालय और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में फूड प्रोसेसिंग को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करेगी?

माननीय अध्यक्ष : आप लोग यह जो प्रश्न पूछने से पहले प्रस्तावना रखते हैं, मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मराठी में कहते हैं- "नमनाला घड़ाभर तेला" आप प्रस्तावना ज्यादा रखते हैं। आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय मिश्रा टेनी : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने भविष्य में इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निबटने के लिए राष्ट्रीय फूड प्रोसैसिंग नीति बनाने, विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थानों में फूड प्रोसैसिंग को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की क्या कोई योजना बनायी है?

अध्यक्ष जी, मंदसौर के हमारे एक साथी हैं, उनका भी एक छोटा सा प्रश्न है कि वहां एक फूड प्रोसैसिंग यूनिट थी।

माननीय अध्यक्ष : आप बहुत अच्छे कोऑपरेटिव नेचर के हैं, लेकिन यहां नहीं।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा कि एक फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी सरकार के विचाराधीन है जो कैबिनेट के डिसीजन का वेट कर रही है। लेकिन ऑलरेडी मंत्रालय की तरफ से हमने अपनी वेबसाइट पर एक आइडियल फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी को अपलोड कर दिया है। जिन-जिन राज्यों मे अच्छे-अच्छे सिस्टम्स थे, उनको कलेक्ट करके आइडियल फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी बनाकर राज्यों से कहा है कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए। इसी के तहत एक फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी कैबिनेट के विचाराधीन है। मुझे खुशी है कि तकरीबन 11 या 16 राज्यों ने इसे ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है और उन राज्यों में फूड प्रोसैसिंग का काम बढ़ रहा है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने आने वाली चुनौतियों के बारे में कहा है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि हमारी नेशनल फूड प्रोसैसिंग टेक्नोलॉजी फोर एंटरप्रिन्योरशिप एक अकेली संस्था सोनीपत में है जो फूड प्रोसैसिंग के क्षेत्र में शिक्षा देती है। इसी तरह से साउथ में तंजावूर में आईआईएफपीटी है। इनके अलग-अलग आउटरीच ब्रांचेस भी हैं। गुवाहटी में है, पंजाब में है, जहां बी०टेक और एम०टेक कोर्सेस करवाए जाते हैं और फूड प्रोसैसिंग में पीएच०डी० भी करवायी जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा जो नौजवान इस लाइन में जाना चाहते हैं, आज की डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए एजुकेशन इन संस्थाओं में दी जा रही है।

SHRI P. KARUNAKARAN : Thank you, Madam Speaker. In the Answer given by the hon. Minister, it is said that the budgetary allocation of the Ministry was doubled during 2018-2019. It may be true. But, at the same time, the major issue that we face is lack of storage facilities in rural areas. In the Standing Committee Report, it

is stated that there is a loss of 32 to 35 per cent of the vegetables and fruits just because of lack of storage facilities.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has taken an initiative in this regard to cooperate with, or to assist the panchayats, either the gram panchayats or the block panchayats or the district panchayats, who are coming forward with land. Will he give any financial assistance so that in the rural areas, we can make storage facilities? Otherwise, it would be very difficult to get it in the urban area.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, the hon. Member has raised a very pertinent issue. So, I would like to highlight over here that although creating just standalone storage facilities does not come under the mandate of the Ministry of Food Processing Industries because we have to ensure a level of processing. That comes under the Agriculture Ministry. But, Kisan SAMPADA Yojana was launched by this Government in 2017, which has seven umbrella schemes under it, with an outlay of Rs.6000 crore which has to be spent over the next two years. This umbrella scheme caters to almost every sector right from an individual farmer to a group of farmers to the big industrialists also. It is because it has a Mega Food Park Scheme; there is common facility in 50 acres of land which other people can come and use. It has a Cold Chain Scheme. It has a Mini Food Parks Scheme. It has a Unit Scheme for units inside food parks. Most importantly, what answers your question is that it has a Scheme for Creation of Backward and Forward

Linkages which is for the farmers or a group of farmers or a single farmer or any individual who wants to set up any kind of facility for preservation and processing of what he is producing.

So, if the farmers want to set up a cold storage, then, they have to set up some washing, cleaning, grading, primary processing, just packaging and also the transportation facilities. Through this backward forward linkage scheme, they can apply in the Ministry. It is an on-going scheme and is also open-ended. They will get 35 per cent of the total cost as a grant up to a level of Rupees five crore. So, they are welcome to apply in that.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, farm level and farmer level micro processing are very beneficial to the farmers. In my constituency, recently, a farmer put up a micro dal mill and a micro tomato processing mill. The benefits are obvious. A farmer can also increase his earnings. The benefits are in large scale. Mega food parks attract large industries with automated machinery and with huge investment. In this case, if the farmer processes himself in his farm, that becomes very cheaper. The transportation is cheaper, the storage conditions are better and the farmer instead of selling tomatoes, now sells tomato puree.

Madam, the question here I have is this. Does the Government have any plan and the budget to promote farmer level micro processing unit?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: All the schemes of the Ministry can be availed of by anyone - be it a farmer or be it a group of farmers. Since the Member mentioned tomatoes in particular, I would like to tell him that the Government has come up with this Operation Green where special Rs. 500 crore has been allocated just for the (TOP) three vegetables which are as follows T- Tomato, O-Onion, P-Potato. So, anybody who is doing this kind of processing, we have got a separate budget for that. We have created clusters all over the country to make infrastructure for processing of this as well as transportation to ensure price stabilisation. I would encourage everybody. I have written individually to everybody also that in their constituencies, if they have a cluster of any kind of perishable of fruit or vegetable, please apply to the Ministry for this scheme because our aim is to assist where there is rotting and wastage due to lack of facilities and turn the farmer, like I said, towards agro-processing by value addition and simple value addition of just cleaning, sorting, grading, packaging and then transporting to a near market. So, these are very excellent schemes and the hon. Member may assist the farmers in his area to apply for that.

DR. RATNA DE (NAG) : Madam, mega food parks aim to bring together farmers, processors and retailers so as to ensure maximisation of value addition, minimisation of the wastage of vegetable and fruits and improving the condition of the poor. But Madam, we still often come across the news reports of wastage of vegetables and fruits and farmers get pittance and they are affected a lot due to

perishable of these fruits and vegetables. I would like to ask through you, Madam, as to how many of the mega food parks are in operation as of now? Has any study been conducted to know whether this mega food parks in essence benefited farmers to earn genuine profits?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, I would also like to mention over here that there is no doubt that any industry connected with food processing will benefit farmers because like I said that the raw material of that industry is the farm produce. So, they have to procure it from the farmers and for the industry to work, they need the farmers' produce. So, it cannot be like the middlemen who try to get it at the best price. If they do not get it, the unit lies idle and they lose money.

As the hon. Member has asked as to how many mega food parks are there, there are 40 mega food parks which are currently under implementation and some are ready. I would like to highlight over here that a mega food park, like you know, is a scheme where common infrastructure is created in 50 acres of land where we give Rs. 50 crore grant so that more units can come up and make use of these common facilities without having to put in the entire infrastructure.

It was an extremely good scheme which was launched in 2008 and 42 parks were sanctioned since then. One park should take ideally about 30 months to become operational. But when we took over, from 2008 to 2014, out of 42, only two became operational, out of which one was Patanjali for which Baba Ramdev had to undertake a lot of drive for himself. So, over the last four years, we have ensured

that 14 more have become operational and another four are ready. So, almost 18 more will be operational in a month's time. Out of which, 15 are already operational.

So, just to give you an idea that how much is the increase and how many farmers have benefited, for example, when two of them were in operation, there were only about 40,000-50,000 farmers who were benefitting. But now when 14 of them have become operational, the number has gone up to over two lakh farmers because they are all providing the raw materials.

HON. SPEAKER: Very good.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Now why is this number still in a growing stage? It is because each Mega Food Park has to have 20-30 units in it. So, when a park comes up, four units come up, and then slowly, 8, 10, 12 and 30 units come up. So, when a park becomes fully operational, eventually these 40 parks are going to benefit at least, 25 lakh farmers and create over five lakh jobs. So, there is no doubt about this.

Madam, I would also like to highlight over here that we are having a big problem with the State of West Bengal. I would ask for your assistance in that. There is a park which is in the constituency of the hon. ex-President, Shri Pranab Mukherjee, Jangipur in which we put in a lot of efforts to ensure that it does not get cancelled. Also, it was sanctioned in 2008. But in 2016, I came and made it operational with a lot of efforts being put in. But unfortunately, with no support from

the State Government, we have made this huge common facility which is not being used by anyone.

Madam, I am also sad to say that out of my seven other umbrella schemes, there is nothing else which is happening in West Bengal because we are getting no applications. Time and again, me and my officers go there and hold these camps. We write to the State Government. So, through all the Members here, I would appeal, and I am sure they all want to give benefit to their farmers and ensure that the farmers get better value for their crops. So, please do help your farmers to apply for these schemes and the State Government do that as well.

HON. SPEAKER: Good.

(Q. 384)

SHRIMATI KIRRON KHER : Madam, I am satisfied with the reply of the Government to my question in relation to the Central Armed Police Forces. But there are some further queries which I would like to ask.

One of the major concerns that is being raised time and again is the fact that there has been an excessive deployment of the Central Armed Police Forces in the States on a regular basis. It has been noted that sometimes they are deputed there for a longer duration than necessary as a precautionary measure. The CAPF, I feel, needs adequate rest to recuperate. We cannot have a situation where they continue to be substituted for the State Forces in routine tasks that are the sole responsibilities of the States.

It has also been observed that in certain inter-State operations, the Central Armed Police Forces do not receive adequate participation from the State Police Forces concerned. In this context, my question is: 'What steps are being taken by the Government to augment the strength and capacity of the State Police Forces so as to lessen their excess dependence on the Central Armed Police Forces?'

SHRI KIREN RIJIJU: Madam Speaker, the hon. Member has rightly stated about the excessive deployment of the Central Forces in various States. But the process of deployment of the Forces is dependent on the need on the basis of which the State Governments seek the support of the security forces from the Centre. What

the hon. Member has stated about the recuperation period is correct. All the Forces require certain period of recuperation, a particular space of time. There are some inbuilt mechanisms into the Forces for that. After deployment in certain hard areas or certain operations, the Forces are put in some rest period. But this is also a fact that the demand is so much in the country that our Forces are overstretched.

They hardly get time in between one deployment and the other. The Home Ministry takes various steps from time to time to ensure that the States build their own capacities. Take, for example, creation of India Reserve Battalion (IRBN). The Home Ministry sanctions the amount for creation of IRBN. Once the infrastructure is established and other things are done, the State Governments own that particular Force.

In the same manner, there are other issues in which the Central Government supports the State Governments in terms of modernization of police forces as well as creation of various infrastructure.

SHRIMATI KIRRON KHER : Madam, my second question is with regard to Force specific research and analysis. Currently, the Bureau of Research Police and Development (BRPD) is expected to be the research and development agency for the police system in the country. It undertakes research on major and common issues.

However, it is highlighted by several thinktanks working in internal security and defence space that there is a need to establish Force-specific research wing. For instance, there can by numerous micro issues that are unique to CRPF. My question is, does the Government plan to establish comprehensive research unit for each Force?

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, each Force has its own set of objectives on the basis of which they carry their duties. Bureau of Research Police and Development (BRPD) is an institute or body which is purely created for the purpose of research and development in Armed Forces. So, BRPD is a very, very efficient organisation. Last year only, we had a very wonderful and state of the art new building inaugurated by the hon. Home Minister, Shri Rajnath Singh. I had also visited that building. The functioning of the BRPD is up to our satisfaction. We still want the organisation to grow. This is one of our pride central police organisations.

DR. FAROOQ ABDULLAH : I would like to ask the hon. Minister if he can tell the House the number of suicides that have taken place in the Force because they are not given leave when they have certain problems in their families.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, I would like to inform the House that there are cases of suicide in the Forces because of various reasons. The question that the hon. Member has raised is in addition to what has primarily been asked. But I would like to furnish the details to the hon. Member.…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It should be only about Central Armed Police Forces.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, the satisfaction level in the Central Armed Police Forces has increased to a large extent in the last four and a half year due to which the number of suicide cases has come down drastically.

We are also looking into various facilities like housing and other basic needs of the Forces, that are deployed in difficult areas like Northeast, Left Wing extremism areas, Jammu and Kashmir, etc. It has been ensured that the basic needs of *jawans* are taken care of by the higher authorities as well as the by the Central Government. But, there are various comprehensive measures – which I cannot read out here – that we have taken in this regard.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Madam, in his reply to the question, the hon. Minister has said that five per cent was the recommendation by the Committee on Empowerment of Women which is extended to 33 per cent. My question is, have we achieved 33 per cent reservation for women overall India?

There are several other recommendations that were made related to women issues in the police force. As the women are really doing a good job all over, I would like to know from the hon. Minister whether he would address all these issues related to women.

HON. SPEAKER: That is a good question.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, I agree with the hon. Member, Supriya ji. We are proud of our women personnel in various Central Forces as well as in State Forces also. It is right that the Standing Committee on Women Empowerment had also recommended for enhancement of women recruitment in various Forces.

Now, to begin with, it is very difficult because the base is very low. We have set a target to initially recruit 14 to 15 per cent women personnel in CRPF and CISF. These are the two Forces where we can have maximum number of women into the Force. Thereafter, we have more difficult Forces like BSF, ITBP, SSB, which are deployed on the borders.

There the number of women personnel and their percentage is less. So, our immediate target is to at least reach five per cent in all the Forces and in CRPF and CISF at least 14 to 15 per cent as soon as possible.

(Q. 385)

श्री राम टहल चौधरी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। देश के महानगरों एवं शहरों में मध्यम एवं गरीब व्यक्तियों के लिए आवास समस्या अभी भी बनी हुई है। दिल्ली में आवास समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। डीडीए आवास समस्या के समाधान में विफल रही है। डीडीए के बनाये मकानों के आकार एवं भू-सम्पदा में गिरावट होने के कारण मकान लौटाए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक डीडीए के किसी अधिकारी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। कई एजेंसियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट संस्था बताया है, डीडीए के अधिकारियों के कार्यों की जाँच सीबीआई कर रही है और कई अधिकारियों को दोषी भी पाया गया है। उन पर यह कार्रवाई कैसे होती है कि डीडीए में भ्रष्टाचार अभी तक रुका नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या डीडीए के बनाए गए मकान लौटाए जाने के संबंध में कोई जाँच हुई है? यदि हाँ, तो जाँच में कितने अधिकारियों को ज़िम्मेदार पाया गया है और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है?

माननीय अध्यक्ष : हो गया।

श्री राम टहल चौधरी : अभी तक कितने मकान लौटाए गए हैं?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam Speaker, I would like to inform the hon. Member, through you, that till date the DDA has, through over 45 schemes that it has launched since its inception, constructed over 3,98,000 homes.

The specific problem that the hon. Member is referring to pertains to a Scheme launched in 2014 and 2017. This Scheme was properly advertised in terms of the plinth area. But after the allottees saw these dwellings, in spite of being informed about what it was, at that stage they felt that the homes were not big enough. In fact, there was some confusion between the Economically Weaker

Section and the LIG. There was some claim that they had paid for an LIG flat but had been given a smaller plinth area.

The Question also refers to a link between the number of homes constructed and corruption. Of course, corruption is prevalent. There has been a general culture of impunity. The quality of construction is not an issue here. In the 2014 and 2017 Scheme, the issue is of size. Now, we have been in touch, through the Vice-Chairman of the DDA, with the allottees and the problem is being resolved. But the problem does not lie in corruption there. Of course, corruption is there. As I said, there is a general culture of impunity and corruption will continue till we are able to digitize all the land records and all the DDA operations. This is something which is making a very good progress. I am confident that before too long the process of digitization of land records and other DDA functions will be completed. Therefore, the kind of complaints we hear about the corruption in the DDA will become less with the passage of time.

माननीय अध्यक्ष : दूसरी सप्लीमेंट्री।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि डीडीए द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएँ काफी देरी से चल रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए किसी की ज़िम्मेदारी निश्चित की गई है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? यह जानकारी दें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam Speaker, the DDA has a vigilance mechanism. I have the figures of the people who have been charged over a passage of time in the DDA. There are people who have been charge sheeted.

There have been people on whom major penalties and minor penalties have been imposed. But these are individual acts. But we can correct the system only when, through the use of technology, we bring in total transparency. What invariably happens is, when members of the public come into contact with the DDA, either to get their properties made into freehold or otherwise, the central and the common refrain that we hear is, कागज़ नहीं मिल रहे हैं, फाइल खो गई है इत्यादि। These are small acts of corruption. But we are dealing with them. I am confident that with the digitization of land records that the DDA has, corruption can be greatly reduced. Let me give you an example.

<u>12 00hrs</u>

The DDA does not even have a complete picture of how much land it owns and because it does not know how much land it owns, some of its land is under encroachment. Once we have the digitisation complete, I am confident, Madam Speaker, that this problem will be solved. But as far as individual cases are concerned, I have the figures of 2009 onwards. I will be happy to share them with the hon. Member.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण जनता की आवास समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों से लोग बहुत परेशान हैं। आवास से सम्बन्धित समस्या के समाधान के लिए लोगों को डीडीए के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोग डीडीए के खिलाफ न्यायालय में जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। अब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : न्यायालय डीडीए के कार्यों की आलोचना करता है। न्यायालय में डीडीए के खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी से प्रश्न पूछिए।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : महोदया, एक मिनट। डीडीए को इन मुकदमों में कई करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। डीडीए में जनता की भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि वहाँ जनता से कमाई करने का काम किया जा रहा है। इस कारण कई बार डीडीए को समाप्त करने की बात उठी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam Speaker, there are two separate issues. One is about the number of housing units to be constructed. Madam, the population of Delhi is increasing. We are today working against 2021 figure when Delhi's population will be approximately 2.3 crore. If the population is 2.3 crore, we need to construct 24 lakh additional units – 20 lakh additional new units and 4 lakhs to make up the backlog.

In 2019, DDA has various schemes on the drawing board and we will construct 15,000 more. Now, this plus the Pradhan Mantri Awas Yojana, through its four verticals when combined, will, I think, ensure that the residents of Delhi, particularly those belonging to the economically weaker sections, will have homes which they can call their own. The Prime Minister, through the Pradhan Mantri

Awas Yojana, is already committed that by 2022, every Indian citizen will have which he or she can call their own, the title in the name of the lady of the house and I am confident that all parts of India including Delhi will have enough homes for all the Indian citizens to reside in.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12 03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
3. नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10620/16/19]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): Respected Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10621/16/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): Speaker Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10622/16/19]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10623/16/19]

(b) (i) Review by the Government of the working of the HIL (India) Limited (formerly Hindustan Insecticides Limited), New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the the HIL (India) Limited (formerly Hindustan Insecticides Limited), New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10624/16/19]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Organic Chemicals Limited, Navi Mumbai, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hindustan Organic Chemicals Limited, Navi Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10625/16/19]

(3) A copy of the Notification No. S.O.5571(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st October, 2018, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufactures of urea to states and Union Territories during Rabi, 2018-2019 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 10626/16/19]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre), Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre), Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10627/16/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10628/16/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10629/16/19]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

2. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10630/16/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10631/16/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Power Training Institute, Faridabad for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Power Training Institute, Faridabad for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10632/16/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10633/16/19]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10634/16/19]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Power System Operation Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Power System Operation Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10635/16/19]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10636/16/19]

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Power System Operation Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 10637/16/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10638/16/19]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10639/16/19]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10640/16/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10641/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No.16 of 2018)-(Department of Revenue-Indirect Taxes-Customs) for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 10642/16/19]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways)(Report No.19 of 2018)-Compliance to statutory requirements in engagement of contract labour by Indian Railways, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 10643/16/19]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil)(No. 20 of 2018)-Compliance of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 10644/16/19]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 21 of 2018)-Ministry of Communications and Ministry of Electronics and Information Technology, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 10645/16/19]

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 22 of 2018)(Performance Audit)-Accelerated Irrigation Benefits Programme, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

[Placed in Library, See No. LT 10646/16/19]

(2) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51 in Gazette of India dated 13th December, 2018 under section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 10647/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Madam, I beg to lay on the Table copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 10648/16/19]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10649/16/19]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10650/16/19]

(3) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 अक्तूबर, 2018 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 16/01/2018/एचपी-आई/स्थापना/5475-5477 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10651/16/19]

(4) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 6313(अ) जो 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 40 पर "दि खालिस्थान लिबरेशन फोर्स और उसके सभी रूप" का नाम जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10652/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI HARIBHAI CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad, for the years 2015-2016 and 2016-2017, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad, for the years 2015-2016 and 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10653/16/19]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुरूग्राम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुरूग्राम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10654/16/19]

(2) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10655/16/19]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10656/16/19]

(4) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10657/16/19]

(5) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10658/16/19]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पेरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पेरेशन लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10659/16/19]

(ख) एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कार्पेरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कार्पेरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10660/16/19]

(ग) एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पेरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पेरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10661/16/19]

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) (पांचवां) संशोधन आदेश, 2018 जो 1 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5887(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2018 जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3720(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 10662/16/19]

(9) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10663/16/19]

(10) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5830(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 6224(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 10664/16/19]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पेरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पेरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 10665/16/19]

(ख) एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पेरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पेरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10666/16/19]

(2) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10667/16/19]

(4) (एक) भगवान महावीर विक्लांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भगवान महावीर विक्लांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10668/16/19]

(5) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 10669/16/19]

(6) नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पेरेशन और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10670/16/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10671/16/19]

(2) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10672/16/19]

(3) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10673/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.722(E) in Gazette of India dated 30th July, 2018 under sub-section (4) of Section 18 of the Citizenship Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 10674/16/19]

(2) A copy of the National Fire Service College, Nagpur, Artist-cum-Draughtsman, Recruitment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.313 in Gazette of India dated 26th September, 2018 under article 309 of the Constitution of India.

[Placed in Library, See No. LT 10675/16/19]

(3) A copy of the Central Reserve Police Force, Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1121(E) in Gazette of India dated 16th November, 2018 under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949.

[Placed in Library, See No. LT 10676/16/19]

(4) A copy of the Sashastra Seema Bal Group 'C' Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.283 in Gazette of India dated 30th August, 2018 under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10677/16/19]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992:-

(i) The Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.531(E) in Gazette of India dated 7th June, 2018.

(ii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier, Safai Karamchari, Cook, Washerman and Barber, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.591(E) in Gazette of India dated 28th June, 2018.

(iii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant (Ministerial Cadre and Stenographer Cadre) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.619(E) in Gazette of India dated 9th July, 2018.

(iv) The Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.655(E) in Gazette of India dated 18th July, 2018 together with a corrigendum thereto published in the Notification No. G.S.R.1018(E) dated 10th October, 2018.

(v) The Indo-Tibetan Border Police Force, Education and stress Counsellor Cadre, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.739(E) in Gazette of India dated 3rd August, 2018.

(vi) The Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor, Cobbler and Gardener Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1015(E) in Gazette of India dated 10th October, 2018.

(vii) The Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Official Language) and Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1016(E) in Gazette of India dated 10th October, 2018.

(viii) The Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre, Group 'A' (Gazetted) and Group 'B" (Non-Gazetted) Posts, Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1099(E) in Gazette of India dated 12th November, 2018.

(ix) The Indo-Tibetan Border Police Force, Hindi Translators, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1014(E) in Gazette of India dated 10th October, 2018.

(x) The Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Head Constable and Constable Animal Transport Cadre (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1017(E) in Gazette of India dated 10th October, 2018.

(xi) The Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1112(E) in Gazette of India dated 14th November, 2018.

(xii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Transport Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1113(E) in Gazette of India dated 14th November, 2018.

(xiii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Electronic Data Processing Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1114(E) in Gazette of India dated 14th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10678/16/19]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 18 of the Citizenship Act, 1955:-

(i) The Citizenship (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1049(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(ii) The Citizenship (Second) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1158(E) in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10679/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10680/16/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10681/16/19]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10682/16/19]

(ग) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10683/16/19]

(घ) (एक) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10684/16/19]

(2) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इस्टीट्यूट, बैंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इस्टीट्यूट, बैंगलुरू के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10685/16/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10686/16/19]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10687/16/19]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017- 2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10688/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): On behalf of Shrimati Krishna Raj, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10689/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i)Review by the Government of the working of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10690/16/19]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10691/16/19]

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10692/16/19]

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10693/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Warehousing Development and Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Warehousing Development and Regulatory Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10694/16/19]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10695/16/19]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

(i) The Levy Sugar Supply (Control) Amendment Order, 2018 published in Notification No. G.S.R.780(E)Ess.Com./Sugar in Gazette of India dated 14th August, 2018.

(ii) The Sugarcane (Control) (Second Amendment) Order, 2018 published in Notification No. S.O.5258(E) in Gazette of India dated 12th October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10696/16/19]

(4) A copy of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.865(E) in Gazette of India dated 12th September, 2018 under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10697/16/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the years 2015-2016 and 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the years 2015-2016 and 2016-2017.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 10698/16/19]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10699/16/19]

(8) A copy of the Consumer Protection (Administrative Control Over the State Commission and the District Forum) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.335(E) in Gazette of India dated 5th April, 2018 under Section 31 of the Consumer Protection Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 10700/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10701/16/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi, for the years 2014-2015 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi, for the years 2014-2015 to 2016-2017.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10702/16/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10703/16/19]

(6) A copy of the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-3(2)/Regin.-Gen.(Amdt.)/2018/CCI in Gazette of India dated 7th December, 2018 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002, as amended by Competition Act (Amendment) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10704/16/19]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10705/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Reports (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2017-2018.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cantonment Boards for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10706/16/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10707/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Agricultural University, Imphal for the year 2016-2017.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Agricultural University, Imphal for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10708/16/19]

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Agricultural University, Imphal, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10709/16/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10710/16/19]

(6) A copy of the Bhagar Grading and Marking Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1167(E) in Gazette of India dated 4th December, 2018 under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

[Placed in Library, See No. LT 10711/16/19]

(7) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Jammu and Kashmir Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Limited, Srinagar, for the years 2001-2002 to 2017-2018 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

[Placed in Library, See No. LT 10712/16/19]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10713/16/19]

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2017- 2018.

(iv) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation (Employees Provident Fund), New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10714/16/19]

(9) A copy of the Kusum Seed Grading and Marking Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.600(E) in Gazette of India dated 29th June, 2018 under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

[Placed in Library, See No. LT 10715/16/19]

---

12 07 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL : Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

> 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 4th January, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-
>
> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha to suspend the para 3 of the Motion adopted by Lok Sabha on 22-07-2014 and to extend the tenure of present members of Rajya Sabha on the Committee on Welfare of Other Backward Classes (2018-2019) upto the last day of the tenure of the present Lok Sabha, as adopted by Lok Sabha at its sitting held on 20.12.2018." '

---

12 08 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की हुई 44वीं और 45वीं बैठकों का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

12 09 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

83rd to 90th Reports

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में 83वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में 84वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में 85वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में 86वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(5) खान मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 87वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(6) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 88वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(7) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 89वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(8) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 90वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

---

12 10 hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
59th and 60th Reports

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) की समीक्षा – समस्याएं और चुनौतियां' के बारे में 59 वां प्रतिवेदन ।
2. डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'भुगतान बैंक के रूप में पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना – व्याप्ति, उद्देश्य और ढांचा' के बारे में 60वां प्रतिवेदन।

HON. SPEAKER : Shri Rajiv Pratap Rudy – not present.

12 10 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

Statement

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Madam, I rise to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources showing further Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the Twenty-second Report (16th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the Observations / Recommendations contained in the Twentieth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2018-19)' of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

____

12 11 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO.271 DATED 31ST DECEMBER 2018 REGARDING `SCHOOL DROPOUT'*

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I had answered the Lok Sabha Starred Question No.271 relating to `School Dropout' asked by Shri B.V. Naik, Member of Parliament on 31.12.2018.

Information was sought in the question regarding (a) the details of boys/girls who dropped out of schools" in the country during the last three years, State and year-wise; (b) whether any survey has been carried out to find out the reasons therefor; and (c) the details of schemes being implemented to impart school education and the amount spent thereon during the above period and the outcome thereof?

Part (a) of the Statement laid on the Table of the house contained factual mistake in the Dropout rate relating to the year 2016-17, which needs to be corrected.

Part (a) of the Statement laid on the Table of the House is proposed to be revised. The error is regretted.

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 10716/16/19

I hereby place on the Table of the House copies of the revised part (a) of the Statement in Reply to the Starred Question No.271 asked by Shri B.V. Naik, Member of Parliament on 31.12.2018.

STATMENT MADE BY THE MINISTER FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CORRECTING THE REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *271 ASKED BY SH. B.V. NAIK REGARDING 'SCHOOL DROPOUT' ON 31.12.2018.

<table>
<tr><th>Question</th><th>Answer already given</th><th>Revised answer</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr>
<td>(a) the details of boys/girls who dropped out of schools' in the country during the last three years, State and year-wise; (b) whether any survey has been carried out to find out the reasons therefor; and (c) the details of schemes being implemented to impart school education and the amount spent thereon during the above period and the outcome thereof?</td>
<td>
A Statement is laid on the Table of the House. In reply to part (a) in the statement referred, the following was stated with regard to Dropout rate at Secondary and Higher Secondary level for the year 2016-17.
<table>
<tr><td colspan="4">Annual Average Dropout Rate 2016-17 (All India)</td></tr>
<tr><td>Level</td><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Secondary</td><td>22.11%</td><td>22.15%</td><td>22.13%</td></tr>
<tr><td>Higher Secondary</td><td>13.18%</td><td>12.98%</td><td>13.09%</td></tr>
</table>
In annexure 1(a) referred to in reply to part (a) of the question, data in the respect of Karnataka was stated as below.
<table>
<tr><td rowspan="2">Sl. no.</td><td rowspan="2">State/UT</td><td colspan="3">Higher Secondary</td></tr>
<tr><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Karnataka</td><td>-</td><td>99.80%</td><td>99.93%</td></tr>
<tr><td></td><td>All States</td><td>13.18%</td><td>12.98%</td><td>13.09%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="2">Sl. no.</td><td rowspan="2">State/UT</td><td colspan="3">Secondary</td></tr>
<tr><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Karnataka</td><td>47.82%</td><td>48.42%</td><td>48.11%</td></tr>
<tr><td></td><td>All States</td><td>22.11%</td><td>22.15%</td><td>22.13%</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Part (a) of the statement is being corrected as follows
(a) Dropout rate at Secondary and Higher Secondary level for the year 2016-17 is as below
<table>
<tr><td colspan="4">Annual Average Dropout Rate 2016-17 (All India)</td></tr>
<tr><td>Level</td><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Secondary</td><td>19.97%</td><td>19.81%</td><td>19.89%</td></tr>
<tr><td>Higher Secondary</td><td>6.37%</td><td>5.49%</td><td>5.95%</td></tr>
</table>
The data given in annexure 1(a) referred to in reply to part (a) of the question is as below
<table>
<tr><td rowspan="2">Sl. no.</td><td rowspan="2">State/UT</td><td colspan="3">Higher Secondary</td></tr>
<tr><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Karnataka</td><td colspan="3">Incomplete data received</td></tr>
<tr><td></td><td>All States</td><td>6.37%</td><td>5.49%</td><td>5.95%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="2">Sl. no.</td><td rowspan="2">State/UT</td><td colspan="3">Higher Secondary</td></tr>
<tr><td>Boys</td><td>Girls</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Karnataka</td><td colspan="3">Incomplete data received</td></tr>
<tr><td></td><td>All States</td><td>19.97%</td><td>19.81%</td><td>19.89%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION& LITERACY

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO.*271
TO BE ANSWERED ON 31.12.2018

School Dropout

***271. SHRI B.V.NAIK:**

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of boys/girls who dropped out of schools' in the country during the last three years, State and year-wise;

(b) whether any survey has been carried out to find out the reasons therefor; and

(c) the details of schemes being implemented to impart school education and the amount spent thereon during the above period and the outcome thereof?

ANSWER
MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SHRI PRAKASH JAVADEKAR)

(a), (b) and (c): A Statement is laid on the Table of the House

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*271 TO BE ANSWRED ON 31.12.2018 ASKED BY SHRI B.V. NAIK REGARDING 'SCHOOL DROPOUT'

(a): The National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), an autonomous body under Ministry of Human Resource Development, collects information from all the schools (government, aided and private) annually on various educational indicators including drop-out rate across all States and UTs through Unified District Information System for Education (U-DISE). As per U-DISE data, annual average dropout rates in percentage are as under:

Years	Annual Average Dropout Rate (All India)											
	Boys				Girls				Total			
	Primary	Upper Primary	Second-ary	Higher Secondary	Primary	Upper Primary	Second-ary	Higher Secondary	Primary	Upper Primary	Second-ary	Higher Secondary
2014-15	6.84%	5.56%	20.09%	4.12%	6.49%	7.02%	20.19%	4.56%	6.67%	6.27%	20.14%	4.33%
2015-16	4.36%	3.49%	17.21%	0.25%	3.88%	4.60%	16.88%	-	4.13%	4.03%	17.06%	-
2016-17	6.40%	4.97%	22.11%	13.18%	6.30%	6.42%	22.15%	12.98	6.35%	5.67%	22.13%	13.09%

Source: U-DISE, 2014-15, 2015-16 and 2016-17

Note -: '-' indicates negative dropout rate

State-wise and year-wise dropout rates are at Annexures I(a), I(b) and I(c)

(b): Ministry of Human Resource Development has commissioned three independent surveys to estimate out of school children in the country. These surveys were conducted in the years 2005, 2009 and 2014. The All India survey of Out of School Children in 6-13 years age group conducted in 2014 revealed that there are 60.64 lakh out of school children in this age group, as compared to 134.6 lakh as per 2005 survey. The major reasons for out of school children reported in the survey are poverty/economic reason, child not interested in studies, child suffering with some disability or poor health, child too young to be attending school, child needed to help in domestic work, education not considered necessary by the parents or Head of the household etc.

(c): The Department of School Education and Literacy has launched the Samagra Shiksha - an Integrated Scheme for School Education as a Centrally Sponsored Scheme and it is being implemented throughout the country with effect from the year 2018-19. This programme subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE). It is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. It envisages the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to senior secondary levels.

The major interventions, across all levels of school education, under the scheme are: (i) Universal Access including Infrastructure Development and Retention; (ii) Gender and Equity; (iii) Inclusive Education; (iv) Quality; (v) Financial support for Teacher Salary; (vi) Digital initiatives; (vii) Entitlements under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 including uniforms, textbooks etc.;(viii) Pre-school Education; (ix) Vocational Education; (x) Sports and Physical Education; (xi) Strengthening of Teacher Education and Training; (xii) Monitoring and (xiii) Programme Management. The main emphasis of the Scheme is on improving quality of school education and the strategy for all interventions would be to enhance the Learning Outcomes at all levels of schooling.

It sees school education holistically without segmenting it into various levels of education. Its main features, inter alia, are as follows:

(i) Annual Grant of Rs. 5,000 to Rs. 20,000/- per school for strengthening of Libraries.

(ii) Composite school grant increased from Rs. 14,500-50,000 to Rs. 25,000-1 Lakh and to be allocated on the basis of school enrolment.

(iii) Annual Grant for sports equipments at the cost of Rs. 5000 for Primary Schools, Rs. 10,000 for upper primary schools and up to Rs. 25,000 for secondary and senior secondary schools.

(iv) Allocation for children with Special Needs (CwSN) increased from Rs. 3,000 to Rs. 3,500 per child per annum including a stipend of Rs. 200 per month for CWSN girls to be provided from Classes I to XII. – earlier it was only for classes IX to XII.

(v) Allocation for uniforms enhanced from Rs. 400 to Rs. 600 per child per annum.

(vi) Allocation for textbooks enhanced from Rs. 150/250 to Rs. 250/400 per child per annum.

(vii) Upgradation of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) from Class 6-8 to Class 6-12.

(viii) Strengthening Teacher Education Institutions like SCERTs and DIETs to improve the quality of teachers with SCERT as the nodal institution for in-service and pre-service teacher training

(ix) Enhanced use of digital technology in education through smart classrooms, digital boards and DTH channels.

The detail of central share released and expenditure reported by the States and UTs since 2015-16 is as under:-

(Rs. in Lakh)

Year	Central share released	Expenditure*
2015-16 SSA	2159014.41	4422718.48
RMSA	354492.77	668628.55
CSSTE	48870.04	43683.13
2016-17 SSA	2165744.85	4885824.93
RMSA	368826.95	738226.46
CSSTE	49536.57	45509.60
2017-18 SSA	2349425.43	4678063.52
RMSA	401387.78	812818.92
CSSTE	47838.25	42802.13
2018-19 (till 30.11.2018) Samagra Shiksha	1966826.71	1342129.20

***Note:** Expenditure shown above (except CSSTE) is against receipts from Central release, State share release, Finance Commission Award and Miscellaneous incomes, if any. Expenditure for CSSTE is only against receipts from Central Share.

Due to various interventions implemented under SSA and RMSA, there have been improvements in overall educational scenario at elementary and secondary levels. As per UDISE 2015-16, Gross Enrolment Ratio (GER) is 99.21% for primary and 92.81% for upper primary level, which indicates universal enrolment at primary level. The Pupil Teacher Ratio (PTR) has improved from 32 in 2009-10 to 25 in 2015-16. The transition rate from primary to upper primary has gone up from 85.17% in 2009-10 to 90.14% in 2014-15. In order to ensure quality elementary education, the Central Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Rules, 2010 have been amended on 20th February, 2017 to include reference on class-wise, subject-wise Learning Outcomes for all elementary classes. At the secondary level, GER has increased from 62.90% in 2009-10 (Source: Statistics of School Education) to 80.01% in 2015-16 (Source: UDISE). Gross Access Ratio has increased from 68.22 in 2011-12 to 86.48 in 2015-16.

*****

ANNEXURE-I(a)

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*271 TO BE ANSWRED ON 31.12.2018 ASKED BY SHRI B.V. NAIK REGARDING 'SCHOOL DROPOUT'

Percentage of Dropout rate of state/UT: 2016-17

Slno.	State/UT	Primary			Upper Primary			Secondary			Higher Secondary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	A & N ISLANDS	2.03	1.25	1.65	1.50	2.03	1.76	7.89	6.80	7.36	22.59	10.78	16.79
2	ANDHRA PRADESH	1.91	1.90	1.90	0.64	1.16	0.89	49.63	50.40	50.00	-	-	-
3	ARUNACHAL PRADESH	23.65	22.82	23.25	11.45	14.15	12.81	31.63	28.11	29.93	24.36	20.51	22.46
4	ASSAM	6.21	4.98	5.60	2.79	2.25	2.51	26.38	28.75	27.60	12.51	10.85	11.72
5	BIHAR	10.26	8.78	9.53	13.65	12.75	13.20	38.49	40.98	39.73	10.50	7.96	9.30
6	CHANDIGARH	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	16.99	12.42	15.05
7	CHHATTISGARH	3.42	3.07	3.25	7.05	5.29	6.18	26.11	22.39	24.23	1.65	2.92	2.30
8	DADRA & NAGAR HAVELI	-	-	-	2.42	3.34	2.84	28.05	27.85	27.96	15.18	6.95	11.32
9	DAMAN & DIU	-	-	-	0.86	0.33	0.61	21.60	17.07	19.52	-	-	-
10	DELHI	-	-	-	0.75	0.65	0.70	12.63	8.59	10.75	15.98	10.41	13.34
11	GOA	1.71	2.22	1.96	-	1.27	-	18.73	12.99	16.01	15.81	5.76	10.88
12	GUJARAT	0.92	1.04	0.98	5.01	8.33	6.51	25.60	21.91	24.08	6.94	6.09	6.56
13	HARYANA	-	-	-	-	0.92	-	12.07	12.28	12.16	2.69	4.09	3.31
14	HIMACHAL PRADESH	0.66	1.03	0.84	0.74	1.04	0.88	7.65	6.32	7.03	9.05	6.73	7.97
15	JAMMU & KASHMIR	13.44	14.92	14.15	8.72	11.78	10.18	23.32	25.53	24.35	11.65	11.62	11.64
16	JHARKHAND	15.54	15.90	15.71	19.22	19.99	19.61	36.17	37.12	36.64	28.28	28.06	28.18
17	KARNATAKA	0.85	1.96	1.39	2.93	4.65	3.76	47.82	48.42	48.11	-	99.80	99.93
18	KERALA	0.11	0.04	0.08	-	0.04	-	15.58	9.78	12.76	2.97	1.24	2.07
19	LAKSHADWEEP	1.37	0.61	1.00	1.45	-	-	5.68	5.91	5.80	5.71	2.22	3.70
20	MADHYA PRADESH	4.58	4.44	4.51	6.49	8.91	7.65	23.70	23.83	23.76	-	0.00	-
21	MAHARASHTRA	0.66	0.75	0.70	0.70	1.87	1.24	11.43	11.10	11.28	3.03	2.70	2.88
22	MANIPUR	15.69	17.92	16.79	12.67	12.86	12.76	21.14	20.96	21.05	12.87	10.65	11.81
23	MEGHALAYA	18.01	17.37	17.69	17.96	17.25	17.59	28.33	27.85	28.07	13.59	14.02	13.82
24	MIZORAM	15.24	15.49	15.36	10.63	9.06	9.88	32.47	28.87	30.67	7.26	5.62	6.42
25	NAGALAND	20.47	21.44	20.95	18.65	17.90	18.28	31.51	31.04	31.28	15.51	12.33	13.96
26	ODISHA	4.05	4.44	4.24	5.16	4.94	5.05	28.90	28.83	28.87	-	-	-
27	PUDUCHERRY	-	-	-	-	0.98	0.45	15.72	9.42	12.65	11.65	7.65	9.56
28	PUNJAB	2.99	2.64	2.83	2.92	2.84	2.89	9.14	7.88	8.60	6.97	4.79	6.00
29	RAJASTHAN	6.94	7.06	6.99	3.65	5.17	4.34	15.14	15.25	15.19	-	-	-
30	SIKKIM	6.06	4.09	5.13	7.55	7.73	7.64	25.73	22.70	24.15	21.97	17.45	19.49
31	TAMIL NADU	0.12	0.81	0.46	1.52	1.15	1.34	13.65	6.26	10.03	4.88	2.88	3.83

32	TELANGANA	7.45	7.76	7.60	5.65	5.59	5.62	23.45	21.50	22.49	23.14	20.38	21.73
33	TRIPURA	4.33	4.44	4.39	5.91	4.77	5.34	29.20	30.32	29.76	11.98	10.30	11.21
34	UTTAR PRADESH	11.44	10.85	11.15	0.64	7.13	3.87	12.54	12.90	12.71	8.01	5.19	6.67
35	UTTARAKHAND	5.68	5.46	5.58	2.96	3.18	3.06	9.94	8.15	9.09	2.16	1.22	1.70
36	WEST BENGAL	8.22	7.88	8.05	11.33	6.71	8.95	26.53	27.27	26.93	14.91	14.67	14.79
All States		6.40	6.30	6.35	4.97	6.42	5.67	22.11	22.15	22.13	13.18	12.98	13.09

Note: Due to in-migration & lack of data on lateral and late entrants, dropout rate can be negative. Negative dropout rates are not reported and are indicates by '-' symbol.

ANNEXURE-I(b)

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*271 TO BE ANSWRED ON 31.12.2018 ASKED BY SHRI B.V. NAIK REGARDING 'SCHOOL DROPOUT'

Percentage of Dropout rate of state/UT: 2015-16

Slno.	State/UT	Primary			Upper Primary			Secondary			Higher Secondary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	A & N ISLANDS	0.47	0.55	0.51	1.44	1.95	1.69	11.47	8.16	9.87	21.05	12.21	16.93
2	ANDHRA PRADESH	6.57	6.89	6.72	5.09	5.32	5.20	15.81	15.60	15.71	-	-	-
3	ARUNACHAL PRADESH	11.51	10.09	10.82	5.31	8.08	6.71	18.33	15.81	17.11	19.37	17.44	18.42
4	ASSAM	16.07	14.65	15.36	10.45	10.56	10.51	24.64	29.28	27.06	-	-	-
5	BIHAR	0.35	-	-	4.14	4.01	4.08	25.21	26.62	25.90	-	-	-
6	CHANDIGARH	-	-	-	0.01	0.96	0.44	-	-	-	12.10	8.41	10.55
7	CHHATTISGARH	3.08	2.74	2.91	6.47	5.22	5.85	22.62	19.92	21.26	1.37	4.14	2.76
8	DADRA & NAGAR HAVELI	1.60	1.31	1.47	3.70	4.40	4.02	18.19	15.08	16.77	13.45	4.77	9.47
9	DAMAN & DIU	1.80	0.29	1.11	3.14	3.07	3.11	34.45	29.73	32.27	44.38	36.05	40.48
10	DELHI	-	-	-	0.95	0.55	0.76	13.55	9.80	11.81	20.91	13.15	17.32
11	GOA	0.63	0.84	0.73	-	0.21	0.07	14.15	7.68	11.15	18.27	9.39	13.91
12	GUJARAT	0.82	0.98	0.89	4.65	8.54	6.41	26.29	23.24	25.04	8.40	5.26	7.04
13	HARYANA	5.54	5.69	5.61	5.50	6.18	5.81	16.35	15.30	15.89	6.24	5.12	5.75
14	HIMACHAL PRADESH	0.46	0.83	0.64	0.50	1.27	0.87	6.31	5.80	6.07	9.02	5.57	7.41
15	JAMMU & KASHMIR	6.98	6.59	6.79	4.98	5.95	5.44	16.97	17.65	17.28	13.85	11.20	12.65
16	JHARKHAND	5.91	5.03	5.48	9.01	8.96	8.99	23.45	24.56	24.00	2.72	4.18	3.41
17	KARNATAKA	2.03	2.01	2.02	3.46	4.27	3.85	27.71	24.52	26.18	5.97	-	1.96
18	KERALA	-	-	-	-	0.00	-	14.96	9.52	12.32	1.54	-	0.47
19	LAKSHADWEEP	-	-	-	2.37	3.18	2.78	8.82	4.96	6.76	3.00	3.21	3.12
20	MADHYA PRADESH	6.48	6.72	6.59	7.78	10.70	9.20	23.71	25.97	24.77	-	0.73	-
21	MAHARASHTRA	1.26	1.25	1.26	0.89	2.83	1.79	13.11	12.58	12.87	2.02	1.60	1.83
22	MANIPUR	9.50	9.83	9.66	3.61	4.80	4.20	12.94	15.86	14.38	-	-	-
23	MEGHALAYA	10.35	8.56	9.46	6.77	6.30	6.52	20.80	20.27	20.52	-	-	-
24	MIZORAM	10.17	10.03	10.10	5.46	4.06	4.78	23.02	20.73	21.88	9.00	4.85	6.91
25	NAGALAND	6.18	5.02	5.61	7.87	7.97	7.92	17.98	18.47	18.23	10.36	3.19	6.97
26	ODISHA	2.91	2.81	2.86	4.11	3.49	3.81	29.74	29.37	29.56	-	-	-
27	PUDUCHERRY	0.36	0.38	0.37	0.44	0.69	0.56	14.94	9.36	12.19	5.40	3.69	4.50
28	PUNJAB	2.89	3.25	3.05	2.95	3.55	3.22	9.22	8.39	8.86	7.52	3.67	5.83
29	RAJASTHAN	5.02	5.02	5.02	2.54	3.73	3.07	13.54	13.40	13.48	-	-	-
30	SIKKIM	3.75	0.62	2.27	2.07	1.08	1.57	17.58	14.39	15.89	12.48	11.17	11.76
31	TAMIL NADU	-	-	-	-	-	-	11.67	4.36	8.10	4.59	2.34	3.41
32	TELANGANA	2.21	1.94	2.08	2.43	2.17	2.30	16.54	14.50	15.53	2.06	-	0.77

33	TRIPURA	1.37	1.19	1.28	2.37	1.61	1.99	28.03	28.83	28.42	8.97	8.89	8.93
34	UTTAR PRADESH	9.08	8.04	8.58	0.78	4.61	2.70	9.89	10.60	10.22	1.79	2.45	2.10
35	UTTARAKHAND	4.37	3.67	4.04	0.79	1.62	1.19	11.26	9.46	10.40	3.40	2.61	3.01
36	WEST BENGAL	2.13	0.79	1.47	5.84	2.88	4.30	16.33	19.06	17.80	8.18	8.04	8.11
	All States	4.36	3.88	4.13	3.49	4.60	4.03	17.21	16.88	17.06	0.25	-	-

Note: Due to in-migration & lack of data on lateral and late entrants, dropout rate can be negative. Negative dropout rates are not reported and are indicates by '-' symbol.

ANNEXURE-I (c)

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*271 TO BE ANSWRED ON 31.12.2018 ASKED BY SHRI B.V. NAIK REGARDING 'SCHOOL DROPOUT'

Percentage of Dropout rate of state/UT: 2014-15

Slno.	State/UT	Primary			Upper Primary			Secondary			Higher Secondary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	A & N ISLANDS	1.35	1.06	1.21	-	1.54	0.51	8.36	5.98	7.20	18.94	12.20	15.87
2	ANDHRA PRADESH	47.66	47.75	47.70	46.80	47.59	47.18	52.17	53.44	52.80	51.72	52.72	52.20
3	ARUNACHAL PRADESH	11.54	10.22	10.89	4.44	6.74	5.59	16.08	12.75	14.49	18.57	15.49	17.07
4	ASSAM	8.19	6.68	7.44	7.60	6.54	7.05	28.59	32.10	30.43	7.62	6.83	7.24
5	BIHAR	2.38	1.79	2.09	2.77	3.19	2.98	24.67	26.05	25.33	-	-	-
6	CHANDIGARH	-	-	-	0.72	1.55	1.08	-	-	-	13.24	8.49	11.28
7	CHHATTISGARH	1.45	1.38	1.42	4.09	3.51	3.80	24.10	22.72	23.41	-	2.13	-
8	DADRA & NAGAR HAVELI	1.05	2.17	1.57	3.31	5.09	4.13	30.02	26.83	28.59	7.07	5.33	6.24
9	DAMAN & DIU	1.06	0.59	0.85	3.42	3.72	3.56	19.46	20.33	19.86	14.48	4.89	9.86
10	DELHI	-	-	-	3.13	2.37	2.78	10.80	6.64	8.90	20.28	11.45	16.25
11	GOA	0.08	0.33	0.20	-	-	-	11.68	7.19	9.58	18.21	8.38	13.36
12	GUJARAT	0.50	1.06	0.76	3.52	8.04	5.55	22.85	19.81	21.61	9.06	6.18	7.83
13	HARYANA	0.22	0.63	0.41	1.97	3.25	2.55	11.92	13.27	12.51	1.41	3.16	2.18
14	HIMACHAL PRADESH	0.57	0.34	0.46	0.60	0.98	0.78	9.32	8.83	9.09	8.44	5.54	7.07
15	JAMMU & KASHMIR	5.53	5.37	5.46	3.86	4.80	4.30	14.70	16.14	15.36	8.80	6.20	7.64
16	JHARKHAND	6.89	5.91	6.41	7.19	7.65	7.42	22.99	23.32	23.15	-	-	-
17	KARNATAKA	2.42	2.21	2.32	2.31	2.73	2.51	28.49	26.57	27.57	-	-	-
18	KERALA	-	-	-	-	-	-	17.30	11.40	14.46	6.95	5.90	6.40
19	LAKSHADWEEP	0.00	-	-	1.16	2.50	1.86	8.48	7.65	8.03	3.03	2.59	2.82
20	MADHYA PRADESH	9.91	10.40	10.14	9.88	13.57	11.70	25.21	27.91	26.47	0.52	2.83	1.55
21	MAHARASHTRA	0.51	0.59	0.55	-	1.50	0.61	15.04	13.78	14.47	2.85	3.89	3.34
22	MANIPUR	17.27	18.74	18.00	7.48	6.54	7.02	12.35	15.28	13.81	3.30	3.08	3.20
23	MEGHALAYA	11.30	9.39	10.34	6.34	7.28	6.84	25.63	23.99	24.75	-	-	-
24	MIZORAM	12.57	13.38	12.96	6.61	5.39	6.02	20.00	17.37	18.70	-	-	-
25	NAGALAND	19.09	19.74	19.41	18.08	17.63	17.86	34.14	36.08	35.11	15.36	12.96	14.19
26	ODISHA	2.83	3.05	2.94	3.11	2.48	2.80	49.39	49.57	49.48	-	-	-
27	PUDUCHERRY	0.76	0.57	0.66	0.37	0.83	0.60	18.22	10.02	14.24	13.24	9.28	11.16
28	PUNJAB	1.35	1.21	1.29	2.52	3.27	2.85	8.93	8.71	8.83	7.87	3.20	5.81
29	RAJASTHAN	7.76	9.12	8.39	4.49	7.95	6.03	17.85	20.06	18.77	-	-	-
30	SIKKIM	5.55	3.49	4.57	6.35	3.98	5.14	13.74	12.14	12.89	14.11	11.92	12.91
31	TAMIL NADU	0.53	0.39	0.46	4.38	4.67	4.52	16.13	7.99	12.20	4.55	4.35	4.44
32	TRIPURA	3.63	3.52	3.58	3.21	2.20	2.72	24.51	25.70	25.09	9.15	9.06	9.11
33	UTTAR PRADESH	7.91	6.21	7.08	-	2.43	0.53	7.26	7.35	7.30	-	-	-
34	UTTARAKHAND	3.28	2.83	3.07	1.78	1.57	1.68	9.85	7.44	8.70	0.23	-	-
35	WEST BENGAL	3.44	2.37	2.91	5.63	3.10	4.31	16.73	19.77	18.34	8.03	7.76	7.90

All States	6.84	6.49	6.67	5.56	7.02	6.27	20.09	20.19	20.14	4.12	4.56	4.33

Note: Due to in-migration & lack of data on lateral and late entrants, dropout rate can be negative. Negative dropout rates are not reported and are indicates by '-' symbol.

12 12 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Impact of Chemical Fertilizers and Pesticides on Agriculture and Allied Sectors in the Country'pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदया, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10717/16/19.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Comprehensive Agriculture Research based on Geographical Conditions and Impact of Climatic Changes to ensure Food Security in the country'pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदया, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित ‘देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित व्यापक कृषि अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10718/16/19.

I**12 13 hrs**

(ii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2018-2019) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10719/16/19.½

12 13½ hrs

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10720/16/19.

12 14 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Trade Unions (Amendment) Bill, 2019*

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

> "कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले उनको इन्ट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन को श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन अपोज कर रहे हैं। पहले बिल इन्ट्रड्यूस करना है। मैं आपको भी समय दूंगी, आपका नाम है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप देखने से पहले ही चिल्लाते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, Speaker, I am opposing the introduction of the Trade Unions (Amendment) Bill, 2019 under Rule 72(2) and Rule 70 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Madam, this Bill is being presented on a day when the entire workforce in the country is going for an all India strike today and tomorrow.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 08.01.2019.

Just to press for the demands of the working class in the country, today, the hon. Minister and the Government is introducing a Bill by which the Trade Unions Act would be amended. The sole purpose of the amendment to the Trade Unions Act is to determine a criteria for recognition of a trade union. As per the existing Trade Unions Act, registration of a trade union is there but there is no provision for recognition of a trade union. So, the Government wants to give a statutory status for recognition of a trade union in a particular establishment. That is the entire purpose of the Bill.

I would like to know from the hon. Minister as to what is the criteria and norms by which a trade union can be recognised. Is it 10 per cent or 15 per cent or 20 per cent of the workforce? Nothing is mentioned in the Bill. …(*Interruptions*)

I am coming to the rule. This is absolutely a delegated legislation, which means, the Parliament is empowering the Government to make procedure and rules by which the criteria and norms can be fixed for the recognition of a trade union. That is what is meant by an absolute delegated legislation.

Madam, according to Rule 70, "A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character." So, the memorandum regarding delegated legislation has to specifically state whether it is of normal character or exceptional character. According to me, here, in this memorandum regarding delegated legislation, the delegation of legislative

power is not of normal character but exceptional character. Why? It is because the Government is being empowered to make a legislation thereby, the entire legislative wisdom and the legislative power of this Parliament is being entrusted with the Government. Then, what is the role of this Parliament? The Parliament should know as to what should be the criteria or what should be the norms by which a trade union in a particular establishment can be recognised.

Unfortunately, it is missing in the Bill. So, I oppose the Bill. Along with that, Madam, the workforce in the country is on a big strike. 48-hour strike is going on.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you, Madam Speaker.

Madam, quite surprisingly on this cold morning of 8th January, we got a copy of the Trade Unions (Amendment) Bill, 2019, Bill No. 2 of 2019 in the brown packet, which was circulated to us by the Lok Sabha Secretariat. Madam Speaker, before 8:30 a.m. of today no such information or nothing was seen in the Business of the House.

Madam Speaker, I would like to oppose this Bill because this is unconstitutional. The hon. Minister will also accept my view. Why I say this Bill is unconstitutional is because this is against the spirit of Article 19(1)(c) that is enshrined in Part III of the Constitution of India. And again, Madam Speaker, this Bill which has been circulated is against Article 23 and Article 24 which is enshrined in Part IV of this holy book, the Constitution of India. The provisions of Article 43 and Article 43(a) of the Constitution of India have been violated by

introducing this Bill. The Minister may say that this is only a very simple Bill but this is going to cut the throats of the working class of this nation.

The Minister was in a hurry to introduce the Bill on the last day of this Winter Session when 200 million working class of this nation is already on the streets. They are fighting against anti-people policy of this Government. You are killing the public sector. You are pushing the farmers to commit suicide. Here, more than 24 lakhs of vacancies are yet to be filled up.

I am going to conclude, Madam Speaker. Here, Rules 72, 172, and 174 have been violated. This Bill is a draconian Bill. This Bill takes away the prerogative of this august House. All these Members sitting here are responsible to the people. What will be your answer to the working class or what is your answer to the working class?

माननीय अध्यक्ष : आपका हो गया, आपने अपनी बात रख दी।

DR. A. SAMPATH : Madam Speaker, all the powers come from the people. The Constitution says, "We, the People", but you are suffocating the voice of the people.

माननीय अध्यक्ष : इतने जोर से मत चिल्लाइए, आपने अपने प्वाइंट्स रख दिए।

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Hon. Speaker Madam, I do not want to repeat some of the points already made by two of my learned colleagues. I agree with them that this is a big betrayal by the Modi government on a day when the entire working class of our country, cutting across party affiliations, cutting across political lines, is on a general strike today. I oppose the introduction of this Trade Unions (Amendment) Bill on four grounds.

Firstly, this Bill has not incorporated the unanimously agreed formulation between Central Trade Unions and the Ministry of Labour and Employment regarding the definition of a Central Trade Union. With the non-incorporation of this unanimously agreed formulation, the Central Government is usurping wide discretionary powers regarding the definition of a Central Trade Union.

Secondly, in total departure from the mutually agreed procedure being followed from the very beginning, the Government is usurping wide discretionary powers in the matter of recognition of Central Trade Union. So, both in terms of definition and in terms of recognition, the Government is usurping discretionary powers.

Thirdly, this Bill has not addressed the issue of mandatory recognition of trade unions by the employers at the enterprise level. At the enterprise level, employers are not mandated to recognise a trade union.

Fourthly, this is part of this Government's labour law reforms which is taking away the right of working class for collective bargaining, the right of working class to form trade unions. I agree with Dr. Sampath that this is against the fundamental rights enshrined in the Constitution of our country. That is why, all the Central Trade Union in this country are opposing this Bill. The 48-hour general strike which is going on right now is also against this amendment Bill. So, I oppose the introduction of this Bill. Thank you.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker Madam, on this day when, as has been pointed out, so many trade unions have declared a work stoppage against the undemocratic policies of this Government, I rise to oppose the introduction of this Bill which is one more undemocratic act, both for the manner in which this Bill is being introduced as well as the contents of the Bill. I have just three objections and I will be quite brief.

My first objection is that the Members of Parliament are supposed to be given copies of the Bill in advance before it is introduced. This Bill has been brought in a surreptitious manner as has been pointed out. As per your own direction, that is Direction 19A(1) of the Speaker's Directions 2014, the Minister has to give a written notice of his intention to introduce a Bill.

HON. SPEAKER: But I can give my consent also.

DR. SHASHI THAROOR : According to Direction 19B, no Bill shall be included for introduction in the List of Business for a day until after copies thereof have been made available for the use of Members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced. The Bill has not complied with this requirement. I know you allow for an exception in the second proviso, but there the Minister is supposed to give special reasons in a memorandum which has to be shared with the House. Otherwise, it is a direct abuse of your Directions and the Lok Sabha Rules and Procedures. Madam, this objection is all the more important because just now, while we are sitting and listening to this, we have had copies of a new Bill given to us to amend the Constitution.

Where is the two days' notice? Where is the special reason to be given? This Government is flagrantly violating the rules, directives and procedures.

Secondly, as regards the contents of the Bill, under the guise of providing recognition to trade unions by the Central Government or the State Government, the Bill is giving vast open-ended discretionary powers to the Government to determine which trade union should or should not be recognized. The Bill fails to lay down comprehensive objective standards for this determination. We all know that political parties in our country have affiliations to trade unions and political preferences of the government of the day will come into play. The fact is, by providing such vast powers to the Government with no objective criteria spelt out, no categories and no information, the Bill facilitates the subjective and arbitrary decision making. We all know that arbitrariness is the very antithesis of the Right to Equality guaranteed under article 14 of the Constitution.

I have a third and final point and I will come up with a constructive suggestion. It is a matter of shame that the Government has decided to push ahead this Bill in this manner. Ten Central Trade Unions have written to the Minister opposing this Bill.

Madam Speaker, the Minister should take steps to address their concerns. If the Government's intention is genuine, why is it pushing this Bill in this fashion when all the stakeholders are opposing it? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : May I make a request? A solution to the problem would be to actually refer this Bill to the Standing Committee. The Standing Committee could then rule on all these objections that have been raised today. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहले बिल को इंट्रोड्यूस होने दो।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : I request the hon. Minister to send the Bill to the Standing Committee.

माननीय अध्यक्ष : उनका नाम पहले से नहीं दिया था। अब आप बोलिए। ऐसा नहीं होता है। हरेक को नियम तो समझना पड़ेगा।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav is permitted to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Adv. Joice George is permitted to associate with the issues raised by Dr. A. Sampath, Shri M.B. Rajesh and Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, हम सभी जानते हैं कि सैन्ट्रल जुरिस्डिक्शन का श्रम मंत्रालय की पॉलिसी मेकिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मंत्रालय की सभी त्रिपक्षीय वार्ताओं में स्टैच्यूटरी बॉडी जैसे- ई.पी.एफ.ओ., ई.एस.आई.सी., अंतर्राष्ट्रीय मंच, लेबर कान्फ्रेंसेज सभी में ट्रेन यूनियन को स्थान मिलता है। परन्तु, इस बात का अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कि कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं, श्री प्रेमचन्द्र जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, वे हमेशा इस बात के साथ रहते हैं और इन बातों की चर्चा करते हैं। किस प्रक्रिया के तहत ट्रेड यूनियन्स को शामिल किया जाए, इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। इसलिए सभी सदस्यों के साथ परामर्श करके हमने

संशोधन करने का काम लिया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो अनुचित काम है। …(व्यवधान) आप इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे, तो वह भी करेंगे। यह समझ में आना चाहिए कि केंद्र में 12 ट्रेड यूनियन्स को मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। परन्तु, लीगल ब्रेकिंग न होने के कारण किसको कहां बुलाया जाए, यह हम तय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि 12 में से अगर एक यूनियन किसी संस्था में है, तो हमें 12 यूनियनों को बुलाना पड़ेगा। …(व्यवधान) हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसको एक लीगल ब्रेकिंग दी जाए और लीगल व्यवस्था करने के लिए हमें कहा गया है। हम उसी हिसाब बातचीत कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब यह चर्चा में आएगा तो हम लोग सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। …(व्यवधान) हमें ध्यान है कि आई.एल.ओ. के माध्यम से भी हमसे कहा जाता है कि आप यूनियन को एक रिप्रजेंटेशन सही ढंग से देने का काम करें। …(व्यवधान) मेरा मानना है कि हम इसको सिर्फ इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप रिप्लाई तो सुन लो।

…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अभी हमारे कुछ श्रमिक संगठनों के साथी हड़ताल की बात कर रहे हैं, परन्तु छह मजदूर संगठन, जिनमें मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, टी.यू.सी.सी., एन.एफ.आई. टी.यू. और इंटक का एक धड़ा इस हड़ताल से बाहर है।…(व्यवधान) मेरा मानना है कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने इस बात को देख और समझ लिया है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Trade Unions Act, 1926."

The motion was adopted.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : अभी तो इन्ट्रोड्यूस हुआ है। अभी निर्णय ले लीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इसके लिए मना नहीं किया है, लेकिन यह इन्ट्रोडक्शन के लेवल पर नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी स्टैंडिंग कमेटी की बात सुन ली है। अभी मना नहीं किया है।

…(व्यवधान)

DR. A. SAMPATH : Madam, I am on a point of order. …(*Interruptions*)

SHRI M. B. RAJESH : The Government should refer the Bill to the Standing Committee. …(*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH : Madam, please allow me. I am on a point of order. …(*Interruptions*)

SHRI M. B. RAJESH : This is not acceptable. The Government should refer this Bill to the Standing Committee. …(*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH : Madam, we are walking out in protest. …(*Interruptions*)

12 27 hrs

At this stage, Dr. A. Sampath, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and some other hon. Members left the House.

---

12 28 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS...Contd.

(iv)Status of implementation of the recommendations contained in the 205th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 203rd Report of the Committee on Border Security; Capacity Building and Institutions pertaining to the Ministry of Home Affair*

HON. SPEAKER: Shri Kiren Rijiju, you may make the statement now.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 205th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 203rd Report of the Committee on Border Security: Capacity Building and Institutions pertaining to the Ministry of Home Affairs.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10720A/16/19.

12 29 hrs

DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL, 2018

HON. SPEAKER: Now, the House will take up item No. 39 – the DNA Technology Regulation Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, before you take up item NO. 39, I want to say something.

This Bill has far-reaching consequences. Even for small penal provisions, the DNA could be taken. My submission is this. Kindly send this Bill to the Parliamentary Standing Committee for a close scrutiny since this Bill has very far-reaching consequences.

HON. SPEAKER: Honourable Minister.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move:

> "That the Bill to provide for the regulation of use and application of Deoxyribonucleic Acid (DNA) technology for the purposes of establishing the identity of certain categories of persons including the victims, offenders, suspects, undertrials, missing persons and unknown deceased persons and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदया, मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिल की ओर दिलाना चाहता हूं। संक्षेप में इसका इतिहास और देश को इसके जो फायदे हैं, उसके बारे में अगर सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कि प्रेमचन्द्रन जी सहित, सभी लोग निश्चित रूप से इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही लाँग अवेटेड बिल है। अगर मैं इसके इतिहास में जाऊं तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जन्म कहां से हुआ है। वर्ष 2003 में हैदराबाद में देश के प्रतिष्ठित जजेज और लॉयर्स की मीटिंग हुई, जिसमें डिसकशन का सब्जेक्ट था – इम्पैक्ट ऑफ न्यु बॉयोलॉजी ऑन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम।

उन्होंने वहां पर यह चर्चा की कि हम किस प्रकार से बॉयो-टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके ऊपर वहां चर्चा हुई, क्योंकि उस वर्ष लगभग दस साल ऐसे हो चुके थे, जब दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में इस प्रकार के बिल और इस प्रकार की साइंस-टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में होता था। उस समय देश में श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां से क्लू लेकर वर्ष 2003 में एक डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई। इस कमेटी ने काम करना शुरू किया। वर्ष 2004 में इस कमेटी ने तीन प्रमुख सब-ग्रुप्स बनाए। एक

लीगल इश्यूज के लिए बनाया, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डीएनए एविडेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया और तीसरा एथिकल और सोशल इश्यूज के लिए बनाया।

यद्यपि वर्ष 2004 में सरकार बदल गई, उसके बाद भी अगले दस वर्षों तक देश में जो सरकार थी, वह इस विषय के ऊपर निरंतर काम करती रही। इस बीच में, उस सरकार के अन्दर करीब छ: साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स आए। उन्होंने भी लगातार इस विषय के ऊपर काम किया। वर्ष 2005 में डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एक ड्राफ्ट बिल बना, जो वर्ष 2006 में कैबिनेट में गया। उसके बाद वह सारे मंत्रालयों के बीच में सर्कुलेट होता रहा, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उन्होंने कुछ और सुझाव दिए। उन्होंने इसे और मंत्रालयों के बीच सर्कुलेट करने की बात की। इसके बाद वर्ष 2011 में जो मंत्री आए, तब तक यह सब कुछ इतना वाइडली सर्कुलेट और डिसकस हो चुका था, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें प्राइवेसी इश्यूज के बारे में नए सिरे से डिसकशन शुरू हो। प्राइवेसी इश्यूज के लिए इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, उसने दो साल तक इस पर डिसकन किया और वर्ष 2013 और 2014 में उसकी चार बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हुईं। जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई और मुझे नवम्बर, 2014 में इस सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने का मौका मिला और हमने पिछले लगभग 10-11 साल की इसकी जर्नी के बारे समझा तो इसको और ज्यादा एग्रेसिवली आगे लाने का प्रयास किया। इसको दोबारा लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा गया, लॉ मिनिस्ट्री से एप्रूव कराकर इसे कैबिनेट में भेजा गया।

कैबिनेट में हमें यह गाइडेंस दी गई कि आप इसको एक बार फिर से पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। इसे बायो-टेक्नोलॉजी के साइट्स, सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में रखने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, उन सभी पर यह रखा गया। यह वापस आने के बाद, इसे दोबारा रीफ्रेम किया गया। इसे रीफ्रेम करने के बाद प्रधान मंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट के 12 सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स थे, उनके सामने इसको प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विस्तार से उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दी और उसके बाद यह फिर से लॉ मिनिस्ट्री में गया। लॉ मिनिस्ट्री के

बाद यह दोबारा से रीड्राफ्ट हुआ और फिर कैबिनेट में आने के बाद, इसको फिर लॉ कमीशन के पास भेजा गया। लॉ कमीशन ने इस पर बहुत विस्तार से अध्ययन करने के बाद, इसमें बहुत-सारे सजैशंस दे कर, ड्राफ्ट करने के बाद इसमें दोबारा से एकस्ट्रा इम्प्रूवमेंट किए। वहां से घूम कर जब यह कैबिनेट में आया तो फाइनली फिर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कैबिनेट की जो एक छोटी कमेटी है, वह इसको देख ले। उस कमेटी में स्वयं होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फाइनैंस मिनिस्टर और हम थे। उस समय आधार एक्ट के बारे में भी चर्चा होने लगी तो फिर लॉ मिनिस्टर ने यह सजैस्ट किया कि इसको फिर एक बार लॉ मिनिस्ट्री में भेजा जाए कि आधार एक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में जो प्रोविजंस हैं, इन सभी विषयों के संदर्भ में किसी तरह का कोई क्लैश नहीं हो और दोनों में सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हों, इस नाते यह फिर लॉ मिनिस्ट्री में गया। लॉ मिनिस्ट्री ने आधार एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन और प्रोविजंस के साथ इसको सिंक्रोनाइज करते हुए, इसके सेक्शन-6 में काफी सारे चेंजेज किए, अल्टीमेटली यह बिल फिर कैबिनेट में आया और कैबिनेट से पास होने के बाद अगस्त, 2018 में हम ने इस हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया था।

अध्यक्ष महोदया, मेरा यह कहना है कि आज इस बिल का पन्द्रहवां साल है। मैं नहीं समझता हूं कि पार्लियमेंट में बनने वाले किसी भी बिल की इतनी डीटेल्ड स्क्रूटनी फ्रॉम ऑल ऐस्पैक्ट्स, वह साइंटिफिक ऐस्पैक्ट्स हो या पब्लिक के ऐस्पैक्ट्स हों, वे सारी मिनिस्ट्रीज हों या टेक्निकल बॉडीज हों, शायद किसी भी बिल की इतनी स्क्रूटनी नहीं हुई होगी। उतनी सारी स्क्रूटनी होने के बाद, मुझे आज इस बात की खुशी है कि यह बिल 8 जनवरी, 2019 को इस सदन में चर्चा के लिए आया है। वर्ष 2003 से इसकी जो यात्रा लोक सभा में डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से कम से कम लोक सभा में इस बिल की यात्रा पूरी होगी।

मैं इसके बारे में मोटी-मोटी कुछ चीजें सदन को बताना चाहता हूं। अभी डीएनए प्रोफाइलिंग के संदर्भ में हम देखते हैं कि देश में डीएनएन फिंगर प्रिंटिंग वगैरह होती ही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग

का इस्तेमाल बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है। उसके माध्यम से क्रिमिनल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम में सभी प्रकार की सहायता ली जाती है। अभी हमारे देश में जो स्थिति है, उसमें करीब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 30-40 एक्सपर्ट्स हैं, करीब 15-18 लैब्स हैं। साल भर में लगभग तीन हजार केसों की डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, जो टोटल नीड की तीन से चार प्रतिशत है। जहां पर लैब्स होते हैं, न तो उनके स्टैंडर्ड मॉनिटर होते हैं, न ही कोई स्टैंडर्ड रेगुलेट होते हैं और न ही कोई स्टैंडर्ड्स प्रेसक्राइब्ड हैं। इसी तरह से कि सी भी देश में आज की तारीख में डीएनए का डाटा बैंक भी नहीं है।

इस बिल के माध्यम से हम यह एनश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लैब्स हैं, उनके एक्रेडिटेशन का जो प्रॉसेस है, वह स्टैंडर्ड उनके एस्टैब्लिश हो जाएं, वे कंट्रोल्ड-वे, रेगुलेटेड-वे में काम करें।

देश में नई लैब्स स्थापित हो जाएं। डीएनए के डेटा बैंक्स को स्थापित किया जाए। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा जो नेशनल क्राइम रिकार्ड्ज़ ब्यूरो है, उसके अनुसार करीब हर साल 40 हजार से ज्यादा अनआइडेंटीफाइड बॉडीज की आइडेंटीफिकेशन की जरूरत पड़ती है और एक लाख के करीब जो बच्चे मिस हो जाते हैं, उनके परिजनों तक उन बच्चों को पहुंचाने की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है। इन मिसिंग चिल्ड्रन्स को, अनआइडेंटीफाइड डिसीज्ड इंडीविजुअल्स और डिजास्टर विक्टिम्स को और इसी तरह से रिपीट ओफेंडर्स को, जो लगातार हीनियस क्राइम रेप, मर्डर वगैरह करते हैं, उन्हें एप्रिहेंड करने की दृष्टि से और क्वालिटी एश्योरेन्स सिस्टम के लिए स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स जो अप्रूवल और एक्रेडिटेशन ऑफ लैब्स for doing DNA profiling करना आवश्यक है, उसे करने के लिए यह जरूरी है। इसके साथ डीएनए प्रोफाइल को लॉफुल परपज़ के लिए क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए रेग्यूलेट करने की दृष्टि से इस बिल को लाने की बहुत जरूरत है।

महोदया, इस बिल में प्रमुख बात यह है कि इसमें एक डीएनए रेग्यूलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो सैंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को इन सारे इश्यूज के बारे में, डीएनए लैब्स के बारे में,

डीएनए डेटा बैंक के बारे में, गाइडलाइंस ले डाउन करने के बारे में, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स for establishment and functioning of such labs and data banks और एक्रेडिटेशन देने के बारे में एडवाइज करेगा। इसके कुछ और फायदे मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम से कम आधा दर्जन मिनिस्ट्रीज सीधे तौर पर इससे बेनिफिट होंगी। होम मिनिस्ट्री के लिए फारेंसिक क्राइम इनवेस्टीगेशंस के लिए, डिफेन्स मिनिस्ट्री के लिए बॉडी आइडेंटीफिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी के लिए अनआइडेंटीफाइड बॉडीज के लिए, एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए इमीग्रेशन इश्यूज के लिए, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री में child trafficking and missing/abandoned children के इनवेस्टीगेशंस के लिए और इसके अलावा देश में सीबीआई और एनआईए जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों को इनवेस्टीगेशन करना पड़ता है, issues of importance to public safety and national security. कम से कम इन बड़ी मिनिस्ट्री और संस्थाओं के लिए यह सही कदम होगा। जब हमें कभी इन बड़ी संस्थाओं के लोग मिलते हैं, तो वे अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि डीएनए बिल का क्या हो रहा है? तब हमें इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है कि why is it so important for them? इस बिल के बारे में प्राइवेसी, कान्फिडेंशियलिटी और डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज को बहुत माइन्यूटली एनश्योर किया गया है कि ये सभी इश्यूज they have been taken care of very meticulously and very thoroughly. इसी तरह से जो प्रोफाइल्स हैं, इन्हें भी एनश्योर किया गया है कि they shall be stored only after obtaining informed consent with exception from offenders and suspects. DNA profiles which would be stored are not for entire population क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में प्राइवेसी और दूसरी बातें आ सकती हैं। But they are only for specified categories like convicts, suspects of major crimes, relatives of missing persons. डीएनए डेटा बैंक्स में जो इनफोर्मेशन स्टोर की जाएगी, it is not going to reveal any race, caste and facial features or any other characteristics.

महोदया, मेरा कहना है कि आज के समय में दुनिया के लगभग 60 देशों के अंदर ऐसा लॉ है। यूएसए में डीएनए आइडेंटीफिकेशन एक्ट 1994 में बना। यूके में क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक आर्डर एक्ट 1994 में बना और साथ में क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एक्ट 2001 में बना। कनाडा में डीएनए आइडेंटीफिकेशन एक्ट 1998 में बना। नार्वे, फिनलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश आदि 60 देशों में बना। बांग्लादेश के लोग तो हमारी लेबोरेट्री के लोगों से ट्रेनिंग लेकर गए और वहां हमसे पहले कानून बना दिया। मेरा अनुरोध है कि यह बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लांग अवेटेड है और इस बिल के आने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हमारे देश में सब चीजें साइंटिफिक ढंग से परफेक्टली रेग्यूलेट होंगी। सारे देश में क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की दृष्टि से भी, मिसिंग चिल्ड्रन्स की दृष्टि से भी, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से भी और उन बच्चों को उनके माँ-बाप से मिलाने की दृष्टि से भी जो खो जाते हैं, इन सभी विषयों में बहुत फायदा होगा।

मेरा सदन से अनुरोध है कि आप यदि चाहते हैं कि इस बिल पर चर्चा करें, तो जरूर चर्चा कीजिए, लेकिन इस बिल को पास कीजिए ताकि खास कर जो लोग इनवेस्टीगेशन से जुड़े हैं, क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन से जुड़े हैं, वे बहुत बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह बिल कानून बने।

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the regulation of use and application of Deoxyribonucleic Acid (DNA) technology for the purposes of establishing the identity of certain categories of persons including the victims, offenders, suspects, undertrials, missing persons and unknown deceased persons and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : इस बिल पर चर्चा तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन इस बीच दो बिल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आये हैं, मैं उनको अनुमति देती हूँ। Bills to be Introduced. Dr. Virendra Kumar.

12 45 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced ...Contd.

(ii) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019*

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2012 को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012."

The motion was adopted.

DR. VIRENDRA KUMAR: Madam Speaker, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : बिल इंट्रोड्यूज तो होने दें।

…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष जी, हमने नोटिस दिया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है।

…(व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 08.01.2019.

12 46 hrs

(iii) Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 08.01.2019.

12 47 hrs

DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL, 2018—Contd.

HON. SPEAKER: We will now resume discussion on `The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018'.

Dr. Shashi Tharoor.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, we have often seen how legislation has been enacted in this House under the guise of being a panacea to solve a grave danger of burden. Draconian laws have been passed in this House in the name of counter-terrorism. The exploitation of Aadhaar Number by private entities have been allowed in the name of fixing subsidy leaks and today we are faced with a Bill which the Government wants to pass in the name of improving forensic investigation, but in reality, erodes the fundamental rights to privacy and will enable the creation of a Big Brother State. It is not a panacea. It is a 1984 returning in 2019. As the saying goes, the road to Hell is paved with good intentions and I was listening to the hon. Minister very carefully and he has argued with all the best intentions that enacting this Bill will strengthen the justice delivery system by using DNA to identify certain categories of people such as criminals, missing persons, unidentified bodies and so on who, otherwise, might be wrongly identified or remain unidentified. This I agree seems like an attractive proposition. But the devil truly lies in the details. I have 13 objections and

concerns that I wish to share before you and one suggestion at the end. I will try and be brief on these points because of the time of this House.

Madam Speaker, first, the Bill that we have is nearly identical to the Bill drafted by the Law Commission in its 271st Report in July, 2017, a month before the Supreme Court delivered its landmark judgment on the Right to Privacy in the Justice Puttaswamy *versus* Union of India case. Now, nothing has been done at that time to bring this Bill in alignment with the standards laid down in the Puttaswamy case. I must point out in this context that laws are required to supplement Fundamental Rights through a statutory framework. Therefore, to bring the privacy judgment into effect, we need a robust data protection law. I have said this three times in the House. The hon. Law Minister has agreed that all laws that have any bearing on the Right to Privacy must only be enacted after the Parliament passes a data protection law so that we have a framework where all laws can be in consonance with that framework.

Bringing this Bill without a data protection law is, therefore, pre-mature, Madam Speaker. I have already pointed this out in relation to another Bill, last week. This Government is just going ahead with one Bill after another but they are not laying the foundations. They are building the penthouse on the upper floors but they have not yet dug the foundations in the shape of a Data Privacy Law.

<u>12 50 hrs</u> (Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

Before we analyse the text of this Bill, we need to first understand the various parts of what DNA is, Mr. Chair. The DNA has two regions – Coding

and Non-Coding. The Coding Region of DNA contains the genes that provide instructions for the development of organisms and allows for the determination of bilological characteristics and because of this Coding Region of the DNA, the colour of our hair; the colour of our eyes; our height; our medical conditions; allergies; susceptibility diseases and so on, come. But then there is the Non-Coding Region of DNA which until recently was believed to be useless. It was even talked about as junk DNA. That is what is being identified as having higher variability in its structure between two individuals. So, in other words, your Coding Region is one thing, and the variation in structure between individuals is to be revealed by the Non-Coding Region. But due to the very limited and nascent stage of research in this subject, we do not actually have much information yet. Therefore, in order to restrict this Government or any Government going too far and to protect the privacy of the individual, the international standard in DNA profiling is restricted to the Non-Coding Region. However, there is no such limitation in the Government's Bill. Dr. Harshvardhan knows very well what I am talking about. There should have been a specification that the Non-Coding Region is not covered by the Bill.

The third concern is, the Bill fails to impose a restriction on the exact information to be extracted to create the DNA profile in each of these indices. For instance, the Unidentified Deceased Person's Index may require just the physical reconstruction of the person, unlike a Crime Scene Index where two different DNA samples may have to be matched. By failing to impose restrictions on the Region of the DNA that can be used for testing and by

failing to limit the information that the DNA profile may contain, this Bill will make a large number of people susceptible to profiling based on their skin colour, disabilities, medical conditions and so on. These profiles can be misused despite the Minister's kind assurances for surveillance but also by private sources for making profits and even for perpetrating crimes. This concern is apparent in the Schedule of the Bill where the Government wants to create DNA profiles for issues relating to pedigree, emigration and immigration. They have not thought this through adequately and there are serious concerns.

The fourth concern is this. The control of our DNA will create a power imbalance between the Government and the people. This kind of an imbalance is the hallmark of this Government, I am sorry to say, a Government which wants people to show obedience to it unlike a democratic set up where the Government understands that it exists at the service of the people. That was our approach when we were in Government. But this Government, unfortunately, has created a situation in which they have already attempted to extend the use of Aadhaar to control the lives of individuals; even linking Aadhaar to mobile phone numbers, private bank accounts until the Supreme Court rapped them on their knuckles. Are they now creating one more Bill waiting for the Supreme Court to rap them on their knuckles? A Government, which wants already to dictate to us, as to who we should love, what we should eat and not eat, what we should write and not write, what we can speak and not speak, also wants now to control our DNA and I think that it is a very serious concern for many of us in this country.

The fifth concern is, if the Government, as the Minister has made it clear, still insists on passing this Bill in the absence of a special data protection legislation, then clearly, additional privacy safeguards must be incorporated. The Minister was very confident that he had taken care of this concern but the Bill fails to provide standards for effective consent. This is not a legal term. It is also a term of common sense – 'effective consent.' There is no provision for notice to the individual whose DNA is to be collected, revocation and deletion in relation to an individual's rights over the DNA samples and DNA profiles. The consent requirement in this Bill is so superficial that the word 'consent' has not even been defined in the Bill. So, what is 'consent?' They can presume consent. By leaving the term 'consent' undefined, it allows for uninformed and unambiguous consent to be obtained, may be even through coercion or after the collection and usage of the DNA.

If you look at Clauses 21 and 22 of the Bill, it substantially waters down the real essence of consent by allowing the Magistrate to override the refusal of content by any arrested individuals or a refusal by a guardian on behalf of a minor. No guiding factors have been enumerated for the Magistrate to keep in mind while exercising such wide powers. This is a very serious threat that the Government is essentially imposing on our people.

My sixth objection is that the Bill does not make a provision to inform an individual about the details of the collection or usage of his or her DNA. You can go and have your haircut, they can pick up your hair sample from the barber and they will not have to tell you.

My seventh objection is that this Bill grants no right for the revocation of DNA samples or profiles even by those who volunteered for it. Instead, it permits unlimited retention of DNA of volunteers, including victims, in the Data Bank. This is extended to the DNA collected from a volunteer to identify a missing person even when the law of our country itself presumes that the missing person is dead if he or she is missing for seven years. As you know, under the law, if you are missing for seven years, the law will presume that you are dead, so your widow can get benefits and so on. In that circumstance, how can they keep his DNA indefinitely?

Continuing with this point, in accordance with the privacy judgement, the Bill should have been amended to include the definition of 'effective consent', the obligation to notify any use or application of the DNA sample or the profile of an individual, and the obligation to automatically remove all biological material and related information of any individual. It applies to all of us in this House. Once the purpose for the collection is served, it should grant the right to every individual to retrieve his DNA sample. If you have given your DNA sample to the Government, you should have the right to take it back. The Government should not have the right to keep it for ever.

My eighth objection is that the Minister has argued that it has provided for safeguards by setting up a DNA Regulatory Board to ensure compliance to privacy standards by Investigating Officers, by DNA Laboratories and by DNA Data Banks. But the irony, Mr. Chairman, is that the members of the DNA Regulatory Board are Heads of Investigative Agencies, DNA Laboratories and

DNA Data Banks. In other words, the regulators will be regulating themselves. These are the very people that the Regulatory Board should be trying to control. Instead of having others, outside experts, scholars, forensic experts, Members of Parliament etc., you have basically given those who are the target of regulation the right to regulate themselves. I find this absolutely astonishing. The Government has thrown independence to the winds. The principle of avoiding conflict of interest has been thrown away.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR : Sir, I have five more points. But I will be very brief.

My ninth objection is that the few safeguards in the Bill are in relation to the DNA collected from the body of the person. If DNA is collected from the scene of the crime, clothing, other objects or any other source without any safeguards, you know what the dangers are. The DNA Laboratories can collect DNA samples from anywhere they please, except from the body of a person, which gives them a large quantum of DNA. As I said, a haircut is enough.

My tenth objection is that there is no regulation of any kind relating to the storage of a person's DNA samples. In the absence of a prohibition to store or the obligation to destroy, the DNA Laboratories can create their own Data Banks without any Government oversight. Anybody can have a person's DNA stored in a laboratory without his knowledge. Then, what Clause 31 (3) of the Bill expects is that an innocent person, who, probably, has no idea that his DNA is even in the DNA Data Bank, is supposed to request the National DNA Data Bank to remove his or her DNA from it. Otherwise, it will remain there for

eternity. If you do not know that your DNA is in the DNA Data Bank, how will you ask for it to be removed? This is an impossible burden the Bill is imposing on people while letting the DNA Laboratories and DNA Data Banks to potentially misuse the system behind closed doors.

Sir, my eleventh objection is that the collection of DNA samples can also get mixed up with the collection of the samples of the Investigative Officer. So, it is an obvious problem. Other countries have anticipated it and solutions can be found. There is the notion of an elimination index where the DNA samples of all the investigating agents will be collected and will be eliminated from any investigation. That should have been included.

My twelfth objection is relating to the absence of obligation on law enforcement agencies of the country. There are five indices given under the Bill. It is a serious Bill. One cannot avoid these details.

13 00 hrs

Unfortunately, the offenders' index, the suspect index or undetrails index can be collected by the law enforcement agencies without the consent of the individual. Due to the misconception surrounding the infallibility of DNA samples, they are going to serve as a tremendously important factor in the final judicial decision- making process. It seems to me that they need to do something very, very important to ensure that there is a trusted chain of custody of samples, reliable analysis and proper use of expert evidence in court, otherwise in the absence of these laws, we will be perpetrating an injustice in the criminal justice system. Therefore, the criminal justice law or this Bill should be revised to include effective provisions.

माननीय सभापति : आप जल्दी कनक्लूड कीजिए।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, I want to make just last two points. This is such a detailed Bill. Sir, I have taken the trouble to come up with this in the interest of the nation.

The Bill, in the cost estimates, grossly underestimates the amount required for enforcement of the Bill. The financial memorandum of the Bill estimates non-recurring expenses at Rs. 20 crore and recurring expenses at Rs. 5 crore annually for the establishment of everything - the DNA Regulatory Board, National DNA Databank and Regional DNA databanks and states that there shall be no other expenditure beyond this. Now, I give you a contrast to that, to set up one DNA databank in the UK, it costs Rs. 3000 crore. How can it be Rs. 20 crore to set up a bank of a equivalent quality in India? It

makes no sense. This is an under-estimate and that is very serious because the Government is asking this Parliament to authorize something that may cost 50 times that the Government is claiming it will cost here. The fact is that if you look at the data that has been provided, the cost of creating just one of the indices, the suspect or undertrial index for India, according to the data of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, says one index would cost Rs. 1800 crore. Now, if that is for one index, then how can the Government come up with such an irresponsible number? It must be revised, otherwise we will be voting for a sum which is not true.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR : Finally, the Minister has said that he will take a call on linking DNA profiles with the Aadhar database at the time of framing the rules. I do not think this House should be delegating legislative powers to the stage of framing of rules. I think this should be in the law. The Minister should, if necessary, bring an amendment making clear how he intends to use this law.

The absence of procedural safeguards, the open-ended manner in which clauses have been drafted and the very wide discretionary powers vested with the instrumentalities of the State, makes it very clear that this Bill fails to abide by the standards of privacy enunciated by the Supreme Court.

I do want to say that the Minister has one more option. This is my final suggestion. He could take my objections and those of other speakers, re-

consider this Bill and refer it to a Standing Committee for further study and deliberation.

Remember Sir, they are now in power, tomorrow somebody else may be and these provisions can be misused.

HON. CHAIRPERSON: You have already suggested that.

DR. SHASHI THAROOR : I request you to withdraw the Bill and refer it to a Standing Committee.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, मैं डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री डॉ॰ हर्षवर्द्धन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतना महत्वपूर्ण बिल इतनी देर बाद, चार साल बाद इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मैं उनका बहुत आभारी हूं कि एक-एक बारीकी को समझते हुए, पब्लिक डोमेन में किसी बिल को दो बार भेजना, तीन बार उसके बारे में लॉ मिनिस्ट्री से एक-एक बात पर बहस करना और डीटेल्ड डिसक्शन के बाद इस बिल को वे संसद में लाए हैं। इसके लिए मैं उनको आभार और धन्यवाद देता हूं। मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने एक-दो अच्छे पॉइंट उठाए, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनका एतराज और उनके पहले वाक्य की अंग्रेजी, दोनों मेरी समझ के परे है।

मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि डीएनए प्रौद्योगिकी कोई नई चीज नहीं है, यह वर्ष 1992 में, जैसा कि डॉ॰ हर्षवर्द्धन ने बिल इंट्रोड्यूस करते समय बताया, उससे पहले भारत में वर्ष 1991 में माननीय प्रधान मंत्री जी की जो हत्या हुई थी, उसमें इसका उपयोग किया गया था। उसके बावजूद हम उसके भविष्य में होने वाले इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए और हम इसमें बहुत पीछे कहीं छूट गए।

मैं आज अपने पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उनकी सोच और दूरदृष्टि कितनी थी।

वह कवि थे, पत्रकार थे, उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिल पर कमेटी बनाई, उस कमेटी पर काम करना शुरू किया। उनकी जो सोच थी, चाहे वह फोरलेनिंग ऑफ द रोड्स हो, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क हो, उसी तरह से यह इतनी बड़ी चीज थी, मैं उस समय के सारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा किया। दुर्भाग्यवश वर्ष 2007 से यह बिल लटका रहा और 10-11 वर्षों के इंतजार के बाद आज यह इंट्रोड्यूस हुआ है। जब संविधान में 86 संशोधन हो सकते हैं, इतने सारे संशोधन हो सकते हैं, तो बिल में भी धीरे-धीरे संशोधन होंगे, लेकिन पहले इसकी रूपरेखा तो

बनाई जाए। आज जो विश्व का भविष्य है, वह डी.एन.ए. टेक्नोलॉजी पर जा रहा है। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। इस दुनिया के जितने भी जंतु हैं, उनमें से 50 से 70 प्रतिशत डी.एन.ए. सभी का एक ही है। उसके बाद उससे ज्यादा बढ़ता जाता है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को इतनी देर से लाया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसका समर्थन जरूर करें और इसको पास करें, सुधार होते रहेंगे।

इस बिल पर मेरे भी दो एतराज हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को शामिल नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि श्री हर्ष वर्धन जी, जो खुद पेशे से डाक्टर हैं, इसमें कहीं न कहीं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री का भी रोल होना चाहिए। DNA technology is all about biotechnology. इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को न रखने से थोड़ी-सी गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वह है ब्यूरोक्रेटिक सुपिरिऑरिटी। सब चीज को बाबुओं के भरोसे कर दिया जाता है। डी.एन.ए. टेक्नोलॉजी इतनी स्पेसिफिक है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस हूं, फिर भी मेरी इसके बारे में बेसिक जानकारियां हैं। इस तरह अगर आप किसी को चेयरमैन बना रहे हैं, तो कम से कम उसको डी.एन.ए. टेक्नोलॉजी के बारे में पता सब कुछ पता हो, उसके बारे में जरूर विचार करने का माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे।

<u>13 07 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair)*

जो आदमी कल पेट्रोलियम मंत्रालय चला रहा हो, परसों कपड़ा मंत्रालय चला रहा हो, वह आकर डीएनए टैक्नोलॉजी का चेयरमैन हो जाए, यह एक सोचने वाली बात है, जिस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा।

मुझे एक बात और कहनी है कि यह जो डेटा प्रोटेक्शन की बात थी, पूरे पर तो मैं एग्री नहीं करता हूं। विरोधी दल के जो माननीय संसद सदस्य बोल रहे थे, लेकिन जब भविष्य में इसकी ड्राफ्टिंग हो, तो कोई एक क्लाज़ जरूर बने कि जिसने अपना कन्सेन्ट दिया कि मेरा नाम हटाया जाए, उसका नाम हटा है या नहीं हटा है। अगर नहीं हटा है, तो उसके रेड्रेसल का एक फोरम हो, उसके बारे में इसमें जरूर विचार करना चाहिए। मैं इस वित्त संबंधी बात से भी एग्री करता हूं कि ये

डी.एन.ए. टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए वाकई में बीस करोड़ रुपये बहुत कम हैं। जब बजट आए, डी.एन.ए. पर पूरी की पूरी एक रिसर्च है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का हर देश अपने देशवासियों में पांच लाख, दस लाख लोगों की सैंपल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और विभिन्न मेडिकल साइंस के डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ यह प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अपने देशवासियों को आनुवांशिक बीमारियों से दूर रख सकें। हमारे यहां भी एम्स में न्यूरो विभाग में यह चल रहा है, लेकिन वह बहुत ही छोटे स्तर पर है। इसको बड़े स्तर पर करने के लिए मैं डाक्टर हर्ष वर्धन साहब से अनुरोध करूंगा कि इसमें विस्तार लाएं। यह जो डेटा बैंक का है, मुझे लगता है कि अमेरिका में जिस तरह से एफ.बी.आई. इसको रखती है, वैसे ही हमारे यहां पर सी.बी.आई. या कोई एक ऐसी बॉडी रखे, जहां पर सभी के डेटा को पूरी तरह से सीक्रेसी के साथ रखा जा सके। लेकिन रिसर्च में भी इसका उपयोग किया जा सके, बिना व्यक्ति की पहचान बताए हुए, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अभी जो भविष्य का मेडिकल साइंस है, वह पूरा का पूरा डी.एन.ए पर आधारित है। आज हम जो एक 500 ग्राम एमॉक्सीसिलीन खाते हैं, कल पाइंट वन माइक्रोग्राम एमॉक्सीसिलीन से भी इतने स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए काम चल सकता है। हम इस तरह से कर रहे हैं कि हर चीज को डी.एन.ए. पर आधारित करके भारत के व्यक्ति बीमारियों से दूर रहें और भारत के व्यक्तियों के बारे में जो भी संभव हो, उनकी मदद की जा सके। डाक्टर हर्ष वर्धन जी खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वह पेशे से डाक्टर हैं। डी.एन.ए. टेक्नोलॉजी का हेल्थ मिनिस्ट्री में कितने बढ़िया ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता है और किस तरह से हम अपने देश के देशवासियों को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इस पर जरूर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I convey my thanks for giving me an opportunity to speak on this Bill. First of all, I would say that for a long period of time, there was an uncovered area for collecting DNA. Unsecured situation is still existing for the purpose of collecting DNA. In our criminal justice system or in any other system, even in case of an interrogation by police or anybody else, feelings of the people were insecure. But I must say that by bringing this Bill, this position has been settled. I think, this Bill should have been brought long back. Anyway, it has been brought.

There is no doubt that it is very good for the criminal justice system, the civil system and more so for the people of this country. There should not be any conception at any moment to any citizen of India for any purpose that he or she is insecure. This conception has to be eradicated. No doubt, so far as collecting the DNA, reserving it in laboratory, regulating all the laboratories etc. is concerned, all the details are there in this Bill. Details have been given.

I have only two or three things to say. Wherever clarification is needed from my end, I will seek clarification. Firstly, I must say that clause 21 (1) is really a good provision made in this Bill. If someone is arrested, some allegations are there, nobody knows that his DNA would be collected. Today, a provision has been made under clause 21 (1) that no bodily substances shall be taken from a person who is arrested for an offence (other than the specified offences) unless the consent is given in writing for the taking of the bodily substances. This provision will secure everyone. The fear which exists in the mind of any person, it has been eradicated by reason of clause 21 (1). In the

explanation to clause 21 (1), you have given the details of specified offences. You have explained it. Clause 21 (2) also specifies that if a person does not give the consent, the investigating agency may make an application to the Magistrate. The Magistrate will decide it rightly or wrongly, whatever it may be. There is a chance to go for the judicial forum. That is a different thing. I am not going into it. But I have one question.

I have one question that if any investigating agency or anybody is collecting DNA beyond the scope of section 21 or at the investigating stage when he is in the police custody, what is the safeguard? Kindly check that portion. Your object under section 21 is that no DNA should be taken up without consent. If this is the object and if someone or some investigating agency or any other agency abuses that power, what steps would be taken against that person under this law? If this is wrongly taken or forcibly taken, then your object under section 21 sub-section (1) would be frustrated. This is one area which I am thinking about.

If you come to the schedule, you will see the matters of DNA testing. The Motor Vehicles Act have been brought under Part B. I have no difficulty either with Immoral Traffic Prevention or with anything else. So far as civil disputes are concerned, you have given the issues relating to immigration or emigration and issues relating to establishment of individual identity.

Now, Madam, I have a question to you, through Madam, that in a criminal case, unless consent in writing is given, nothing can be taken and if the investigating agency wants to take it, he has to make an application. But

how a civil dispute would be covered? Therefore, immigration authority will be having the excessive power to collect the DNA which is not your object. Your object is only with the consent. One can accept a case where death sentence is there. These are the specific offences which you have mentioned. In a court of law, it can solve the paternity or paternal dispute or maternity dispute. In a case of illegal immigration, according to any State Government or any Government, this comes within the purview of civil dispute. If this comes within the purview of civil dispute, then, what is the protection? Today, it can be said that they are illegal immigrants. Similarly, there are issues relating to establishment of individual identity. In respect of civil dispute, I want a clarification. Who will decide? Therefore, this part needs to be answered.

Then comes many other cases. In a case of medical negligence, how will DNA come into that? Medical negligence means negligence on the part of a doctor. It cannot be extended to the disease. Why will DNA come into that? There is an issue relating to abandoned children and disputed children. So far as children's DNA is concerned, until he attains 18 years of age, can you collect DNA? Does it not violate another act- the Child Protection Rights Act? Kindly consider that part and clarify to me. This Act has many laudable objectives. So many preventive steps have been taken. People will be secure and things will be done properly.

I also say that I thought about it earlier also. Since I am in the legal profession, earlier I thought that it should have been protected, and why this protection was not there. It was in my mind for long years. Today you have brought it. Anyway, it has come. Of course, I say that is fine.

With these words, I conclude.

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, this is a very important Bill. For the first time in our country, the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018 has been brought in. This Bill allows to establish a DNA Regulatory Board and also a DNA Data Bank. In regard to the DNA Data Bank, the Bill provides for the establishment of a National DNA Data Bank and for the Regional DNA Data Banks for every State or two or more States. The National Data Bank will store DNA profiles received from the DNA laboratories and receive DNA data from the regional banks. Every Data Bank will be required to maintain indices for the following categories of data:- (i) a crime scene index, (ii) a suspects' or undertrials' index, (iii) an offenders' index, (iv) a missing persons' index, and (v) an unknown deceased persons' index.

Madam Speaker, coming to the Financial Memorandum, Dr. Shashi Tharoor has already asked how we could maintain the DNA Data Bank in each State or two or more States. You have allotted only Rs.20 crore for that. How can we meet the expenses for establishing such a huge infrastructure? In the Financial Memorandum-3, clause 4 of the Bill provides for the constitution of a Fund to be called the DNA Regulatory Board Fund into which shall be credited grants and loans made to the Board or sums received by the Board, including fees or charge or donation from other sources that may be decided by the Central Government and any income from the investment of the amount of the Fund. That means, the DNA test is a highly expensive one in our State. It is very much difficult to get that much fund for the smooth functioning of this Board.

Second, about the DNA Regulatory Board which this Bill seeks to establish for taking regulatory measures for the entire country, in the Western countries, in the developed countries like the United States of America, Britain and Canada, this has to be used for two purposes. One is for the crime purpose and the other is for the civil purpose. In the USA, every State in the nation collects DNA samples from those who are convicted of certain crimes for use in State and/or federal databanks. Currently, 49 States collect DNA samples from all felony convicts in the US. Each year, some States expand their convicted offender databases to include more classifications of convicted criminals. California and New York are the most expansive States. They collect DNA samples from all felony and misdemeanour conviction.

On civil matters, in the United States, paternity testing is fully legal, and fathers may test their children without the consent or knowledge of the mother. Paternity testing take-home kits are readily available for purchase, though their results are not admissible in court, and are for personal knowledge only. Only a court-ordered paternity test may be used as evidence in court proceedings.

So, it has far reaching implication in our society. How to restrict this? What is the mechanism to check the misuse of these things in future? The Minister may kindly explain how we check the misuse of this law in future in our country.

Madam, in Britain, the National DNA Database (NDNAD) is the oldest and the largest DNA database. It is also the most inclusive national forensic DNA database in the world. In 1984, the British Parliament passed the Criminal

Justice and Public Order Act, which provided the legal foundation of NDNAD. The Act allows police to take DNA samples without the consent from anyone charged with any offences, that is, classified as ‘recordable’ and also to search the database speculatively for matching profiles. This usage of DNA databases is basically of criminal nature.

In civil nature, tests are summoned and ordered by the court when the proof of paternity is required. We also use DNA test for this purpose in our country. In the United Kingdom, the Ministry of Justice accredits bodies that can conduct these tests. There is no specification for such thing in this Bill whether private entities are allowed to conduct these tests or only the Government entities can conduct it.

Madam, this data is very, very important. If private entities are allowed to play a role in this field, it will badly affect the privacy of our people. A few months back we noticed that the Aadhar data of our people got leaked. That is why even the oldest data bank of U.K. is in a big tussle between the common people and the Government.

In Canada, the National DNA Databank respects consideration of generic privacy and follows strict guidelines specified in the DNA Identification Act. In civil nature, DNA paternity testing for personal knowledge is legal and home test kits are also available. Tests are sometimes ordered by the courts when proof of paternity is required.

HON. SPEAKER: Please conclude.

DR. P.K. BIJU : Madam, I conclude in a minute only.

Madam Speaker, even the United Nations has appealed the countries to take appropriate steps to stop misuse of DNA testing and protect the privacy of individuals. So, I want to know from the Government what steps they have taken to protect the privacy of the people in this Bill.

With these words, I request the Government to take measures to protect the privacy of the people and ensure that there is no misuse of this Act in future. Thank you very much.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you Madam for giving me this opportunity and I congratulate Shri Harsh Vardhan ji for bringing this long pending Bill.

Madam, when I look at this Bill, I just remember - अभी पुलिस डंडे से नहीं, डीएनए टेक्नोलॉजी से काम चलाएगी। As you know, Madam, *danda* can get a confession from anybody, more so from an innocent person.

Madam, this Bill is very important. To illustrate the importance of this Bill, I will give an example of the first use of DNA technology in the United Kingdom in 1987. There was a young lady who was raped and murdered. For three years, the police could not find any suspect. After three years, at the same site, one more lady got raped and murdered. Finally, they caught a person whose name was Richard Buckland, who confessed that he had murdered the second lady and not the first one. However, the police found that he was right and had nothing to do with the first case.

Then, the police took the help of the DNA finger printing technology. They took the samples of 5,500 people in the neighbourhood. Out of these samples, one sample matched with the samples taken from the crime scene. The name of the person whose sample matched was Colin Pitchfork. Finally, Colin Pitchfork was found guilty in both the cases. That was the first use of DNA technology.

Now, let us come to India. Recently, there was a famous case of a senior politician over the fixation of parentage. As you know, the parentage was finally decided with the help of the DNA technology.

The third issue is a social issue and related to what is happening across the country. It is about the lynchings taking place because of cow slaughter. Recently, in UP, it was found, by use of DNA technology, whether the milk was cow milk or bull milk. Finally, it turned out to be bull milk. So, the use of DNA technology now in criminal matters, in civil matters and in social matters is absolutely necessary. It is a long-pending thing. We wholeheartedly welcome this Bill.

Some people may confuse, I can tell because I am a doctor, whether there can be some false reports on the basis of which conclusion is drawn. The reports of DNA technology do not match in respect of two persons among 30,000 million people. So, it cannot be matched for the entire population of world, except the identical twins.

However, I would like to raise certain issues. There are two clauses – clauses 21 and 23 in civil matters – which state that no consent is required. There is no clarity in this matter. A civil matter comes when there is a dispute about the parentage and a child is claimed by different people. In such cases, consent is a must. Suppose, somebody says that he is a son or daughter of so and so person. You cannot just go and catch that person, take his sample because it will create a havoc. I think, there must be clarity with regard to the consent thing with regard to civil matters, whether consent of accused or victim is required, what the procedure is and whether it would require a Magistrate’s order. These things need to be clarified.

DNA technology is already in use in crime investigations. Many of the cases in medical science are solved using DNA technology. One of the friends asked how DNA technology can be used in the case of medical negligence. It is absolutely necessary because ART, artificial reproductive technology, is in use today. Suppose, a fertility centre uses a wrong ovum or sperm, definitely DNA technology will help to pinpoint whether medical negligence was there or not. Definitely, in medical cases also, DNA technology is absolutely necessary to ascertain whether negligence was there.

Now, I come to storage of data. Really, it impinges on the personal data privacy of an individual. I do not think that the Government or the Ministry has any plan to take DNA samples of 130 crore people of India. I think, they are going to use this law only in specified investigations. I would like to suggest one thing. There is a proposal that you have to erase all the DNA profiles after the investigation is over or the case is over. However, in the case of serial offenders, they move from State to State. Now-a-days, more than anybody else, criminals move across the country and across the world. In such cases, I think, we need to have a DNA databank of serious crimes and serial offenders. That is absolutely necessary.

There is no clarity on storage of these profiles in the DNA laboratories. We need to have a clarity on this issue. With regard to databank, we have clarity. On the issue of regulatory board, we have clarity, but there is no clarity on clause 31(4) with regard to data storage in a DNA lab. That needs to be clarified.

Now, I come to the last point which is very futuristic. They have put clause 23(b) which talks of sample collection from the widow and photographic evidence. At present, there is no technology available to look at, which tries to take a DNA print-out of it. As far as my knowledge goes, there is no technology available to have a visual DNA. Maybe, it is futuristic. I would request the Minister to clarify this point.

Before I conclude, I wholeheartedly welcome the Bill on behalf of my TRS Party.

Thank you very much.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही आपने यह बिल लाकर देशवासियों को एक बड़ी चीज दी है। यह विधेयक मूलरूप में अपराधियों, पीड़ितों, संदिग्धों, विचाराधीन आरोपियों, गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात मृतकों की पहचान स्थापित करने तथा अन्य मामलों में डीएनए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के नियमन की व्यवस्था के लिए है। यह बिल काफी सराहनीय है।

सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए डाटा बैंक बनाने का नियमन कर रही है। इसे विदेशी एजेंसियों से भी साझा करने का प्रस्ताव है। यह कार्य डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ही किया जाएगा। यह बोर्ड डीएनए टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग और इसके न्यायिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए सुझाव भी देगा। वैसे तो नियमन काफी सख्त और सुरक्षित बनाया जा रहा है, किंतु किसी भी नागरिक की सुरक्षा और निजता का उल्लंघन न हो, इसकी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों की निजता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को यह बात सुरक्षित करनी होगी। सरकार यह संशय भी दूर करने का काम करे कि पुलिस द्वारा डीएनए डाटा का किसी भी परिस्थिति में दुरुपयोग न हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you. I fully endorse the views, concerns and suggestions already expressed by learned Member, Dr. Shashi Tharoor. I fully agree with the hon. Minister that the DNA technology has the potential for wide application in the judicial delivery system, both in criminal as well as civil cases. It will definitely help in investigating crimes through biological evidences. As far as civil cases are concerned, it will help in investigation relating to the identification of victims of disasters like cyclone, air crash, etc.

I am having two concerns regarding this Bill. The first one is regarding the right to privacy. It has already been stated in this House that the entire House and the people of this country are demanding for a data protection legislation every day. Even after passing legislation like Aadhar, etc. in Parliament, we are not able to have a data protection legislation in order to protect the individuals' rights or the right of privacy.

The hon. Minister, in his opening remarks, has assured the House that this DNA profile which will be collected, will be well protected in the DNA bank. How will it be protected without having a legislation? If the assurance made by the hon. Minister has to be complied with, then definitely some legislation is highly required so that the DNA profile collected from various persons is not misused in any way. Such a legislative mechanism is required. Since the data protection legislation with stringent provision is absent in this country, how will the Government be able to protect the DNA profile which is being collected?

So, there are ample chances of misuse of DNA profile. Therefore, that is the first apprehension I have.

The second one is regarding Clause 21 of the Bill. I think that is the most contentious provision in this Bill. As per Clause 21 (1), “No bodily substances shall be taken from a person who is arrested for an offence (other than the specified offences) unless the consent is given in writing for taking of the bodily substances.” So, ‘consent’ is the cardinal point. It is very easy to have consent of a person who is in police custody.

That means the fundamental right, which has been enunciated in Puttaswamy case by the 9-member Constitutional Bench in the Supreme Court, the Right to Privacy is being violated. It means that the police can take the consent of a particular person who is in custody and whose consent is required.

Madam, this is against the mandatory right, that is fundamental right, which is being brought in article 20, clause 3. Madam, by virtue of article 23, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

Suppose, by virtue of clause 21, an accused, who is under police custody, who is arrested, is being compelled to be a witness against his own case, it is against the fundamental right in article 20, clause 3. Madam, for the specified offences, even the consent is not required. That means, an offence which involves death sentence or more than 7 years penalty, the consent is not required.

The Magistrate can arbitrarily make an order by which the DNA profile of such a person can be taken. He is not being provided with an opportunity of hearing also. I have given a notice of an amendment. When a Magistrate takes cognizance of the case, the accused shall be given an opportunity of hearing as to why the DNA profile shall not be taken. That opportunity should also be given.

Madam, I would also like to say that in modern era of science and technology especially the DNA technology and the development of the bio-technology, it is very easy even to change the DNA. Even in China, they are now altering the DNA for producing super human beings. Babies of super human character are being produced.

So, the chances of misuse of DNA profile are there. Mere having a data bank and the regulatory board will not be sufficient to protect the DNA profiles. That will be violating the right to have the privacy of a particular individual.

In other case also, the hon. Supreme Court has very specifically stated. So, my submission to the hon. Minister is, these two concerns which I have expressed and the other concerns which have already been expressed in the House may be taken into consideration. That is why, I am suggesting that this Bill, having far-reaching ramifications, may kindly be sent to the Parliamentary Standing Committee to have a close scrutiny of all the concerns, anguish and apprehensions which have already been made in this House.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I thank you Madam Speaker. I rise to support the Bill that is under consideration. I thank the hon. Minister for bringing this Bill, which, like others, I also feel, needed to be brought in order to regulate the use of DNA data and DNA technology. Madam, as others have expressed, there is a lot of good use and there is also a lot of bad use. One of the reasons as to why we need this particular Bill is, because of the ease with which today, DNA can be sliced and diced.

As already has been made by some of the hon. Members, today, technology has reached such a level that even with the use of artificial intelligence and with very little attendant technology, we are able to build the DNA profile of anybody. That is why, it needs a thorough understanding of not only the forensic science. It is an accompaniment of it. It is used in criminal as well as in civil cases, in the area of genomics and also in the area of cloning.

Therefore, this Bill comes with some regulation. The regulatory framework needs to map out a much wider area of science which is fast becoming the norm all over the world. Hence, Madam, these two particular uses of DNA technology will lead to the issue of privacy.

Therefore, as regards the issue of right to privacy, a law that looks at privacy needs to go hand in hand with this.

I would also like to mention that whilst we are building up these banks and whilst we are building up the way in which States are also being brought

into the picture, I think that it requires a far more and much more deeper look into this whole issue. However, for the time being, this particular Bill is to be supported because it is a good start. Thank you very much.

With these words, I support the Bill.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को पढ़कर इसके बारे में बहुत से बहुमूल्य ओपिनियन दिए हैं। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी ने ब्रॉडली बिल की आवश्यकता और स्पिरिट को एप्रिशिएट किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें बैडली एक्सप्रैस की गई हैं, मैं उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूं। प्राइवेसी कन्सर्न्स के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है। मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि 2011 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर स्वयं एक एडवोकेट थे, बिल सात-आठ साल की यात्रा कर चुका था, उस समय उन्होंने कहा था कि इसमें सब कुछ करने के बाद फिर प्राइवेसी कन्सर्न्स को देखिए। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। मैं एक्सपर्ट कमेटी के लोगों के नाम भी दे सकता हूं। दो साल तक प्राइवेसी कन्सर्न के बारे में चार बड़ी मीटिंग्स की गईं और बहुत डिसकशन हुआ। इसमें सारे विषयों को एन्श्योर किया गया कि किसी भी प्रकार से प्राइवेसी कन्सर्न्स पूरी तरह से एड्रैस होने चाहिए। इसके बाद करीब छः-सात साल बाद 2017 तक लंबी यात्रा करने के बाद जब यह बिल पार्लियामेंट के सामने आने की स्थिति में आया, माननीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में फाइनल ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आधार एक्ट बन रहा है, इसके कांटेक्स्ट में इसे फिर से लॉ मिनिस्ट्री में भेज दीजिए जबकि लॉ मिनिस्ट्री में 10-12 साल में बहुत बारीकी से चर्चा हुई थी। उस समय आधार एक्ट के परिप्रेक्ष्य में पूरे सैक्शन 6 को रीविजिट करके नए सिरे से लिखा गया।

अब डीएनए टैस्टिंग हो रही है, जिनको जरूरत है और जिनके लिए यह बिल बनाया जा रहा है, बेसिकली ये लोग एक प्रतिशत से भी बहुत कम हैं। देश में हर रोज बहुत व्यक्ति अपना ब्लड टैस्ट कराते हैं, युरिन का सैम्पल देते हैं, कोई स्वैब देते हैं। अगर हम मिसयूज की बात कहें तो मिसयूज तो किसी भी चीज का किसी भी स्तर तक हो सकता है। देश में हर नागरिक डॉक्टर के पास सैम्पल देता है, उसका भी मिसयूज हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। मेरा कहना है

कि प्राइवेसी की जो बात कही गई है, पोटेंशियल आफ मिसयूज की बात कही गई है, the potential misuse of DNA samples is not restricted to the biological material, which is collected under the provisions of this DNA Bill alone. Any and every blood sample collected by clinical laboratory has the same potential for misuse.

With regard to DNA Profiles, I have to say that the privacy concerns are minimal since the information that is to be stored does not reveal -- as I said earlier also -- any of the traits of an individual. After a sample has been used for generating a DNA Profile, it is often important to store the DNA sample in case the Profiling has to be repeated for any reason. Such DNA samples are liable for misuse, and the Bill provides to prescribe safeguards for proper storage and penal provisions to protect against misuse.

इस तरह से बहुत से छोटे-छोटे सजैशन्स दिए गए हैं। जब इतना कॉम्प्रिहेन्सिव बिल होता है तो हर एक छोटे से छोटा एस्पेक्ट बेसिक बिल के कंटेंट में कभी इन्कलूड नहीं किया जाता है।

इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे पहलू होते हैं, जिनको रूल्स के अंदर शामिल किया जाता है। इस बिल के बनने से लेकर इस स्टेज तक आने में, it has taken almost 14-15 years. इसी प्रकार किसी को लगता है कि कोई भी आस्पेक्ट इस बिल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो दूसरे लॉज़ हैं, The bill has provisions to enter into agreements with the concerned investigating agencies, organisations or institutions as deemed appropriate. It has provisions to ensure privacy protection including accuracy, security and confidentiality of the DNA information. There is a Chapter 6 on protection of information. There are provisions to ensure that the information relating to DNA profiles, DNA samples and any records thereof forwarded or in

custody of the National DNA Data Bank or the Regional DNA Data Bank or a DNA laboratory or any other person or authority are secured and kept confidential and shall be used only for the purposes of facilitating identification of person and not for any other purpose. The data maintained in the DNA Data Bank shall be made available only for the purposes as specified in the bill. मैं खासकर श्री शशि थरूर जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा। For the sake of making a speech, he has said many things. इस बिल को इस स्तर तक लाने के लिए डॉ.मुरली मनोहर जोशी जी के बाद दस साल उनकी सरकार रही, उनकी सरकार में किसी ने इसके ऊपर किसी तरह का कोई ऐप्रिहेंशन एक्सप्रेस नहीं किया। सबने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। श्री पृथ्वीराज चौहान, श्री कपिल सिब्बल जी, श्री अश्विनी कुमार जी, श्री पवन कुमार बंसल जी, श्री विलास राव देशमुख जी, श्री वायलार रवि जी और डॉ.जयपाल रेड्डी - ये सात माननीय मुख्य मंत्री पिछली सरकार के हैं, उन्होंने इस बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा शशि थरूर जी से कहना है कि इसको बहुत गहराई और बहुत गंभीरता से देखें। उन्होंने स्पेसिफिकली कई सारी चीजें कहीं हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि उनके जो स्पेसिफिक सवाल थे, उनका मैं संक्षिप्त में जवाब देने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने प्रोटेक्शन ऑफ इनफार्मेशन के बारे कहा है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कहा था। चैप्टर-6 में यह बहुत अच्छी तरह से कवर्ड है। International standards have been followed only on non-coding DNA details. उन्होंने कोडिंग और नॉन कोडिंग की बात की थी। Shri N.K. Premachandran has said that he is endorsing what Dr. Shashi Tharoor has said. That is why, I wanted to inform Shri Premachandran that in this Bill also, exact international standards have been followed only on non-coding DNA details will be in the rules. DNA profile would only depict identity of an individual. This will be limited only to the specific category and for the entire population. Privacy issues have also been

addressed. Effective consent has been covered broadly in the Bill. Details will be under the rules. As I said earlier, this is according to the CrPC. The rules will clearly specify the details of collection and usage of DNA; removal of DNA profiles have clearly been covered in the Bill. वे डी.एन.ए. रेगुलेटरी बोर्ड के मेम्बर्स के बारे में भी कमेंट करके गये थे। It has experts from the field of forensic, Human Rights Commission and ethics also. बहुत-सारे लोगों ने कास्ट के बारे में कमेंट किया है। यह जो बिल है, यह देश का कानून है। इस कानून के तहत देश के अंदर कहा-कहां लैब्स बनेंगी, चूंकि इस बिल का काम लैब बनाना नहीं है। लैब बनाने के लिए कन्संर्ड सरकारें हैं, कन्संर्ड मंत्रालय हैं, कन्संर्ड एजेंसीज़ हैं या दूसरे लोग हैं। जो डिटेल्ड कास्ट इसमें प्रोवाइड किये गये हैं, that is only for the setting up of the Secretariat. Other cost details will actually be for strengthening of infrastructure, which will be taken care of in due course of time from the respected areas.

All the details of collection, removal and procedures will be covered. There is no linking with the Aadhaar Act. Only protection of information has been synchronised with Aadhaar as I said in 2017 itself.

संजय जायसवाल जी ने दो बातें कही हैं। शायद उनको यह गलतफहमी है कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है। मैं उनको दो-तीन बातें बताना चाहता हूं कि जो पहली कमेटी थी, प्रधानमंत्री जी ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, मनोहर पर्रिकर जी, अनन्त कुमार जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, जुएल ओराम जी, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी, वाई.एस.चौधरी जी, के.मजूमदार जी, डॉ. हर्षवर्धन, श्री अजीत डोवाल, राजीव महर्षि, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रिटैरिएट और स्पेशल सेक्रेटरी (इंटरनल सिक्योरिटी) शामिल थे। इतनी एग्जास्टिव, कांप्रिहेंसिव और इतनी थॉरो कोई और कमेटी नहीं हो सकती है। उन्होंने जो दूसरी

बात कही कि कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा, इसका चेयरमैन डी.बी.टी. का सेक्रेटरी होगा। डी.बी.टी. का सेक्रेटरी कोई आई.ए.एस. ऑफिसर नहीं होता है, वह एक साइंटिस्ट होता है और वह बॉयो-टेक्नोलॉजी की फील्ड का ही एक्सपर्ट होता है। इस बिल के अंदर अपील का प्रॉविजन कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि संजय जी का विषय इसमें निश्चित रूप से कवर हो गया है। कल्याण बनर्जी साहब बहुत लर्नेड लॉयर हैं, I have to express my gratitude to him कि उन्होंने इसकी जरूरत को भी एन्डोर्स किया और इसको एप्रिशिएट किया। This Bill has chapter 8 on Penalty and Offences which, I think, takes care of all the issues.

If there is any issue which is uncovered, we assure that it will be taken care of in the rules itself. Regarding Motor Vehicles Act, it is for accident matters and for all schedules. The collection of DNA samples will be governed by section 21, sub-section (1). For child, parents' consent has to be taken, as per the provision in the Bill. इसी तरह मैंने जो बजटरी रिक्वायरमेंट की बात कही, पी.के. बिजू साहब ने बताया है कि सारी दुनिया के देशों में क्या-क्या हो रहा है। हमने सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्टडी करके, उन्होंने दूसरे देशों की जो बातें कही हैं, जो पढ़कर सुनाया है, उन सभी बातों को हमने इसमें एनश्योर किया है। इसी तरह से फाइनेंशियल मेमोरेंडम के बारे में बात कही गई है। डॉ. गौड़ साहब ने जो बातें कही हैं, वे सभी इसमें आलरेडी कवर्ड हैं और अगर कुछ कवर्ड नहीं है तो वह रूल्स में कवर होगा। कौशलेन्द्र कुमार जी ने इसका सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने जिस एक अमेंडमेंट का जिक्र किया है, वह अमेंडमेंट की बात करेंगे, मेरा सिर्फ यही कहना है कि This provision is only for heinous crimes. Section 53A of the CrPC, (Amendment Act, 2005) already has a provision for blood samples to be collected without consent or Magistrate order for certain offences – 'Rape' or 'Attempt to Rape'. The other countries like US, UK, Argentina and Scotland have similar provisions which allow collection of

samples by the order of police officer without consent or magistrate order for similar heinous crimes.

In the proposed Bill, this provision is only restricted to specified offences which have more than 7 years imprisonment or death penalty. जैसा डॉ. बूरा साहब ने भी कहा है, regarding clause 21 and 23, the consent is mandatory except for specified offences. I assure you that the details of storage, collection etc. will be provided in the rules. श्री रामचन्द्रन ने जो बात कही है, misuse of DNA profiles has already been covered in detail under the Penalty and Offences. The consent should be allowed for specified offences. This provision is only for heinous crimes, as I said just now.

अध्यक्ष जी, मेरी सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कमेंट किया है, मैं उनके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत बारीकी से इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन्स भी की हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस बिल को आपके बीच लाने से पहले बहुत गहराई से कई बार अध्ययन किया गया है। मैं स्पेशली प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी स्क्रूटनी के बाद भी जब हम कैबिनेट में जाते थे, वे कहते थे कि इसे और ज्यादा, यहां से भी स्क्रूटनी करा लो।

14 00hrs

अभी मैंने 12-15 मिनिस्टर्स की कमेटी की बात की है, उसके बाद जब यह बिल्कुल फाइनल हो रहा था तो फिर वर्ष 2017 में उन्होंने राजनाथ जी की अध्यक्षता में चार-पांच मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने फिर एक नई बात कर दी, जिसके कारण छः महीने, साल भर उस पर काम हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बिल के माध्यम से सरकार की इंटेंशन वही है जो वर्ष 2003 में देश के प्रतिष्ठित जजेज ऑर लॉयर्स की थी, जिन्होंने हैदराबाद की मीटिंग में यह कहा था कि साइंस का प्रयोग क्रिमिनल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम में और बेहतर

ढंग से करने के लिए दुनिया के देशों की तरह देश को भी कुछ करना चाहिए । ऐसा नहीं है कि डीएनए टेस्ट पहली बार होगा । डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग और दूसरी चीजों के टेस्ट पहले भी हो रहे थें। इन सारे को रेगुलेट करना और इसका दुरुपयोग कोई न कर सके, इसके लिए बिल है, इससे कैसे दुरुपयोग होगा? अगर दुरुपयोग हो रहा होता तो उसको रोकने के लिए ही बेसिकली यह बिल गया है। जैसे-जैसे समय के अनुसार आवश्यकता होगी रूल्स में चेंजेज हो सकते हैं। अगर समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ किसी भी स्टेज पर, इसमें कोई भी अमेंडमेंट ला कर, क्योंकि यह पार्लियमेंट सुप्रीम है, इसको फरदर इम्प्रूव कर सकती है।

अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को पास किया जाए। यह बहुत लम्बे समय से चिरप्रतीक्षित बिल देश के लिए है और देश के सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं।

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018 be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions

HON. SPEAKER: Premachandran*ji*, are you moving the amendment?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving Amendment No. 8.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Composition of Board

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 4, line 17,-
for "biological sciences"
substitute "biotechnology". (9)

Page 4, lines 22 and 23,-
omit "or their nominees not below the rank of the Joint Director, to be nominated by the Central Government,". (10)

Page 4, line 28,-
omit "to be nominated by the Central Government,". (11)

Page 4, line 30,-
omit "to be nominated by the Central Government,". (12)

Page 4, line 31,-
after "Science Laboratory"
insert "of a State". (13)

Page 4, line 32,-
after "three years"
insert "from amongst the States in alphabetical order". (14)

Page 4, lines 39 and 40,-

for “biological sciences”

substitute “biotechnology”. (15)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 9 to 15 to clause 4 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Term of office and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairperson and Members

HON. SPEAKER: Premachandran*ji* are you moving amendment no. 16?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving Amendment No. 16.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 12 were added to the Bill.

Clause 13 Prohibition of DNA Testing etc., without accreditation

HON. SPEAKER: Premachandran*ji* is not moving the amendment.

The question is:

"That clauses 13 to 19 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 13 to 19 were added to the Bill.

Clause 20 Measures to be taken by DNA Laoratory

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor is not there.

The question is:

"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 Consent of taking bodily substances to be taken from a person arrested

HON. SPEAKER: Premachandran*ji* are you moving amendment nos. 18 to 21?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam, I am moving all the amendments. These are the amendments to Clause 21, the most contentious provision. I beg to move:

Page 10, line 21,-
omit "(other than the specified offences)". (18)

Page 10, *omit* lines 23 and 24. (19)

Page 10, line 29,-

for “may”

substitute “after giving reasonable opportunity of being heard to the person who is arrested and”. (20)

Page 10, line 31,-

after “offence,”

insert “may”. (21)

HON. SPEAKER: Shashi Tharoor to move amendment no. 3 to Clause 21. He is not present.

I shall now put amendment Nos. 18 to 21 to clause 21 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 21 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 22 **Bodily substance given voluntarily**

HON. SPEAKER: Shashi Tharoor*ji* is not there.

The question is:

“That clause 22 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 22 was added to the Bill.

Clause 23 Sources and manner of collection of samples for DNA testing

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 22 and 23 to clause 23?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 11, line 16, -

after "the Magistrate,"
insert "after giving reasonable opportunity of being heard to such person and". (22)

Page 11, line 17, -

after "such person,"
insert "may". (23)

HON. SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 22 and 23 to clause 23 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 23 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24 to 30 were added to the Bill.

Clause 31 Retention and removal of records

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor to move amendment Nos. 5 to 7 to clause 31. He is not present.

The question is:

"That clause 31 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 31 was added to the Bill.

Clauses 32 to 61 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill

Clause 1 Short title, extent and commencement

Amendment made:

Page 1, line 6, -

for "2018",

substitute "2019". (1)

(Dr. Harsh Vardhan)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : बहुत दिनों बाद, बहुत शांति से इस बिल पर काम हुआ है, इसलिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

14 08 hrs

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2019
(AS REPORTED BY JOINT COMMITTEE)

HON. SPEAKER: Now we will take up item no. 40 – the Citizenship (Amendment) Bill 2019, as reported by the Joint Committee.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Hon. Speaker Madam, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है और सदन में भी रिपोर्ट टेबल की जा चुकी है। ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने देश के कई भागों में जाकर समाज के कई स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है। सरकारी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है और साथ ही सिविल सोसायटीज के साथ मीटिंग की है। नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस के साथ भी इनकी मीटिंग हुई है और इतना ही नहीं, बल्कि माइनोरिटी कम्यूनिटीज के जो माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ भी इन्होंने विचार-विमर्श किया है। … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Minister's statement will go on record.

…(Interruptions) …[*]

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, यह सारा विचार-विमर्श करने के बाद बहुत वैल रीजंड और वैल रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने सदन में टेबल की है और उन्होंने संशोधन विधेयक 2016 में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित विधेयक से तीन पड़ोसी देशों के छ: आइडेंटीफाइड माइनोरिटी कम्यूनिटी के जो इलीजिबल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय ढूंढ़ लिया गया है।

महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य हमारे तीन पड़ोसी देशों के छ: माइनोरिटी कम्यूनिटीज के माइग्रेंट्स का संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना है। ये ऐसे लोग हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शैल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं और हम सभी को पता है कि पाकिस्तान में माइनोरिटी कम्यूनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टेमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी बराबर रोका जाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

लेकिन इन देशों में भी अल्पसंख्यक समुदायों के लोग विगत् वर्षों में हिंसा के शिकार हुए हैं। इन आइडेंटिफाइड अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारत के अलावा कहीं और आश्रय लेने अथवा स्थायी रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने इन समुदायों के माइग्रेंट्स को प्यूनिटिव लीगल ऐक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 और 2016 में ही आदेश जारी कर दिये थे। हमने भारत में आने और यहाँ लम्बे समय तक उनके स्टे करने को भी

[*] Not recoreded

रेगुलेट किया। उन्हें भारत में लांग टर्म वीज़ा प्रदान करने के लिए भी एलीजिबल बनाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद अल्पसंख्यक लोग इंडियन सिटिज़नशिप के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिटिज़नशिप लॉ के अंतर्गत इल्लीगल माइग्रेंट्स माना जाता है।...(व्यवधान)

आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट्स सिटिज़नशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और जो भी निर्धारित प्रोसेस है, उसके अनुसार उनके आवेदन पर आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद राज्य सरकार के रेकमेंडेशन के बाद केन्द्र सरकार नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी।

हम इन माइनोरिटीज कम्युनिटीज के मामले में आवश्यक मिनिमम रेज़ीडेंसी पीरियड, जो पहले 12 वर्ष था, को घटाकर सात वर्ष करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि वे बिना लम्बी अवधि तक इंतजार किए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकें।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि सिटिज़नशिप अमेंडमेंड एक्ट के बारे में एक गलत जानकारी और गलतफहमी सारे देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ भी पैदा हो रही हैं। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है और न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट्स पहले से ही देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। यह कानून केवल असम के लोगों के लिए नहीं है।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून देश के सभी राज्यों और यूटीज़ पर भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे सोच यह है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर आपकी तरफ से बोला जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बोलने वालों की सूची में सुष्मिता जी का नाम है।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इसके पीछे सोच यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं, तो वहाँ भारतीय नागरिकता के लिए वे अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वे रह सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। यह जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी।

मैं इस वाक्य पर विशेष बल देकर कहना चाहता हूँ कि 'असम का बर्डन' पूरे देश का बर्डन है, यह केवल असम का बर्डन नहीं है। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा, वह कदम केन्द्र सरकार उठाएगी।

हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इल्लीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1975 से 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते को, जिसे 'असम एकॉर्ड' के नाम से भी जाना जाता है, पर भी हस्ताक्षर हुए थे। तत्पश्चात्, 'असम एकॉर्ड' के प्रमुख प्रॉविजन्स शामिल करने के लिए सिटिज़नशिप एक्ट, 1955 और रूल्स में भी उस समय संशोधन किये गये थे। इसके अनुसार एन.आर.सी. को अपडेट किया जाना था।

अध्यक्ष महोदया, असम में एक ऐसी धारणा है कि असम समझौते को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। …(व्यवधान) मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। …(व्यवधान) बड़ी धीमी गति से चल रही एन.आर.सी. की एक्सर्साइज़ को हमने टाइम बाउंड ढंग से लागू किया है और दिनांक 30.7.2018 को कंप्लीट ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। …(व्यवधान) कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शंस दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 31 दिसंबर, 2018 को पूरी कर ली गई है। …(व्यवधान) हम इस एक्सर्साइज को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। …(व्यवधान) मैं इस सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं। …(व्यवधान) महोदया, मैं यह भी दोहराना चाहता हूं, जैसा मैंने ड्राफ्ट एन.आर.सी. के प्रकाशित होने के बाद

दिनांक 30 जुलाई, 2018 को इस सदन को बतलाया था कि किसी भारतीय नागरिक को एन.आर.सी. में एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। …(व्यवधान) एन.आर.सी. में अपना नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को अपना दावा साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। …(व्यवधान) एन.आर.सी. के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद भी यदि कुछ लोग छूट जाते हैं, तो ऐसे छूटे हुए लोगों के लिए फॉर्नर्स ट्रिब्यूनल तथा कोर्ट में जाने के उपाय भी उपलब्ध हैं। …(व्यवधान) सरकार ने एन.आर.सी. की कार्यवाही बहुत ही ऑब्जेक्टिव तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से की है। …(व्यवधान) इस प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, असम समझौते का एक दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है - क्लॉज़-6, जिस क्लॉज़-6 को लेकर असम वासियों के अंदर एक लंबे समय से असंतोष बना हुआ था । …(व्यवधान) मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि असम समझौते का जो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर क्लॉज़-6 है, इस क्लॉज़-6 में यह उल्लेख किया गया है कि असम के लोगों की कल्चरल, सोशल और लिंग्युस्टिक आइडेंटिटी को प्रिज़र्व एवं प्रमोट करने के लिए उचित कांस्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स भी लिए जाएंगे। …(व्यवधान) परंतु पिछले 35 वर्षों में ऐसा कुछ खास नहीं किया गया । …(व्यवधान) हमारी सरकार असमीज़ पीपल की कल्चरल, सोशल और लिंग्युस्टिक आइडेंटिटी एवं हैरिटेज को प्रोटेक्ट, प्रिज़र्व व प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसी उद्देश्य से कैबिनेट ने 2 जनवरी को कांस्टिट्यूशनल, लीगल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स सजेस्ट करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का भी अप्रूवल दिया है। …(व्यवधान) एम.एच.ए. ने 5 जनवरी को कमेटी के गठन की नोटिफिकेशन भी कर दी है। …(व्यवधान) इस कमेटी को एक ब्रॉड मेंडेट भी दिया गया है। …(व्यवधान) इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वे असम की गहरी जानकारी रखने वाले वहां के विद्वान हैं, वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। …(व्यवधान) यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श कर के असम विधान सभा तथा लोकल

बॉडीज़ में सीटों के आरक्षण, असम के लोगों के लिए राज्य सरकारों में नौकरियों में भी आरक्षण, असमीज़ तथा असम के लोगों की अन्य स्थानीय भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को संरक्षण तथा बढ़ावा देने के उपायों सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिकमंडेशंस छ: माह के अंदर देगी । …(व्यवधान) मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एम.एच.ए. और राज्य सरकार इस समिति को जो भी आवश्यक होगा, हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, असम की छ: कम्युनिटीज़ - कोच राजवंशी, सूटिया, मोरन, मोटक, टाई अहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। …(व्यवधान) असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रही है। …(व्यवधान) गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी, 2016 को एक कमेटी का गठन किया था। …(व्यवधान) मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29.12.2018 को अपनी रिकमंडेशंस दे दी हैं। …(व्यवधान) मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिकमंडेशंस भी प्राप्त कर ली हैं। …(व्यवधान)

14 20 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Jitendra Chaudhury and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

हमारी सरकार ने इन रिकमेण्डेशंस को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स संविधान संशोधन के लिए बिल संसद में ले आएगी । …(व्यवधान) मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, इन छ: कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंट्रेस्ट्स, राइट्स एवं प्रिविलेजिस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रॉविजन करने के लिए भी कहा जा चुका है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यहां पर बोडो कम्युनिटी की भी चर्चा करना चाहता हूं। हम बोडो कम्युनिटी की लम्बित मांगों के बारे में चिन्तित ही नहीं है, बल्कि बोडो कम्युनिटी उनको पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। …(व्यवधान)

वर्ष 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैण्ड टैरीटोरियल काउंसिल की स्थापना की गयी थी तथा काउंसिल को विभिन्न एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडीशियल पॉवर्स भी दी गयीं थी। इसके बावजूद विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइज़ेशंस से रिप्रजेण्टेशंस प्राप्त होते रहे हैं और यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चलता रहा है। …(व्यवधान) हम हिल एरियाज़ में रहने वाले बोडो, कछारी तथा प्लेंस में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्यवाही जल्द ही करेंगे, यह भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही सिक्स्थ शेड्यूल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कैबिनेट ने 2 जनवरी को ही यह निर्णय लिया है कि कल्चर मिनिस्ट्री भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगी। एक बोडो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूद जो आकाशवाणी का केंद्र है और दूरदर्शन का केंद्र है, उसका माडर्नाइजेशन भी करेगा। …(व्यवधान) रेल मंत्रालय बी.टी.ए.डी. से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अरोनाई एक्सप्रेस करेगा, इसकी भी मांग बोडो कमेटी के द्वारा की जाती रही है। असम में विभिन्न संगठनों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें असम में रहने वाले लोगों के इंट्रैस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यू लैण्ड पॉलिसी, न्यू लैण्ड लॉज तथा स्पेसिफिक ऐरियाओं को प्रोटेक्टिड रेवेन्यु एरियाओं के रूप में ईयरमार्क करना भी शामिल है। असम की राज्य सरकार ने इन मामलों को एड्रेस करने तथा इंडिजनस लोगों की कस्टम्स एण्ड ट्रेडीशंस, उनकी लैंग्वेज, डायलॉग के रिसर्च और डॉक्यूमेंटशन के लिए भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए कहा है…(व्यवधान) इस प्रकार सिटीजनशिप

अमेंडमेंट बिल के साथ-साथ कई लांग स्टैण्डिंग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहैंसिव मेजर्स हमारे मंत्रालय ने दिए हैं। मैं इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री द्वारा जैसा सूचित किया गया है, उस आधार पर इस नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर वे विचार करें तथा यह भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पारित भी करें। धन्यवाद। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुष्मिता देव। आप सभी सीट पर जाएंगे तभी ना। सुनना नहीं चाहेंगे और चिल्लाते रहेंगे।

14 24 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Jitendra Chaudhury, Shri Md. Badaruddoza Khan and some other hon. Members went back to their seats.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि यह जो कानून है, इसके बारे में बहुत से राज्यों को रिजर्वेशन है। इसलिए आपने तो पहले ज्वॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजकर इसको लाया है। लेकिन इसमें और भी कमियां हैं। इस देश में एकता और अखण्डता रखने के लिए……..

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए यह बिल है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, सबको साथ लेकर चलने के लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भेजिए।

माननीय अध्यक्ष : दोबारा नहीं जाता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सेलेक्ट कमेटी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूश्नल मेटर है। हम सभी को उस मेटर की छानबीन करके उसे फिर से लेकर आना चाहिए। असम में दंगे हो रहे हैं। असम एकॉर्ड का इसमें रिस्पैक्ट नहीं किया गया है, नगालैण्ड का रिसपैक्ट नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसके अलावा देश भर में गड़बड़ी शुरू हो गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार फिर से भेजिए ताकि इसकी पूरी छानबीन हो सके।

माननीय अध्यक्ष : यह सेलेक्ट कमेटी से ही आया है। ऐसा दोबारा नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हमारे पास वॉकआउट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।

<u>14 26 hrs</u>

At this stage Shri Mallikarjuna Kharge and some other hon. Members left the House

माननीय अध्यक्ष : श्री एस०एस० अहलुवालिया जी।

…(व्यवधान)

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं बंगाली भाषा में बोलूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनको बांग्ला भाषा में बोलना अलाउड है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, पहले ओपोजिशन पार्टी के मैम्बर को बोलने मौका मिलना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। इनके बाद आपको बोलना है।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : मैडम, पहले सौगत जी को बोलने का मौका देना चाहिए।…(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, अगर वह बोलना चाहते हैं, तो उनको बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप इनसे पहले बोलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I rise to oppose this Bill tooth and nail. This Bill should be sent off, drowned, hook, line and sinker. This is a divisive Bill. असम में आग लगा रहे हैं। दिल्ली में राजनाथ जी को पता नहीं है कि यह बिल पास होने से असम में आग लगेगी।…(व्यवधान) पूरी नॉर्थ-ईस्ट में आग लगेगी, हमारे सीपीएम के दोस्त भी बोल रहे हैं। त्रिपुरा में भी आग लगेगी और बंगाल भी डिस्टर्ब होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से हाउस में धौंस नहीं देते हैं।

प्रो. सौगत राय : मैडम, मुझे बोलने दीजिए, बीच में क्यों टोकती हैं?

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको टोक नहीं रही हूं, बल्कि हाउस में इस तरह से धौंस नहीं दे सकते हैं, यही कह रही हूं।

…(व्यवधान)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : मैडम, ये धमकी दे रहे हैं।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। साक्षी महाराज जी, चेतावनी और धमकी में फर्क समझिए…(व्यवधान) मैं जेपीसी का सदस्य था। जेपीसी की हर मीटिंग में हमने कहा कि इस बिल को विद्ड्रा करना चाहिए क्योंकि इस बिल में डिवाइसिव पार्ट्स हैं। हम लोगों ने जेपीसी में अमेंडमेंट दिया, लेकिन उसको वोटिंग से गिरा दिया गया। जेपीसी में कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की गयी। इसलिए यह बिल पूरे देश को बांटेगा।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मेघवाल जी, आप बैठ जाइए। चेयरमैन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं भी चेयरमैन को जानता हूं, जैसे आप जानते हैं। छोड़ दीजिए। …(व्यवधान)

Madam Speaker, this Bill has two parts. First, it mentions refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Second, it mentions six religious communities, namely, Hindus, Buddhists, Jains, Parsis, Sikhs and Christians …(*Interruptions*) आप तो चुपचाप रहिए, मंत्री होकर टोकना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए। …(व्यवधान)

I want to say that we have no objection if the Government considers the case of refugees from Afghanistan and Pakistan. There is religious persecution in those places and the number of people who have come to India from those countries is also quite small. So, the Government may pass this Bill in favour of refugees from Afghanistan and Pakistan and I have no objection to that.

This Bill has another clause regarding Overseas Citizens of India cardholders. It restricts the OCI cardholders if they have committed any crime or violated any rule, I have no objection to that also. I requested for excluding Bangladesh and not to bring Bangladeshi refugees under the purview of this Bill . But the Committee refused to listen to us …(*Interruptions*) आप बैठिए, विजया चक्रवर्ती जी, …(व्यवधान) आप क्या बोलेंगी? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, पर्सन टू पर्सन बात मत करिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : कोई …* नहीं है, …* बीजेपी के लोग बोलते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये बार-बार …* मत बोलिए।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Madam Speaker, we proposed and I want to propose again here that make this Bill a secular Bill. It may be mentioned that anybody who has come away from his or her country in our neighbourhood due to religious persecution should be accommodated since we are a secular country. Why mention Hindus, Buddhists, Sikhs, Christians, Jains and Parsis? Why mention them? Let the Bill be made a secular Bill and do not mention only three countries – Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. In the Bill, the Government may also mention Nepal and Sri Lanka. People have come from those countries also either due to religious persecutions or for other reasons. We should act as a humanitarian nation and accommodate people from Sri Lanka and Nepal also. They did not listen to us.

Now, what Shri Rajnath Singh ji and the BJP is saying and doing is that they are taking away from one hand and trying to give with the other hand. What have they taken away? Now, there is a National Register of Citizens against which I have spoken in this House. The National Register of Citizens omits the names of 40,70,000 people who are residing in the State of Assam

---

* Not recorded

today. You would be surprised to know that of these 40,70,000 people, 28 lakh people are Hindus.

10 lakhs are Muslims and two lakhs are Hindi speaking Hindus and Urdu speaking Muslims from other States. So, who are being affected the most due to National Register of Citizens? The Bengali Hindus are being affected very seriously. Last time, in the discussion on Rafale, I had had spoken of a Meghnad in the BJP ranks who shoots his arrows from behind the clouds. Here also, when this Bill is coming to Parliament, there is no sight of the Prime Minister. But he is going to Silchar and saying that the Government will give the citizenship rights to all the Hindus. Just look at the politics. He is not facing the House and is going to Silchar which is a Bengali majority town in the Cachar Valley of Assam, and addressing a meeting there. This is nothing but to create differences. On the one hand, from the National Register of Citizens, you are taking out people from the citizenship of India, जैसे कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ से लड्डू देते हैं और दूसरे हाथ से लड्डू लेते हैं। आओ हिंदुओं, तुमको हम लोग सिटीजनशिप देंगे। This is the most diabolical step. यह पोलिटिक्स की शैतानी है, लोगों का विभाजन करके सियासती फायदा उठाने का तरीका है। मैंने इस देश में 70-71 सालों में इतना डायबोलिकल डिविजन कभी नहीं देखा। ऐसी कोशिश मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो इस सिटीजनशिप अमेंडमैंट बिल के तहत की जा रही है। That is why, I still insist, (1) withdraw the Bill altogether, (2) if you cannot do that, recommit it to the same Select Committee. The Committee only visited places like Guwahati, Silchar and Shillong. But we have not visited places in Upper Assam which included places like Dibrugarh, Tinsukia, Jorhat, where a large number of Bengali immigrants

stay. We had not gone even to other States also. We had not gone to Tripura, where a large number of Bengali speaking people stay. So, this is somewhat incomplete. But we are a minority in the Committee. They defeated us by 11-6. The defeat was natural. The Joint Parliamentary Committees are constituted on the basis of proportional representation. BJP has more numbers in the House and so they have got more Members in the Committee. So, naturally, we could not match with them in numbers. We thought that we would match with them in logic.

The other important point, I would like to bring to the notice of Shri Rajnath Singh*ji* is that you are saying that those Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, Jains and Buddhists who are coming for getting the residentship have to stay in this country for 6 years and after that, they could apply for it. Now, if you are sympathetic to Bengali Hindus and बंगाली वोट लेना चाहते हैं तो फिर आप यह छः साल क्यों रखते हैं? बोलिये कि जो लोग यहां हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा। Leave the period of six years altogether. Give them immediate citizenship. Many of them are already citizens of this country. Why are you discriminating against them that they have to go and apply again? Why should this happen? Madam, please try to understand that this is a sensitive issue. Now, what has happened is, the Bengali Hindus, who have come from Bangladesh are proving to be the victims. Why should this happen? When this Bill is being introduced by Shri Rajnath Singh*ji*, the militant outfits in Assam are up in arms against the Bengali Hindus. Do you know what happened in Tinsukia near Dibrugarh? The ULFA

(Independent) people shot dead five innocent Bengalis who were drinking tea at a tea stall.

What was the reason? They said openly, 'you want to get citizenship through the Bill, we shall give you citizenship of the other world'. …(*Interruptions*) So, Bengalis died and your Sarbananda Sonowal Government has not been able to protect Bengalis. …(*Interruptions*)

Madam, in the past, there has been Bengal Kheda in Assam. We are victims. If there is Bengal Kheda in Assam, they all come to West Bengal. Now, on the one hand, the Government is satisfying the Assamese majority. They tell them, 'yes, we have got the National Register of Citizens for you, now all illegal Bangladeshi immigrants will be eliminated'. On the other hand, they are trying to please the Hindu Bengalis because during the election they will say, 'see, how we have protected you'.

As I told you, 28 lakh names of Bengali Hindus are out of this National Register of Citizens. Out of them, a large number are Motuas. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपको बोलने का मौका मिलेगा, He is not yielding.

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप बाद में भाषण देना। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाद में बोल सकते हैं, अगर बोलने वाले हैं तो।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप बोल सकते हैं। …(व्यवधान) आप बाद में बोलिए। …(व्यवधान) आप गुवाहाटी से हैं। …(व्यवधान) आपने क्या बंगाल खेडा में भाग लिया है? …(व्यवधान)

Madam, please understand the anxiety and anguish of Bengali Hindus. Firstly, you are creating a division among the people. Muslims are not included, but you have included six religions. Under Article 14, you can formulate the law, but equality before law is not there in it. You are including Hindus, Sikhs, Buddhists, Christians, Parsis and Jains. But why not Muslims? You make it secular. It should be that anybody who comes out due to religious persecution would be given citizenship. In Pakistan, there are the Ahmadiyyas who are also tortured by the majority there. They may also seek asylum in India. Will India not offer asylum to people who are Muslims but still persecuted in Pakistan?

Madam, my appeal to you is this. You are a lady above the run of the mill politics. You have risen to a high stature. That is why, I want you to intervene sometimes. They say that Speaker should not speak. But sometimes you should speak out your mind, when there is a threat to the unity and integrity of the country, when the Constitution is being threatened, when Article 14 is being violated by an unconstitutional law, when Bengali Hindus are being targeted, when Bengali Muslims are being eliminated and when West Bengal, led by Mamata Banerjee, is being made to suffer. Whenever Bengal Kheda takes place in Assam, where do people come in. They come into Cooch Behar District of West Bengal and they come into Alipurduar District of West Bengal. We have *per force* to give them asylum, provide them food and shelter.

Madam, I have been a Member of the Joint Committee for two years. Do you know a strange thing? Shri Rajendra Agarwal from Meerut is there. He is a

nice man, decent man, he has allowed us to speak in the Committee. But he had no say. For two years, the Committee did nothing. It was formed in 2016. Suddenly, before the election, they thought that they must bring this Bill to get the votes of Bengali Hindus in West Bengal. That is why, suddenly on the last day of this Session, this important Citizenship (Amendment) Bill has been taken up for consideration. It will affect the ethnic minorities in various parts of the country, specially in West Bengal, Assam and Tripura. This has the potentiality of lighting fires of violence and divisiveness in a large part of the country. Now, hurriedly this Bill has been brought up. This is the worst example of vote bank politics. We stand for the rights of Bengali Hindus and Bengali Muslims.

We demand that not one genuine citizen should be left out. We want the protection of all people, who are their genuine citizens. They should not be left out. Madam, we seek your protection and especially of the Matuas, the most depressed community. They are being enticed by BJP people. Somebody called `Vijay' is going to Bengal and he is saying मतुआ लोगों को हम पूरा राइट देंगे। अरे! मतुआ लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। वे लोग यह सब करने से नहीं जाएँगे। मतुआ लोग शेड्यूल कास्ट के हैं। मतुआ लोग हरिचंद गुरुचंद को मानते हैं। हम लोग भी मतुआ लोगों के साथ हैं।

Madam, with these words, with all the force at my command - in these advanced years - I oppose this Bill. I want its withdrawal or its re-commitment to a full-fledged Joint Parliamentary Committee. With these words and with

your permission, we shall walk out from this House against this insidious and divisive Bill.

14 46 hrs

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.)

HON. SPEAKER: Rajendra Agrawal Ji, do you want to say something?

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मेरा सौगत दा से निवेदन है कि ज़रा दो मिनट सुनकर तब वॉक आउट करें। माननीय अध्यक्ष जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्य-शैली के संबंध में कुछ गम्भीर प्रकार की टिप्पणियाँ आदरणीय सौगत बाबू ने की हैं। सौगत बाबू हमारे बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रिकॉर्ड पर लाइए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ कि मीटिंग्स के अंदर उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिसके कारण जेपीसी अपना काम कर पाई। To bring it on record, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की कि कंसेंसस बने, सर्वसम्मति बने। सर्वसम्मति से जो अमेंडमेंट्स हैं, वे स्वीकार किए जाएं या अस्वीकार किए जाएं, वैसा सम्भव नहीं हुआ। तीन अमेंडमेंट्स इसमें सर्वसम्मति से स्वीकार भी किए गए हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर जब एकमत नहीं बना तो जेपीसी के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार से संसद में होता है कि मतदान कराकर, राय लेकर उसके बारे में फैसला किया जाए। उसी पद्धति का पालन किया गया अन्यथा जेपीसी ने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी गम्भीरता के साथ, सब को पूरा समय देकर इस निर्णय पर पहुँचने का प्रयास किया है। मैं यह बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री एस.एस. अहलूवालिया।

14 48 hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

[*]इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): Hon. Deputy Speaker ,Sir, today we are discussing the Citizenship (Amendment) Bill in this august House and intend to pass it. I am particularly speaking in Bengali as I want to make it very clear that people of this linguistic community were compelled to leave their home, land and everything behind to seek asylum in India. Sylhet was part of Assam and East Bengal comprised of the rest of Bangladesh. East Pakistan was carved out of it. People were being persecuted due to religious reasons. Before India became independent, that area was a part of India. Thus for these uprooted people, India was no foreign country for them. Whenever we recall the history of Indian independence struggle, we are reminded of Masterda Surya Sen, we are reminded of Bipin Chandra Pal of 'Lal Bal Pal' fame. We also remember Jitendranath Mukherjee who is known as 'Baghajatin'. They all fought for the independence of this country, to free the nation from the shackles of subjection. After much struggle, independence was achieved, but some religiously charged sections of the society started working on a theocratic state, as a result of which West Pakistan and East Pakistan came into being. I also belong to a family of Sialkot in West Pakistan. My predecessors were displaced from their own land and I hail from that part of the world. Today, I am a member of the Indian

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Bengali.

Parliament; for the last 29 years, I have been a member. So what crime have I committed? Why my brothers and sisters were subjected to religious persecution? Why could'nt they enjoy their due rights? This issue has been raised time and again. Our Hon. Minister has spoken at length and has made it very clear that this amendment is not only for the Bangladeshis but for all those Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians whohave been uprooted from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. All will be granted citizenship rights.

Today, this Bill is before us. When it was introduced in 2016, at that time, it was referred to the Joint Parliamentary Committee in consultation with the opposition. The JPC has presented its report to the Parliament yesterday with some more amendments, and now we are discussing this Bill. Sir, why was Pakistan created? They wanted a country where only the people practising Islam would reside. As proof of my argument, let me talk about a book published in Bangladesh – a study report titled 'Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh living with Vested Property' - authored by Prof. Abul Barkat, Deptt. Of Economics, University of Dhaka, written in the year 2008. It contains all the data which shows that after creation of Pakistan in the then western part, the Hindu population was 23%, after migration. But today the Non-Muslim population has come down to only 3%. Similarly at the time of partition, the population of Hindus was 29%, today it is a meagre 8.5% in Bangladesh. In 1947, 1965, 1971 whenever there were wars, India was

declared as enemy state and huge oppression came down on the people who loved India, who considered themselves to be part of India.

Our Home Minister has spoken about Assam in details. I'd like to tell the brothers and sisters of Assam that all those who are coming from Bangladesh, may not be sent back to that country. Or even if they get citizenship they may not be treated as original inhabitants of Assam but they would be granted the freedom to move around in various parts of the country. Wherever they get educational opportunities or livelihood, they might utilize those. In the year 1950, one Illegal Immigrant Act was passed. Immigrants Expulsion from Assam Act 1950 Proviso 2 Section 2 reads that at the time of independence and partition, there were law and order problems and such other disturbances. Many people, both Muslims and Hindus came for asylum in Assam. They were told that since popular Government was already in place, they were free to return to their own land. However, Hindu, Sikh, Jain, Parsi and Christian people could stay back in India if they so wish.

In 2004, Citizenship Rules were amended. It was decided that the people of Kutch, Patan, Banaskantha, Ahmedabad in Gujarat and Barmer and Jaisalmer in Rajasthan, who had been displaced would also be granted citizenship rights. So its nothing new. During partition, we witnessed migration of population as a result of which very less number of non-Muslims stayed back. If you read the literature and documents of the era, you will realise that it was becoming increasingly difficult for them to stay there safely. Thus our predecessors also left everything behind and came to India. The

freedom fighters never imagined that with independence a bitter partition would also tag along. People were compelled to move from one country to the other.

At the time of partition, our people from the Motua community, Namashudra community were assured that they would be able to enjoy every right and liberty in a secular state. But gradually we realized that East Pakistan was turning into an Islamic state, and Islam became the state religion. Religion became more important than the Constitution. So people were compelled to leave that country and seek asylum in India. In 1985, the Assam Accord was signed with the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi in which a cut-off date was fixed. All Assam Students Union signed this Accord and it was decided that those who had come before that date would be treated as citizens of India, rest would not be allowed. This was in respect of Assam. But when in 2016 this Bill was introduced, it was said that those who entered till 31st December 2014 would be granted citizenship. Earlier, the waiting period was 11 years which has been reduced to 6 years. However, in this 6 years time, they would not be termed as refugees. They would enjoy all rights and this is exactly what this Bill aims to do. And that is why the Amendment is required. I am very surprised to see that the grand old party of the country Indian National Congress boycotted this discussion. Don't they want the Motuas to enjoy every right? Don't they want the Namashudras to enjoy every right? Similarly, the ruling party of West Bengal, Trinamool Congress has staged a walkout. Don't they want the Motuas and

Namashudras to gain citizenship right? I am extremely surprised. Sir, the opposition members are not present here. Otherwise they would have understood my point. Before 1913, Dijindralal Roy composed the following poem –

> "Fields of golden grains, meadows of fragrant flowers…. Nestled within is a place divine set far above all measures.
> Created by dreams, anchored by memories no where else a place of such luminous glories.
> This is the queen of all lands on earth.
> A magical land whose crooning birds awaken me to the morning light, and the same melodious sounds bid me into the night,
> Whose birds suck nectar from blossoming flowers
> Then nest underneath for their nightly shelter…."
> This bond and love of brother and mother,
> "I yearn we are not separate but forever stay together
> This land that nourished and nurtured me from birth
> How I wish this be the place of my final breath on earth"
> You will never find such a beautiful country anywhere else. This is the queen of the world – my motherland.

15 00 hrs

People who have dreamt for this country, who have struggled for this country cannot be suddenly termed as foreigners. They should be entrusted with all rights. Had those not been declared as Islamic states, I would have had no hesitation to stand by them. I could say that all states should be secular states. But what should I say to the Motuas, Namashudras, Hindus, Sikhs, Parsis, Jains, Christians who have been tortured and persecuted by the religious fanatics? They have come to us with lots of expectations; how

can we ask them to leave this country? How can we send them back to the perpetrators of crime who want to eliminate them altogether? Only because they follow a different religion in that country should they be allowed to die without anyone to help them? The situation is very pathetic. I strongly believe that this Bill should be passed without further delay and should be implemented in letter and spirit. Today, crores of Hindus, Sikhs, Parsis, Jains, Christains, Buddhists, who have been tortured and suppressed, are waiting anxiously to get back their right to live. They should be able to sing this song without any objection from anybody, should be able to spread the spirit of this song. I believe that I am grateful to this House for giving me the opportunity to be able to be a part of this historic day. The rights that are to be granted to them were long overdue; they deserve these rights. I would like to request my friends in Assam and North East not to be agitated. I am shocked to find that the TMC members are trying to add fuel to fire instead of being rational. They are also trying to flare up the issue. Such incendiary speeches should not be given in this august House. We should try to pacify the agitated people instead, we should assure them that no one will be robbed of one's rights. They will definitely get what is due to them. Hon. Minister has already told us about the future plans regarding Assam, Sixth Schedule and the tribes. I just want to say that Narendra Modiji's Government in keen on granting every single right to the people who have always been deprived of everything for so long. All necessary steps are being taken to provide all possible assistance to them. So kindly pass this Bill

and let the people sing the song of D.L. Roy with all happiness and stay with pride and heads held high.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have been hearing *amader ei basundhara* since my childhood from the All India Radio. No doubt, it was written in Bengali. But invariably, it has been translated to different Indian languages. Whenever patriotic songs were being sung, we hear this because that is a poem which is sung not only for the motherland but for the whole *basundhara.*

Today, actually I am reminded of the day when this Bill, which looks very innocuous, which has hardly 13 lines in the front page and 11 lines in the second page, which is of just 24 lines, was circulated. I remember when we discussed amongst ourselves, from the Opposition Bench I stood up and told the Speaker that though it looked very innocuous, yet it had greater impact. It is going to have a greater impact in our system of governance because a lot many decisions have been taken to cover the fault lines and those fault lines will open up. And, very rightly so, the Home Minister, Rajnath Ji agreed कि हां, यह जेपीसी को जाना चाहिए। जेपीसी में डेलीब्रेट हो जाए और हर एक पार्टी के व्यूज आ जाएं। मेरे मन में यह कशिश थी, I was under the impression that in that JPC, we will arrive at a consensus.

Shri Satyapal Singh, who is now a Minister, was the former Chairman of this Committee. उनके समय में राजस्थान का दौरा हुआ, मेघवाल जी की कंस्टीट्यूएंसी जैसलमेर का दौरा हुआ, जोधपुर और अहमदाबाद का भी दौरा हुआ। Further, they went to the coastal area of Gujarat bordering Pakistan. I could not go on this tour. But

other Members had gone there. At that time, we could see the pathetic condition of the people who have migrated from Pakistan. The wretched condition in which they were living in our country reminded me of our elder leader of this House, Advani*ji's* views.

In a meeting in 2008-2009, he was telling us - हमको सिंधियों के लिए कुछ करना है, जो पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद से अपना घर-द्वार छोड़ कर यहां आए हैं। We have to do something for them. I think, in 2009 Bhartiya Janta Party in its manifesto had first mentioned that once they came to power, they would give them citizenship. उससे पहले भी हुआ होगा, मुझे जहां तक याद है, वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में आपने इस बात को रखा था । वर्ष 2009 में यूपीए सरकार फिर लौट आई और वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनी। वर्ष 2016 में दो साल बाद यह विधेयक आया। जब इस पर चर्चा हो रही थी उस समय मेरे मन में यह बात आया था, During that period, it was perhaps in the first phase of the UPA Government that I had made a statement in this House relating to the people who were forced to come into our country from Africa and they were denied citizenship. जो हमारा लॉ है, उसमें सिटीजनशिप बाई बर्थ मिलता है, सिटिजनशिप बाई अप्लिकेशन मिलता है। हमारे यहां करीब छह तरह के सिटिजनशिप उपलब्ध हैं, जिसे हम एवेल कर सकते हैं। 1980 में किस तरह यहां रहने के बाद बारह वर्षों में सिटिजनशिप मिल सकता है, वह भी अमेंडमेंट हुआ था। I would not say that it was done for a specific person but it was done for specific people. उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि यह बिल पहले इनाक्यूअस लगता था, I am of that opinion and my party also stands by that. Where would the minorities of those neighbouring countries go other than India?

वर्ष 2005-06 में एक टीवी चैनल के एक वैरी एग्रेसिव एंकर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, जिनका काफी नाम है, अभी भी नाम है। आप क्या चाहते हैं कि क्रिश्चयन यहां आएं? मैंने कहा कि क्रिश्चयन के लिए ऑप्शन है, मुसलमान के लिए ऑप्शन है, हिन्दुओं के लिए ऑप्शन नहीं है, बौद्धों के लिए ऑप्शन नहीं है, जैनों के लिए ऑप्शन नहीं है। As it has been done in this Bill, minorities have no other option. But I would have been happy, had Sri Lanka been added in it. इसलिए मैंने एक संशोधन दिया था, समिति के सभापति अग्रवाल जी ने कहा था कि अगर किसी को कुछ अमेंडमेंट देना है तो दे सकता है, मैंने कहा कि आप श्रीलंका को डाल दीजिए।

श्रीलंका में भी परसिक्युशन रिलिजन के नाम पर हो रहा है। अब श्रीलंका को इसमें नहीं रखा। भारतवर्ष के पुराने नक्शे में अफगानिस्तान नहीं था। कब था - चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में या उससे पहले था।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में था।

श्री भर्तृहरि महताब : महाराजा रणजीत सिंह तो चाइना तक पहुंच गए थे।

अगर आप अफगानिस्तान को मिलाते हैं, वहां जो हालात पिछले 20 सालों से हैं, सिख जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, अखबार में अभी भी निकलता है कि किस तरह उनके परिवारों पर अत्याचार हुआ। एक महिला ने अपनी वेदना व्यक्त की है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसके पति, भाई और बड़े बेटे को तालिबान ने मार गिराया। Somehow or other, they took shelter in our Indian Embassy and have come into our country. Here, they have been waiting to get citizenship because they have nowhere to go.

Similarly, in Pakistan, I am not mentioning whether it is Punjab State, Sindh State or Balochistan State.

HON. DEPUTY SPEAKER: You try to speak very briefly because many Members want to speak. We are also going to take another important Bill afterwards. So, please try to be brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have just started. It is something very close to my heart which I have been raising in this House invariably in different Sessions.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, he is a senior Member. Please give him more time.

HON. DEPUTY SPEAKER: Then, what about the other Bill which you want to take up afterward?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : But here is something that there are fault lines and those fault lines were covered after Independence by respective leaders, by respective Governments. Why should we rake up Bangladesh issue now? We have a friendly Government in Bangladesh. What was happening, I think, ten to fifteen years ago has subsided to a very great extent. Our North-East has become peaceful comparatively. The ULFA, which was getting all types of insurgency support from Bangladesh, has been curbed. Can we not keep Bangladesh issue for posterity, for a later date? Let us keep our Western front peaceful and those who want to come or those who have come, provide them citizenship. You may confine it to Afghanistan and Pakistan. If you are not opening up Myanmar and if you are not including Sri Lanka, then similarly, do not include Bangladesh.

During deliberations in the JPC, this was my repeated question which I had posed and the answer which was given is: 'If Bangladesh is kept out of the purview of the proposed amendment, persons belonging to Sikhs, the identified minority group, from Bangladesh who do not have all or any of the travel documents or whose travel documents have expired shall continue to remain as illegal migrants under section 2 of the Citizenship Act, 1955 and shall not be eligible to apply for Indian citizenship.' यह दिक्कत आ गई। However, the Government of India vide notification no. GSR685E and GSR686E dated 7th September, 2015, by amending Passport Entry into India Rules, 1950 and Foreigners Order, 1948 respectively, has already regularised the stay of such migrants from Bangladesh. So, they can stay in India without attracting the penal provisions of the Foreigners Act, 1946 and the Passport Entry into India Act, 1920 and the rules made thereof.

पीनल प्रोविजन उनके खिलाफ नहीं होगा, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश छोड़ दीजिए, क्योंकि वे तो यहीं रहेंगे । Subsequently to another question मेरा यही प्रश्न था कि वे यहां नौकरी कर सकते हैं, बीपीएल कार्ड ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं। उस समय दो बातें चर्चा में आईं कि "They will be regularised" and "They will be legalised". My question was: Can a regularised person also buy property? When you say that you have legalised the stay, then does legalising the stay mean granting citizenship? We are dealing with citizenship. So, when you are using the words, "They are regularised" and "They are legalised", what does this mean? Does this grant citizenship to those persons? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लम्बा जवाब दिया, जिसे मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता। That is relevant of course. The

answer was, ‘Purchase of property for the purpose of dwelling as well as for self-employment’ it can be done. After grant of LTV, they will also become eligible for issuance of PAN card, Aadhar card, driving licence, bank account, etc. However, these persons will continue to be ineligible for Indian citizenship as they are still termed ‘illegal migrants’ under the provisions of Section 2 (1) (b) of the Citizenship Act of 1955. The intent of the Bill is to facilitate grant of Indian citizenship to such persecuted minorities only. यहां आकर मेरी पूरी कोशिश रुक गई। I would like to submit to the hon. Minister that we should not open up the fault lines. After six years of bloody agitation in Assam, the Assam Accord was finalised. In that Accord, an assurance was given, relating to which the present Government made an announcement, perhaps on 5th of this month. That announcement is leading to another issue. The Panel is to assess reservation in jobs and reservation in the House for Assamese. असम असमीज़ का है, वहां आरक्षण देने के लिए आपने यह पैनल गठित किया है। यदि कोई मुझे कहेगा कि ओडिशा में उड़िया को रिजर्वेशन देने के लिए असेम्बली में हमने एक पैनल का गठन किया है, तो कैसा लगेगा? यदि बंगालियों को कहा जाए कि वैस्ट बंगाल में रिजर्वेशन देने के लिए अपनी असेम्बली में पैनल गठित किया जाए, तो उन्हें कैसा लगेगा। It is pathetic. Actually, the heart bleeds. See the condition of Assam today. It has gone to such a level where the Union Government has to form a Panel to determine which are the seats to be reserved for the Assamese. My only suggestion to the Minister and to this Government is, make it indigenous. हमारे पूर्ववक्ता श्री अहलुवालिया जी ने बंगाली में अपना भाषण दिया, वे घर में बोलते हैं। There are many Bengali Hindus who speak

Assamese very fluently. If you say ‘indigenous’, that will also take care of Bodos. There is another menace, that is ULFA. You have to tackle that.

Sir, the Indian Constitution, no doubt, proposes an inclusive idea of citizenship and, till now, does not allow any discrimination on the basis of the applicant’s religious identity. For the first time, in this Bill, you are bringing in the religious identity. The immediate context of the move to amend the Citizenship Act, what I understand, is the contingency in Assam, where nearly 30 lakh people faced exclusion from the National Register of Citizenship. With this proposed amendment, it will be easy for the Bengali Hindus among them to acquire citizenship. Expectedly, this has revived an old faultline in Assam. This has revived an old faultline in Assam with the Brahmaputra Valley opposing the amendment and the Barak Valley welcoming it.

Now, Union Government has sought to address the concerns in Assam by reviving the debate on clause 6 of 1985 Assam Accord. Clause 6 talks about “Constitutional, legislative and administrative safeguards to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.”

AASU seeks reservation of electoral seats. Bodo seeks reservation on land and also resources for indigenous people of Assam. Where are we heading to?

In this Bill, Mr. Deputy Speaker Sir, nowhere the word ‘refugee’ has been used; nowhere, the word, ‘infiltrator’ has been used; nowhere, the word,

‘migration’ has been used; and nowhere, the word, ‘immigration’ has been used. But we know, for whom this Bill has come.

Migration in this country at times is causing tension because it eats away employment. This is a problem not only of our country but also of other countries. We are seeing as to what is happening in Europe. American President, in his wisdom, has said: “we have to construct a wall not to allow any Mexicans to come to the country.” But, specially some of the wealthy countries are closing their borders. Some are advocating construction of wells to prevent illegal migration.

Refugees are a cause of concern in Europe. We do not have a refugee policy. We are not signatory to that policy as per the UN Refugee Convention. India recognises migrants, not refugees. India recognises illegal migrants; India recognises infiltrators.

So, let us not indulge in migrants, refugees and illegal migrants. Let us not forget that India was divided on religious lines. Pakistan was carved out of India, taking its shape which was largely Muslim dominated area. The divide was on etch that was carved in our heart, of every true nationalist, true Indian. It was a severe pain of that time which our founding fathers had to endure.

Even today, we are suffering, no matter how much we are denying it. But it is wise and proper not to open old wounds and revive old faultlines.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There is much work to do to develop our country. Why should we indulge in this type of activity which will create a gap

in the society? Those who were persecuted in Afghanistan, Pakistan because of their faith, need to be provided citizenship in our country. But couldn't the matter relating to Eastern border, to the Eastern neighbour be kept in abeyance till the NRC complete its job, till the Bezbaruah Committee gives its report and the Union Government act on it? What is the hurry in including Bangladesh in this amendment Bill when you have not included Sri Lanka, Myanmar, Bhutan to that extent?

Are not migrants there in our country who have come from neighbouring Nepal also?

With these words, I would say that I have moved an amendment to delete 'Bangladesh', and I would insist that do not open old fault lines. It is necessary that we should keep our nation intact. Thank you.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए यहां खड़ा हूं। एक बात ऐसी है कि जिस ढंग से माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, हर हिन्दुस्तानी के दिल में वह दर्द है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों, नामत: हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के सदस्यों, जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण अथवा धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह विधेयक योग्य बनाता है, यह बहुत अच्छी बात है। हमारे ही खून के, हमारे भाई-बहनों का इस देश में उत्पीड़न हो रहा है। आजकल हमारे देश में एक प्रैक्टिस बनी है कि कोई भी हमारे देश में आता है और उनको हमारे देश के प्रति कुछ भावना प्रकट करनी है तो वे धार्मिक रूप देकर आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, हमारी नीतियों की भी आलोचना करते हैं। उनको यह तो पता

चले कि वहां भी ये सारे समाज, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है और कितनी मात्रा में उत्पीड़न होता है, उसको लेकर सरकार एक कदम उठाना चाहती है। यह हेतू अच्छा है। जिस ढंग से लोगों ने विचार प्रकट किए हैं, वह देखने के बाद, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के भारतीय सीमाओं पर, हितों पर हमले किए जा रहे हैं। असम समझौता, इसको लेकर जब हमने अफगानिस्तान को ऐसे भी ले लिया, भर्तृहरि साहब कह रहे थे कि यहां मुस्लिमों को ऑप्शन है, ईसाइयों को ऑप्शन है। मैं भर्तृहरि साहब सभी से यह कहना चाहता हूं, मैं सभी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे क्षण-क्षण हमारे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट, शिव सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी की याद आ रही थी। राजनाथ सिंह जी उनके पुराने दोस्त हैं। वह जानते होंगे कि बालासाहेब इस विचार को कैसे प्रकट करते थे, वह भरी सभा में प्रकट करते थे। वह खुलेआम कहते थे कि अगर हम इनका संरक्षण अपने देश में नहीं कर पाते, हमारे लोग जो वहां बैठे हैं, वे भी यहां आएं, हम उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए क्या ऑप्शन है। नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र था, वह भी गया। अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहीं रहा। हम नेपाल की बात करते हैं, बाकी सीमाओं के अंतर्गत जो देश हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज वे राष्ट्र भी नहीं रहे हैं। इसके पश्चात् असम के लोगों की जो भावना है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नहीं है कि असम के लोग इन सारी चीजों को नहीं चाहते हैं। उसी तरह से बालासाहेब ने एक और भी विचार प्रकट किया था। जैसा कि आखिरी समय में भर्तृहरि जी ने कहा है कि नौकरी देने के लिए हमारे ही विधान सभा में एक समिति का गठन करना पड़ेगा और भूमि पुत्रों को नौकरी देने की बात करनी पड़ेगी। आपको याद है, शिव सेना का निर्माण इस लिए हुआ है। मुझे बहुत आनंद आता है कि हर विचार जो शिव सेना प्रमुख ने प्रकट किए, अभी उस पर केवल देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कर रहे हैं, वह शिव सेना प्रमुख बालासाहेब के ही विचार हैं।…(व्यवधान) ये सारे विचार बालासाहेब ने उस वक्त प्रकट किए थे। सन्स ऑफ सॉयल की जो बात आई है, यह उस वक्त आई थी। कल-परसों, मैंने सुना था। मैंने राज्य सभा के माननीय सांसद

का भाषण सुना था, आजकल स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को केन्द्रीभूत किया गया। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि पहले रीजनल रीक्रूटमेंट होती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेडिकल के बारे में जानते हैं कि हमारे बच्चों को कितनी दिक्कतें आती हैं? रीजनल रीक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिसमें भाषा का प्रभाव ज्यादा होता है। सभी लोगों को दक्षिणी भाषा नहीं आती है। अगर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार का बच्चा सेलेक्ट होकर मद्रास जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? वह काम नहीं कर पाता है। इसलिए रीजनल बैलेंस की बात आती है। वहां के लोग जो बात कर रहे हैं, सर, आप उसे देखिए। वह बड़ा गंभीर मामला है, उनका क्या कहना है?

उनका कहना यह है कि "असम में विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ बांग्लादेशी समुदाय द्वारा लिया जाता है। ताई जनजाति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। असम पर अब किसी बांग्लादेशी अथवा किसी विदेशी का भार नहीं पड़ना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जाना चाहिए। ये 1971 या उससे पूर्व आए और उन्हें समझौते के द्वारा बसाया गया है, परन्तु जो उसके बाद आए हैं, उन्हें कभी भी बसाया नहीं जाना चाहिए। विधेयक से असम के लोगों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। बराक घाटी में जनजाति समुदाय अब अल्पसंख्यांक हो गए हैं। मुस्लिम बांग्लादेश से आ रहे हैं। ऊपरी असम में बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां असम के लोग अल्पसंख्यक हैं। सरकार को असम के इन जाति समूहों की मदद करनी चाहिए। यह विधेयक असम के स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ है। असम अनेक दशकों से प्रवासियों की समस्या झेल रहा है और इसने असम की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। विधेयक पारित होने के बाद असम समझौता रद्द हो जाएगा, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट कर देगा" - ऐसा उनका कहना है। मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। आपकी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की बात कह रहा हूं। हम जो विधेयक ला रहे हैं, हमें उन्हें आश्वस्त करना चाहिए।

अभी यहां जो कहा गया कि असम जल रहा है और सौगत राय जी कह रहे हैं अभी और भी जलेगा। उनके मन में होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। असम गण परिषद के लोग हाल ही में उद्धव साहब से भी मिले थे। हमें यह बात इसलिए ठीक लगी, क्योंकि जो भूमि पुत्रों की बात शिव सेना करती थी, वही बात वे कह रहे हैं। अब उन्हें डर इस बात का है कि वे ही कुछ जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। मैं मराठी में कहता हूं, यदि माननीय अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी पीठासीन होतीं, तो वे मेरी बात समझतीं। मैं मराठी में एक बात कहता हूं -घरच्या मण्ती चोर त्याला। जिसका मतलब है कि जो घर का मालिक है, उसी को चोर कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम घर के मालिक हैं और अब ये यहां आकर हमें चोर बनाएंगे और हम पर हमला करेंगे। उन्हें नागरिकता देने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन यदि उन्हें नागरिकता मिल गई तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। यदि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया, तो आप बताएं कि क्या होगा? यदि ये ज्यादा मात्रा में होंगे, तो स्थिति बिलकुल भिन्न हो जाएगी। हाल ही में एनआरसी हुई और 40,70,707 का आंकड़ा सामने आया। एनआरसी में पता चला कि इतने लोग यहां के नागरिक नहीं हैं और उन्हें नेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। उनमें कुछ हिंदू भी हैं। उनके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने आज कुछ बात की होगी। अब ये सवाल आता है कि वे हिंदू हैं, उनका क्या करोगे। हमने एनआरसी अच्छी बात के लिए की है, रोहिंग्या के लिए करना चाहिए था। इतना होने के बाद असम के डीआईजी ने क्या कहा, यह भी देखने की बात है।

पहले एनआरसी के द्वारा 70 हजार लोगों की पहचान हुई, लेकिन उनमें से केवल 2400 लोगों को ही निर्वासित कर सके। निर्वासित करने का कानून और उसका जो प्रोसीज़र है, वह इतना मुश्किल है कि उन्होंने बताया कि हमने तो आइडेंटिफाइ कर लिया। जब आइडेंटिफाइ किया, उन्हें पता चला और वे कहीं भाग गए।...(व्यवधान) ईडी ने निर्देश दिया कि बॉयोमेट्रिक होना चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी, इस बारे में आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। यदि बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो पता नहीं चलेगा। तभी तो हम उन्हें निर्वासित नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र इस समस्या से बहुत प्रभावित है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसीज़र है, उसे ठीक करना

पड़ेगा। उनका कहना है कि देश के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। हम मान लेते हैं क्योंकि संविधान में लिखा है लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह यहां का नागरिक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति फुटपाथ पर रहता है। इलेक्शन कमीशन का अधिकारी दो-तीन बार वैरीफाई करता है कि वह आदमी फुटपाथ पर सोता है। वह अधिकारी वैरीफाई कर देता है कि अरविंद सावंत यहीं रहता है, इसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़िए। वह आदमी कहां से आया, यह हमें नहीं पता है। उसकी जानकारी कौन लेगा, हमें यह भी नहीं पता। हमारे मुम्बई में भी बांग्लादेशी लोग हमारी वोटर्स लिस्ट में हैं। यह बहुत गंभीर विषय है।

महोदय, बिल लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल कैसे करोगे। आप जिन्हें नियमितता से लाने वाले हैं और 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष का समय कर रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी, रोजगार की क्या व्यवस्था है। क्या हमें उनका क्रिमिनल रिकार्ड पता है? मैं यह नहीं कहूंगा कि पुरानी सरकार ने क्या किया। दूध में नमक को छिड़क दिया है, अब कितनी भी चीनी डालो, दूध फट गया है। मैं विनती करता हूं कि असम गण परिषद और भूमि पुत्रों की जो बात आई है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर समाधान कीजिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुमत से बिल तो पास कर सकते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण होना चाहिए, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, this is not so innocuous a Bill. इसीलिए हमने जेपीसी बनाई थी। मैं पहले ही कह दूँ कि जेपीसी में श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के सभापति रहने तक मैं समिति का सदस्य था। कई सभापति बदले गए। तीन साल तक यह समिति काम करती रही। …(व्यवधान) इससे पहले भी दो सभापति रहे। मैं समिति के सभापति जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कोशिश की, जैसा उन्होंने कहा, लेकिन यह विवाद है क्योंकि हमारे देश में यह समस्या है। इसको हम मानते हैं, आप भी पहले मानते थे। मैं कहता हूँ कि यह समस्या का समाधान नहीं है। यह और नयी समस्याएँ पैदा करने का काम है। आप समस्या का समाधान ढूंढते, तो हम साथ रहते। ऐसा होता है कि जब आप पुरानी समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं, तो नयी समस्याएँ पैदा कर देते हैं, जो आज आपको असम में देखने को मिल रहा है। कुछ देर के लिए लोग पुरानी समस्याएँ भूल जाते हैं, तो लोग वाह-वाह करते हैं। कहते हैं क्या बात है, समस्या का समाधान तो थोड़ी देर के लिए हो गया। आप ऐसा व्यक्तिगत मामले में और राजनीतिक मामले में कर सकते हैं, लेकिन यह संविधान का मामला है। नागरिकता, किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग के आधार पर नहीं होती है। हमारा संविधान कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर बना हुआ है। नागरिकता वहाँ से आती है। नागरिकता किसी दल की इच्छा पर नहीं होती है, यह किसी राजनीतिक आधार पर नहीं होती है।

आज बहुत-सी अच्छी बातें सुनने को मिलीं। वे अभी बांगला में बोले क्योंकि वे बंगाल से चुनकर आए हैं। …(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैं कई बार बोल चुका हूँ। …(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : वे बंगाल से चुनकर आये हैं या नहीं? …(व्यवधान) अच्छा वे दार्जीलिंग को बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं…(व्यवधान) आप दार्जीलिंग को बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं न, ठीक है। …(व्यवधान) अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग उस वक्त जो कांग्रेस में थे, वे नहीं, लेकिन आज जिनके साथ हैं, चालीस साल से आप बांगलादेशी घुसपैठिए, इल्लीगल माइग्रेंट्स,

इनफिलट्रेटर्स आदि कहकर स्टिग्माटाइज्ड किसने किया? चार दशकों से बंगाली मुम्बई, उत्तराखंड और बंगलुरू में वहाँ रह रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे बांगलादेशी हैं। इनकी अक्ल में ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल भी है। आज इनको देखने को मिला कि असम में लाखों बंगाली हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में तो पंजाबी के बाद बंगला ज़ुबान के लोग ही काफी संख्या में हैं। अब आप क्या करेंगे? जिस भाषा में इस देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया है, वे जन-गण-मन गाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम्' जिस भाषा में लिखा गया।

आप धर्म के साथ, भाषा के साथ राष्ट्र को मत जोड़ो।…(व्यवधान) राष्ट्र का मतलब अलग होता है। …(व्यवधान) आप को वह समझ में नहीं आएगा। …(व्यवधान) जब इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, …(व्यवधान) जब इस देश की आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, …(व्यवधान) कौमियत क्या है? कौम किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं जाति किसे कहते हैं? …(व्यवधान) 100 साल पहले बंगाल में कलकत्ते से जो बहस शुरू हुई, उसमें संघ परिवार ने कभी हिस्सा लिया ही नहीं। …(व्यवधान) न तो आजादी की लड़ाई में लिया, न स्वतंत्रता संग्रामी बने, न राष्ट्रीयता के आंदोलन में रहे। …(व्यवधान) आज इतने दिन बाद जब विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप मांग रहा है, बेरोजगार नौजवान जब नौकरी मांग रहे है, जब नौकरी घट रही है, जब मज़दूर सड़क पर उतरकर स्ट्राइक कर रहे हैं, तब आप कहते हैं, आओ राष्ट्रीयता ठीक करते हैं। …(व्यवधान) आओ धर्म के नाम को ठीक करते हैं। …(व्यवधान) अरे, 100 साल पहले जब अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे, उस वक्त आपको रहना चाहिए था। …(व्यवधान) उस वक्त आपने नहीं किया। …(व्यवधान) भूल जाओ वो सब बात। …(व्यवधान) मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। …(व्यवधान) मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी अभी हाल ही में अंडमान की सेल्युलर जेल में गए थे। …(व्यवधान) मैं पैरोकियल नहीं हूं। …(व्यवधान) सेल्युलर जेल में जो नाम लिखे हुए हैं, उनमें पंजाबी में नाम हैं, बंगाली में नाम हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम हैं और मध्य प्रदेश के लोगों के नाम हैं। …(व्यवधान) कोई मोदी नहीं है, कोई शाह नहीं है। …(व्यवधान) आज बोल रहे हो? …(व्यवधान)

कहां से आएगा? …(व्यवधान) हम चैलेंज करते हैं। …(व्यवधान) सब को मिलेगा। …(व्यवधान) शेर अली खान से लेकर सब को मिलेगा। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please come to the point. Do not divert.

… (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम : सच सुनो। …(व्यवधान) शेयर मार्केट में मिलेगा, दावोस में मिलेगा। …(व्यवधान) चाहे वह नीरव मोदी हो, चाहे शरद मोदी हो, चाहे अंबानी हो। …(व्यवधान) अंडमान की सेल्युलर जेल में किसी को नहीं मिला है। …(व्यवधान) जान गंवाए हैं, खून बहाए हैं, तब यह मुल्क आजाद हुआ है। …(व्यवधान) आज मुल्क की बात कर रहे हो? …(व्यवधान) हम गौरव से कहते हैं। …(व्यवधान) हमें धर्म की आड़ में राष्ट्रीयता नहीं करनी पड़ती। …(व्यवधान) हम अपने इतिहास के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) अपने त्याग के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) अपने जज़्बात के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) Stop them. Sir, how can a Minister disturb? I am not yielding. How can a Minister disturb? …(*Interruptions*) I am not yielding. How can a Minister stop? …(*Interruptions*) What is this? He is a Minister. He forgets his portfolio. …(*Interruptions*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : डिप्टी स्पीकर सर, इन्होंने मेरा नाम लेकर जो कुछ कहा है, मैं इनको बता देना चाहता हूं। …(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने कोई नाम नहीं लिया। …(व्यवधान) Sir, this is not fair.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इन्होंने दूसरी बात जो कही है, कि बंगाली में लिखा हुआ है राष्ट्रगान, बंगाली में लिखा हुआ है वंदे मातरम । …(व्यवधान) मैं कहता हूं माना बंगाली में लिखा हुआ है राष्ट्रगान, जन गण मन और वंदे मातरम । …(व्यवधान) हर एक भारतवासी को उस पर गर्व है। …(व्यवधान) इनको गर्व नहीं है? …(व्यवधान) अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रेज़ेल्युशन है। …(व्यवधान) हम इसको नहीं मानते हैं। …(व्यवधान) क्या बात करते हैं ये? …(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, how can you allow this? No, I challenge. How can you allow a Minister to say, कि हमें अपने नेशनल सॉन्ग के ऊपर गर्व नहीं है? Who can certify it? How can he certify it? वे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक पार्टी से दूसरी पार्टी दौड़ते हैं। …(व्यवधान) वे हमारी लॉयल्टी को चैलेंज करेंगे? …(व्यवधान) अरे, आप हमारी लॉयल्टी को चैलेंज करेंगे? …(व्यवधान) आपकी ठीक है? …(व्यवधान) सुन लीजिए, भाजपा वाले। …(व्यवधान) अभी वे लाइन लगा रहे हैं, कल वे टी.एम.सी. का टिकट लेंगे। …(व्यवधान) मैं यह लिखकर भी कह सकता हूं। …(व्यवधान) देखो हंस रहा है। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please speak on the Assam issue. Do not divert.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, all this time must be deducted from the time allotted to the BJP.

HON. DEPUTY SPEAKER: Come to the point. Please try to be brief.

… (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैं पूरा दस्तावेज़ पढ़कर सुना सकता हूं। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Other than the speaker, everybody is speaking.

HON. DEPUTY SPEAKER: They like to speak always when you are speaking. What can I do? When you are speaking, everybody likes to speak at that time. That is the problem.

SHRI MOHAMMAD SALIM : So kind of you. Sir, coming to the Bill. …(व्यवधान) नॉर्मली यह संसद का अधिकार है, जहां हम कानून पास करते हैं, और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रैट्स

सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करते हैं। …(व्यवधान) बहुत से नए लोग आए हैं, इसलिए मैं उनको यह बता देना चाहता हूं।

लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सर्कुलर रेग्युलेशन हो गया, ये लोग ब्रॉडकास्ट कर दिए और फिर हम अभी कानून बना रहे हैं। यह हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। …(व्यवधान) How do we undermine parliamentary democracy and parliamentary system? Being on the Chair, you should take note of this point, Sir. पिछले दो सालों में सब-ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन गए और उसके बाद अभी हम कानून बना रहे हैं। आप जिस भी पार्टी के हों, लेकिन संसद की अपनी एक गरिमा है। हमें एक अधिकार मिला है, हमको उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो फेट अकॉम्प्ली बिल आ रहा है।

थर्डली, आज वे कह रहे हैं कि मैंने यह कहा है। I was trying to say that they could not understand Bengali. I can say it in Hindi also. Translation is available. They will give citizenship because they are saying that those who are Hindus – I will call them Hindus – as it is written in the Bill as Parsi, Sikh, Buddhist, Jain. But it is written like that. What was written in the manifesto? BJP manifesto in 2014 did not talk about Christians, Sikhs, Parsis, Buddhists, Jainis, वर्ष 2014 में उन्होंने कहा हिन्दूज़। ठीक है, चार साल हुकूमत चलाने के बाद मालूम हुआ कि बाकी लोग भी और उनको भी हमें जरूर लेना पड़ेगा। I can quote. हमारे पास मैनीफैस्टो है। …(व्यवधान) बांग्लादेशी घुसपैठी बोलकर इस देश में ऑपरेशन पुष्पक, ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये सब किया गया, जो विफल हुआ। इनको हम पुश-बैक करेंगे, that is a wrong thing. You should not have done it. महताब जी ने कहा कि, refugee, migrant, illegal migrant, infiltrator, ये सब अलग-अलग कैटेगरी हैं। इन सबको जोड़कर गलत ढंग से राजनीति करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा असम में हमने देखा नेल्ली में मैसेकर हुआ। हमारे देश आजाद हिंदुस्तान में पहला

मैसेकर और फिर ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए कि असम की स्थिति उस तरह से खराब हो, बर्बाद हो, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। एन.आर.सी. वाला मामला हम देख रहे हैं। हमारे ये बन्धु नहीं हैं। क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) असम में असमीज के नाम पर, बंगाल में बंगाली के नाम पर, देश, मुल्क ऑलरेडी हिन्दु-मुसलमान के नाम पर बंटा है, जात-पात के नाम पर बंटा है, फिर भाषा के नाम पर। आप अगर इसको उग्र राष्ट्रीयता बनाने की कोशिश करेंगे तो वह गलत होगा। पिछले छ: महीने में यही हुआ है। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब आप नागरिकता देंगे तो धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन सेक्युलरिज्म के आधार पर है। आर.एस.एस. का जो प्रोग्राम है, वह है, unfinished task of partition. वे unfinished task of partition को फिनिश करना चाहते हैं। They want that Hindus in Bangladesh and Pakistan should be welcome so that they can drive out. यहां जो मुसलमान हैं, उनको बोलेंगे कि वहां जाओ। जम्मू और कश्मीर के फारुख अब्दुल्ला साहब जानते हैं, जो एक ही मुल्क में जम्मू और कश्मीर की हालत हुई, जो हमारे हिन्दू पण्डित भाई थे,उनको वहां से निकाला गया। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now. There are many Members to speak.

श्री मोहम्मद सलीम : सर, इसका लांग टर्म इफैक्ट है, यह कानून आज का नहीं है। आप वर्ष 2019 का मैनीफेस्टो लिख रहे हो, कानून नहीं बना रहे हो। आप किसी को नागरिकता नहीं देने वाले। प्रधान मंत्री बनने से पहले सिल्चर में जाकर मोदी ने कहा कि जो वहां से आए हुए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे और दूसरे दिन ग्वालपाड़ा में कहा कि जो लोग उधर से आए हैं, वे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लें, हम उनको वापस भेज देंगे। ...(व्यवधान) चुनाव की राजनीति में आप भाषा के नाम लोगों को अलग-अलग तरीके की वार्ता दे सकते हैं। सर, मैं इस बिल को अपोज इसलिए करता हूं कि, you cannot determine the citizenship in a secular State on the basis of religion. It will be the greatest crime. Bengali Muslims are not Bangladeshis.

आप लैंग्वेज और रिलीजन, दोनों तरफ से जो डबल माइनोरिटी है, आप उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। असम में, बंगाल में, सीमांचल में और हर जगह पर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। जो मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर हो रही है, भाषा के नाम हो रही है, उसका आज सबसे बड़ा विक्टिम बंगाली मुस्लिम को बनाना चाहते हैं। That is why I do not support the Bill. Bangladesh is not the target; the target is internal migrants.

Sir, I have a written speech. if you allow me, I can authenticate it and submit it.

HON. DEPUTY SPEAKER: After your speech, nothing is allowed.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : A part of my speech can be submitted.

(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We are not allowing that.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Once you have spoken, that is not allowed.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Please allow me to continue for a moment. …(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, tell me briefly what you want.

… (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम : एक पॉइंट आया, जिसके बारे में महताब जी ने भी कहा कि जो रिफ्यूजी आएंगे, हमारी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। लेकिन यह कहना कि हिन्दू कहां जाएंगे, नेपाल के बारे में कहा, तो आस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अरब कंट्रीज में, वैस्ट एशिया और दुबई में जो हिन्दुस्तानी

जाते हैं, अगर वहां हिन्दू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के नाम पर होगा या भाषा के नाम पर होगा तो क्या हम सहन करेंगे? वे तो हमारे देश के नागरिक हैं। हम अपने देश में इंडियन माइनोरिटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। Do not create another Israel. इज़राइल कहता है कि दुनियाभर के ज्यूज़ को हम ले आएंगे। हम हिन्दुस्तान को क्या इज़राइल की तरह बनाना चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोई ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, केवल संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।

महोदय, हम सब यहां बैठे हैं कि देश का विकास हो। देश का विकास कैसे हो सकता है, यह हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका सबसे गरीब देश था, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले पानी का इंतजाम किया और पानी के बाद उन्होंने लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया । उसके बाद उन्होंने किसान को प्राथमिकता दी। किसान को प्राथमिकता देने के बाद उन्होंने वहां के नौजवानों को काम दिया, रोजगार दिया, नौकरी दी। मैं संक्षेप में दो-तीन बात कहना चाहता हूं। इससे देश का विकास हुआ था। मैंने कहा था कि पानी, पत्थर और लकड़ी देश में होगा तो देश विकास करेगा । हिन्दुस्तान में पानी भी है, पत्थर भी है और लकड़ी भी है। आखिर क्यों नहीं विकास हो रहा है? इसी तरह से किसान, नौजवान और व्यापारी को आप बढ़ावा देंगे, सुविधा देंगे तो विकास हो जाएगा । आप जितनी चाहे बहस कीजिए, लेकिन देश का विकास इससे ही हो सकता है और इससे भी बेहतर अगर कोई राय दे सकता है तो हमें स्वीकार है। हम फिर एक बार दोहराना चाहते हैं कि पानी, पत्थर और लकड़ी, ये तीनों हिन्दुस्तान में हैं। पानी भी है, पत्थर भी है और लकड़ी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बारे में सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। पानी भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है, फिर प्रदेश विकास क्यों नहीं कर रहा है? किसान, नौजवान और व्यापारी को काम देंगे, नौकरी और रोजगार देंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इसी तरह से किसान की पैदावार लाभकारी होनी चाहिए। किसान को जब तक लाभ नहीं होगा, तब तक किसान पैदावार नहीं बढ़ा पाएगा। किसान जब पैदावार करेगा तो हमारा किसान खुद ही सम्पन्न होगा। हम अभी तक विदेश से लाल गेहूं मंगाकर खाते थे।

<u>16 00 hrs</u>

हमारा देश किसानों का देश है, खेती बढ़िया है, खेती अच्छी है। उसके बाद भी अमेरिका का लाल गेहूं खाया। याद कीजिए, तब मैं छोटा था, आप भी छोटे होंगे, हम लाल गेहूं खाते थे। इसी तरह से आप व्यापारी और महिलाएं अगर इनको सम्मान देंगे, तो देश का विकास होगा। मैंने जो 5-

6 बातें बताई हैं, आप चाहे कितनी बहस करिए, इन पर ध्यान दीजिए। अगर आप उचित समझें, तो हमें बुला लीजिए, तब हमारी और आपकी बात हो जाएगी। हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, आप उससे सहमत हैं। आप भी जब पहले भाषण देते थे, तो उससे सहमत रहे हैं। इसलिए मैं पूरे सदन से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मैंने 5-6 बातें बताई हैं, अगर उनका पालन किया जाएगा, तो देश संपन्न हो जाएगा।

श्री बदरुद्दीन अज़मल (धुबरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ. इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि इसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। आज असम में जो हालात चल रहे हैं, उनको टेलीविजन में बैठकर पूरे हिन्दुस्तान के लोग देखें कि असम के लोग इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। असम के लोग इन चीजों को जो हो रहा है, उसको अपने हितों के खिलाफ समझ रहे हैं। हम ऑल इंडिया के लोग बाहर से देखें, तो बहुत अच्छा दिखता है। अगर यह वर्ष 2019 के इलेक्शन के लिए लाया गया है, तो मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगा कि वे वहां के हालातों को देखें। वहां के हालात, खासकर आसामी भाइयों के दिलों में जो चोट पहुंच रही है, उस चोट को महसूस करें, उस आवाज को, उस दर्द को महसूस करें। वे यह नहीं चाहते हैं कि यह बिल इस तरीके से पास हो। हमारी पार्टी इसलिए इस बिल की मुखालफत कर रही है - पहला यह है कि यह संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान धर्म की बुनियाद के ऊपर, जाति की बुनियाद के ऊपर, किसी भी मामले का फैसला करे, उसे हमारा संविधान नहीं मानता है। होम मिनिस्टर साहब जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। यह और बात है कि आपके पास मेजोरिटी है, आप वोटिंग कराएंगे, वॉइस वोटिंग भी कराएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन यहां सिर्फ पार्लियामेंट में जीतने का मसला नहीं है। उन लाखों आसामी भाइयों के दर्द को महसूस करने की चीज है कि क्यों वे इन चीजों के खिलाफ है, क्यों वे रास्तों पर आ गए हैं? आज वे गाड़ियां जला रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या असम में हो रहा है, इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें। हमारे बंगाली भाई भी हमारे है और आसामी भाई भी हमारे हैं। आप अगर वोट के लिए कर रहे हैं, तो परसेन्टेज देखने की जरूरत है कि आप कितने लोगों को खुश करेंगे और कितने लोगों को आप नाराज करेंगे। आपको जीतने के लिए मेजोरिटी के वोट की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात, असम एकॉर्ड। असम एकॉर्ड बड़ी मुश्किल से बना है और बहुत मेहनत के बाद बना है। उस असम एकॉर्ड को बनाने के लिए एज़िटेशन में हमारे 885 बच्चों ने जान दे दी, शहीद हो

गए। असम के गांवों में उनके शहीद स्तम्भ बने हुए हैं। क्यों उन्होंने कुर्बानी दी? वह सिर्फ असम की, आसामी कल्चर को, असम की भाषा को, असम की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन आज जब यह फैसला आ रहा है कि इसके अंदर अमेंडमेंट करके, आप दूसरे देशों से लोग लाएंगे पहले जो लोग असम के है, क्या हम सबको बराबर खाना पहुंचा सके हैं, क्या हमने सबको घर दे दिया है? आज लाखों लोग बेघर हैं। … (व्यवधान) डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ही सेंसिटिव ईश्यू है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, से बात कर रहा हूं।…(व्यवधान)

दूसरे, बांग्लादेश-बांग्लादेश-बांग्लादेश से मुस्लमान आ गए। हम इसलिए भी मुखालफत कर रहे हैं कि एन.आर.सी. के बारे में होम मिनिस्टर साहब ने आज यह कहा है कि हमारी सरकार ने यह किया है। मैं बहुत ही नम्रता और अदब के साथ उनका बड़ा ऐहतराम करता हूं। मैं माफी के साथ कहता हूं कि यह बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है।

हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अंदर इंटरफियर नहीं करती तो यह नहीं होता। यह न आगे की गवर्नमैंट ने किया और न पीछे की गवर्नमैंट ने किया, सौ प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से यह काम हुआ। शिव सेना के एक भाई ने कहा कि 40 लाख लोग एन.आर.सी. से …(व्यवधान) एक मिनट आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें, वह बैठे हुए हैं। उसमें अभी 40 लाख लोग नहीं हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास रिपोर्ट है। आखिरी जो हुआ है, उसमें 10 से 12 लाख लोग अभी रह गए हैं, बाकी सबके नाम उसके अंदर आ चुके हैं। यह जो एक हवा थी कि असम में 70 लाख मुसलमान बंगलादेशी हैं, 80 लाख मुसलमान बंगलादेशी हैं, कोई एक करोड़ मुसलमान कहता था। यह बहुत बड़ा मामला एन.आर.सी. की वजह से है। हम सुप्रीम कोर्ट के एहसानमंद हैं कि उन्होंने इसे क्लियर कर दिया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब कल किसी को धर्म के नाम पर बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यह क्लियर हो गया कि कितने लोग कहां के लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस मामले को वापस लिया जाए।

सर, हमारे यहां लोगों की बेरोजगारी का मसला है, आज 30-35 लाख नौजवान बेकार घूम रहे हैं। आप और भी लायेंगे। पूरी दुनिया से लाइये, फौज बढ़ाइये, लेकिन जो पहले से हैं, उनकी

रोजी-रोटी का क्या होगा। बच्चे एजिटेशन करने के लिए तैयार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास काम नहीं है। आप उनको भी रोजी-रोटी दीजिए।

अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और हमारे आईन के खिलाफ है। इसी वजह से हम लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। बिल का पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, दोस्ती कर लेना बहुत आसान बात है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल है। संजीदगी के साथ दोस्ती को दूर तक निभाने वाली वह पॉलिसी बने। राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं चाहूंगा कि वह इस मामले में ध्यान दें। अपनी ताकत के बलबूते पर इसे पास न करायें, बल्कि हकीकत में कल यह वहां के लोगों के लिए लाभदायक हो, वहां के लोग इसकी तारीफ करें, एप्रिशिएट करें, आपके अहसानमंद हों, यही हम चाहते हैं। इसी के साथ हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। धन्यवाद।

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے اس اہم بِل پر بولنے کا موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب ہماری پارٹی اے۔آئی ۔یو۔ڈی۔ایف۔ اس بل کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرکار اس کو جلد سے جلد واپس لے۔ آج آسام میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو ٹیلی ویزن پر پورے ہندوستان کے لوگ دیکھیں کہ وہاں آسام کے لوگ اس چیز کو کو نذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آسام کے لوگ ان چیزوں کو جو ہو رہا ہے اس کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ ہم آل انڈیا کے لوگ باہر سے دیکھ کر بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 2019 کے الیکشن کے لئے لایا گیا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا منتری مہودئے سے کہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں خاص کر وہاں آسام کے بھائیوں کوجو ان کے دل میں چوٹ پہنچ رہی ہے اس چوٹ کو محسوس کریں، اس آواز، اس درد کو محسوس کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بِل اس طرح سے پاس ہو۔ ہماری پارٹی اس لئے اس بِل کی مخالفت کر رہی ہے، پہلی بات یہ آئین کے خلاف ہے، ہمارا آئین، مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے یہ ہمارا آئین نہیں مانتا ہے۔ اس پر وزیرِ داخلہ ضرور اس بات پر دھیان دیں گے، یہ اور بات ہےکہ آپ اکثریت میں ہیں آپ ووٹنگ کرائیں گے تو آپ جیت جائیں گے لیکن یہاں صرف پارلیمنٹ میں جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان لاکھوں آسامی بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کے کیوں خلاف ہے، کیوں وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا آسام میں ہو رہا ہے اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بنگالی بھائی بھی ہمارے ہیں اور آسامی بھائی بھی ہمارے ہیں۔ آپ اگر ووٹ کے لئے کر رہے ہیں تو پرسنٹیج

دیکھنے کی ضرورت ہے کتنے لوگوں کو آپ خوش کریں گے اور کتنے لوگوں کو آپ ناراض کریں گے۔ آپ کو جیتنے کے لئے اکثریت کی ضرورت ہے۔

دوسری بات آسام ایکورڈ ۔ آسام ایکورڈ بڑی مشکل سے بنا ہے اور بہت محنت کے بعد بنا ۔ اس آسام ایکورڈ کو بننے کے لئے ایجیٹیشن میں ہمارے 885 بچوں نے اپنی جان گوائی، شہید ہوئے۔ پورے آسام کے گاؤں گاؤں میں ان کے شہیدی استمبھ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں انہوں نے وہ قربانی دی، انہوں نے یہ صرف آسام کی تہذیب، تمدن، آسام کی زبان بچانے کے لئے یہ قربانی دی۔ لیکن آج جب یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ اس میں ترمیم کرکے آپ دوسرے ملکوں سے لوگ لائیں گے۔ پہلے جو آسام میں پہلے سے رہ رہے ہیں کیا ہم لوگ ان کو کھانا پہنچا سکے ہیں، کیا ہم نے سب کو گھر دے دیا، آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ (مداخلت) ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجیئے، بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بات کر رہا ہوں۔۔ (مداخلت)۔

دوسری بات بنگلا دیش، بنگلا دیش، بنگلا دیش سے مسلمان آ گئے، ہم اس لئے بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں کہ این-آر-سی۔ کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہماری سرکار نے یہ کیا۔ میں بہت ہی ادب و احترم کے ساتھ ، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بی-جے-پی۔ کی سرکار نے نہیں کیا، یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ سپریم کورٹ اگر اس میں مداخلت نہیں کرتی، یہ نہ آگے کی سرکار نے کیا نہ پچھلی سرکار نے کیا ہے 100% سپریم کورٹ

کی مداخلت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ۔ ابھی ہمارے شِو سینا کے بھائی نے کہا 40 لاکھ لوگ این۔ آر۔سی۔ سے (مداخلت) ایک منٹ آپ میری بات سننے کی کوشش کریں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ابھی40 لاکھ لوگ نہیں ہیں ، ہوم منسٹر صاحب کے پاس رپورٹ ہے۔ آخری میں جو ہوا ہے اس میں 10سے 12 لاکھ لوگ ابھی رہ گئے ہیں باقی سب کے نام اس کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ جو ایک ہوا تھی کی آسام میں 70 لاکھ مسلمان بنگلا دیشی ہیں، 80 لاکھ مسلمان بنگلا دیشی ہیں کوئی ایک کروڑ مسلمان کہتا تھا۔ یہ بہت بڑا معاملہ این۔ آر۔سی کی وجہ سے ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اسے کلیر کر دیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب کل کسی کو مذ ہب کی بنیاد پر برا کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیر ہو گیا ہے کہ کتنےلوگ کہاں کے لوگ ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے کو واپس لیا جائے۔

جناب، ہمارے یہاں لوگوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے ، آج 30-35 لاکھ نوجوان لوگ بےکار گھوم رہے ہیں۔ آپ اور بھی لائیں گے، لائیے پوری دنیا سے لائیے، فوج بڑھائیے، لیکن جو پہلے سے ہیں ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ بچے ایجیٹیشن کرنے کے لئےتیار ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ، ان کے پاس کام نہیں ہے۔ آپ ان کو بھی روزی روٹی دیجئے۔

آخری میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آسام ایکورڈ کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اس بِل کی مخلالفت کر رہے

ہیں۔ بِل کا پاس ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، دوستی کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دوستی کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ دوستی کو دور تک نبھانے والی یہ پالیسی بنے۔ راجناتھ سنگھ جی بہت سینیر نیتا ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اس معاملے میں دھیان دیں۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے پاس نہ کرائیں، بلکہ حقیقت میں کل یہ وہاں کے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو، وہاں کے لوگ اس کی تعریف کریں اپیریشیٹ کریں، آپ کے احسان مند ہوں، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس بِل کی مخالفت کرتے ہیں۔۔ شکریہ ----

(ختم شد)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my Party, I also oppose this Bill.

Sir, all the Indian citizens who are secular have to oppose this Bill, irrespective of their Party affiliations. Sir, the hon. Home Minister has said that there is religious discrimination in some of our neighbouring countries and at the same time, the hon. Home Minister himself is piloting a Bill to legalise discrimination here in our great nation.

The Constitution gives assurance of equal opportunity and status to all citizens, irrespective of their caste, religion, creed, etc. Sir, this is the first amendment to the same Constitution which guarantees protection of citizens of this country. The same Constitution is being amended to discriminate them. In that way, it is a black day in the history of this secular nation. There is no doubt about it. When you have mentioned about so many religious communities of our country, you have certain religious groups in your mind. Whatever weapon it might be, you want to use it towards the end of your five-year period. That is what is in your mind.

You would not miss any opportunity that you get to divide the people and thereby, gaining from it. That is what is happening. Even you are bringing this Reservation Bill. Where were you during these five years? You could have given an opportunity to discuss such an important Bill. Bringing the Bill on the same day without any notice and without giving any opportunity, you are making use of that. That is how it is going. This is illegal. It undermines the process of the NRC of 1951. The Assam Accord had set March 24 as the cut-

off date. The Bill does not stand a legal scrutiny. That is what I feel. The fundamental reality is the violation of Article 14, which states that there cannot be discrimination between two religious groups.

According to Section 5 of the Citizenship Act, 1955, people of undivided India are prohibited from acquiring citizenship in India. This is also a violation of the Accord which India had with the Assam Students' Union at that time. It is well settled. There are no violations and there is no problem there. But you are raising up all the issues. I think you have to withdraw this Bill.

It is only another political gimmick which the BJP wants to play with the nation. When they found that all *jumlas* have failed, they have come out with another *jumla*. That is what is happening. After some discussion, you are trying another one. I do not think such *jumlas* will rescue you from a defeat that you are going to face during the coming General Elections. You should have thought about that from the very beginning. Now towards the tail-end of your period, you are trying such things. So please withdraw this discriminatory Bill. That is what I would request on behalf of my Party.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं यहां इस बिल पर, जो असम के लिए एक रक्षा कवच है, हिस्टोरिक बिल है, उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बिल ने असम को इंडिजिनस लोगों को पूरा रक्षण देने का काम किया है, हर शब्द में उसकी भाषा लिखी है और माननीय राजनाथ जी ने उनके इंट्रोडक्ट्री भाषण में यह स्पष्ट कर के घोषणा की है। It is not only a simple Citizenship Bill but it is a life saver. This Bill is like *sanjeevini*. In true sense of the term, this Bill will save not only Assam but also give much needed safeguard – a sort of *Raksha Kavach* – to the entire ethnic people of Assam who have been deprived so far.

I support the Bill wholeheartedly because this Bill also gives a lot of importance to Clause 6 of the Assam Accord. Accordingly, this Bill will give full power to the Assamese people to exercise their rights. What all the successive Congress and other Governments have done under this Accord? They have simply brought Pakistani people in the name of grow more food. They have spread in Assam just like weeds everywhere which has made the whole atmosphere poisonous.

असम एकॉर्ड सन् 1985 में साइन किया गया था, जो लोग बंग्लादेश से आए हैं, उन लोगों को निकाल बाहर करने का प्रावधान असम एकॉर्ड के सुक्त में था। From 1951 till 1971, Assam carried the burden of nearly 40 lakh people who came from outside India. Even after the Assam Accord which was signed in 1985, lots of infiltrators entered the State. Neither these people could be detected properly nor could we delete their names and or we can deport these illegal migrants. This is the situation in Assam.

महताब जी ने सही कहा था कि असम के हालात इतने पैथेटिक हैं कि असमी लोगों को असम में रक्षणा-विक्षण देने के लिए आइन लाना पड़ा। Actually, the indigenous people of Assam are in a very pathetic condition. They have lost their land rights. Very little people have control over their lands. They cannot even get proper services. There are 126 seats in Assam Assembly but the indigenous people of Assam cannot fight elections on all these 126 seats.

अज़मल जी बैठे हैं, उन्होंने अभी भाषण किया था, उनसे पूछ लीजिए कि कितनी सीटों पर वे जीत कर आए हैं। असमी लोगों की अभी क्या हालत है। अभी राजनाथ सिंह ने जो आश्वासन दिया, असमी लोग बहुत इमोशनल हैं। यह मान लिया, इसीलिए जो असम मूवमेंट सन् 1979 से 1985 में हुआ, वहां पर हजारों लोगों का बलिदान दिया था।

Even we cannot deport these people. They are residing here as they like. If you look at the statistics of Assam after 1970, you will find that in the district of Barpeta, the Muslim population is 60 per cent but before 1970, the Muslim population in Barpeta was 30 per cent. In Dhubri district of Assam, post-1970, the Muslim population is 70 per cent and it is mostly because of infiltration. In Nawgaon district, the Muslim population is more than 50 per cent. In Hylakandi district, pre-1970, Hindu population was more than 70 per cent but now the Muslim population is 70 per cent. This is the position in almost every district of Assam, be it Darang district or Maligaon district or anywhere.

All the PGR land, the VGR land, the river end area, forest area and even the land occupied by local people are now under the grip and clutches of the Bangladeshi people. It is because they have a lot of money. I do not know wherefrom they are getting so much money and they can buy anything from

anywhere. The Assamese people just like the Odiya people are not very active people. They simply sell the land and they live on that money. This is the situation in the State of Assam. This Bill is a necessity to save the State.

It is reported that the Bangladeshis have carved out a map out of Assam and have called it the `Arab of the East'. It has appeared in different newspapers. Under the present circumstances, we have to now find out in the map where lies the State of Assam. After 10 years, I think, it would be difficult to find the indigenous Assamese people if it continues like this.

Sir, the population of the illegal migrants grows geometrically. A family of a migrant has six to seven persons. The woman of a migrant family gives birth to minimum six to seven children and maximum the number can vary from ten to twelve. The woman of the family goes on giving birth to children till the time she no longer is able to give birth to children. Although it is not nice on my part to say this but I am saying it. Steep rise in population of the migrant families is the root cause for dwindling Hindu population in the State of Assam …(*Interruptions*)

Under the present circumstances, this Bill comes as a saviour to the people of the North-Eastern region, especially for the State of Assam. As an Assamese and as one who participated in the 1980 to 1985 Assam movement, I whole-heartedly believe that this Bill will provide safeguard to the Assamese people and also help the already dwindling population of the Assamese people.

In the 1985 Assam movement, thousands of people were killed and many were rendered homeless. Many people lost their jobs. I too joined the Assam movement and was jailed for two years and also was thrown in the jungle to die. But only the late Vajpayee ji saved me during that time. Even after the Assam Accord was signed there is no decline in infiltration. The provisions of this Bill seek to provide protection to clause 6 of the Assam Accord which is meant to safeguard land, properties, job and also give political reservation to the indigenous people of Assam. This is very much necessary. If these safeguards are brought in then only the Assamese people can survive for some more years. Our brave-heart hon. Prime Minister only has come up with this resolution of giving the deserved rights of the North-Eastern people, especially to Assamese people so that illegal migrants do not take over control of the State as is being done at the moment. I am also grateful to the hon. Home Minister for taking a bold step to provide a much-needed safeguard to the indigenous people of Assam. It is a welcome step.

The Committee was constituted to define the terms and conditions. It was a great move. All the Members of the Committee are highly oriented to the prevailing situation in the State and also to the cultural and economic situation of Assam. They surely will do right justice to the people of Assam and accord a rightful meaning to this present Bill which is presented in the House.

The Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal resolved to take a firm and a rock-like stand to give all kinds of protection to the indigenous people. When the Assam Accord was signed, during that time what Congress

did was that they simply introduced this IMDT Bill, a draconian Bill, and because of that IMDT Bill, no foreigner could have been driven out from the State of Assam. We feel that NRC may save it but let us wait and see. It is Shri Sarbananda Sonowal, our present Chief Minister, who fought the case in the Supreme Court with the support of our then hon. Home Minister.

I am sure, if *Jati, Mati, Bheti* – which means that if the population of Assam is to be given the right to land, right to property, right to job, right to other services and full political safeguard -- then this Bill is a must for the Assamese people and we must understand it. Only strict implementation of clause 6 of the Assam Accord can give full rights to the indigenous people. Otherwise, it would be very difficult for the indigenous people to survive.

So, Sir, with all these words, I feel that the successive Governments, post Assam Accord, could not save the Assamese people. They simply threw the indigenous people of Assam to the brink of disaster. I think, the Assam Accord was signed around 34 years ago. कांग्रेस ने कुछ भी कदम नहीं उठाया। 34 साल में कांग्रेस ने कुछ भी कदम नहीं उठाया और कुछ भी नहीं किया। They are simply busy in vote bank politics. जितने लोग बांग्लादेश से आएंगे, उन लोगों को वोटिंग राइट दे दीजिए और वे कांग्रेस को वोट कर देंगे, बस इसी मतलब से वे काम करते हैं। देश से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ वोट से है। अभी मोदी गवर्नमेंट आयी है और कांग्रेस निकल गई है। आज मोदी गवर्नमेंट है, इसलिए तो एनआरसी हुआ है। आज अहलुवालिया साहब ने काफी तारीफ की है, क्योंकि उनके काफी लोग एनआरसी में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने तारीफ की है। अभी हालत काफी खराब है। कांग्रेस ने यह एनआरसी बंद किया था। हम लोगों ने कहा था कि अगर एनआरसी होगा तो कम्युनल राइट नहीं होगा। मोदी जी ने इसे किया। सर्वानंद सोनोवाल जी के

समय में यह काम शुरू हुआ और पूरा भी हुआ। फिर भी कुछ काम बाकी रह गया है, यह मुझे कहना है।

मैं पुन: माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं उनसे कुछ आश्वासन असम के लोगों की तरफ से माँगती हूँ। जो लोग इस बिल के कारण आएंगे, जो लोग बाहर से दोबारा आएंगे, उन लोगों को असम की धरती पर दोबारा नया जीवन नहीं देना है। असम की धरती पर उन लोगों को कभी बैठने मत देना। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उनके साथ उनका बंटवारा कर लीजिए। अभी असम में जो 40 लाख बाहर के लोग हैं, जिनका नाम अभी भी एनआरसी में घुसा है, अगर उन लोगों को फुल सिटिजनशिप पॉवर दे दी गई, उन लोगों को भी भारत के पड़ोस में लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट उन लोगों को लेगी नहीं, अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कोई अच्छा समझौता हो जाए तब तो ऐसा हो सकता है। असम के लिए आप लोग जितना करेंगे, उतना कम है। मैं आपकी तारीफ करती हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। I offer my heartfelt thanks to the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for their efforts to bring forward this Bill.

Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया है, मैं उस पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संविधान से देश चलता है और इससे रेलगाड़ी भी पटरी पर चलती है। यह बिल संविधान के खिलाफ लाया गया है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

धर्म के आधार पर राजनीति का महल खड़ा नहीं किया जाता है। आप धर्म के नाम पर राजनीति का महल खड़ा कर रहे हैं जो धीरे-धीरे बालू के भीत की तरह भरभराकर गिरता जा रहा है और अब वह समय आ गया है कि आप और भी गिरकर किनारे हो जाएंगे।

पूर्वोत्तर के राज्यों में यह गलत संदेश जा रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जब जन्तर-मन्तर पर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लोग धरने पर बैठे थे तो आदरणीय लालू जी की पार्टी 'राष्ट्रीय जनता दल' से मैं भी दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर धरने पर जाकर बैठा था। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं और धर्म के नाम पर नागरिकता को देना बड़ा ही खतरनाक है। यह कहावत है –

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय।

इस देश की राजनीति में, समाज में विसंगति पैदा मत कीजिए। हमारी संस्कृति गंगा-जमुनी संस्कृति है। हम उसी संस्कार और संस्कृति से आच्छादित हैं। सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश को आज़ाद करने में और हमारे चमन, बगिया और फुलवारी को सहेजने में रही है। माननीय गृह मंत्री जी, पहले आप घुसपैठिए कहते थे और अब आप एक को नागरिकता दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि मत रहो, भाग जाओ। यह संस्कृति बड़ी ही खतरनाक है। इससे हिंसा का वातावरण तैयार हो रहा है। पूर्वोत्तर में 'अच्छे दिन' नहीं आ रहे हैं। यह जो बिल पास होगा, इससे

और भी बुरे दिन आने वाले हैं, और भी खतरनाक दिन आने वाले हैं। इसलिए कभी आप श्मशान के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर देश में बावेला खड़ा करने काम लगातार करते रहे हैं। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती है, इस पर आपकी नजर नहीं उठती है, लेकिन असम की नागरिकता पर आपकी नजर उठती है और धार्मिकता के अंधकार में आप जनता को ठेलने का काम करते हैं।

एलेक्जेंडर भी आए थे, मुगल भी आए थे। अब इसका पता लगाइए कि उनके साथ कौन-कौन लोग यहां आए थे और जो यहां रह गए हैं, उन्हें भी निकाल कर हम दम लेंगे, इसलिए हम सत्ता में यहां हैं - यह गजब की आपकी राजनीति है। इसलिए हम जे.पी.सी. की मांग करते हैं। मैं इस बिल के खिलाफ हूं और कहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी इसे वापस लें। देश के ताने-बाने में ‘हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई, आपस में हैं भाई-भाई’ - इस मेल-मोहब्बत की राजनीति में खलल पैदा मत होने दीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं 'सिटीजेनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019' की मुखालफत में खड़ा हुआ हूं। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह साहब की मौज़ूदगी में, उनकी ज़ेर-ए-क़यादत में इस तरह की वाहियात किस्म का एक बिल तैयार होता है, जो हिन्दुस्तान की ज़म्हूरी उसूल के खिलाफ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे अपनी आइडियोलॉजी को साथ रखते हुए भी कम से कम संविधान का पासो-लिहाज़ रखते। ऐसा लग रहा है कि यह जो बिल पेश किया गया है इस ऐवान में, यह उन लोगों ने बनाया है, जो आज भी 'टू-नेशन' थ्योरी के क़ायल हैं। यह बिल, जिन्होंने बनाया है, ऐसा लग रहा है कि वे गोल्डा मायर और बेंजामिन नेतन्याहू के सही जानशीन हैं कि जिस तरह इज्रायल में अगर किसी को सिटीजेनशिप मिलती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर दी जाती है कि वह ज़ायनिस्ट है या यहूदी है। हिन्दुस्तान और इज्रायल में ज़मीन-आसमान का फर्क़ है। हिन्दुस्तान का इज्रायल से तकाबुल करना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। मगर, आज इस मोदी सरकार ने हिन्दुस्तान को एक एपार्थायड और डिस्क्रिमिनेट्री हुकूमत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर-ए-दाख़िला से यह पूछना चाहता हूं कि सर, क्या आपने हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 को नहीं पढ़ा? क्या हिन्दुस्तान के कांस्टीट्युशन का आर्टिकल 14 और 21 नॉन सिटीजेंस पर एप्लाई नहीं होता? क्या राजनाथ सिंह साहब आर्टिकल 14 और 21 के बीच का एक बेसिक डिफरेंस नहीं जानते? क्या राजनाथ सिंह साहब यह नहीं जानते कि यह कानून 'रीजनेबल क्लासिफिकेशन' के टेस्ट पर फेल होता है? आप जानते हैं उस बात को, मगर आपकी आइडियोलॉजी और जिसको हम कहते हैं 'डॉग विजिल पॉलिटिक्स', आप उस 'डॉग विजिल पॉलिटिक्स' को अपना रहे हैं। यह मुल्क़ के मफ़ाद में नहीं है। यक़ीनन आप अपने सियासी और छोटे मकसद के लिए इसे ला रहे हैं, मगर यह मुल्क़ के मफ़ाद में नहीं है।

सर, आप मुझे बताइए कि कैसे आप हमारी पॉलिसी में डिफरेंशिएट करेंगे? यक़ीनन, रिफ्यूजी आएगा तो उसे एसाइलम देंगे, मगर इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि जिसे एसाइलम दे रहे हैं, उसे आप सिटीजेनशिप दे देंगे। आप सिटीजेनशिप कैसे दे रहे हैं - मज़हब की बुनियाद पर।

जो हिन्दू होगा, जो सिख होगा, जो पारसी होगा, जो ईसाई होगा, क्या आप उस बुनियाद पर देंगे? आप हिन्दुस्तान को इजरायल के बराबर कर रहे हैं। इससे बड़ी तौहीन इस मुल्क की नहीं हो सकती, जो हम देख रहे हैं।…(व्यवधान) सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

सर, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि क्लॉज-6, 5.3 का है, क्या 5.3 का वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं? आपकी सरकार द्वारा सौ फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाए गए, क्या उन पर प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि यह अफ़सोस का मुकाम है कि सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी इसकी साफ अकासी हो रही है और यह सरकार सिर्फ डॉग विजिल पॉलिटिक्स को अपना रही है। आप इजराइल की तरह इस मुल्क को नहीं चला सकते हैं। यह केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है और यह सरकार गलती कर रही है। इसकी सजा इनको जम्हूरी अंदाज में मिलेगी।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): سر، میں سٹیزن شپ (امینڈ مینٹ) بِل، 2019

کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں تعجب کررہا ہوں کہ راجناتھ سنگھ صاحب کی موجودگی میں، ان کی زیرِ قیادت میں اس طرح کا واحیات قسم کا ایک بِل تیار ہوتا ہے جو ہندوستان کے جمہوری اصول کے خلاف ہے۔ میں امید کر رہا تھا کہ وہ اپنی آئیڈیولوجی کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی کم سے کم آئین کا پاس و لحاض رکھتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کہ یہ جو بِل پیش کیا گیا ہے اس ایوان میں، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے، جو آج بھی ٹو نیشن تھیوری کے قائل ہیں۔ یہ بِل جنہوں نے بنایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گولڈا مائیر اور بینجامِن نِتن یاہوں کے سہی جانشین ہیں کہ جس طرح اسرائیل میں اگر کسی کو سٹیزن شپ ملتی ہےتو صرف اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ وہ زائنسٹ ہے یا یہودی ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل میں زمین آسمان کا فرق ہے ۔ ہندوستان کا اسرائیل سے تقابل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مگر آج اس مودی سرکار نے ہندوستان کو ایک اپپارتھایڈ اور ڈسکریمِنیٹری حکومت کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ داخلہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کیا آپ نے ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 کو نہیں پڑھا؟ کیا ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 نان سِٹیزنز پر اپلائی نہیں ہوتا؟ کیا راجناتھ سنگھ صاحب آرٹیکل 14 اور 21 کے بیچ کا ایک بیسِک ڈیفرینس نہیں جانتے ؟ کیا راجناتھ سنگھ صاحب یہ نہیں جانتے کہ یہ قانون ریجنیبل کلاسِفیکیشن کے ٹیسٹ پر فیل ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو ، مگر آپ کی آئیڈیا لوجی اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈوگ وِیزل پولِٹکس، آپ اس ڈوگ وِیزل پولِٹکس کو اپنا رہے ہیں۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔

یقینا آپ اپنے سیاسی اور چھوٹے مقصد کے لئے اسے لا رہے ہیں، مگر یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔

سر، آپ مجھے بتائیےکہ کیسے آپ ہمارے پالیسی میں ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یقینا ریفیوجی آئے گا تو اسے ایسائلم دیں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے ایسائلم دے رہے ہیں اسے آپ سٹیزن شپ دے دیں گے۔ آپ سٹیزن شپ کیسے دے رہے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر، جو ہندو ہوگا، جو سکھ ہوگا، جو پارسی ہوگا، جو عیسائی ہوگا، کیا آپ اس بنیاد پر دیں گے؟ آپ ہندوستان کو اسرائیل کے برابر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی توہین اس ملک کی نہیں ہو سکتی ، جو ہم دیکھ رہے ہیں (مداخلت) سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔

سر، راجناتھ سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ کلاز6، 5.3 کیا ہے، کیا 5.3 کا وائلیشن نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کی سرکار کے ذریعہ سو فورن ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، کیا ان پر پریشرائزنہیں کر رہے ہے؟ اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ صرف مسلمانوں سے دشمنی اس کی صاف عکاسی ہو رہے ہے۔ اور یہ سرکار صرف ڈوگ وِیزل پولِٹکس کو اپنا رہے ہے۔ آپ اسرائیل کی طرح اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہ کیشو آنند بھارتی کے بیسِک اسٹرکچر کے خلاف ہے، سیکولرزم کے خلاف ہے اور یہ سرکار غلطی کر رہے ہے۔ اس کی سزا ان کو جمہوری انداز میں ملے گی۔

(ختم شد)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मेरा आग्रह है कि जो भी सरकार बनती है, वह संविधान की बुनियाद पर बनती है। वह कंपलीट रूप से भारत की संस्कृति, भौगोलिक, सामाजिक और मानवतावादी सोच के साथ बनती है। यह सही है कि आप जो बिल लाए हैं, यदि उसमें धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा तो वह देश, भारतीय संस्कृति, नैतिकता तथा मूल्यों के हित में नहीं होगा। कोई भी कानून राजनीति या सियासत के लिए नहीं आना चाहिए। सत्ता, वोट और सियासत के आधार पर यदि कोई कानून बनता है तो यह स्वाभाविक है कि वह देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। यदि हम नफरत और इंसानियत के बीच सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतंत्र का जो मूल स्तंभ है, वह 'सर्व धर्म समभाव', 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'रक्षार्थम जगतहिताय च' का है, वह खतरे में होगा।

मैं आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा, खासतौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के उस सवाल को कि who is the person in India, जिस संविधान को मैं ला रहा हूं, उसको कौन बेहतर तरीके से चलाएगा। आज इस देश के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि हम इस देश के 142 करोड़ लोगों को जाति, धर्म तथा मज़हब के आधार पर करके इस देश को बनाने की कल्पना करते हैं तो वह बहुत ही खतरनाक संकेत होगा। इससे देश में नफरत की भावना फैलेगी।

मेरा अंतिम आग्रह यह है कि क्या हिन्दुस्तान के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? आज आप जिस तरीके से असम का सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी एक अमेंडमेंट लाकर प्रयास किया था, जिसमें बवाल हुआ था। एनआरसी आने के बाद आपको इस बात को खत्म करना चाहिए था। आपके लिए एनआरसी ही काफी था। एनआरसी के बाद आप उस इलाके के रोजगार पर बहस नहीं करते हैं। आप स्टार्ट अप, स्टैंड अप तथा कौशल विकास पर बहस नहीं करते हैं। जब सरकार का दो महीने बचे हैं, तो आप वोट और सियासत के लिए इस बिल को लाते हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Smt. Meenakshi Lekhi, you have two minutes time.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Mr. Deputy Speaker Sir, I need a little more time than that, the reason being that so much has been debated on a subject which in any sovereign country would have been a routine affair. I am saying it a routine affair because we are discussing the citizenship of a country. It is not open border. Unfortunately, for India, since 1947, we have focussed a lot on the Western front, but we have not spoken one bit about the Eastern front. हमारे देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटती रही हैं, वर्ष 1947 से आज तक वो देखने लायक हैं। उसके बाद जो भी बातें हुईं, मैं बहुत लोगों की बातें सुन रही थी, उससे पता चला और सब ने कहा कि सेलुलर जेल के ऊपर हिन्दू, मुसलमान, गुजराती, पंजाबी, बंगाली सब लोगों का नाम है, लेकिन ये भूल गए कि वर्ष 1947 की आजादी के बाद इस देश में दो देश और बनें। वहां पर हिन्दुओं की क्या स्थिति है, उसका आंकलन करना आज आवश्यक है। उसी आंकलन में यह पता चलता है कि हिन्दू समाज जो पहले पंद्रह प्रतिशत थे, वे घट कर एक देश के अंदर 0.72 प्रतिशत रह गये और दूसरे देश के अंदर सात प्रतिशत रह गये हैं। इस कानून को लाने का यही कारण है।

एक और आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। जिस तरह की वाहियात हरकतें उस दौरान हुई हैं, उनका जिक्र करना चाहती हूं। जो वाहियात हरकतें हुई हैं, उन वाहियात हरकतों में ढाई लाख से ज्यादा हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुआ। उन वाहियात हरकतों में वर्ष 1971 के अंदर 30 लाख लोगों को मारा गया, जिनमें से 20 लाख हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे, जिनको अनइस्लामिक डिक्लेयर किया गया था। उन्हीं वाहियात हरकतों के नतीजे के कारण असम में मुसलमानों की पापुलेशन जो वर्ष 1901 में 12.4 प्रतिशत थी, 24.68 प्रतिशत थी वर्ष 1951 में, 24.56 प्रतिशत थी वर्ष 1971 में, 30.9 प्रतिशत थी वर्ष 2001 थी और 34.22 प्रतिशत वर्ष 2011 में थी। That is a huge increase, and this is how demographic dividends are

being sought. It is nothing but *wahiyat* vote bank politics and *tushteekaran* politics, which is going on in the country. इस देश के अंदर वाहियात हरकतें होती रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है और आज भी इस बिल को लेकर उसी वाहियात हरकत को दोहराया जा रहा है। अगर इकोनॉमिक पालिसीज की बात की जाए, …(व्यवधान) बदरुद्दीन अजमल साहब ने खुद कहा कि असम के अंदर देने के लिए क्या है और यही बात मैं भी कहती हूं कि बांग्लादेश और असम के बार्डर के बीच में देने के लिए आर्थिक विकास का कोई अंतर नहीं है। …(व्यवधान) बावजूद उसके जो लोग आर्थिक इम्मीग्रेंट्स की बात करते हैं, वे गैरकानूनी बात करते हैं। यह जो कानून लाया गया है, यह आर्थिक नीतियों के कारण जो माइग्रेशन होता है उसमें, गैरकानूनी ढंग से घुसपैठ होती है उसमें और जो रिफ्यूजी स्टैटस है कि कुछ कारणों से लोगों को आना पड़ता है, उन तीनों के बीच अंतर बताने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। यह कानून इसलिए भी लाया जा रहा है कि इतने लंबे समय के बाद, किसी भी देश के अंदर, बहुत सारे हिंदुस्तानी सिंगापुर, कनाडा आदि का जिक्र हुआ, लेकिन वे तैर कर वहां नहीं गए थे, न ही वे वहां पर वार वायर को तोड़ कर गए थे, न उसको जम्प करके गए थे। लीगल माइग्रेशन, इल्लीगल माइग्रेशन, आर्थिक नीतियों के कारण माइग्रेशन, सब में अंतर है। गैरकानूनी ढंग से एक ग्रेटर बांग्लादेश, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, तो पता चलेगा कि किस तरीके से यह घुसपैठ जारी है and this is actually harmful to the secular fabric of this country because the attempt is to constantly get focus away from western border, and ISI and such activities are involved in getting this migration done. यही कारण है, जिसकी वजह से पूर्वी बार्डर के ऊपर, असम से लेकर बांग्लादेश तक ये हरकतें जारी हैं, जिसकी वजह से वहां पर डेमाग्राफी बदल रही है। अगर वे आर्थिक नीतियों के कारण इस देश में आए हैं, तो

क्या उनका सिटीजनशिप का अधिकार हटा लिया जाए और परमानेंट रेजीडेंशियल स्टैटस दे दिया जाए? खास तौर पर एक मुख्य मंत्री इस देश की एक रियासत का, कहता है कि यहां पर दंगे हो जाएंगे। मुझे हैरानी है, आपका काम है दंगों को रोकना। आपकी अक्षमता होगी, अगर दंगे होते हैं, यह दंगों की धमकी किसी और को देना। यह दंगों की धमकी का समय नहीं है। धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, मैं नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए जो जेपीसी बनी थी, उसका मैं भी सदस्य था। अभी सौगत दा आम सहमति बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर कोई सोया हो, तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक करे तो उसे जगाया नहीं जा सकता।

<u>16 39 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

इसलिए जब नागरिकता संशोधन का बिल आ रहा है, पार्टिशन की बात हो रही है, टू-नेशन थ्योरी की बात हो रही है। यहां तो आज सदन का मंजर यह है कि लोग बोलते-बोलते चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगता है कि आज वे जोर लगाकर अपनी धर्मनिरपेक्षता का और आजादी में जो उनकी भूमिका है, उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अन्यथा देश यह जानना चाहता है कि कम्युनिस्टों की भूमिका आजादी के समय क्या थी? …(व्यवधान) वर्ष 1945 में नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जब अंडमान के अंदर प्रवेश किया था, तब तक उन्होंने अंडमान निकोबार पर ध्यान नहीं दिया।

सलीम साहब यहां स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहे थे। मैं बहुत ही विन्रम भाषा में कहना चाहता हूं कि क्या कोई राजनीतिक दल है जिसके अंदर हिम्मत हो कि वह सदन से बाहर निकले और ऐलान करे कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार होगा, प्रतिचार होगा, वह लात खाएंगे या निर्वासित किए जाएंगे तो वह चुप न बैठे रहेंगे। यदि कोई यह कहने की हिम्मत रखता है तो कहे, जब अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा होती है तो हिन्दुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब किसी खास सम्प्रदाय के लोग होते हैं, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को यहां नागरिकता देने की बात कही गई तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए कि उस देश में कौन माइनोरिटी है, जिसके ऊपर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है।

क्या पार्टिशन से पहले नेहरू-लियाकत पैक्ट के तहत यह समझौता नहीं हुआ था कि दोनों देश के एक-दूसरे के नागरिक जो धर्म के आधार पर जहां बस गए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको संरक्षण मिलेगा। नेहरू-लियाकत पैक्ट का पालन करना चाहिए या नहीं? इसके अतिरिक्त

भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो तब का पाकिस्तान था, वहां जो डेमोग्रेफिक चेंज हुआ है, सेन्सस की रिपोर्ट आई है, क्या उस सेन्सस की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो समुदाय कभी 29 परसेंट हुआ करता था और पाकिस्तान में 23 परसेंट आज बांग्लादेश में 8 परसेंट और पाकिस्तान में 1 परसेंट है जबकि भारत में उनकी आबादी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। क्या यह चर्चा का विषय नहीं है?

आज नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से पार्टिशन के समय जो गलतियां हुई थीं, जो भूलें हुई थीं, सरकार बनाने और चलाने की लालसा के चलते ट्रांसफर ऑफ पॉवर स्वीकार कर लिया था, वह स्वतंत्रता नहीं है। इतिहास कहता है कि आपने ट्रांसफर ऑफ पॉवर के रूप में उसे लिया और कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार करके आज भी उनकी गुलामी करने का काम देश के सामने छोड़ दिया है। उसी को ठीक करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने इसे आज सदन में रखा है। यह भारत का कमिटमेंट है कि देश का जो बंटवारा हुआ था, जो पार्टिशन हुआ था, जिस आधार पर पार्टिशन हुआ था, अगर उनको कहीं भी परेशानी होगी तो भारत शेल्टर के रूप में खड़ा है, भारत उनको आश्रय और प्रश्रय देगा। इस रूप में हमारी जिम्मेवारी बनती है, आज हम विश्व के सामने आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन रहे हैं। दुनिया का नंबर एक देश बनने की कतार में खड़े हैं। हर भारतवंशी चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको हम संरक्षण देंगे।

आज सचमुच में इतिहास को सुधारने का काम हो रहा है। बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिन्दू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध हैं, जिनको आज तक लगातार धार्मिक उत्पीड़न सहना पड़ा है, उसको नागरिकता प्रदान करने के माध्यम से भूल सुधार कर रहे हैं। मैं सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं और देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले सम्मानीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन नामों का भी यहां उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं - सौगत राय जी, राजेन्द्र अग्रवाल जी, अहलुवालिया जी, भर्तृहरि महताब जी, अरविंद सावंत जी, मोहम्मद सलीम साहब, मुलायम सिंह यादव जी, बदरुद्दीन अजमल जी, कुनहलिकुट्टी जी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, जय प्रकाश जी, असादुद्दीन ओवैसी जी, पप्पू यादव जी, सुनील सिंह जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

माननीय सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसका जवाब देने से पहले मैं असम के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले असम की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, इसको लेकर वहां तरह-तरह की आशंकाएं, तरह-तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वे पूरी तरह से निर्मूल और निराधार हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम के लोगों के कस्टम्स, ट्रेडीशन्स, लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिटिजनशिप के कारण एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सारा बर्डन असम के ऊपर आने वाला है। इस बर्डन को केवल असम वहन नहीं करेगा बल्कि इस बर्डन को पूरा देश वहन करेगा, मैं असम में रहने वाले लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं।

आज जब हिंदू, मुस्लिम के बारे में चर्चा होती है तो मैं सच में बतलाऊं कि हमारे जैसे व्यक्ति को इससे पीड़ा होती है। अच्छा होता कि वर्ष 1947 में भारत का मज़हब के आधार पर विभाजन न हुआ होता। सबसे बेहतर यही होता, अखंड भारत होता और दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में भारत होता। विडंबना ही रही है कि भारत का विभाजन हुआ, मज़हब के आधार पर हुआ है। चाहे पाकिस्तान के नेता रहे हों या चाहे हिंदुस्तान के नेता रहे हों, सबको इस बात की चिंता थी कि जो माइनोरिटी जिस भी देश में हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या रिलीजियस

परसिक्युशन नहीं होना चाहिए। इस चिंता को लेकर एक पैक्ट पंडित जवाहर लाल नेहरु और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुआ था। जब पाकिस्तान से बांग्ला देश अलग हुआ, उस समय शेख मुजीर्बुरहमान साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच समझौता हुआ था कि यहां जो भी माइनोरिटी हैं, उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सब समझौते होने के बावजूद वहां की मॉइनोरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जो समान अधिकार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छोड़कर भारत में आने को मजबूर हुए। अब सवाल यह है कि भारत का विभाजन मज़हब के आधार पर हो गया तो कहां जाएं? उनको किस धरती पर शरण मिलेगी? सौगत राय जी ने जो बात कही है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रिलीजियस परसिक्युशन के कारण भारत आने वाले मेजोरिटीज़ को भी सिटिजनशिप क्यों न दी जाए? मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है। मेजोरिटी परसिक्यूटिड के लिए दिसंबर 2011 की एक प्रोटोकॉल है, आप उसे उठाकर देखें, उन्हें लांग टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। पाकिस्तान के बहुत से लोगों को लांग टर्म वीज़ा ही नहीं दिया जाता है बल्कि भारत में पाकिस्तान के लोगों को सिटिजनशिप भी दी जाती है। यह कहना कि रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धर्म या मज़हब के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाला यह बिल है तो मैं समझता हूं कि यह बात पूरी तरह से निराधार है, असत्य है। पाकिस्तान के रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें सिटिजनशिप एक्ट के सैक्शन 6 के अंतर्गत सिटिजनशिप भी दी जा सकती है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मेजोरिटी समुदाय के लिए इंडियन सिटिजनशिप बैंड नहीं है, केवल इन्हें सिटिजनशिप एक्ट के तहत एलिजिबल होना पड़ेगा। हर साल बड़ी संख्या में मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को इंडियन सिटिजनशिप मिलती है। आज से नहीं मिल रही है, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से लगातार सिटिजनशिप मिल रही है।

मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, दंगे हुए, लाखों की संख्या में लोगों की जानें गईं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, इससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन सब चीजों को लेकर, चाहे पाकिस्तान का नेतृत्व रहा हो या भारत का नेतृत्व रहा हो, सभी लोग चिंतित थे। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 15 अगस्त,1947 को जो कुछ कहा था, मैं उसे यहां कोट करना चाहता हूं-

> "We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundary and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers of their good and ill fortune alike. There is no doubt, of course, that those displaced persons, who have come to settle in India, are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this rest, the law should be changed."

यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था। मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी ने, 1950 में संसद की बहस के दौरान जो कुछ कहा, मैं उसको भी यहां उल्लेख करना चाहता हूं-

> "We cannot deny our responsibility towards those people". that is Hindus of the East Pakistan की बात उन्होंने कही थी, We cannot deny our responsibility towards those people. They are citizens of India. They fought for the freedom of India but today, unfortunately, they have been left beyond the limits of India. We know that Pakistan has been following a systematic policy by which Hindus have been gradually pushed out. If Hindus of Eastern Pakistan are

pushed out, they will have to find shelter. We cannot close our eyes to that fact. Even if it is difficult for our economy to support it, we have to give shelter to those shelter-less people. It is moral obligation."

यह श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने 1950 में कहा था। वैसे ही कई संसद सदस्यों ने जो कुछ भी कहा था, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, पंजाब के एक सांसद थे, वे एक प्रखर सांसद माने जाते थे, भूपेन्द्र सिंह जी मान मैं उनको भी यहां कोर्ट करना चाहूंगा-

"Not only now but at any future date, if due to civil disturbances happening there or if they find that their stay is so uncomfortable and political conditions are such that no person with honour could stay on, they should be permitted to come over here."

ये पंजाब के एक सांसद थे, उन्होंने कहा था। ये सारी चिन्ताएं पहले भी लोगों की रही हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी किया गया है, असम और नार्थ-ईस्ट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया है। जो कमिटमेंट्स पहले से असम के लिए थे, वे सारे कमिटमेंट्स हम पूरा कर रहे हैं। क्लॉज-6 का जहां तक सवाल था, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टैप्स लिये हैं। वहां की 6 मेजर कम्यूनिटीज हैं, जिनको ट्राइबल स्टेट्स देने की बात थी, उस संबंध में भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है। मैं इन सारी बातों की चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त बोडो और कछारी के लिए एक लांगेस्ट स्टैंडिंग डिमांड थी कि इनको भी ट्राइबल स्टेट्स दिया जाना चाहिए। हम उनको भी ट्राइबल स्टेट्स दे रहे हैं। इस बिल में एक प्रश्न महताब साहब द्वारा खड़ा किया गया था कि इस बिल में बांग्लादेश को क्यों शामिल किया गया है? मैं मानता हूं कि इस समय जो बांग्लादेश की सरकार है, वह अपनी तरफ से माइनॉरिटिज को जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए,

वह दे रही है। लेकिन, कुछ ऐसी ताकतें हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकतें हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश की जो माइनॉरिटिज हैं, उनका रिलीजियस पर्सक्यूशन हो रहा है। इस कारण यह फैसला करना पड़ा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। भर्तृहरि महताब साहब ने एक और सवाल उठाया था कि बिल में असमीज़ शब्द क्यों यूज किया गया है, इसकी जगह क्यों नहीं इन्डिजेनस शब्द यूज किया गया?

श्री भर्तृहरि महताब : आपने जो पैनल गठित किया था, उसके बारे में मैंने कहा था।

श्री राजनाथ सिंह: जी, उसी में किया गया है। अध्यक्ष महोदया, क्लॉज-6 के लिए जो हाई लेवल कमेटी गठित की गयी है, उसमें असमीज शब्द यूज किया गया है न कि इन्डिजेनस पिपुल। इसका कारण यह है कि असम एकॉर्ड में असमीज पिपुल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गयी है न कि इन्डिजेनस पिपुल, इस कारण यहां पर प्रयोग किया गया है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। एक सवाल यहां पी.के.कुनहलिकुट्टी जी ने उठाया था। यह बिल आर्टिकल-14 और असम एकार्ड के वायलेशन में है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं पहले भी कर चुका हूं, पुन: मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि यह बिल असम स्पेसिफिक नहीं है। यह पूरे भारत के लिए तीन देशों की 6 माइग्रेंट्स को इंडियन सिटिजन बनाने के लिए एनेबल करता है।

वे इंडियन सिटिज़न बनने के बाद केवल असम ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं भी स्टे कर सकते हैं। बदरुद्दीन अज़मल साहब असम के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, यह बिल धर्म के आधार पर है। संविधान के खिलाफ कैसे है? यदि यह संविधान के खिलाफ होता तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस बिल को लेकर यहां नहीं आते। अध्यक्ष महोदया, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि रीजनेबल क्लासीफिकेशन के आधार पर कानून बनाए। आर्टिकल 14 ऐसी क्लासीफिकेशन को एलाऊ करता है। आर्टिकल 25 के तहत कोई भारतीय अपना धर्म प्रैक्टिस, प्रपोगेट और प्रोफेस कर सकता है। इस बिल में इस फण्डामेंटल राइट के बारे में कोई भी एडवर्स बात नहीं है। अत: यह बिल आर्टिकल्स 14 और 25 के विरोध में नहीं है और जो कुछ भी है, वह संविधान के अनुरूप है।

सलीम साहब ने यह पूछा है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पहले ही क्यों बन गया? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूछने के पीछे आपकी मंशा यह रही होगी कि पासपोर्ट रूल्स में जो अमेंडमेंट्स हुए थे और साथ ही फॉरेनर्स ऑर्डर, 1948 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे, उन्हीं को लेकर आपने यह प्रश्न पूछा होगा। ये रूल्स अमेंड किए गए थे। इससे इन छ: माइनॉरिटीज का भारत में प्रवेश व स्टे लीगेलाइज हुआ है। इस कारण उस समय संशोधन किया गया था। पहले वे इल्लीगल माइग्रेंट्स थे और उनको लीगलाइज करने के लिए ऐसा किया गया था, परन्तु उनकी सिटीज़नशिप के बारे में कोई रूल नहीं था। सिटीज़नशिप एक्ट में बदलाव नहीं किया गया था। इस एक्ट में बदलाव के लिए ही प्रजेंट बिल संसद के समक्ष लाया गया है। यहां पर कहा गया, एक-दो माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि आप हिन्दू को दे रहे हैं, बौद्ध को दे रहे हैं, सिक्ख को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, यह बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्रिश्चियन्स को क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदया, जो भी कभी भारत का मूल निवासी रहा है, भले ही वह क्रिश्चियन हो, यदि उसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान में रिलीजियन परसीक्यूशन होता है तो भारत उसको भी सिटीज़नशिप देगा, उसके प्रति कमिटेड है। इससे बड़ा दूसरा सेक्यूलर बिल और क्या हो सकता है और इस बिल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। …(व्यवधान) भारत में क्रिश्चियन्स भी हजारों वर्ष पहले से रह रहे हैं।…(व्यवधान) यहां जो लोग पहले रहे हैं, जो भारत का विभाजन होने से पहले रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। …(व्यवधान) इसलिए यह कहना कि रिलीजन की बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिसक्रिमिनेशन हुआ है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आरोप कदापि उचित नहीं कहा जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि इन देशों की माइनॉरिटीज के लोग भारत न आकर, वहीं अपने देशों में शान्ति और सम्मान के साथ रहें। यह हमारी मंशा है, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हो पाने के कारण ही हमें ऐसा सब कुछ करना पड़ा है और यह बिल यहां लेकर आना पड़ा है। अध्यक्ष महोदया, एक बार राज्य सभा में एक चर्चा हो रही थी, मैं उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा। 18

दिसम्बर, 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री और राज्य सभा में उस समय प्रतिपक्ष के नेता डॉ. मनमोहन सिंह जी की कही बात को मैं यहां कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा था :

"While I am on this subject, Madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities with countries like Bangladesh had faced persecution and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal.

I sincerely hope that the hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act."

यह बात डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कही थी। हम कहां उससे अलग हटकर कोई कदम उठा रहे हैं?

17 00 hrs

यह डॉ. मनमोहन सिंह जी ने उस समय ही कह दिया था। हम कहां उससे हट कर कोई कदम उठा रहे हैं। इस पर डिप्टी चेयरमैन राज्य सभा ने क्या कहा था, डिप्टी चेयरमैन राज्य सभा ने कहा था -

"Mr. Advani, the minorities in Pakistan are also suffering. They have to be taken care of too."

उन्होंने कहा था। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक अन्य तत्कालीन सदस्य थे, मैं यहां पर उनकी बात की भी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदया, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देता हूं।

अंत में, मैंने जो बात पहले कही थी, उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं और इसलिए दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उसको लेकर तरह-तरह की शंकाएं पैदा की जा रही हैं, हमारे असम और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय से माइग्रेशन के कारण जो बर्डेन है, वह असम की जवाबदेही नहीं रहेगी, इस बर्डेन को शेयर करना पूरे देश की जवाबदेही है और हम इसमें असम के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए असम की जितनी भी मदद करनी होगी, वह की जाएगी। अगर आज भी असम और नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले लोगों में कोई गलतफहमी है तो मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदया, हम उनसे खुले तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी बात को सुनेंगे। उनकी जो भी ग्रीवांसेज होंगी, हम उनका समाधान भी निकालेंगे। इसलिए हम ने न केवल एनआरसी की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक ले जाने का काम किया बल्कि असम एकॉर्ड के क्लॉज-6 को लागू करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी से हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो भी कदम उठाने होंगे, हम वह उठाएंगे ताकि असम की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आईडेंटिटी सुरक्षित रह सके और असम का बर्डेन पूरे देश की रिस्पाँसिबिलिटी हो।

अध्यक्ष महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पूरे सदन से अपील करना चाहूंगा कि वे कृपया इस महत्वपूर्ण बिल को अपना समर्थन दें ताकि यह बिल पास हो सके। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2

HON. SPEAKER: Hon. Members, as Shri Asaduddin Owaisi and Shri Adhir Ranjan Chowdhury are not present to move their amendments, I shall put clauses 2 to 4 together to the vote of the House.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJNATH SINGH: Madam Speaker, I beg to move:

"That the Bill be passed."

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

17 04 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY FOURTH AMENDMENT) BILL, 2019...Contd.

HON. SPEAKER: Now, we will take Supplementary List of Business: Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.

Now, the hon. Minister.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूं।

माननीय अध्यक्ष : हां, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस विषय पर बोलिए। आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, देश में लम्बे समय से सामान्य वर्ग के लोगों को, जो गरीब तबके के हैं, अन्य वर्ग के लोगों को जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उससे संबंधित सुविधाएं मिलें, इस प्रकार की मांग चलती आ रही है। लम्बे समय से इस प्रकार की मांग देश के कोने-कोने से देश के जनप्रतिनिधियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा और इस संसद में भी लोक सभा और राज्य सभा में एक बार नहीं अनेक बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न के माध्यम से यह मांग की और 21 बार प्राइवेट मैम्बर बिल प्रस्तुत किया और उस पर चर्चा करके मांग की कि देश में सामान्य वर्ग के लोग, जो गरीबी की स्थिति में हैं, उन्हें भी आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिलें।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

…(Interruptions)… *

HON. SPEAKER: The Bill has already been introduced.

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : इस संबंध में मंडल आयोग ने भी एक बार अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी और कहा था कि ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीब तबके का है, उन्हें भी शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार की दृष्टि से सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने इस संबंध में 1992 में एक प्रावधान भी किया था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : वह प्रावधान संविधान में संशोधन का प्रावधान नहीं होने के बाद भी किया था, इस वजह से माननीय उच्चम न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया था। उसके बाद सिन्हो कमीशन 2004 में बना। इस कमीशन ने 2010 तक लगातार काम किया और मई-जून 2010 में तत्कालीन सरकार को एक प्रतिवेदन दिया और उसमें बहुत सारी सुविधाएं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग, जो वर्तमान में आरक्षित प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का सुझाव दिया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय आप नहीं थे। अब मैं क्या कर सकती हूं?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the Minister’s statement will go on record. Nothing else will go on record.

…(Interruptions)… *

* Not recorded.

श्री थावर चंद गहलोत : उन सुझावों पर भी अमल नहीं हुआ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके शासनकाल में उस प्रतिवेदन पर बहुत सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया और आज हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, ईबीसी वर्ग के लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप भी देते हैं। अगर वे विदेश जाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं या यहां एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसका ब्याज मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। वे ऐसी श्रेणी के गरीब लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं लेकिन वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है, उसके दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को हमने यह सुविधा देने का प्रयास किया है, परन्तु हमने यह महसूस किया कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप शोर क्यों कर रहे हैं? जब आपका मौका आएगा, तब आप बिल पर बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल का इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप उस समय नहीं थे। आप बैठ जाएं। बीच में मत बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इतना सब करने के बाद भी हमें यह लगा कि यह नगण्य प्रयास है और इसलिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरस्ता की दृष्टि से मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। "सबका साथ-सबका विकास" जो कहा था, वह किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से यह संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान में जो आर्टिकल 15 है, उसमें अभी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) तक प्रावधान है। इनके तहत जो प्रावधान हैं, वे सामान्य वर्ग के

गरीब लोगों को सुविधाएँ देने का प्रावधान नहीं दर्शाते हैं। इसलिए आर्टिकल 15 में एक सब-क्लॉज़ (6) जोड़ा गया है। सब-क्लॉज़ छह में जो प्रावधान किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं:

"इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को…

(क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी;"

अर्थात् राज्य सरकारों को और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। इसके खंड (ख) में कहा गया है:

"खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा।"

अर्थात् सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए हैं, उनको मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा।

संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अरिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।”

अर्थात् भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी होगा। इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूँगा।

"इस अनुच्छेद (इस अनुच्छेद से आशय, अनुच्छेद 15 का है) और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।"

अर्थात् गरीबी रेखा या गरीब तबके के लोग कौन होंगे, इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकारें जो दिशा-निर्देश देती हैं, उनके अनुपालन के अनुसार ये सभी होंगे। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 49.50 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़-छाड़ किये बिना अतिरिक्त 10 परसेंट आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। आरक्षण का यह प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे कोई धर्मावलम्बी हो, जो वर्तमान में एससी, एसटी और ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात् आज की तारीख में वे अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सभी लोगों को यह मिलेगा। उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और अन्यान्य प्रकार की जातियों के लोग हैं।

इसमें अन्य-अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं, जो एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. में नहीं आती हैं। …(व्यवधान) उसमें पटेल भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, आंगना भी है, सोंधिया भी है। …(व्यवधान) उसमें मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है। …(व्यवधान) जिस-जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, जो एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वे सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। …(व्यवधान)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। …(व्यवधान) पहले जब इस प्रकार के प्रयास हुए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। …(व्यवधान) ऐसा केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे, जो सफल नहीं हुए। …(व्यवधान) हमने सोच-समझकर संविधान में संशोधन कर के आर्टिकल-

15 और आर्टिकल-16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है। …(व्यवधान) यह इस सदन के द्वारा पारित होगा। …(व्यवधान) इसके बाद यह अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। …(व्यवधान) उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा, तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय, जो वहां इस बात के विरोध में जाएगा, उनकी बात सुनने के बजाए, उनकी बात को अस्वीकार करेगा और सरकार का निर्णय मान्य होगा। …(व्यवधान) इससे सारे देश में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। …(व्यवधान) जब न्याय मिलेगा, तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वे लोग आगे बढ़ेंगे। …(व्यवधान) निश्चित रूप से सब का साथ, सब का विकास की दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। …(व्यवधान) देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन-चैन का वातावरण बनेगा। …(व्यवधान) मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है, उसमें शब्द तो बहुत कम हैं, लेकिन उसका जो लाभ मिलने वाला है, वह बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। …(व्यवधान) मैं इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब इसको सर्वानुमति से पारित करें। धन्यवाद। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Motion moved :

> “That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बीच में गलती से बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट रह गई थी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट रह गई थी। आप उसको टेबल पर रखिए।

…(व्यवधान)

17 17 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

60^{th} Report

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, इतनी देर से क्यों रिपोर्ट रखी गई? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय तो बाद में बढाएंगे। जो अभी है, वही ठीक है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे से रह गया न, क्या हो गया? यह सब क्या हो रहा है? मैं नहीं समझ पा रही हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट क्या नहीं रखनी थी? अगर मेरे से वह रह गई थी, तो अब हो गई। क्या हो गया? अब हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मंत्री जी अपने रिप्लाई में बोलेंगे। बीच में कुछ नहीं बोलना है।

…(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, this Bill was not included in the BAC. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The first Member to speak on this Bill is Prof. K.V. Thomas. प्रो. के. वी. थॉमस जी इस विषय पर बोलेंगे।

…(व्यवधान)

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Madam, I need one clarification. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can have it afterwards also.

… (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH : Madam, only one clarification. …(*Interruptions*) I want to ask this from the Minister. What will be the share of the Brahmins in the 10 per cent that he has kept, and who feel let down? What is the percentage in this for the Brahmins? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not like this. No clarification allowed now.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी अपने रिप्लाई में कहेंगे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, now Prof. K.V. Thomas.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया, सलीम जी?

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, मंत्री जी ने बी.ए.सी. की रिपोर्ट रखी है।…(व्यवधान) यह व्यवस्था का प्रश्न है। …(व्यवधान) बी.ए.सी. की रिपोर्ट सदन में इसलिए रखते हैं, क्योंकि सदन सुप्रीम है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बी.ए.सी. की रिपोर्ट रखी है। केवल रखी है, कल की मीटिंग की। …(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Madam, you have to allow me. …(*Interruptions*) इसलिए हम इसे सदन में रखते हैं। …(व्यवधान) मैं सदन में क्यों आता हूं? …(व्यवधान) बी.ए.सी. की जो रिपोर्ट मंत्री जी ने रखी है, क्या उसमें यह बिल शामिल है?

माननीय अध्यक्ष : इसका प्रश्न नहीं है। इसको तो मुझे अनुमति देनी है।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : यह स्पीकर का राइट है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप एक काम कर सकते हैं। आप सब प्लीज़ बैठिए। आपको समय तय करना हो, तो मैं आप सब से पूछती हूं। क्या दो घंटे में यह विषय पूरा कर लेंगे? या जब तक यह विषय चले, तब तक सदन चला लेते हैं, I have no objection.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, now Prof. K.V. Thomas.

17 20 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL, 2019...Contd.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam, it was yesterday the Union Government approved the Constitution Amendment Bill for 10 per cent quota for the poor…(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, एक घड़ी बंद हो गई, उसको ठीक करवाइए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे हाथ में घड़ी है, आप चिंता मत कीजिए। वह घड़ी बंद हो गई है तो भी चर्चा करते रहिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा समय तो चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? छोटी-छोटी बातों पर मजाक नहीं होता है।

…(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS : Madam, it was yesterday the Union Government approved the Constitution Amendment Bill which provides 10 per cent quota for poor on the economic basis. Today, this House is discussing this Bill within 48 hours. This is an important legislation which has a lot of importance and influence on our economic and social system. I think, the Government is very hasty and any hasty decision will land in a mess.

Now, many of the national newspapers have clearly said on this. Even some of the newspapers had their lead on this particular issue that reservation

for poor upper castes is likely to end up as a pre-poll *jumla.* This is what *The Times of India* stated. It should have been discussed in the Business Advisory Committee. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह जुमला नहीं कर रहे, इसीलिए हम सब मिलकर पास कर रहे हैं।

PROF. K.V. THOMAS : This is not a *tamasha.* This is an important legislation. It should not become a *tamasha* because there is already a 50 per cent reservation for the SCs, the STs, and the Backward Communities. We have seen that in 1991 when P.V. Narasimha Rao Government brought reservation on the basis of economic criteria, then, the Supreme Court intervened, and it was curtailed. So, there is a legal issue on this. This is a Constitution Amendment Bill.

Today, when many of the Members are away, and this being the last day of the Winter Session, this Bill has been brought in a hurry. It is okay; the Government can pass it; it has the majority. But there won't be any fruitful discussion. At least 50 per cent of the States have to approve it. This Government has a short period of another three months. Within this short period of three months, this Bill has to be passed with two-thirds majority, and then, 50 per cent of the States have to approve it. Where are we? What is the sincerity of the Government? Why is this question being raised? We have seen demonetisation. I am not repeating what the Prime Minister said in this House. The Prime Minister has said inside the House that it is for the economic welfare of the people; many issues were raised by him but what has happened. Where are we?

Then came the reforms in taxation.

So many amendments have been made. Similarly, this Government is taking every step. From one mistake to another, they are following. In this particular case, we know that there is a legal lacuna. Previously, during the Narasimha Rao Government, the same attempt had been made but it was stopped by the Court of Law.

Madam, in this legislation, it says, "whether the educational institutions are aided or unaided by the State Government". For 50 per cent reservation for SCs/STs and backward communities, it is only 'aided', not 'unaided'. How can they do it? If they are not giving 50 per cent reservation to the students belonging to SC/ST and backward community in unaided institutions, how are they going to give this reservation to the students in the unaided schools. That is why I said that this legislation has been brought in haste.

Now, I would talk about employment. People ask the question: Where is employment? This Government promised that employment will be provided to two crore people every year. This is the 5th year. How much employment is there? Have they generated employment for 10 crore people? The unemployment rate is around 3.53 per cent in 2017 as against 3.41 per cent in 2014 when UPA Government left. The unemployment rate is the highest in 27 months at 7.38 per cent in December 2018. According to the Centre for Monitoring India Economy (CMIE), nearly 83 per cent of job loss was seen in rural India which accounts for two-thirds of India's population. The women's

share of job loss in 2018 was 65 lakhs in rural areas and 24 lakhs in urban areas. So, where have they given employment?

On the one side, there is a legal lacuna. On the other side, where is the employment? They have not generated any employment. So, why are they bringing this legislation without further discussion?

Madam, what is the criterion for reservation? The criterion is: "Those people whose annual income is Rs. 8 lakhs". Madam, it means Rs. 63,000 per month. Is it a small amount? Anybody who is earning Rs. 63,000 a month is eligible for the reservation. Second criterion is: "Agricultural land below 5 acres and possessing residential houses below 1000 sq. ft.". Many of the MPs own 1000 sq. ft. flats. So, they are the people who come under this criterion.

In the Food Security Bill, we have Antyodaya Anna Yojana which is for the protection of poorest of the poor, then comes the priority sector. But, here, people who are almost affluent have been brought under this reservation. What is this? Is there any purpose of the Government for the coming elections? This Government has lost in three State Elections recently. These are all political events that have taken place but the solution is not this. So, what we could understand is that, without properly doing the homework, looking at the election manifesto, the Government is trying to bring even the Parliament under pressure.

Madam, you are the custodian of Parliament. You understand where we are now. They brought this Bill for discussion only today. We did not even have time to go through the entire points of the Bill. Madam, this is like butchering

Indian democracy. Madam, you are the custodian of democracy. You should not allow it. Tomorrow, the history will say something about our Parliament and the period during which you have chaired this House. Here, you find the Government which has the least respect for Parliament.

They have approved the Bill in the Cabinet without having any discussion in the PPC and then they bring the Bill to the Parliament today. Madam, these are the last hours of this Winter Session of the Parliament. The next Session will be on the interim Budget after one month. So, this is almost the last discussion that we are having on such important issues, social issues. I am not against this Bill. We support the concept of the Bill. The economically backward people have to get it. We have nothing against it. We have fought for that.

In my State Kerala, we have tried to bring economically backward people also into the mainstream. But the way you are doing it, your sincerity is being questioned. So, my request is to send it to the JPC. Do not take a hasty decision. …(*Interruptions*) So, send it to the JPC; take adequate time. When we meet after one month, we will consider this. This is my request.

HON. SPEAKER: Arun Jaitley*ji* wants to intervene?

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वक्ता श्री के.वी.थॉमस ने अपनी भावना व्यक्त की और उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हों या उधर हों, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं, उन्हें आरक्षण मिले, यह जुमला तो उसमें डाला था। इसलिए आज तक कई सरकारें आईं, केन्द्र में भी और राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए कानूनी रोक के अंदर आकर उसमें कहीं न कहीं बाधाएं खड़ी हो गईं। मैं दो-तीन विषय स्पष्ट कर दूं, जो थॉमस साहब ने कहे। उन्होंने कहा कि 50 परसैंट राज्यों की स्वीकृति भी इसके लिए चाहिए होगी। संविधान की संशोधन करने की जो धारा आर्टिकल 368 है, यदि उसे पढ़ लें तो जो पार्ट-3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और प्रमोशन के संबंध में जोड़ा गया तो वह केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, उसके लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी।

आपने एक दूसरा विषय उठाया कि इतिहास में पहली बार आपने एस.सी.,एस.टी. को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशन का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड दोनों का ले लिया तो क्या जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है, उसको एस.सी.,एस.टी., ओबीसी की तुलना में इसके तहत रिजर्वेशन का ज्यादा अधिकार देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में एड हुआ, यह शब्दावली educational institutions whether aided or unaided, वह कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलोजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलोजी है। जो दोनों कारण आपने बतलाए, संविधान की धारा 368 और 15(5) को आप एक बार पढ़ लें तो वह फैक्चुअली अपने आपमें गलत है।

महोदया, अगर हम राजनीति या राजनीति के मतभेद से अपने आपको अलग कर लें तो यह आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई। जो शब्द सोशलिस्ट था, वह ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, वह 1976 में 42वें संशोधन से एड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है तो जो आरंभिक संविधान संविधान निर्माताओं ने बनाया था, उसके प्रीएम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था।

लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, To all citizens और इसमें कोई धर्म या जाति का संबंध नहीं था, हम क्या-क्या देंगे – Justice that is social, economic and political और दूसरा क्या था - Equality of status and of opportunity. यानी अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को समान अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब यह इक्वैलिटी ऑफ एपॉर्चुनिटी जो है, समान अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर, बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है कि, इक्वैलिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी बराबरी होगी तो संविधान निर्माताओं में इतनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वह अपने आप में अन्याय होगा, Just as equals cannot be treated unequally, un-equals cannot be treated equally. इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन के अधिक अवसर देने पड़ेंगे, यह कल्पना उन्होंने बनाई संविधान की धारा 15 और 16 में। धारा 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन धारा 15 में उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, सैक्स, रिलीजन और क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सरकार, शासन, देश या संसद ऐसे

कानून बना सकता है, जो कुछ लोग, जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको विशेष अवसर प्रदान करें। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम की डैमोक्रेसीज़ में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। यह विशेष अवसर देने से, जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वे पैदाइश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पर कैसे लाना है, वह उस विशेष अवसर के आधार पर आएगा, और यह इस आरक्षण की कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन कर के 15(5) डाला और 15(5) का जो उद्देश्य था, वह शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षिणिक संस्थानों के साथ यह था कि एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वह एडेड हों या अनएडेड हों और उन संस्थाओं में प्रावधान कर के विशेष अधिकार दाखिले का, जो लोग उस दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको हम लोग देंगे, आर्टिकल-16 का संबंध शिक्षा से नहीं था, उसका रोज़गार से संबंध था और रोज़गार का अभी तक अर्थ 16 के लिए जो माना जाता है और इसलिए कभी आर्थिक विषयों पर बहस होगी, तो मैं आपके बेरोज़गारी के आंकड़ों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी तक वह पब्लिक एम्पलॉयमेंट तक सीमित है कि पब्लिक एम्पलॉयमेंट जो है, सरकारी क्षेत्र का जो रोज़गार है, उसमें पीएसयूज़ हैं, राज्य सरकारें है और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, या जिनको हम स्टेट इन्सट्रूमेंटैलिटीज़ भी कहते हैं, उस रोज़गार में भी यह अवसर प्रदान होगा। अब इसका हम इतिहास देखें, पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वह एससी/एसटी के लिए था और एससी/एसटी के साथ विशेषता यह थी और मुझे लगता है कि हम लोगों को यह अलग कल्पना समझ लेनी चाहिए कि कोई एससी या एसटी परिवार में पैदा हुआ, जीवन में बहुत तरक्की भी कर ले और सोचे कि मेरी जाति बदल सकती है, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर जी कहते थे कि यह एक व्यवस्था है। वह ऐसे फ्लोर पर है, जिसका सीढ़ी या जीने के साथ दूसरे से संबंध नहीं है। वह ऊपर चढ़ना भी चाहे, सामाजिक आधार पर नहीं चढ़ सकता और सदियों तक उन्होंने कहा कि इससे, क्योंकि इनजस्टिस हुआ है तो इसकी कल्पना की दृष्टि से पहले दिन से धारा 15 में शिक्षा के संबंध में और धारा 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में हम लोगों ने प्रावधान कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग थे और अन्य पिछड़े वर्ग के

समय इसमें आरम्भिक वर्षों में काफी बहस होती थी। काका कालेलकर की कमेटी आई, उन्होंने रिपोर्ट दी। फिर मंडल आयोग की रिकमंडेशन्स आई। उन्होंने अपनी रिकमंडेशन्स दीं और अगस्त, 1990 में नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और उस चुनौती के साथ-साथ जिसका थॉमस साहब ने जिक्र किया कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला, लगभग इसी प्रकार का कि 10 परसेंट आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस पूरे रिजर्वेशन की कल्पना इंदिरा साहनी के केस में चर्चा की और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार-पत्रों में भी पढ़ा। वह गलत धारणा है, मेरा विचार यह है कि क्या यह 10 परसेंट एक्स्ट्रा देकर जो 50 परसेंट की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं? यह कुछ लोगों ने, आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने उस पर ट्वीट किया और बयान दिए कि यह 50 परसेंट से ऊपर है। यह रद्द हो जाएगा, क्योंकि राज्यों ने कई बार कोशिश की, वह रद्द हो गया था। यह सही बात है। राज्यों ने कोशिश की या तो नोटिफिकेशन के माध्यम से या राज्यों ने सामान्य, साधारण कानून बनाकर कोशिश की। गुजरात ने भी कोशिश की कि एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके अधिकार का स्रोत क्या था? What was the source of that power? जो सोर्स ऑफ द पावर था, वह आर्टिकल 15 और 16 था। वह सोर्स और ऑरिजन ऑफ पावर था कि आप या तो जो पिछड़े हैं, एससी/एसटी हैं या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको दे सकते हो। मंडल आयोग के केस में इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है, वह इस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनैस का एक 'की-डिटरमिनेंट' है। कौन ऐतिहासिक दृष्टि से बैकवर्ड था, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके तहत् "Caste is the best determinant of backwardness." इसलिए नरसिम्हा राव जी ने 10 परसेंट का नोटिफिकेशन निकाला, पर वह

नोटिफिकेशन का सोर्स ऑफ पावर या तो संविधान में होता, न आर्टिकल 15 में था, न आर्टिकल 16 में था, क्योंकि इकॉनोमिकली वीकर सैक्शन्स के लिए न आर्टिकल 15 में प्रावधान था और न आर्टिकल 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना एससी/एसटी या एजुकेशनली, सोशली, बैकवर्ड के संबंध में थी। इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया और जो 50 फीसदी की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि वह सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था, उसके संबंध में लगाई। वह जो सीमा थी चाहे एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में हो, चाहे वह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं चाहूँगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा 50 परसेंट की लगा रहे हैं, यह केवल 16(4) की एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनैस की रिजर्वेशन है, उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूँ, जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि -

> "We are also of the opinion that this rule of 50 per cent applies only to reservation in favour of backwardness made under Article 16 (4)."

इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेज और उसमें एस.सी., एस.टी., ओबीसी यानी यह 50 परसेंट से ऊपर नहीं जाएगा। इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क यह था कि अन्य वर्ग, जो अनरिजर्व्ड वर्ग हैं, अगर आप उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ेंगे तो शुरू तो हमने इसलिए किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को समाप्त करना है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है, लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव समाप्त करने चले थे किसी और का और अगर मैं बताऊँ कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है, तो यह भेदभाव उल्टा बन गया, this became a case of reverse discrimination, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा पर्याप्त स्पेस एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस और पब्लिक इम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगा। यह बैलेंस बना रहे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह

50 फीसदी का तर्क दिया। यह सही है या गलत है, इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पीछे यही तर्क था। वह केवल 16(4) के आरक्षण के सम्बन्ध में था।

अब आपने कहा कि यह क्या कारण है कि आप इसे अभी ले आए। पटेल समाज को आरक्षण दो, यह आपकी पार्टी ने वर्ष 2017-18 से पहले कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के सम्बन्ध में और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं, जब आर्थिक परिवर्तन हुआ तो उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। कुछ लोगों को लगता है कि किसान की आमदनी बहुत कम है और हम बार-बार इसकी चर्चा करते हैं। अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलिजन हो, अगर वह गरीब है, तो उसके सम्बन्ध में क्या कल्पना होनी चाहिए। जो अदर क्लासेज हैं, अदर सैक्शंस हैं, जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, वे किसी जाति के होंगे, किसी रिलिजन के होंगे, जो बचा हुआ 50 प्रतिशत है, उसमें अधिकतर इन्हीं के लोग आते हैं। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए, इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए?

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): What is the population of that 50 per cent?…(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I will check up the Census records and tell you.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD : There are no Census records for that.…(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: You please make your point when you get a chance. इसलिए यह कल्पना थी कि इसको दिया जाए और मुझे लगता है कि आज इसका वक्त आ गया है।

प्रो. सौगत राय : महोदया, अभी चुनाव में सिर्फ 100 दिन बाकी हैं।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not disturb.

श्री अरुण जेटली : दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है कि that if you are supporting this, do not be grudging in your support. Be wholehearted and large hearted. आप बड़े दिल के साथ इसका समर्थन कीजिए। मेरा अपने कम्युनिस्ट दोस्तों से भी कहना है कि जब गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है तो यह दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है।…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : हमने तो पहले ही कहा है कि आर्थिक स्थिति बढ़ाओ ।…(व्यवधान)

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): We are not opposed to it.…(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I am grateful to you if you are not opposed to it.

Madam, let me read out the manifesto of every Party. My Party had supported it. Let me read, just for illustration the manifesto of 2014 of the Congress Party.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is there. Why do you want to read it?…(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I am reminding you, Sir.…(*Interruptions*) I am reminding you because your walk must match your talk.

The Congress Manifesto says: "The Indian National Congress is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes".

Madam, what the Congress Party had pledged in its manifesto, what the BJP …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Jaitley Ji, do not listen to everybody.

…(*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली: मैडम, प्रश्न यह है कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, मगर हमने भी वही बात कही थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए। Nothing will go on record. Only Jaitley ji's statement will go on record.

…(Interruptions)…[*]

माननीय अध्यक्ष: बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे चाहते हैं तो बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए। रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

…(व्यवधान)…*

श्री अरुण जेटली: मैडम, मैंने इसका इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एन.डी.ए. के साथी नहीं, काँग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में यह कहा है। गरीब की गरीबी हटाने के लिए हमारी जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वह केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोज़गार तक जाएगी, यह काँग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वे परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है, उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रज़िंग्ली मत कीजिए।

---

[*] Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I am missing my colleagues here. On behalf of AIADMK Party, I am forced to speak to express my views. You have taken action against nearly 34 members of my Party. They are not here. As I am alone here, I have to speak in support of this Reservation Bill. They may not be in a position to also vote here. That is another thing. …(*Interruptions*)

I am coming to the point now. The Government has now introduced the Bill regarding 10 per cent reservation for the economically weaker sections. First of all, I want to know as to what is the purpose of reservation.

Hon. Finance Minister has explained so many things. Why do you want reservation? The country requires reservation for social justice. That is our Party's stand. Especially in India, there is a Varna Ashrama system. In Manusmriti, so many castes are enumerated. Except the Varna Ashrama, we have to accept the casteism. In that system, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are there.

We are called *Shudras*. We are the lowest in the society. I am a *Shudra* and I am proud to be called a *Shudra*. Being a *Shudra*, we have suffered a lot. For centuries, we suffered a lot and because of that, we asked for reservation policy for our upliftment. So many things like untouchability were there. For those reasons, the Dravidian Movement was started to fight for reservation.

Now this Government wants to give reservation to the economical weaker sections. But you have already announced so many schemes for the economically weaker sections. All the Governments including BJP Governments and the Congress Governments had started so many schemes for the economically weaker sections. For example, there is Mudra Yojana. You want to uplift the economically weaker sections and for that these schemes are there. There is Swabhimaan Scheme which is another banking facility for all the citizens to get Rs.5 lakh. So many schemes of the Ministry of Finance are also there. Then, there is Pradhan Mantri Avas Yojana to provide housing facilities to the weaker sections.

So, there are so many schemes for the economically weaker sections. Therefore, the economic criterion is not necessary. There are so many schemes to uplift these people. Then there are skill development programmes which are also meant for economically weaker sections. The Ministry of Rural Development is also having such schemes for making youths an economically independent group and relevant work force. Then there is Deen Dayal Upadhyay Yojana. You are also giving scholarships to them so that they can get good education. Then you have said that to cover 10 crore vulnerable families, you will provide Rs.5 lakh to each family per year in secondary and tertiary institutions. Then, you have affordable housing scheme.

Why am I telling all these things? When the Government is having so many programmes to uplift the economically weaker sections, then why do you want reservation for them? I would say that you have failed to implement your

programmes. That is why, people are still economically weaker and then only you are coming up with 10 per cent reservation.

Now social justice is very important. The Minister of Law said something about Dr. Ambedkar. He was highly educated. He was born in an SC community. He was employed in Bombay. He was highly educated but how people had treated him. He was humiliated. Even after getting so much education, he could not tolerate that humiliation. That is why, he said that the reservation is important for the socially backward people. In our country, the backward class people, especially *Shudras*, even after getting good education, could not achieve equality.

Therefore, to achieve equality only, first of all, the reservation policy was started in Tamil Nadu. The policy of reservation of seats in educational institutions and in Government jobs for BCs, SCs, STs has a long history dating back to the year 1921. Even the Justice Party was started at that time. It said that the human being must be respected equally. The caste must be removed so that a person is respected.

People in society are being differentiated because of the caste system. The forefathers of our Constitution took the word `social' and not `economic' as a criterion for providing reservation. So, whatever law the Government is intending to make now is going to be struck down by the Supreme Court. The Government is not going to succeed on this.

18 00 hrs

HON. SPEAKER: Hon. Members, it is six o'clock now. हमारा आज का एजेंडा जो बिल का है और यह सब पूरा करने तक सदन का समय बढ़ा देते हैं।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, थैंक यू।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नेक्स्ट सैशन में करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कल करे सो आज कर।

DR. M. THAMBIDURAI : The Justice Party, officially known as the South Indian Liberation Federation was established in 1917 as a result of a series of social justice conferences and meetings in the Madras Presidency. Justice Party's foundation marked the culmination of several efforts to establish an organisation to represent the deprived communities in the Madras Presidency at that time. Our leader *Thanthai* Periyar was first in the Justice Party and later on he found the Dravida Kazagham party and his main aim was to secure social justice for people. First, he was in the Congress Party and he was the President of the Congress Party also. But on finding how people were treated for being in lower caste and how even food was being served to them, he got angry. What he said was that first we want social justice for people and not freedom for this country. Something like that he said. He started the Dravidian movement and fought for reservation of the socially affected people. Caste system, still in our country, cannot be avoided. If we can get over casteism, then only we can achieve social justice. Even after more than 70 years of our Independence caste system is prevalent in our country.

In order to get rid of casteism, the first thing that we have to do is to empower the lower caste people. That should be our motive. In our State of Tamil Nadu, nearly 90 per cent people belong to the backward and most backward and SC/ST communities. Only 10 per cent of the population belong to the upper caste. Only because of this movement we could secure justice for all those people belonging to lower castes, SCs and STs. The northern part of India is today fighting for social justice. The Jats are fighting; the Patels are fighting and so many other communities are fighting to get included in the list of the OBCs. But the Government is not coming forward to accept that claim. If Government accepts their demand, then those communities also will definitely prosper. Reservation will help them in some way. Today there is already a ceiling of 50 per cent on reservation. It may be enhanced to even 70 per cent to accommodate the interests of other communities. If the Government does such kind of a justice, then we will certainly appreciate that.

When MGR was the Chief Minister, he made a provision of 50 per cent reservation for people belonging to backward classes and 19 per cent reservation for people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, there was a total 69 per cent reservation made in the State. Later on, owing to a few observations from the Supreme Court, certain things could not be implemented. After Amma came to power in 1993-94, she passed a Resolution in the Assembly that 60 per cent must be recognised by the Parliament. The matter was brought here, discussed and it was finally included only in the Ninth Schedule. It was not given a constitutional effect. Our demand

is that the Government should first make 69 per cent for the social backward people because 90 per cent of the population of India are socially backward. Therefore, Government should include all those castes in the List and increase the ambit of reservation from 50 to 70 per cent. Whenever we argue for a 69 per cent reservation, we get a reply from the Ministry that there is a ruling of the Supreme Court which says that reservation cannot exceed 50 per cent and we cannot change it. Now, through this Bill, the Government proposes to increase the quota of reservation from 50 per cent to 60 per cent. How is that being possible now? If it could be done now, then the Government could have done it for 69 per cent? Why is the Government hesitating to do that?

Madam, the demand of the AIADMK Party is that the Government should first make 69 per cent for the people of Tamil Nadu by bringing in a constitutional amendment. Including it in the Ninth Schedule will not help matters. Still the matter is pending in the Supreme Court. Almost on a regular basis we are going to the Supreme Court and getting a direction for filling up the vacancies in the institutions. We want a permanent remedy.

For that only, we are requesting here in the Parliament that you first give 69 per cent reservation by bringing an amendment to the Constitution and give the status to the people of Tamil Nadu. We will think about the remaining. We are demanding that.

Madam, our Finance Minister said everything about the Mandal Commission. He is a very senior lawyer, and I do not want to dispute whatever he said. The Mandal Commission also said that we have to give reservation to

the backward classes, that is, the OBCs. There was a lot of agitation when Shri V.P. Singh introduced it. At that time, we know that so many *bandhs* took place. Certain sections of people are still not recognising the *Shudras*. That is the problem for us. They are not accepting us. Even if we go to villages, there is a two-tumbler policy existing there. Dalits cannot take water in the canteen. That is happening. So, first you think of the Scheduled Castes and bring policies so that they can come up economically. Then only we can resolve this problem. That is why we are demanding reservation policy. But as far as, your reservation policies for economically backward people is concerned, there are a lot of problems. You are giving the criteria for it as 'Families with annual income below Rs. 8 lakh across all regions.' What has the election manifesto of NDA said? What had the Prime Minister promised? You had said that you would put Rs. 15 lakh in everybody's bank account. If it is put in everybody's bank account, there is no point of it. …(*Interruptions*) Anybody can do this. Our country is a developing country, naturally the bank balance will be increased. When you are doing like that, this means that nobody will be economically poor. What is the meaning of the 10 per cent reservation? Today, you may be a poor man. You may get an employment opportunity. This year, you may be a poor man, economically poor, but you will get the employment because of reservation. Next year, suppose, you become a rich man by way of lottery or something, are you going to withdraw the employment given to that economically backward man? Therefore, the economic criterion will change. It can change anytime. Therefore, that cannot be taken as a criterion. But

casteism is permanent curse in this country. It is a social curse for our country. That is why, our forefathers, when they drafted the Constitution, they said that social justice should be taken, not based on the economic criteria. Therefore, you are making an attempt which is going to fail.

Our Law Minister is there. I was also once a Law Minister. Whatever you are bringing now, it is definitely going to be struck down by the Supreme Court. I do not think that this will be going to succeed. As they said, it may be helpful in elections. Afterwards, it will not happen. That is why reservation is the first criteria. We should give the reservation to the socially backward people and include most of the communities from the northern belt also which are demanding to be included in the OBC community. Do not deny the chance for them. Do not allow these agitations due to which we are facing a lot of economic problems. You first do that and then come to this, and also increase the ceiling from 50 per cent to 69 per cent which we are demanding. We require these kinds of things. Therefore, through you, Madam, I humbly request that this kind of economic criteria need not necessarily be considered because afterwards, corruption will come up. In order to get the certificates what will they do? That man is a poor man. In the certificate, you are telling that he has 5 acres of land. Afterwards, if he has 6 acres of land, what will happen? Bogus certificates will come. Therefore, you may have a good intention to bring this Bill but at the same time, the issue of corruption will come. We cannot stop that. That is going to happen. Therefore, I request you first to do what the Dravidian Movement fought for social justice. To achieve

the justice for the socially backward people and the SCs and the STs, first you do whatever we demanded. First, you bring the Constitution amendment to bring the 69 per cent reservation and then afterwards you consider all these issues.

Therefore, I once again request you first to fulfil our conditions. The reservation you are bringing on economic grounds may not be feasible. So, please rethink about it. That is what I will say. With these words, I conclude.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, I rise to participate in the discussion on the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 which is associated with the most burning problem of the country namely, unemployment. This is also related to economically weaker sections.

Madam, in the meeting of the Business Advisory Committee we discuss many things and note down the important issues to be discussed in the House. This time, I remember, whether it is at the meeting of Leaders of all Parties, whether it is at the meeting of the Leaders of Parliamentary Parties or at the meeting of the Business Advisory Committee, I repeatedly said that the issue of unemployment should be discussed on the floor of the House. But it has not happened and it does not get a priority.

I sometimes say that hungry people of the country are fighting with hunger. If a Bill like this one is introduced and if it is benefitting the weaker sections of the country, who will oppose it? Whatever percentage of reservation it provides to them, nobody will oppose it. But 4 ½ years have passed after this Government came to power and just when only 100 days are left for the term of this Government to end, if this kind of a Bill is introduced, then we are put in a dilemma as to whether this Bill is really intended to solve the problem of unemployed youth or it is just a political gimmick or it is a measure which is meant to influence the voters in the ensuing Lok Sabha Election.

Madam, for example, there are 85,000 vacancies in Indian Railways. As the Chairman of the Standing Committee on Railways, I have the opportunity

to know the details. Against these 85,000 vacancies, I understand that 25 million applications have been received by the Ministry of Railways. This reflects the seriousness of the problem of unemployment in our country. I would rather propose that when MPs get Rs. Five crore as their MPLAD Fund they should give jobs to 100 persons in their area. They should find out the local unemployed and economically backward youth and provide jobs to them.

So far as reservation is concerned, I would like to ask the Government as to why the Women's Reservation Bill is not taken up with this kind of seriousness. Why can the Government not take up the Women's Reservation Bill with top priority? If it is taken up, I believe that it would also be accepted with huge support from different political parties on the floor of the House.

Madam, what is the latest job position in the country both in the Government sector as well as the private sector? I demand that the Government should bring out a White Paper on this issue. Let the White Paper be issued giving the roadmap and the target of the Government as to how they can fulfil their announced policies with topmost priority.

Madam, hearing from the different political parties and their observations, it appears that nobody is going to oppose the Bill as such. What I wanted to say is that whenever interest of the unemployed youths are involved, those are not normally opposed. But this Bill actually somewhere appears to have a political message. This Bill is not about jobs only, this Bill is all about misleading the youths of this country with false hopes. This Bill is all about promising and not delivering; this Bill is promising a fake dream which

will never become a reality unless the Government take it with more seriousness. A proposal has already been tabled that the Bill be sent to the Joint Select Committee. We can discuss in it detail about what the latest position of the job vacancies is. When this sky-rocketed unemployment problem is shaking the whole of the country, we cannot remain mum. If the highest place of the country, the Parliament, tries to avoid every time every year saying that we will never discuss unemployment issues with priority, only some decisions will never give us any result and we cannot enjoy any support from the unemployed sections. So Madam, I do not want to go into the Supreme Court decisions as to where it was and how it has been taken into. When such issues come, people like Jaitley Ji and Ravi Shankar Prasad Ji can explain that in a better way. But we want to share the sentiments of the unemployed youths and want to give them a message that this is not a gimmick; this is not any stunt; this is a reality about which the Government is really serious. I hope that Trinamool Congress, being a political Party, which always takes care of the unemployed youths and which takes up these issues in West Bengal in a broader way, cannot oppose any such Bill. So, unhesitatingly, we are extending the support to the Bill with an expectation that the Government will rise to the occasion and will take care of the unemployed youths of the country.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज 124वां संविधान संशोधन विधेयक और उसके माध्यम से समाज के आर्थिक दुर्बल घटक को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के लिए यह बिल आया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इस बिल का समर्थन एवं स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो विचार हमारे सुप्रीमो हिन्दू हृदय सम्राट माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कुछ साल पहले हर सरकार के सामने रखे थे। जाति और धर्म के अलावा आर्थिक दुर्बलता को सामने रखा था, जिसे सही मायने में रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं पिछड़ी जाति से आता हूं और मेरा खुद का यह अनुभव है कि जो भी एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल होते हैं और जब उनको रिजर्वेशन के माध्यम से एजुकेशन और इम्प्लायमेंट में अवसर प्राप्त होते हैं, तो उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आदि सभी प्रकार की प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती हैं।

जब हम समाज में देखते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा, समाज में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं और उसी कारण से वे हर तरीके से पिछड़े हुए हैं- एजुकेशनली, सोशली और इकोनोमिकली। इसीलिए यह विचार हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी के थे। यही विचार हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी भी रखते हैं और आज इसकी शुरूआत हुई है। हम आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन लेकर आए हैं, यह उसकी शुरूआत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हर जाति-जमाती के लोग रिजर्वेशन की डिमाण्ड करते हैं, हम सभी ने अनुभव किया है कि हरियाणा में जाट समाज ने बड़ा आन्दोलन किया। राजस्थान में गुर्जर समाज ने बड़ा आन्दोलन किया, गुजरात में पटेल समाज ने आन्दोलन किया और महाराष्ट्र में मराठा समाज ने आन्दोलन किया। आन्दोलन के पीछे यही कारण था कि अगर इम्प्लायमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है तो तरक्की होती है और इसीलिए आन्दोलन हुए । बात यह है कि अपने मेनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा लिया है, लेकिन इसको करने में साढ़े चार साल क्यों लगे, यह सवाल मेरे मन में आता है। विपक्ष ने यहां मुद्दा उठाया कि कहीं आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर, हमने ऐसा नहीं किया है? इसका उद्देश्य भले अच्छा है, लेकिन कभी-कभी देरी से ऐसी

टीका-टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। मैं यह बात मानता हूं कि भले देरी हुई, लेकिन दुरुस्त है और यह बिल सरकार लाई है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी हर राज्य में होने वाले कई जातियों के आन्दोलनों का उल्लेख किया। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी कुछ पिछड़ी हुई जातियां हैं, जैसे महादेव कोली, धनगर-धनगड, गोंद-गोवारी, धोबी। मंत्री जी यहां बैठे हैं, एक ही साथ देश में, जहां भी दुर्बल जातियों की ऐसी मांग है, वह जायज है। एक उदाहरण है - धनगर और धनगड। मराठी में 'र' और 'ड' का फर्क है। यह सही मायने में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसके कारण उनको यह लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह से गोंद और गोवारी, दोनों एक ही हैं। जहां खाली 'गोंद' है, उसे यह लाभ मिलता है, लेकिन अगर उसके सामने 'गोवारी' लिखा है तो नहीं मिलता है। इन बातों को हमें गौर से देखना चाहिए और अल्टीमेटली उनके लिए जो रिजर्वेशन रखा है, उसमें उनको शामिल करना है। कुछ को एससी में शामिल करना है और किसी को एसटी में शामिल करना है। हमारे मन में यह शंका थी कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के कारण हम 50 प्रतिशत के ऊपर जा सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय जेटली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसका खुलासा किया है। वह जाति तक सीमित है और आपका आज का रिजर्वेशन का प्रावधान आर्थिक दुर्बलता के ऊपर निर्भर है।

महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत रिजर्वेशन है, उसमें 16 प्रतिशत जोड़ने पर वह 68 प्रतिशत होता है। शायद वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिक्कत आ सकती है।

18 25 hrs (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

आज हम संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं और इसी कारण जो आंदोलन हुए हैं, उनको इसका अपने-आप लाभ मिलेगा। जाट हो, मराठा हो या अन्य राज्य की जातियां हों, उनको अपने-आप लाभ मिलेगा। इस बिल में यह अच्छा प्रावधान किया गया है कि हायर एजुकेशन में, वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, जाति के आधार पर हो, एडेड हो या नॉन-एडेड हो, वहां भी रिजर्वेशन के तहत एडमीशन हो जाएगा।

दूसरा, रोजगार के बारे में एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, थॉमस साहब ने बोला है, इसलिए मैं यह नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा भी अनुभव है। आज नोटबंदी के कारण बहुत से छोटे-छोटे उद्योग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वहां नौकरी करने वाले इम्प्लॉइज बेरोजगार हो गए हैं। जो बड़े उद्योग छोटे उद्योग के साथ लिंक्ड थे, उनके ऊपर असर हुआ है। इन सभी का यह परिणाम हुआ है कि हम नए रोजगार नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो नौकरी में थे, वे भी बेरोजगार बन चुके हैं। हमें उसके ऊपर गौर से देखना चाहिए। जब हम एक बात करते हैं तो दूसरी बात के लिए कमिटमेंट देते हैं। हम हर साल दो करोड़ नया इम्प्लॉयमेंट देंगे। हम सही मायने में वह नहीं दे पाए लेकिन जो इम्प्लॉयइज थे, उनका भी रोजगार नोटबंदी के कारण छीन लिया गया है। शुरू में थोड़ा असर जीएसटी के कारण भी हुआ। उसका बड़े उद्योगों पर असर पड़ा, और छोटे उद्योग तो खत्म ही हो गए। दूसरी तरफ, अगर रियल एस्टेट में आप देखें तो बिल्डरों और डेवलपर्स ने बिल्डिंग बनाई है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं है। उसमें बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट हो चुकी है। यह नोटबंदी का परिणाम है। हमें यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक अच्छा काम करते समय यदि कोई गलत काम हो जाता है तो उसे कैसे ठीक करना है, यह भी हमें सोचना चाहिए।

महोदय, आज जो बिल लाया गया है, सभी रिजर्वेशन समझिए कि 50 प्रतिशत आरक्षण था, उसमें यह 10 प्रतिशत हुआ तो अगर 60 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक दुर्बल लोगों के लिए रखेंगे, तो जो भी हों चाहे वह एससी हों, एसटी हों या किसी अन्य समाज के हों, उन्हें भी लाभ मिलेगा। आप ने एक सीमा बनाई हैं, एक कंपार्टमेंट बनाए हैं, इसका कारण है कि हर जाति चाहती है कि वे रिजर्वेशन में जाएं। हमें कुछ जगहों पर यह लाभ लेने के लिए बोगस, फेक सर्टिफिकेट बनाने का भी पता चलता है। हमें यह भी गौर से देखना चाहिए।

महोदय, आज जो बिल लाया गया है, यह देर से आया है लेकिन दुरुस्त है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, at the outset, let met thank you for allowing me to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. As we have seen, this Bill aims to provide for reservations to the economically weaker sections of the society in education and also in employment opportunities. Our TRS party under the leadership of Shri K. Chandrashekhar Rao has highly welcomed every move to make the society inclusive and stronger. Therefore, we support the Government's move for undertaking this initiative.

Importantly enough, it should be remembered that reservations are given to a set of people who have been systematically deprived of development in its various forms. 'Systematically' might refer to the caste system in the Indian context but this Bill emphasises upon economic exploitation that is averse to the caste system. This Bill goes a long way in setting this precedence wherein the Government recognises that caste-based exploitation and economic exploitation are two different aspects in India and are not necessarily linked.

But Sir, here, I would like to say one thing. How did this word 'Economically Backward People' come? Bharat was once known as *sone ki chidiya.* Every person had work and they had income. Now, the people have become economically backward because the Governments which have come after Independence have failed to provide proper infrastructure to the people like proper irrigation, proper electricity and proper agricultural assistance. All these things which have been neglected by the Governments – be it Congress,

be it BJP - which have been in power, have never thought of a common person. They have always been settling their scores between them but they have never thought as to how we should protect the people of this country.

Earlier in those days, we have seen a lot of employment which was created and everybody used to have some or the other income. Okay, we can see a section of people as Jaitley Ji has said that the caste which is there has been provided with SC/ST reservations. But what about the rest of the people? The rest of the people were happily living with their income. But only due to the negligence of the Governments and who have not been given proper infrastructure, this word 'Economically Backward' has entered into this country.

Today, I do not think even 10 per cent reservation will really solve this matter. Our party opposes this idea that has made several strides in this direction. After the bifurcation of the erstwhile Andhra Pradesh, the demographic composition of newly formed Telangana State has witnessed a change. Earlier, Muslim population constituted around eight per cent of undivided Andhra Pradesh. They now comprise twelve per cent of Telangana's population. Similarly, the proportion of ST population also grew in our State from six per cent in undivided Andhra Pradesh to ten per cent in Telangana. Therefore, based purely on this socio-economic backwardness, the Telangana Government had passed an Act in 2017 by increasing reservations for Muslims to twelve per cent and for STs to ten per cent in jobs and also for education in the State.

This reservation was unassuming of any caste or religion factor. However, it currently remains opposed by the Central Government.

Sir, I would like to once again remind and bring to your notice that we, from our Party, many a time, under the leadership of KCR Ji, have protested in this House and said that one nation should have one law whereas Tamil Nadu is having 69 per cent reservation which has been included in the IX Schedule. But when we have passed it in our Assembly for providing reservation of 12 per cent and 10 per cent for Muslims and STs, no action is being taken on that. They should leave it to the States the matters of population division. The matter of reservation should be given to the States because there are different strategies and the populations do not match from State to State. So, we have been arguing; we have been demanding; and we have protested and we have said that these reservations, which are there, should be with the State Governments and not with the Central Government. But still now, nothing has been taken up. Still we request and we demand that this particular matter of reservation should be with the States.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : It is our firm belief that given the diversity of this country, the power on reservations on the basis of caste and religion should be devolved and it should come in the State subject. This follows from the evidence that demographic composition varies from State to State. At the same time, our Party accepts that reservations on the basis of economic

backwardness can be the Union Government's prerogative because economic exploitation recognizes no regional boundary.

However, we are afraid that this legislation initiated might be a classic move of 'the Parliament proposes and the Supreme Court disposes'. As we know, the 9-member Constitution Bench in the Indira Sawhney case of 1992 categorically held that reservations cannot be sanctioned merely due to one's economic standing. The judgment also puts a cap of 50 per cent on reservations while prescribing extreme caution, and exemptions only for special cases. Since this Bill causes further decrease in the seats available for the general category, Article 14 of the Constitution may stand violated because of the principle of 'sacrifice of credit'. Coupled with possible violation of the 'basic structure' principle of the Indian Constitution, the list of legal hurdles is long.

Yet, it is brave of the Government to counter the Supreme Court's cap of 50 per cent on reservations and the TRS Party re-affirms its endorsement.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : As we know, the State of Tamil Nadu secured reservation, as I said, up to 69 per cent due to a Supreme Court's judgment. As Telangana's demographic composition poses a similar challenge, the TRS Party urges the Government to support our demand for Muslims and ST reservations in Telangana.

As a suggestion, this reservation policy would be more effective when standardized. This process could not be implemented in caste-based

reservation since castes are hierarchical but exploitation is variable and cannot be quantified.

In conclusion, I want to reaffirm the TRS Party's support to this Bill with certain amendments. We also want to remind the Government to support the Telangana's Reservation Policy, and we hope the Government will do so. Thank you very much.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): माननीय सभापति जी, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' का जो नारा दिया था, यह विधेयक उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

जब हमारी सरकार आई, तो हम लोगों ने इसमें कई उतार-चढ़ाव देखे।

हमने देखा कि जब एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसे दलित कानून कहते हैं, का मामला आया और उसमें एक न्यायालय के एक जज के द्वारा इसे डायल्यूट करने की कोशिश की गई। सभी तरफ से हल्ला हुआ। हम लोगों ने भी इसे उठाया और सरकार इमीडिएटली कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के पार्लियामेंट में बिल लाई। तीन दिनों के अंदर इसे दोनों सदनों में पास कराया। उसके पहले कहा जाता था कि मोदी सरकार एंटी-दलित है। लेकिन, जब उस एक्ट को यहाँ से सर्वसम्मति से पास किया गया और उसके विरोध में कुछ लोग जाति के आधार पर रोड पर उतर गये और हिंसा की कार्रवाई की, जबकि आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को बिना किसी के प्रोत्साहन के दलित लोग आगे आये और 10 से 12 लोग मारे गये, जो मंडल कमीशन के समय भी नहीं हुआ था । लेकिन, जब उस एक्ट को दुरुस्त किया गया और उसके खिलाफ जब प्रदर्शन हुए, तो उसके बाद सभी लोगों ने चुप्पी लगा ली, कोई बोला ही नहीं । सब को लगा कि यह तो दलित-आदिवासी का मामला है ।

फिर जब पिछड़ी जातियों का मामला आया, तो जो एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन था, उसको हमारी सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। हल्ला हो रहा था राम जन्म भूमि का, हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आये हैं, जब ये प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले पार्लियामेंट के सामने आकर उन्होंने नमन किया। नमन करने के बाद उन्होंने कहा कि यह हमारा मंदिर है और संविधान हमारा धर्म है। हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं। आज से चार दिन पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दो और उसके बाद उसके आलोक में हम फैसला लेंगे। अब जो ऊंची जाति के लोग

थे, जिनका एक सेक्शन था, उनके मन में एक मामला आया। आज हमें इस बात की खुशी है कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी आज दस परसेंट आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरी में, बल्कि शिक्षण संस्थानों में भी लाया जा रहा है।

वर्ष 1989 में हम कल्याण मंत्री बने थे। हम मंडल कमीशन लाए थे। हम लोग ज़रुर दलित वर्ग में पैदा हुए हैं, लेकिन सब से ऊपर राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है और सब से नीचे व्यक्ति का हित होता है। ईमानदारी से यह बात उस समय भी मेरी समझ में थी। मैं जानता था वी. पी. सिंह जी ऊंची जाति के थे। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ दलित-बैकवर्ड ही नहीं रहे हैं, ऊंची जाति के लोग भी रहे हैं।

भगवान बुद्ध दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दयानंद सरस्वती जी ब्राह्मण थे। लेकिन जब उन्होंने पाखंड के खिलाफ लड़ना शुरू किया, तो दयानंद सरस्वती जी को जहर देने का काम ब्राह्मण ने ही किया। विवेकानंद जी कायस्थ थे, लेकिन विवेकानंद जी ने कहा - अरे, ऊंची जाति के लोगों, अपने समय के रहते इन अधिकारों को शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो वे जब उठेंगे, तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत उठा देंगे। वी. पी. सिंह जी राजपूत थे, क्षत्रिय थे। लेकिन जो मंडल कमीशन का मामला था, जो कि वर्ष 1980 से पड़ा हुआ था, उसको लाकर उन्होंने लागू किया। उस समय ईमानदारीपूर्वक हम चाहते थे कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिले। लेकिन ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, वे 16(4) से गवर्न नहीं होते हैं। मंडल कमीशन का जो 16(4) का मामला था, वह सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए बनता था। इसलिए उस मामले में वे नहीं आए। यही कारण है कि जब नरसिंहा राव की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स के लिए नोटिफिकेशन किया, तो कोर्ट ने उसे नहीं माना।

सर, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक यह है कि इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक अमीर है और दूसरे गरीब हैं। जो गरीब है, कोई जरूरी नहीं है कि आजादी के समय में जो अमीर थे, आज वे अमीर हैं। उस समय किसी के पास 20 बीघा जमीन थी, तो आज उनके बच्चों के पास दो बीघा

या एक बीघा जमीन बची है। अब वह कुछ कर भी नहीं सकता है। दलित और पिछड़ी जाति के लोग हल भी जोत सकते हैं, खेत में काम भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई ब्राह्मण है, उसके रोजगार का साधन क्या है? मंदिर है, पूजा-पाठ है और जिस दिन मंदिर और पूजा-पाठ बंद हो जाएगा तो वे क्या करेंगे? वे तो खेत में काम कर पाएंगे।…(व्यवधान) वे खेती करते हैं, लेकिन हल नहीं जोतते हैं।…(व्यवधान) अब हल जोतते होंगे। मरता क्या न करता। इसलिए मैंने कहा कि ऊंची जाति में से काफी लोग गरीब हो गए हैं।

स्कूल के बारे में इन्होंने कहा कि एक समान अवसर होना चाहिए। हम equal education की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा equal opportunity की बात करते हैं। हर आदमी का हर बच्चा, हमने यहीं कहा था – 'राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान।' क्या सबके बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल रही है। जो गरीब का बच्चा है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसको वह फैसिलिटी नहीं मिलती है, जो अमीर के बच्चे को मिलती है। इसीलिए जरूरी है और पहली बार मैं अरुण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक कहा कि आप एक अवसर नहीं कर सकते हैं, आपको विशेष अवसर देना होगा । इस समाज में तीन तरह के लोग हैं। एक समाज के लोग हैं, जिनको अनुसूचित जाति, जनजाति कहा जाता था। उसको तो समाज ने किसी वर्ग में रखा ही नहीं था। वह तो अनटचेबल था। उसको छूने से भी पाप माना जाता था। गांव के बीच में नहीं रह सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। वह आदमी की श्रेणी में था ही नहीं। इस देश में चींटी को चीनी खिलायी जाती है, लेकिन आदमी से नफरत की जाती थी। उस स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अंग्रेज जाने लगे तो इस मुद्दे को उठाया कि हम न तो हिंदू हैं और न मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए आप पाकिस्तान दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या? मुसलमान कहता है तुम हिंदू हो, हिंदू कहता है तुम अछूत हो। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ और वहां से आरक्षण का लाभ मिला। दूसरी कैटेगिरी ओबीसी की है। संविधान के मुताबिक जो पिछड़ी जाति है, बैकवर्ड क्लास है, जिसको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, वह ओबीसी कहलाता है। ओबीसी के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से

पिछड़ा। शेड्यूल्ड कास्ट को तो कोई अधिकार ही नहीं था । उसके बाद काका कालेलकर कमीशन बनाया गया। काका कालेलकर कमीशन जब बना…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : वह आर्थिक नहीं था, वह सामाजिक और शैक्षणिक था।

श्री रामविलास पासवान : सॉरी, आप करैक्ट कह रहे हैं। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं, उनके लिए काका कालेलकर कमीशन बनाया गया। काका कालेलकर कमिशन की रिपोर्ट पड़ी रही। उसके बाद 1979 में बी०पी० मंडल जी की अध्यक्षता में मंडल कमिशन बनाया गया। उसके बाद मंडल कमिशन की रिपोर्ट आयी। हम वर्ष 1980 से यहां लड़ते रहे। लेकिन नहीं हुआ। जब वी०पी० सिंह जी की सरकर बनी तो वर्ष 1990 में मंडल कमिशन को लागू किया गया। अब मामला उठा कि काका कालेलकर कमिशन ने 29 जातियों को बैकवर्ड कहा है। मंडल कमिशन ने 39 जातियों को बैकवर्ड कहा है। कोर्ट में यह मामला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा । हम लोगों ने कहा कि जो स्टेट और सैंटर में कॉमन है, पहले हम उसको लेंगे। इस तरह से जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर से पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए 27 परसेंट रिजर्वेशन हो गया ।…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : आपकी उस सरकार को किसने गिराया था…(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अगर उस समय बीजेपी सरकार गिरा रही थी तो कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया? …(व्यवधान) जब एससी और एसटी का मामला होता है तो सब एक हो जाते हैं।

उस मामले को हम जानते हैं। एस.सी./एस.टी. एक्ट का मामला हुआ, किन लोगों ने जाकर विरोध किया कि ऊंची जाति के लोग रोड पर आ गए हैं। …(व्यवधान) आपने भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था।…(व्यवधान) कोई नहीं करता है। प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का मामला है, किसने उसका विरोध किया था।…(व्यवधान) हम किसी पार्टी-पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, हम कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति का मामला है, दलित का मामला हो गया, जो मंदिर वाला मामला था, वह सुलट गया। अब एक ही मामला बचा है, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए। हम इस बात को आज भी मानते हैं कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक मन से गरीब होता है और दूसरा मन से भी होता है और पेट से भी होता है। ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, वे मन से गरीब हैं और जो

दलित वर्ग के हैं, वे पेट और मन दोनों से गरीब हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग गरीब हैं, उनके लिए जरूरी है। हम इसलिए महसूस करते थे, आज से तीस साल पहले वी.पी. सिंह जी के समय से कि कहीं ऐसा न हो कि कान्फ्रन्टेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब मंडल जाति का मामला आया था, जो हमारे दलित वर्ग के नेता थे, वे हमारा विरोध कर रहे थे कि आप मंडल कमीशन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा था कि देखिए यह डबल लॉक है, यदि आप नहीं करेंगे, तो एक दिन सब तुम्हारा ही रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो अच्छा हो गया, 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हो गया। हमको क्या घाटा है, यदि 10 प्रतिशत रिजर्वेशन गरीब लोगों को मिल जाता है, तो जो कल तक रिजर्वेशन का विरोध करते थे, आज वे रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ गए हैं, उससे दलित का हक नहीं मारा जाता है, पिछड़ी जाति का हक नहीं मारा जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? थॉमस साहब कह रहे थे कि यह नहीं है, मैं रेलवे मिनिस्टर था, रेलवे मिनिस्टर के समय में हम एक बात कहते थे - Where there is a will there is a railway, where there is no will there is a survey. जहां इच्छा है, रेलवे है, नहीं है, तो सर्वे है। करना है, तो तुरंत करिए, नहीं करना है, तो एक कमीशन बनाइए। पहले भी ऊंची जाति के लिए कमीशन बना था, सवर्णा आयोग और कई आयोग बनते गए। मंडल आयोग से पहले भी बना, एस.सी./एस.टी. के लिए भी बना। जो मामला है, वह नीयत का मामला है। इसलिए इसमें जो सबसे अच्छी बात है, वह है- शैक्षणिक और सबसे खुशी की बात है कि सरकार ने इसमें 15-5 के तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। वह हिन्दू ही रहेगा। जैसे पिछड़ी जाति में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उसी तरह से इसमें भी हर धर्म के लोग हैं। आपको याद होगा कि जब रिजर्वेशन हुआ था, कॉस्ट के नाम पर रिजर्वेशन था, उसमें सिर्फ हिन्दू शेड्यूल कॉस्ट के थे, उसमें बाद में सिख जोड़े गए, जब हम आए, तब हमने नवबुद्धों को भी आरक्षण देने का काम किया था। दलित क्रिश्चन और दलित मुस्लिम की भी मांग चल रही है, लेकिन उनके ही अपने लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो धर्म में कॉस्ट नहीं है। मुसलमान में कोई जाति है ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा है कि सबका विकास हो, तो दलित का अधिकार था, वह पूरा हो

गया, ओ.बी.सी. कमीशन का था, वह हो गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, वह हो गया। जो राम का मुद्दा था, हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं और आप सबसे भी कि इसका स्वागत करना चाहिए, सब लोगों की यही मांग है कि देश में शांति बनी रहे। सब कुछ बने, लेकिन शांति रहे। लेकिन शांति बनी रहने का एक ही तरीका है - कोर्ट। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वही मान्य होगा, उसके बाद नो इफ एंड बट लगना चाहिए। मामले को वहीं पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हां ठीक है, जो ऋषि-मुनि लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, अलग-अलग आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उमा दीदी हैं, सब लोग हैं। हम लोग मानते हैं, आस्था का सवाल अपनी जगह पर है, पार्टी का मैनिफेस्टो अपनी जगह पर है। लेकिन सरकार अपने कानून-कायदों से चलती है। संविधान के मुताबिक चलती है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कान्फ्रन्टेशन की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती थी। हमने 28 नवंबर, 2000 को लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी।

आप उस समय का हमारा मेनिफेस्टो पढ़िए। हमने उसमें कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को 15 परसैंट आरक्षण होना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं, हम हमेशा से लगातार 15 परसैंट आरक्षण की बात कहते रहे हैं। आप कह रहे थे कि कितनी पापुलेशन है, ठीक है, 52 परसैंट पापुलेशन पिछड़ी जाति की है तो 27 परसैंट रिजर्वेशन हुआ है। सिर्फ एस.सी.,एस.टी. है, जिन्हें जनसंख्या के मुताबिक रिजर्वेशन मिला है। यह बहुत ही अच्छा कदम है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम कहते हैं। हम लोगों के नेता श्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आप तीन चीजें करवाइये। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम आग्रह करना चाहते हैं, एज ए मिनिस्टर नहीं, हम सरकार के अंग है। हम कहना चाहते हैं कि अब जो साठ परसैंट रिजर्वेशन हो गया है, इसको नौवीं सूची में डाल दीजिए। जैसे ही यह नौवीं सूची में आएगा तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। अन्यथा कोर्ट में हमेशा बखेड़ा खड़ा होता रहता है। इसलिए इसे तुरंत नौवीं सूची में डालिए।

जैसा हमारे साथी ने कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि सरकारी नौकरियां धीरे-धीरे कम हो गई हैं, लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार दोषी नहीं है। 1991 में जब श्री नरसिंहराव जी की सरकार बनी थी तो पेंडोरा बॉक्स खोला गया था। उसमें यह कर दिया गया था कि प्राइवेट सैक्टर में भी सब चीजें होंगी, धीरे-धीरे प्राइवेट सैक्टर में चीजें चली गईं। जब प्राइवेट सैक्टर में सब कुछ जा रहा है तो दूसरा काम यह कीजिए कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सैक्टर में जो आरक्षण है, आप उसकी भी बात कीजिए। यह सिर्फ एस.सी.,एस.टी. तथा ओबीसी के लिए नहीं, बल्कि आप जो साठ परसैंट आरक्षण दे रहे हैं तो वहां भी यह साठ परसैंट आरक्षण होना चाहिए…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : न्यायालयों में भी कराइये।

श्री रामविलास पासवान: आप मेरी बात सुनिये, आप बैकवर्ड क्लासेज के नेता हैं, आप हल्ला मत करिये।

तीसरा हमारा कहना यह है कि लॉ मिनिस्टर चले गए, तीन दिन इनका बयान आया, हमने बड़ा स्वागत किया।

तीसरी जो इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस है, वहां कोई कम्पिटीशन नहीं है। केवल अमीर का बेटा, अमीर का बेटा बनता जायेगा, ऊंची जाति में क्या गरीब का बेटा नहीं होता है? कोलेजियम में किसका है? इसलिए आप इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस में भी यह कराइये, जिससे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और हर जाति और धर्म के लोगों को उसमें स्थान मिले।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (काराकाट): पार्लियामैंट का सैशन एक दिन और बढ़ाकर इस काम को भी कर लिया जाए।

श्री रामविलास पासवान: हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम बतलाते हैं कि हमारे दिल में, दिमाग में कहीं भी जात-पात, धर्म और मजहब नहीं है। जो सही बात होती है, हम लोग सही बात को हमेशा कहते रहते हैं। जो जनता के हित में हैं, मासेस के हित में है। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग शुरु से जिन-जिन चीजों के लिए लड़ते रहे हैं, हमारी सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है।

बस ये एक-दो चीजें बची हैं। हमें लगता है कि अगली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी फिर से आएंगे और वह प्रधान मंत्री बनेंगे तो ये तीनों काम भी हो जाएंगे, जिसमें पहला काम यह है कि इसे नौवीं सूची में डालें, प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन हो तथा इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस में भी यह पूरा हो जाएगा। हम सारे देश के लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग इसका समर्थन करें और एनडीए को मजबूत करके दोबारा पावर में लाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman Sir. Today, a Constitution (Amendment) Bill has been moved as a special agenda. Of course, the Hon. Speaker has the power to accept any Bill. But as the previous speaker to the previous speaker, Shri Jithender Reddy was mentioning towards the end of his speech, there are certain amendments to this Bill. This House is bereft of moving any amendments to this Bill.

<u>19 00 hrs</u>

This has been withdrawn by the machination of the present Government by the manner in which this Bill has been listed today. These are all technicalities, which perhaps most of the political parties wanted to do away with or have agreed to with the Government, but I would initially express my opinion on this, namely, that this should not be the practice no matter whichever Party is in the Government.

Here is something, which is being done for posterity, and a new history is being made today. Attempts have been made since 1980 that there is a need to identify the economically weaker section of the society, and provide them and support them with affirmative action.

Reservation, in our country, has been nothing new and as has been rightly mentioned that since the pact between Father of the Nation, Mahatma Gandhi and Dr. Babasaheb Ambedkar, which is normally called the Poona Pact, the process of affirmative action has come into operation in 1932, in pre-Independence time.

I would mention four instances where affirmative action or as we call it 'reservation procedure' was incorporated into our Constitution and our law-making system to provide adequate support to the weaker / deprived section of society.

The Poona Pact of 1932 was specifically keeping aside 148 seats for depressed classes in Provincial Legislature, and 18 per cent of the seats in Central Legislature. This was the agreement, and that is how the division or the fissure was being created during that period of time. Gandhiji took-up on himself and the then Congress Party also, and all the Leaders were asked to lead movements and to bring in those depressed classes into the main-fold. A lot of things happened during that period of time, which is a part of history today.

Subsequently, in 1937, seat reservation for the depressed class was incorporated into the Government of India Act of 1935. It was a legislation by the British designed to give Indian Provinces greater self-rule and set-up a national federal structure, which would incorporate the princely States. This Act introduced the term 'Scheduled Caste'. उससे पहले शेड्युल्ड कास्ट्स का शब्द ही व्यवहार में नहीं था, वे रख रहे थे डिप्रेस्ड क्लास। सन् 1937 से शेड्युल्ड कास्ट्स शब्द आया।

In 1942, a large number of Leaders were behind bars, but there was a Government and World War was there, and in 1942 Dr. Ambedkar got the British Government to accept his demand for reservation in services and education. यह इतिहास जानने की जरूरत इसलिए है कि reservation in services and educational institutions was started by Dr. Babasaheb Ambedkar in 1942, and

subsequently in 1947, in the Constituent Assembly, a specific provision was made of Scheduled Caste reservation. In that Constituent Assembly, the representation of Scheduled Castes was 6.5 per cent, and the Brahmin representation in the Constituent Assembly was 45.7 per cent.

अच्छी किताब भी निकली है कि कौन से मैम्बर ने क्या-क्या इश्यू उठाएं? कौन से मैम्बर ने क्या-क्या अमेंडमेंट्स दिएं। At the making of the Constituent Assembly, that makes a very terrific study to find out how the mind was being applied for certain interested groups to bring in the whole society together. I would say, at that point of time, despite Brahmin representation being 45.7 per cent in the Constituent Assembly, they encompassed not only the Dalits of the Scheduled Castes but also the Tribal sections of our society. That is how in 1947 or after 1947, in 1950, the Constitution ensured safeguards for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

In 1953, already it has been said, the Backward Classes Commission was formed under Kalelkar. In 1963, the Supreme Court rules that total reservation cannot cross 50 per cent. अभी हाल ही में बार-बार हमें कहना पड़ता है कि इंदिरा साहनी केस में यह हुआ, यह हुआ but in 1963, there was a case where it was also said 50 परसेंट से अधिक नहीं होगा।

In 1978, the Mandal Commission formed to consider quota for disadvantaged castes. It suggested reserving 27 per cent seats for Other Backward Castes. In 1989, I remember the day in the Central Hall, we were in the Gallery to see what is going to happen because the largest party that was elected, declined to take over the power. Leader of that Party said that this

mandate is against me; I will wait for another day, another time. And the Government was formed. During that time, V.P. Singh announced the implementation of Mandal Commission's recommendations in Government jobs. It meets with widespread resistance. I need not recollect or remind this House what happened subsequently, both in Delhi, and in other parts of the country.

But in 1992, the Supreme Court upholds 27 per cent quota for OBCs and says that creamy layer should be excluded. That was a nine Judge Bench decision, which puts a cap of 50 per cent. In 1995, the 77th Constitution Amendment to Article 16 allows continuation of reservation for the SCs and STs in promotions. In 1997, the 81st Constitution Amendment permits reserved vacancy backlog to be treated as a separate and distinct group to which the ceiling of 50 per cent does not apply.

In 2000, during Atal *ji's* time, the 82nd Constitution Amendment inserts a provision in Article 335 to enable States to give concession to the SCs and the STs candidates in promotion. Later, the validity of all these amendments was challenged in the Supreme Court. In 2006, the Supreme Court upholds them. Amendments stipulate that the States should show reasons before making provisions for reservation. In 2007, Uttar Pradesh introduces reservation in job promotion. In 2011, the Allahabad High Court rules that it is unconstitutional citing the Supreme Court decision. In 2012, the decision of the High Court is challenged in the Supreme Court which upholds it by rejecting the Government's argument saying that the Uttar Pradesh Government has

failed to furnish sufficient valid data to justify the move to promote employees on caste lines.

This explains the history which has happened during the pre-Independence time and subsequently, after Independence till the date which I have just now mentioned.

19 10 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

While going through the Bill today, I found it very interesting and it needs to be supported in full measure because when we talk of economically weaker sections of society, the question arises: Did it not occur to anyone earlier that there were so many people in and around rural areas as well as in urban areas? Whenever we move around in our constituency, we find not only that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes are poor, backward classes are poor, but people who are from general category are also poor who are in need of education, in need of services, in need of employment.

In that respect, when this Bill came up, the first reaction came into my mind was: Did any previous government not think of it? Yes, it had. It was in 1980 when the Congress in its manifesto had said, “We would implement this type of reservation when we come to power”. पर यह सारी चीज एक ही स्लोगन में बह गई – the government that works. That was the slogan in 1980. But this commitment which was given in their manifesto was lost track of. Subsequently, when Mr. Narasimha Rao became the Prime Minister of India,

while implementing Mandal Commission Report, he also issued a Government Order which was subsequently challenged in the Court of Law.

I would only mention here that attempts were made by the respective governments during last 39 years since 1980 that, yes, economically weaker section of society needs to be identified and they should be provided affirmative support. But, today, this Government has come out with a Constitution Amendment.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : In that respect, I would say that for the first time in the history of our democratic republic, economically weaker sections of citizens are being provided the benefit through affirmative action. Clauses 4 and 5 of Article 15, and clause 4 of Article 16 provide reservation for people as per caste. But, here, as per their economic status, reservation is going to be provided both in services as well as in employment. But we have to work further in the sense that the economic criteria will not continue as it is today. As it is in the first week of January, 2019, it will be the same in 2024 because, through economic progress, a family may progress further, a family may also come down in the economic strata. So, what will be the mechanism of identification? Once one is identified on caste lines, as it happens, one is always on the caste lines because one does not change one’s caste, one cannot change one’s caste. But in economic criterion, this needs adequate reformation every ten years which is not there in the Bill. How are they going to identify? How are they going to delete? It does not happen.

As we encounter during our visit to our constituency, a person who was rich yesterday or ten years ago was denied the benefit of Awas Yojana. But, today, he has become a pauper. Should the society and the Government not provide that much of economic support to that family? That is another issue which is connected to identifying an economic thing but our Party, Biju Janata Dal, is in full support of this.

I remember in 1991 when the Mandal Commission issue was going on, that time somebody asked our late-lamented leader Biju Patnaik, “What is your view on this?” He point-blank said as he always does – “Does the poor have any caste?” A poor is a poor and he needs all sorts of support from the Government and also from society.

Today, we believe that the same slogan is being propounded through this Bill. The poor have to be identified and the poor have to be provided with all sorts of affirmative support from the Government and that is what is required. But for the first time, as we are moving away, that is why I said that since 1932 till this date, that was on class line. Though this is for the first time today, but an attempt was made earlier that the identification of the beneficiary would be on economic criteria and that needs to be upgraded invariably in a time period.

I would like to understand from the Minister how we are going to meet this challenge providing 10 per cent of reservation in educational institutions in employment is one thing. I do not know how many of them will get that. In due course, of course, many of them will get that support. But how do you

determine a person who is economically weaker gets into the service and he earns certain amount of salary, will he continue in that category or will he be out of that category? That is another challenge which this Government has to meet and you have rightly so have left it to the State Government that they will determine. That is the best thing that you have done. I support this Bill. Our Party will support this Bill.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): At the outset, I am on behalf of Communist Party of India (Marxist) taking part on this Bill.

Madam, in principle we are not against this Bill, rather our successive Governments in West Bengal, Tripura and now in Kerala have been implementing similar programmes though, not in reservation or in this fashion. But, Madam, there is a question on the introduction of this Bill on the ending day of the Session. Why? It is the right of the Members and also the Parties that if any Bill is introduced, they enjoy the right to give amendments to enrich the Bill. This Bill is a Constitution Amendment Bill. It is very much important and we are going to make history. It is required that the economically backward section of our population to be supported in all respects.

So, it is learned from our veterans and there is a precedent in the past that while these kinds of amendments, Bills and very particularly, Constitution Amendments come, the Party in power would discuss with all stakeholders, i.e. all other Parties; and not only parties inside Parliament but also parties outside Parliament. But it has been done so hastily. So, their propriety or intention narrates something very different here.

That is why, we would like to pose some questions before the Government. This proposal is for 10 per cent reservation in jobs, education etc. But today, where are those jobs? A number of learned Members have already mentioned that the ruling party during the last elections made certain promises for generating 2 crore jobs each year. But the Government till yesterday failed

to supply any information to the nation. कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उसके आँकड़े सरकार से नहीं मिलते हैं।

Madam, I think you are also very much aware that today and tomorrow the working class of this country has resorted to nationwide strike. More than 20 crore workers are participating in the strike. What is their main demand? Their demand is that the Government should ensure jobs with minimum salary of Rs. 18,000 per month. It comes to Rs. 2.16 lakh per annum for the unorganized workers. I am not talking about the organized workers. The Government failed to provide that. Now the Government has brought the Bill that reservation will be given to persons having income up to Rs. 8 lakh per annum. Is it not a mockery? Is it not self-contradictory?

Madam, again I would say that our Constitution first introduced the reservation for socially backward communities, that is for SCs and STs, and after the Mandal Commission, for OBCs. What is the state of this reservation with SCs and STs? Thousands and lakhs of vacancies have been lying vacant for years. Backlog is not being filled up. The Government is demolishing all the vacancies. Now, if the Government is propagating that reservation will be given to the other economically backward persons also, is it not a mockery? That is why, our appeal is that to make this Bill should be more comprehensive.

There are learned Members who mentioned the Indira Sawhney case, 50 per cent cap etc. I would like to cite one example from my State. In our State, the Scheduled Tribes are 31 per cent, the Scheduled Castes are 17 per cent and then *divyang* persons are 2 per cent. The 50 per cent cap is

exhausted by all of them. So, we could not give any reservation to the OBCs who are 23 per cent of population in our State. Then the Government made recruitment rules that BPL families would be provided government jobs in Group C and D and 10,323 posts of teachers were filled. After five years of service, the Supreme Court struck down their recruitment. So, these aspects are there. That is why, we have to make this Bill more comprehensive so that these kinds of things do not come up. So, our request is: please refer it to the Joint Parliamentary Committee or Standing Committee so that there may be more discussion and this Bill may be passed more comprehensively in this House.

I am very much confused. The Ruling Party has more than 300 Members. Why are they scared? Do they not have confidence in their Members? Why are they still doing all these things? With these reservations, again, we support this Bill.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, on behalf of my party, I welcome the Bill that has been brought in by the Government today. There are a few suggestions and also a few questions that I would like to ask the hon. Minister and the Government through you.

It has for been 17 days that we have been in Session. I think, we have worked this time. A lot of Bills have been passed. What was the urgency to bring such an important Bill? It is being passed by consensus but if we had a more detailed discussion it would have been much better in the interest of the nation.

Two Ministers intervened. It was unfortunate that the hon. Finance Minister said that we were grudgingly supporting though we do not want to pass this Bill. This Bill is to support the poor. The same House, when we were sitting on that side and the people in power today were sitting on this side, had passed the Food Security Bill wholeheartedly. We had passed the Land Acquisition Bill, which is in the interest of the poor. This is not the first Bill which the House is passing to support the poor and uplift the masses. It was really painful for me that he thought that we were supporting this Bill grudgingly. We were doing the Mid-day Meal Programme and several such projects. I do not think anybody is supporting this Bill grudgingly. The only point was that if we had more time, there could have been a better discussion.

On the flip side, Shri Paswan who also happens to be in the Cabinet made two or three very surprising suggestions and made requests to the hon. Minister. यह लॉ में फंस न जाए, जो आपने अभी कहा। I was actually surprised that

somebody who is in the Cabinet said this. It makes me feel worried. अगर कैबिनेट मंत्री ही सरकार से मांग करे कि यह कोर्ट में ही कहीं न फंस जाए, that puts a question in my mind when he ends his speech by saying that.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I never said that.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : You can reply. Surely I am happy to yield, Sir.

श्री रामविलास पासवान: हमने सिर्फ इतना ही कहा कि कोर्ट में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। कोर्ट कब जजमेंट देगा, यह भी किसी को पता नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए कोर्ट में यह मामला नहीं जाए, तो जितने भी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और प्लस ये जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, इन सिक्सटी पर्सेंट को ही नाइंथ शेड्यूल में डाल दीजिए, जिससे कि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सके। यह हमने कहा।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सेंटिमेंट जो मुझे समझ आया कि उनको यहां बोलना पड़ा। उनके मन में शायद डाउट था, यह मेरा परसेप्शन था। I am glad that he clarified.

The other thing which the hon. Finance Minister also in his intervention said was that the Government has brought amendments to articles 15 and 16. He said that the States had already given reservation but they may be struck down unless these articles are amended. I am slightly confused. I ask the hon. Minister to clarify this. In Haryana, the BJP Government passed a Bill in 2016 to grant ten per cent quota to the Jats and that matter has been referred to the BC Commission. In Gujarat, there was one for Patidars; the State Government finally let the Ordinance lapse. The Maharashtra Government has given Marathas 16 per cent *aarakshan*. There are several others; for example, Telangana has the same issue which Shri Jithender Reddy brought up. So,

just for my knowledge and to put the record straight, I would ask the hon. Minister if he could clarify that when this was committed earlier, does it mean it was not done; and now that articles 15 and 16 are amended, this would stand only now? He may please clarify because I am unsure about it after the hon. Finance Minister has said that.

I appreciate that this Bill is being passed. They have been in power for four years, seven months, and probably 11days. I stand corrected, it is four years, seven months, and 12 days. But why has this Bill come in the last Session? Hon. Minister Paswan is a very sweet and honest man. He said, ‘Let us hope that this brings the hon. Prime Minister back to power.’ I just hope this is not a *jumla* and is really for the poor and for the right cause. I had a little concern. I respect what Shri Kushwaha has suggested.

I am sure with the consensus of the House if you bring the Indian Judicial Services and collegium law, we would all be happy to work for not just one more day but for five more days to bring in that change. We would not go to our constituencies, we would make the right changes and go.

There are two or three issues on which I would like to have clarifications from the Government.

Even Adsul Ji, who happened to be a part of the Government in Maharashtra, brought it up. Paswan ji has given us a very good line today. He said, “When there is a will there is a way. There is no will, there is a survey”.

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, जब हम रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के समय में हम किसी चीज में डिले नहीं करते थे, तुरंत यस या नो कर देते थे। उमा जी हमसे कहने आईं कि सर्वे करवा दीजिए। हमने कहा कि रेलवे लाइन चाहिए या सर्वे चाहिए, हमने उसी समय कर दिया । हम रेल मंत्री की हैसियत से कहते थे, "Where there is a will there is a railway. Where there is no will there is a survey".

जो भी करना है, जैसे अभी हो गया, इसके लिए कमीशन बनाओ, स्वर्ण आयोग बनाओ, ये करो, वह करो, अभी तक यही होता रहा है। जो करना है तुरंत करो इसलिए हम प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी सरकार से यह काम हो सकता है, यह हो गया । भविष्य में भी सरकार बनवाइए, हम फिर लागू करेंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण करेंगे, नौवीं अनुसूची में डालना या इंडियन ज्युडिशियल सर्विस, ये तीनों काम हो जाएंगे, हमें पावर में ला दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : हर कोई कमेंट नहीं करेगा।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I would like to take exactly the point from what Paswan ji said that if there is a will there is a way. If there is no political will there is a survey. So, I would like to reiterate the point which Adsul ji has said that when the BJP came to power in Maharashtra they committed to *Dhangar aarakshan.* धनगढ़ और धनगढ, ये दो अलग शब्द हैं, लेकिन मराठी में धनगढ़ को धनगर भी बोलते हैं and they have a long-standing demand that उनको एसटी कम्युनिटी में लिया जाए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा आज सर्वे हो रहा है, चार सालों से सर्वे हो रहा है। So, there is no political will and that is why probably there is only a survey. इसीलिए अनफोर्च्युनेटली धनगढ़ आरक्षण की ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। गहलोत जी ने इंट्रोडक्शन में कहा कि जिसको आरक्षण मिला हुआ है उसको हम बिल्कुल भी डिस्ट्रर्ब नहीं करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। We welcome that but धनगढ़ आरक्षण में अगर उनकी मांग एसटी की है तो उसे पूरा किया जाए, यह आपके मैनिफेस्टो में भी है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी की। आप

मैनिफेस्टो को पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर धनगढ़ आरक्षण का भी निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

I have last two small points.…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot speak like this. She is not a Minister.

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैडम, हमारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट आश्वासन है। मुस्लिम के लिए 12 परसेंट आरक्षण हमने मांगा है, एसटी के लिए 10 परसेंट आरक्षण मांगा है। रामविलास पासवान जी हुकूमत कहीं भी हो, वे हुकूमत में रहेंगे। मैं उनसे यही चाहता हूं कि क्या इसे नाइन्थ शेड्यूल में डालने का प्रयास करेंगे ?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Madam, I have just two more points to make. I yielded only out of respect, Madam.

Madam, from one senior Minister, who also happens to be from Maharashtra, I would like to ask a clarification. I do not doubt the Government's intentions that this is a *jumla* but they may clarify it because a senior Member, who happens to be in the Cabinet, has said and I quote:

> "Let us assume that reservation is given but there are no jobs because in banks, the jobs have shrunk because of IT. The Government recruitment is frozen. "

This is what they said about reservation. The Government may kindly explain in the reply what does it mean. The hon. Chief Minister of Maharashtra has been quoted of saying, "On the question of reservation, the CM said that reservation is not a solution and added that if reservation is given to every community, even then Government jobs cannot be given to 90 per cent of the younger generation". Madam, I am a bit confused.

माननीय अध्यक्ष : इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। You know it better.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : These are public statements. This is what they have said in public domain. They may clarify as to how the jobs will be created. It is not very difficult to do in education.

HON. SPEAKER: Job does not mean only Government service.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : They have to then clarify it.

HON. SPEAKER: You know it better. Please conclude now.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Maharashtra has a tradition of doing that in education for the Economically Backward Class. So, I urge this Government to look into reservation of *Dhangars, Kolis, Gowaris* and several such communities who are demanding for it. Thank you.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से संविधान संशोधन बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह बिल जिस तरीके से आया है और जिस नीयत से आया है, उस पर गंभीर सवाल हैं। इसी सदन में हम पांच साल से हैं। आप इस बात की गवाह हैं और पूरा सदन गवाह है, नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनके माध्यम से उनकी पार्टी के सांसद के तौर पर मैंने सदन में कई बार …

माननीय अध्यक्ष: यहां तो मुलायम सिंह जी हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : मैं पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, एक ही बात है। हम क्या पार्टी प्रेजीडेंट की बात नहीं कर सकते? क्या यह गलत है? नेता जी और माननीय अखिलेश यादव जी, एक ही बात है।

मैंने इसी सदन में कई बार कहा कि सबसे पहले जातीय जनगणना करो। भारत सरकार 5000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। जहां तक मुझे सूचना है रिपोर्ट तैयार है, लेकिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इस बात को लेकर डर रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना में पिछड़ों की तादाद तकरीबन 65 फीसदी है। हम चाहते हैं कि इसे सार्वजनिक कर दीजिए, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, अनुसूचति जाति के हों, उनकी आबादी के अनुपात में सभी के लिए 100 फीसदी आरक्षण कर दीजिए। हम समाजवादी लोग इस पक्ष में हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी।

जहां तक इस बिल का सवाल है, कुछ लोगों ने हमेशा रिजर्वेशन के नाम पर कहा कि प्रतिभा नहीं है इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है, क्षमता और बौद्धिक स्तर नहीं है इसलिए लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। मैं आज इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि कम से कम वे लोग भी रिजर्वेशन की वकालत करने लगे। इसका मतलब है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया से लेकर नेता जी और माननीय अखिलेश जी तक जो समाजवादी लोग मांगते रहे, वह बात सही थी और इसे आज आपने स्वीकार भी किया है। अगड़े लोग जो 10 फीसदी हैं, यह बिल उनके लिए लाया गया है। वे भी जानते हैं कि पांच साल की प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद आखिरी दिन, आखिरी विधेयक के तौर पर

यह बिल लाया गया है, किस नीयत से लाया गया है, किस नीति से लाया गया है। यह आवाम भी जानता है किनके लिए आपने इसे लाने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कई सवाल पूछना चाहता हूं। देश में समानता होनी चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा कि लोग पिछड़े हैं, यहां तक तक माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जब दौड़ छोटे और बड़े लोगों के बीच होती है तो विशेष अवसर की जरूरत होती है। यही बात माननीय डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कही थी। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ों की तादाद में एससी, एसटी और ओबीसी की सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबरी कर लीजिए, केंद्रीय सचिवालय में कर लीजिए, मुख्य मंत्रियों में कर लीजिए, गवर्नर्स में कर लीजिए, पीएसयू में जो लोग बैठे हैं उसमें कर लीजिए, न्यायपालिका में कर लीजिए। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर एससी, एसटी, ओबीसी का कोई नहीं है, उसमें समानता कर लीजिए। समाज में तमाम प्रकार की असमानताएं हैं और इस मुद्दे को लगातार हमने सदन में उठाया है।

यहां संविधान संशोधन बिल लाया गया है। मैंने माननीय एचआरडी मिनिस्टर से कई बार कहा कि जिस तरह से यूजीसी ने रोस्टर की प्रणाली बदली है, उससे आने वाले 200 सालों में भी देश के पिछड़े, दलित, एससी और एसटी लोगों को कभी भी विश्वविद्यालय में सहयोग, समानता और भागीदारी नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप इन तमाम चीजों पर विचार करके समानता लाइए। हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि दस करोड़ रोजगार कहां गए? मेरे पास सूचना है कि 24 लाख केंद्र सरकार में पोस्ट वेकेंट हैं, हम चाहते हैं कि जो पोस्ट वैकेंट हैं, उनमें सबसे पहले बैकलॉग की भर्ती कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, बहुत बातें ओबीसी कमीशन के बारे में कही गईं। ओबीसी कमीशन का विधेयक पारित जरूर किया गया, लेकिन इतने दिनों में ओबीसी कमीशन गठित नहीं हो पाया है।

यह नीयत है आपकी। आपने ओ.बी.सी. कमीशन का गठन नहीं किया। पासवान जी कह रहे थे, ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। मुझे एक मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: सिर्फ एक मिनट ।

…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, इस सरकार के अंदर देश के दबे, कुचले, पिछड़े, शोषित, एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी के साथ जितना अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण हो सकता है, वह मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ । अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं। …(व्यवधान)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली): मैं संविधान के 124 वें संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। अभी माननीय धमेन्द्र जी बोल रहे थे, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं। मुझे लगा बहुत दिनों बाद आप सपा-बसपा की ज्वाइंट स्पीच पढ़ रहे थे।…(व्यवधान) हम लोग इसका उत्तर आपको अलग से देंगे। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing would go on record except the submission of Dr. Mahendra Nath Pandey.

…(Interruptions)… *

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : मैं आज संविधान सभा से जुड़े कक्ष में बैठा हूं। उस समय संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदृष्टि से जब सामाजिक विसंगतियां थीं, उसके आधार पर पिछड़ेपन के आधार की संभावनाओं को देखते हुए प्रावधान किया था। लेकिन, उसमें एक शब्द लिखा था नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद-46 में कि दुर्बल मतलब गरीब लोगों को हम लोग आगे बढ़ने का अवसर देंगे। मुझे आज खुशी है कि उस दुर्बल शब्द का पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सिद्धांत अंत्योदय के अनुयायी और गुजरात में जो लगातार 13 वर्षों के राज का क्रम चल रहा है। 'सौनो साथ, सौना विकास' का नारा देकर समाज को जोड़ा, इसका हिन्दी रूपांतर 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा लेकर नरेन्द्र मोदी जी ने कदम बढ़ाये। आज 69 वर्षों की भारतीय गणतंत्र की यात्रा और 72 वर्षों की आजादी की यात्रा के बाद यह एक ऐतिहासिक कदम है। उसी 'दुर्बल' शब्द का जो इसी संविधान सभा में लिखा गया गया था, उसके विस्तार का काम आज हम लोग इस सदन में करने जा रहे हैं, हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय मोदी जी इसके लिए अभिनन्दन के पात्र हैं। आज तमाम ऐसे अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, सबको हमारा पूरा समर्थन है और इस बात के लिए भी बधाई है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को

* Not recorded.

बिना कोई छेड़छाड़ किये हुए यथावत उनको बनाए रखते हुए अलग से इस आरक्षण को देने का जो काम करने का साहस किया है, इस साहसिक कदम के लिए माननीय मोदी जी अपने-आप में बधाई के पात्र हैं।

महोदया, आज हम लोग अनेक जगह जाते हैं। सब ने विकास किया है, हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने भी विकास की गति की बात की है। यह अलग बात है कि जब हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन छह वर्षों में देश में विकास की रफ्तार काफी तेज गति से बढ़ी। जब मोदी जी की सरकार आई तो हर आयाम पर विकास चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है तथा रोज़गार के तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। कभी-कभी लोग आबादी के हिसाब से कहते हैं कि यह विश्व का छठा देश है। वहां एक ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश सघन आबादी का क्षेत्र है, वहां तमाम परिवार बढ़ते गए, उनका विस्तार होता गया और बँटवारे होते गए। आज अनेक ऐसे घर हैं, जहां घर तो पुराना है, वह गिर गया या आधा बचा है, लेकिन उस घर के पास एक बिसवा जमीन नहीं है, जब तक वह रिक्शा न चलाए, चाहे वह ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, वैश्य हो, जब तक कोई पान की दुकान न खोले, ठेला न चलाए, कहीं किनारे कोई रेहड़ी न लगाए, तब तक उनको रात की दो रोटी नहीं मिलती है।

ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोगों के सामने कभी-कभी ऐसी अजीब परिस्थिति भी उत्पन्न होती है कि कैसे हम इन परिस्थितियों का सामना करें। शासन के भी हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि आरक्षण और सुविधाओं के आधार उन प्रावधानों में हैं। इसके माध्यम से उन सभी लोगों के आंसू पोंछने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने इस सन्दर्भ में किया है।

महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब माननीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थी, उस समय मैं उत्तर प्रदेश का पंचायत राज का विभाग देखता था। जब राजस्थान में इसी तरह के गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का एक आन्दोलन चल रहा था, उस दौरान मैंने अपनी कांस्टीटुएंसी का सर्वे कराया। मैंने ऐसे 68 नाम ढूंढे और उनको माननीय अटल जी के सामने रखा कि अगर ये

लोग ठेला न चलाएं, रिक्शा न चलाएं तो रात को इनको रोटी नहीं मिल सकती है। इन्हें हम इंदिरा आवास तक नहीं दे सकते, कोई भी सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि इनका नाम सामान्य वर्ग में दर्ज है और पुराना गिरता-पड़ता घर कायम है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने उस समय आर्थिक आधार पर एक सर्वेक्षण कराकर, गरीबों को अवसर देने के लिए एक आयोग गठित किया। कालांतर में, वर्ष 2004 में वह सरकार आगे नहीं बढ़ पाई तो संप्रग सरकार ने उस विषय को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। सिन्हा कमेटी की वर्ष 2006 की रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इन सब परिस्थितियों पर सम्यक विचार के चलते, आज यह अवसर आया है। इस सदन में चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, इस परेशानी को 72 वर्ष की आजादी के बाद कौन स्वीकार नहीं करता है कि आज तमाम सुविधाएं मिलने के बाद, समाज में धीरे-धीरे आबादी के विस्तार में, सामान्य वर्ग में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हो गया है, जिसे कहीं न कहीं थोड़े सहारे की जरूरत है। अगर वह सहारा उसे नहीं दिया जाएगा तो उसका जीवन बेहतर नहीं रहता है। हमें खुशी है कि माननीय मोदी जी की गरीबों के सन्दर्भ में आई अनेक योजनाओं का लाभ जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित और पिछड़े लोगों को मिल रहा है, वहीं जिनकी राजनीति अनेक लोग करते हैं – अल्पसंख्यक वर्ग के भी गरीबों को भी उनका लाभ मिल रहा है और उनकी जिन्दगी बेहतर हो रही है। आज इन सभी चीजों पर उनका ध्यान गया है और आज ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। …(व्यवधान) मैं किसी की आलोचना में या किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो कभी-कभी बोला जाता है। …(व्यवधान) अगर घर देखना हो तो साढ़े तीन साल तक मोदी जी पैसा भेजते रहे और आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में केवल 68 हजार आवास बने और योगी जी ने केवल डेढ़ साल में 18 लाख आवास बनाकर दे दिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलते रहिए। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(व्यवधान) *

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: उनको चिल्लाने दीजिए, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(व्यवधान)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा। …(व्यवधान) आज किसी के मन में यह बात नहीं रही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाओं में, अनेक परिस्थितियों में क्रीमी लेयर पर उठे विषयों पर अनेक बार यह बात आती रही कि सामान्य वर्ग के गरीबों की भी चिन्ता करनी चाहिए। इस देश में कई बार हम लोग गर्व से कहते हैं, लेकिन कुछ लोग आलोचना में कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। वह 56 इंच का सीना जैकेट बनवाने के लिए नहीं है, वह जीवट के लिए है, इच्छाशक्ति के लिए है। वह इच्छाशक्ति मोदी जी ने दिखाई है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को कष्ट दिए, किसी का आरक्षण एक प्रतिशत कम किए बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को लाभ दिया है। वे लोग सामान्य वर्ग में किसी भी जाति के हो सकते हैं – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ, अनेक राज्यों में जाट, गूजर, पटेल आदि सभी को यह लाभ मिलेगा। …(व्यवधान)

महोदया, मैं बहुत दिनों बाद सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे एक मिनट समय और दीजिए।…(व्यवधान) यह उन्होंने करके दिखाया है। मैं आज आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि इसके दो अन्य पहलू हैं।

एक पहलू यह है कि आरक्षण की प्रक्रियाओं के चलते समाज में प्राचीन काल में, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे भी काम किए। कहीं कोई उसकी विकृत व्याख्या के चलते छूआ-छूत आदि आई, वरना हम ने संत रविदास को अपना संत माना, अपना पूज्य माना, हम हमेशा समाज को साथ लेकर चले। इस लंबे दौर में कहीं न कहीं एक नई विकृति पैदा हो रही थी कि एक समाज में कुछ लोगों की बहुत बुरी हालत है और उनको वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन बगल के लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं तो उनके मन में द्वेष और चिढ़ पैदा हो रही थी। आज माननीय मोदी जी ने इस कदम से समाज के दलित, पिछड़े और अगड़े एक साथ चलेंगे, क्योंकि सभी के बीच सौहार्द पनपेगा, उनके मन का मतभेद दूर होगा और यह एक सामाजिक सौहार्द का भी काम करेगा।

महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी जैसा नेता, भाजपा, राजग की गठबंधन सरकार ही यहां पर बड़े ऐतिहासिक कदम उठा सकती है - नीति आयोग, जीएसटी, बजट को समय से पहले लाना ताकि विकास के अधिक अवसर मिलें, वैसे ही यह एक माइलस्टोन कदम है। आज एक बार फिर भारतीय जन-जीवन में गरीबों के लिए समर्पित सरकार ने, मोदी जी ने साबित कर दिया है कि यहां गरीबों के लिए जो मत्था टेके हैं, समाज के हर गरीबों के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार, दलित, पिछड़े और अगड़े सभी गरीबों के लिए पूरे समर्पण से तैयार है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आप सभी से भी इसके समर्थन के लिए अपील करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप केवल तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जिस तरीके से संशोधन बिल लाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। यह एक धोखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 50 प्रतिशत का बैरियर टूट गया है, 60 प्रतिशत पर आ गया है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमें कहना है कि जातीय जनगणना कराई जाए। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर संसद तक लगातार कहते रहे कि जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें आप 85 प्रतिशत दीजिए, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े के लिए हमें 85 प्रतिशत आरक्षण चाहिए, आप 10 प्रतिशत ले जाइए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 85 प्रतिशत चाहिए। जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो दलित हैं, जो मुख्यधारा से छूटे हैं, उनके हक को सुनिश्चित कीजिए, इसमें उनको शामिल कीजिए। इसके साथ-साथ कौन भूमिहीन है, किसके पास छत नहीं है, कौन शिक्षा और नौकरी से वंचित है, इसकी जांच कराइए और उसके आधार पर आरक्षण निश्चित कीजिए। अभी तक जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है, हकमारी होती रही है, मान-सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिला है, शिक्षा से वंचित रहे हैं और आज विश्वविद्यालय के कैम्पस से ही रोस्टर का आपका जो कार्यक्रम है, उससे विश्वविद्यालय में कोई एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़ा का बेटा प्रोफेसर नहीं बन सकता है, लेक्चरर नहीं बन सकता है, मैं आपके सामने यह कहता हूं। यह चुनाव के लिए शिकारी की तरह जाल बिछाया जा रहा है। चुनाव के लिए तीन माह बचे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, जैसे दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और पकौड़े की दुकान खोलेंगे, 15 लाख रुपये देंगे, आप वहां जाइए, वे धोखा दे रहे हैं। हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले हैं, उसके पक्षधर हैं। यह चुनाव धोखा है। हमें 27 प्रतिशत से 85 प्रतिशत कीजिए, नहीं तो संसद से सड़क तक लड़ाई तेज होगी। हमारे नेता आदरणीय लालू जी का मंडल कमीशन था, तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रामविलास पासवान जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन इन्होंने कहा है कि एसस/एसटी के मामलों में, जब देश भर में आंदोलन कर रहे थे तो कोई सड़क पर नहीं आया। मैं सदन में बोल रहा हूं और ईमानदारी से बोल रहा हूं कि आज बिहार में आदरणीय लालू जी ने कहा कि सभी लोग सड़कों पर निकलो। एससी, एसटी के लोगों को साथ लो। आरजेडी के 50 हजार कार्यकर्ताओं पर आज बिहार में मुकदमा चल रहा है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए आदरणीय लालू जी को जितनी मुसीबत झेलनी पड़े, वे झेलेंगे। माननीय कुशवाहा जी ने जैसा कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामविलास पासवान : महोदया, ये लोग मोदी जी के लिए कहते थे कि वे दलित विरोधी हैं और जब एससी, एसटी एक्ट के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग करके लोक सभा में बिल पास करके राज्य सभा में पास करवा दिया गया, उसके खिलाफ जब लोग सड़क पर उतरे, तो किसी ने समर्थन नहीं किया था।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, आज 8 जनवरी है और इतिहास का बहुत ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1964 में आज के ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में एक आह्वान किया था कि गरीबी को हटाना है। आज मोदी जी ने समाज की वैमनस्यता एससी, एसटी, ओबीसी और फार्वर्ड समाज के बीच में ऐसी जो जातियां हैं, जो आरक्षण के लिए छूट गई थीं, उनके रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है।

लोग कहते हैं कि "सबका साथ सबका विकास" में क्या हुआ। मेरे साथ माननीय मंत्री श्री गिरिराज जी बैठे हैं। वे कह रहे थे कि क्या इन लोगों को समझ नहीं आता है कि "सबका साथ सबका विकास" क्या होता है। हम ओबीसी कमीशन लेकर आए। इतने वर्षों से ओबीसी को लेजिटिमेट पावर मिलनी चाहिए थी, वह किसी सरकार ने नहीं दी, बल्कि इसी मोदी सरकार ने दी है। जैसा राम विलास पासवान जी बोल रहे थे कि उनके मन में भ्रम आ गया कि एससी, एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद समस्या आई कि उसके कारण हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे, लेकिन बिना वोट की परवाह किए मोदी जी ने उस कानून में संशोधन कर दिया। जो मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक से पीड़ित थीं, तीन तलाक चाहे व्हाट्सऐप से कर दीजिए, फोन से कर दीजिए या ऐसे ही बोल दीजिए, माइनोरिटीज के अधिकार के लिए तीन तलाक बिल लेकर आए।

आजादी के 70 वर्षों बाद जो फार्वड क्लास कहलाते हैं, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और आरक्षण के प्रति समस्या थी, जैसा कि महेन्द्र नाथ पाण्डेय बोल रहे थे कि आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसकी पूर्णतया समाप्ति कर दी। क्या यह "सबका साथ सबका विकास" नहीं है?

अध्यक्ष महोदया, आज किसी के लिए क्या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे जैसे परिवार में पैदा हुए लोगों के लिए आज होली, दीपावली, दशहरा सारे त्यौहार हैं। मैं चाहता था कि मैं आज पॉलिटिकल भाषण न दूं। मेरे पिताजी किसान हैं और आज भी मेरे माँ-बाप गाँव में ही रहते हैं। मैं शहर में मामा के यहां पढ़ता था। मेरे मामा जनसंघ के अध्यक्ष थे और इमरजेंसी में वे जेल चले गए।

वे 19 महीने जेल में रहे।...(व्यवधान) पप्पू जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं यदि कह रहा हूं कि मेरे माँ-पिताजी गाँव में हैं, तो वहां जाकर देखिए। आप बगल में रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। इमरजेंसी में जब मेरे मामा जेल चले गए, तो मैं गाँव में अपने नाना के यहां पढ़ने के लिए चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। जब मैं गांव गया, तो मेरी बड़ी बहन, जो मेरे से तीन साल बड़ी है, उसने मेरे से तीन साल बाद मैट्रिक पास किया, क्योंकि मैं शहर का लड़का था और अब मैं जहां से सांसद हूं, मैं देवघर में पढ़ता था और मुझे अंग्रेजी आती थी। इस कारण चौथी क्लास की जगह सातवीं क्लास में मेरा एडमिशन हो गया।

<u>20 00 hrs</u>

मेरी बड़ी बहन ने मेरे बाद दसवीं की परीक्षा पास की। वह लड़का किसी तरह से कॉलेज जा पाया, दो रुपये टमटम का किराया बचाने के लिए वह तीन किलोमीटर तक ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था। भागलपुर मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ रोज ट्रेन पकड़कर जाता था और रोज ट्रेन पकड़कर आता था। जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया, तो मुझे लगा कि स्कूल में जो अन्याय मैंने अपनी बहन के साथ किया, चूंकि मैं शहर में पढ़ता था, वही अन्याय हमारे साथ हुआ। यहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे कांवेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, हार्वर्ड में पढ़ने वाले लोग हैं, क्या यह डिसक्रिमीनेशन नहीं था? हमारे जैसे लोग जिस दर्द के साथ पले-बढ़े हैं, आज का यह बिल, क्या हमारे लिए दशहरा और दिवाली मनाने के दिन जैसा नहीं है? क्या मोदी जी ने यह अधिकार नहीं दिया?

मैं आपको बताऊँ, मेरे दोनों बेटे दर्शक गैलरी में बैठे हुए हैं। वे सिंगापुर में पढ़ते हैं। उनको रिज़र्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वे सुबह उठे, तो उन लोगों ने कहा कि पापा, बिल कैसे पास होता है, हम यह देखने के लिए जाएंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोगों को तो रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा, तुम लोग तो रिज़र्वेशन के हकदार नहीं हो। उन्होंने कहा कि पापा हम लोग जब भी गांव जाते हैं, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, फूफा आदि के पास आज भी बढ़िया कपड़े नहीं हैं। उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल में टीचर बढ़िया से अंग्रेजी

सिखा नहीं पाते हैं। उनके लिए यह जो बिल आया है, तो हमको यह देखना चाहिए कि हमारा पूरा परिवार इतना खुश है और जब मेरा परिवार इतना खुश है, तो इस देश में जितने परिवार हैं, जो इतने दिनों से अन्याय सह रहे हैं, वे कितने खुश होंगे?

दूसरा सवाल यह है कि इस देश में दो ही जातियाँ हैं। वह या तो अमीर है या गरीब है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है:

चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कहीं सड़क पर खड़े हुए,
और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।

आज की क्या स्थिति है? आप यह समझिए कि वर्ष 1947 में रिज़र्वेशन आया । एससी, एसटी को वर्ष 1947 के बाद रिज़र्वेशन मिला । वह रिज़र्वेशन जरूरी था। वह इसलिए जरूरी था कि अगर मैं गांव का लड़का हूँ, जो बात रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि छुआछूत एक बड़ी बीमारी थी। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, वे अलग मोहल्ले में रहते थे। ओबीसी में भी कुछ ऐसी जातियाँ थीं, जिनका पानी बड़े लोग पीते थे और छोटे लोगों का पानी नहीं पीते थे। इस रिज़र्वेशन ने समाज में समानता लायी। लेकिन, यह सिचुएशन कैसे पैदा हुई? यह सिचुएशन इसलिए पैदा हुई कि हमने अपने वेद और पुराणों को भुला दिया। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों के आने के बाद और उनके पहले मुगलों के आने के बाद, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, हमारे यहाँ जो अमीर परिवार के लोग थे, ऐसे कितने लोग थे, जिनके घर में शौचालय था? मैं इस सदन में बैठे हुए 545 सदस्यों में से गांव के लोगों से पूछता हूँ कि जो अमीर लोग थे, क्या उनमें से किसी के घर में शौचालय था? शौचालय नहीं था। आज से 30-35 साल पहले जो अपने आप को जमींदार और राजा कहते थे, उनके घरों में भी शौचालय नहीं था। जब शौचालय ही नहीं था, तो मेहतर जाति कैसे हो गयी? यह अंग्रेजों और मुगलों के कारण हुआ। उनकी बहू-बेटियों के कारण जो हरम की व्यवस्था की गई, उसके कारण इस तरह की व्यवस्था पैदा हुई। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था जाति में बदल गई।

मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी बातें प्रूव कर सकता हूँ। ऋषि अत्रेय, जिन्होंने आत्रेय उपनिषद की रचना की। वे दासी के पुत्र थे। अलिस ऋषि दासी के पुत्र थे, जो बाद में ब्राह्मण हो गए। सत्यकाम जवालि एक वेश्या के पुत्र थे, जिन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। राजा दक्ष के पुत्र प्रसध शूद्र हो गए थे। राजा नैविष्य के पुत्र नाभाग वैश्य हो गए थे और नाभाग के बेटे बाद में ब्राह्मण हो गए थे। इस तरह के हजार उदाहरण हैं। मैं आपको यह कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था कहीं नहीं थी।

रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि बाल्मिकी जी ने की। वे किस जाति के थे? महाभारत की रचना किसने की? इसकी रचना वेद व्यास जी ने की। वे किस जाति के हैं? इस संविधान की रचना किसने की? इसकी रचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की। वे किस जाति के थे?

मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, वह जाति-पाति से ऊपर है। लेकिन, इन लोगों की गलतियों के कारण जाति वर्ण में हो गया। आज हमारे जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है और मैं आपको कहूँगा कि संघ में हम-आप जो बोलते रहते हैं-

ॐ सह नाववतु,
सह नौ भुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

एक प्रेमचन्द की लाइन है कि हम लोगों को अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी, जो बड़ी जहरीली थी, उस जहर को समाप्त करने के लिए यह विधेयक माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लायी है, हम उसका समर्थन करते हैं और सारी पार्टियों से आह्वान करते हैं कि वे इस बिल का समर्थन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री भगवंत मान (संगरूर) : स्पीकर मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैडम, आज जो यह बिल लाया गया है, वह पहली नज़र में एक चुनावी स्टंट है। …(व्यवधान) यह एक चुनावी स्टंट लग रहा है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब क्या कर रहे हैं? आठ बज गए हैं। क्या बिल को पूरा नहीं करना है? बीच-बीच में मत बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : बोलिए-बोलिए। …(व्यवधान) बी.जे.पी. वालों सुन लो । …(व्यवधान) सुनने का माद्दा रखो। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भगवंत जी, आप चेयर से बात कीजिए । बी.जे.पी. वालों से वहां बात कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैडम, यह पहली नज़र में चुनावी स्टंट है। …(व्यवधान) हम भी चाहते हैं कि जो वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, उनको ऊपर आना चाहिए। …(व्यवधान) उनको उच्च पद्धति की शिक्षा मिलनी चाहिए। …(व्यवधान) उनकी सोशल लाइफ ऊपर उठनी चाहिए। …(व्यवधान) लेकिन बी.जे.पी. वालों के दिल में और मन में अगर गरीबों का इतना ही ख्याल होता, तो यह बिल पहले सेशन के पहले दिन आता। …(व्यवधान) लेकिन ये इसे आखिरी सेशन के आखिरी दिन लेकर आए हैं। …(व्यवधान) कितना टाइम रह गया है? …(व्यवधान) इसका मतलब यह चुनावी स्टंट है। …(व्यवधान) यह भारतीय जुमला पार्टी - बी.जे.पी. का एक और जुमला है। …(व्यवधान) प्रधानमंत्री अगले दस दिनों में आपको कहीं न कहीं रैली में ताली बजाकर यह बोलते नज़र आएंगे - मैं तो बिल लाया था, लेकिन इन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। …(व्यवधान) अगर तमन्ना है, अगर मंशा है, तो बिल को पास करो। …(व्यवधान) असल में आर.एस.एस. के कुछ लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। …(व्यवधान) उन्होंने कहा कि असल में हमें अंदर घुसना है। …(व्यवधान) एक बार संविधान में अमेंडमेंट हो जाए, हम एस.सी., एस.टी. एक्ट की जो रिज़र्वेशन

है, उसे भी हम धीरे-धीरे कम करेंगे। …(व्यवधान) बिहार में इन्होंने बयान दिया था कि रिज़र्वेशन खत्म होना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत बात है।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : इस बात को लेकर ये यह बात कर रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : अब इनको मिर्ची लग रही है। …(व्यवधान) बोलो?

माननीय अध्यक्ष : बस, हो गया।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैं यह कह रहा हूं। …(व्यवधान) देखिए, ये धीरे-धीरे एस.सी., एस.टी. एक्ट का जो रिज़र्वेशन है, उसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहले दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उपेन्द्र कुशवाहा जी कहां बैठे हैं?

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैडम, बस आखिरी बात है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बिल के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैडम, पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर थे। …(व्यवधान) वे दलित थे - संत राम उदासी। …(व्यवधान) वे गरीबों के लिए लिखते रहे हैं। …(व्यवधान) उन्होंने दलित समाज के दबे-कुचले लोगों के लिए लिखा है। …(व्यवधान) उन्होंने पंजाबी में लिखा है:-

“गल लग के सिरि दे जट रोवे
बोलां विचों नीर वगया
लया तंगली नसीबां नूं फ्लोरिए
तूड़ी विचों पुत जगया।”

मैं जट्-सिक्ख बिरादरी से आता हूं, जिसे पंजाब में जाट कहते हैं। …(व्यवधान) हमारा भी बुरा हाल है। …(व्यवधान) नाम के ही जाट रह गए हैं हम । …(व्यवधान) आप क्या करोगे? …(व्यवधान) इसे किस को दोगे? …(व्यवधान) अगर तमन्ना होती, तो यह बिल पहले आता । …(व्यवधान) अब पता है, सिर्फ एक मुद्दा बनाना है। …(व्यवधान) राज्य सभा में तो पास होगा नहीं। …(व्यवधान) मुद्दा बनाना है - बना लो। …(व्यवधान) एक और जुमला - बी.जे.पी. - भारतीय जुमला पार्टी।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (काराकाट) : मैडम, बोलने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में यह मेरी पहली स्पीच है। …(व्यवधान) यह मेरी मेडन स्पीच है। …(व्यवधान) बीच में आप मुझे रोकने की कृपा मत कीजिएगा । …(व्यवधान) इससे पहले मैं मंत्री के रूप में बोलता था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले बताइए कि आप कितने मिनट बोलेंगे? मैं उतने मिनट तक नहीं बोलूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उपेन्द्र जी, बोलिए। आप इधर-उधर देखेंगे, तो मैं क्या करुंगी?

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : मैडम, ऐसे डिस्टर्बेंस होगा, तो आप को मुझे और ज़्यादा समय देना पड़ जाएगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल स्पीकर की तरफ देखकर बोलेंगे, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : आप मैडम को बताइए ना। …(व्यवधान) मैडम ने मेरी सीट यहां निर्धारित की है। …(व्यवधान) अब देखिए मैडम, ये आप के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। …(व्यवधान) आपने मुझे यहां सीट दी है। …(व्यवधान) मैं तो यहां इसीलिए अभी भी बैठा हुआ हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए मैंने आप से कहा कि आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए। आप इधर-उधर मत देखिए।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : मैडम, आपने मुझे वहां ट्रांसफर नहीं किया। …(व्यवधान) इन लोगों को मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उन लोगों को कल यहीं बुला लूंगा। …(व्यवधान) इसमें कोई दिक्कत नहीं है। …(व्यवधान) मैडम, अभी जो बिल आया है…(व्यवधान) हम ऐसे में कैसे बोल सकते हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे में ही बोलना पड़ेगा। आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। आपकी बात ही रिकॉर्ड में जाएगी, बाकी किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(*Interruptions*)…*

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : मैडम, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : मैडम, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग यही बोलते हैं और ऑर्डर को डिसऑर्डर करते हैं।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : हम आप लोगों के पक्ष में बोलने वाले हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उपेन्द्र जी, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, अभी जो बिल आया है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, मैं अब से पहले जब अपने क्षेत्र में जाता था, तो जो अपर कास्ट के नौजवान हैं, उनके मन में बैचेनी होती थी।…(व्यवधान) लोग कहते थे कि आप आरक्षण वाले मंत्री हैं, आप आरक्षण का संरक्षण करने वाले मंत्री हैं। आप ही लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोगों को

---

* Not recorded

नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान आपने और आपकी सरकारों ने किया है। हमारे लिए आरक्षण नहीं है।…(व्यवधान) नौकरी में आरक्षण बाधा है। अब मुझे खुशी है कि ऊंची जाति के बेरोजगार नौजवान मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए यहां से आरक्षण हो रहा है। मुझे इस बात से राहत महसूस जरूर हो रही है। लेकिन यह कुछ दिनों का मामला है, कुछ दिनों बाद उनको लगेगा कि आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है तब सीधे इधर उनका निशाना जाएगा, तब एमपी तक उनका निशाना नहीं रहेगा…(व्यवधान)

महोदया, आज अगर वास्तव में इस बात की चिंता करनी है और मैं भी चिंतित रहता हूं और पूरा सदन चिंतित होता है कि बेरोजगारों की समस्याओं का कैसे हल निकले? हमारी युवा पीढ़ी के लोगों की एनर्जी गलत जगह लग जाती है, सही जगह लगे तो इस देश का बहुत विकास हो सकता है।…(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं…(व्यवधान) क्यों बैठ जाएं…(व्यवधान) मैडम, आप इन लोगों को रोकिए…(व्यवधान) मैडम, सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए आरक्षण उपाय नहीं है। आरक्षण मात्र से आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती है। आरक्षण से अगर आर्थिक समृद्धि आने की बात होती तो आज भी हिन्दुस्तान में जो दलितों की बस्ती है, ओबीसी की बस्ती है या दूसरे जाति के लोगों की बस्ती है, टोला देखकर और मोहल्ला देखकर आजादी के इतने दिनों के बाद भी इस बात की पहचान की जा सकती है कि यहां दलित लोग रहते हैं या कौन लोग रहते हैं। अगर आरक्षण से आर्थिक समृद्धि की बात होती तो आज ऐसी स्थिति इस देश की नहीं होती, आज ऐसी स्थिति दलितों की नहीं रहती, आज ऐसी स्थिति ओबीसी की नहीं रहती। मैडम, आरक्षण से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की बात है। हम कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए भी सोचना सरकारों का दायित्व है कि कैसे उनका विकास हो। वास्तव में इस आरक्षण में आपने दस प्रतिशत आरक्षण दिया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी विद्यालय में ऐसे शिक्षक बहाल हैं, जिनको 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है, कभी उनकी आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए हम

कहना चाहते हैं और मेरा सरकार को सुझाव है कि इस आरक्षण के प्रावधान में या ओबीसी या एससी-एसटी के आरक्षण में प्राथमिकता के आधार पर पहले उनको आरक्षण की सुविधा मिले, जिन्होंने सरकारी विद्यालय में अध्ययन किया है। इससे सीट बचे तब आप प्राइवेट स्कूल वाले को दीजिए। आप इसको आरक्षण के प्रावधान में जोड़िए कि जो सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट होंगे उन बच्चों को आरक्षण की सुविधा पहले मिलेगी। उनसे यदि सीट बच जाएगी तो उसी कैटेगिरी में पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो कल ही शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। हम यह भी कहना चाहते हैं कि कई सुझाव अच्छे आए हैं।

जो ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्विसेज़ बनाने की बात हुई है, मैं इसकी मांग बहुत दिनों से करता रहा हूं और मैं आज भी कहना चाहता हूं, मैंने उस समय भी कहा जब आदरणीय पासवान जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। लोगों को नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या धीरे-धीरे घटती जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में आरक्षण हो, एस.सी. के लिए, एस.टी. के लिए, ओ.बी.सी. के लिए और बाकी जिनको 8-10 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए वहां भी आरक्षण की व्यवस्था हो। ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्विसेज़ की स्थापना के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सरकार भी है, आप सदन का समय दो दिन और बढ़ा दीजिए। दो दिन के बाद फिर से उस पर ले आइए, अमेंडमेंट लाना हो, बिल लाना हो या जो लाना हो, ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्विसेज़ की स्थापना का भी डिसीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस सदन में सब लोग एक पक्ष के हैं, ऐसा अवसर शायद कब आएगा, मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाकर ऐतिहासिक काम इस देश के सामने करना चाहिए, मैं आपसे और सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं।

अंत में, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि 10 प्रतिशत ही क्यों, 15 प्रतिशत क्यों नहीं, 5 प्रतिशत क्यों नहीं, 8 प्रतिशत क्यों नहीं, 12 प्रतिशत क्यों नहीं? 10 प्रतिशत का लॉजिक जरा मुझे समझाया जाए कि 10 प्रतिशत ही क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत का तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से 27 प्रतिशत

ओ.बी.सी का भी तर्क, उस समय कहा गया था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत के बैरियर के लिए जब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम सब लोग सदन में हैं, तो संविधान में जो संशोधन चाहेंगे, वह हो जाएगा। राज्य की सरकारें भी निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगी। इसलिए उसमें भी जो 50 प्रतिशत का बैरियर है, उसको तोड़ा जाए और जितनी जिनकी संख्या है, ओ.बी.सी. की जितनी संख्या है, एस.सी./एस.टी. की जितनी संख्या है, संख्या के अनुरूप उनको भी आरक्षण दे दीजिए। आज आप संख्या के अनुरूप जिनको आरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए भी आरक्षण दे दीजिए। सदा-सदा के लिए आरक्षण का झंझट समाप्त हो जाएगा। देश में जो व्यवस्था है, कभी पटेल लोग आरक्षण मांगते हैं, कभी मराठा मांगते हैं, कभी गुज्जर मांगते हैं, सदा-सदा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। सबको जितनी-जितनी संख्या है, उतने-उतने आरक्षण का इंतजाम कर दिया जाए, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को आपका धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर बोलने का अवसर दिया है। इस संविधान के संशोधन में दो बातें देखी जानी चाहिए। सरकार की क्या नीति है और क्या नीयत है? निसंदेह जो यह नीति है, जो सिद्धांत है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं और उसका समर्थन करने के लिए आज मैं आपके बीच में अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मगर जो नीयत है, सरकार जिस नीयत से इसको लेकर आई है, उस नीयत पर हमें पूरा विश्वास नहीं है। वह क्यों नहीं है, उसके दो-तीन कारण हैं।

पहले भी जैसे कई वक्ताओं ने बात कही कि क्या कारण हैं कि यह सरकार इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अपने अंतिम वर्ष के हमारे लोक सभा सदन के सेशन के लगभग अंतिम दिन और अंतिम घड़ी पर लेकर आई है? जब यह पारित होगा भी, तो इस सरकार के कार्यकाल में किसी एक भी व्यक्ति को इस संशोधन का फायदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद लोक सभा के चुनाव हैं। यह जो टाईमिंग है, निसंदेह यह पहले भी ला सकते थे। पहले साल में ला सकते थे, दूसरे साल में ला सकते थे, तीसरे साल में ला सकते थे, चौथे साल में ला सकते थे, मगर अंतिम घड़ी में लेकर आए हैं। हमें इस बात को लेकर संशय है। इनकी नीयत को लेकर जो दूसरा कारण है, हमें जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है, वह इस बात से है, क्योंकि कहा गया है कि यह पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। … (व्यवधान) सबसे पहले यह जो सिद्धांत आया, वर्ष 2013 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने, चौधरी हुपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार के अंदर काम किया था।

जो नोटिफिकेशन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, वह 27 सितम्बर, 2013 का है।

"The Governor of Haryana is pleased to provide reservation to economically backward persons belonging to general category as per the following:-

(i) reservation of 10 per cent jobs in Government and Government Undertakings and in local bodies in direct recruitment;

(ii) reservation of 10 per cent admission in Government and Government-aided educational institutions where reservation is provided for in admissions.

यह हमारी सरकार वहां लेकर आई । मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हमारी सरकार इसे उन जातियों के लिए लेकर आई, जो वहां कवर्ड नहीं थे, किसी और कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, जब उन सबको आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया तो उस समय, जो आज सत्ता दल है, भाजपा के नेताओं ने उसके विरोध में बयान दिया, उसका विरोध किया। इनके संगठन से संबंधित कुछ लोग कोर्ट में भी गए। हालांकि हाई कोर्ट में उनको सफलता नहीं मिली, आज भी यह रिजर्वेशन वहां बरकरार है। इसलिए यह पहली बार नहीं हुआ है।

दूसरा उदाहरण 2013 में पहले हमारी सरकार दस प्रतिशत आरक्षण का सिद्धांत पूरे देश में लेकर आई। उसके बाद गुजरात में भाजपा सरकार अप्रैल, 2016 में, गुजरात के बहुत से सांसद यहां मौजूद हैं, तब उसकी हूबहू कापी की गई और गुजरात की सरकार ने गुजरात में उसे लागू किया। अब यह सिद्धांत देश के अंदर कापी करके लाया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है – "Imitation is the most sincerest form of flattery." किसी की कॉपी की जाए तो उससे बढ़िया प्रशंसा करना किसी भी तरह से कम नहीं है। जो सिद्धांत हरियाणा में हम लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई थी, हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई थी, उसकी कॉपी आपने पहले गुजरात में की, अब आप देश में दस प्रतिशत आरक्षण का सिद्धांत लेकर आ रहे हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मगर उस समय आप इसका विरोध कर रहे थे और अब आप इसे अंतिम घड़ी में लेकर आए हो, इस कारण आपकी नीयत पर हमें पूरा विश्वास नहीं होता है।

महोदया, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जेटली जी ने कहा कि वर्ष 2014 के कांग्रेस के मेनिफेस्टो में भी यह कहा गया है कि इस तरह का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, यदि लोगों का विश्वास मत उसे मिला। यह बात सही है कि आप लोग हमारा मेनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। मगर आपके मेनिफेस्टो में यह भी कहा गया था कि हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। दो करोड़ प्रतिवर्ष यानी कि पांच वर्ष में दस करोड़ नौकरियां। अर्थात हर दूसरे घर में नौकरी होगी। मगर आपके मेनिफेस्टो में जो यह बात कही गई है, उस पर आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है, वह भी आप देश को बताएं। अभी सैंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी ने सी.एम.आई. ने एक रिपोर्ट पेश की कि पांच साल के आपके कार्यकाल में कुल तीन करोड़ रोजगार हमारी अर्थव्यवस्था में घट गए, तीन करोड़ नौकरियां गायब हो गईं, लोग बेरोजगार हो गए और पिछले एक वर्ष में 1.1 करोड़ नौकरियां, रोजगार हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो गए। आपने कहा था कि दस करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हर दूसरे घर में आपकी पांच वर्षीय सरकार रोजगार दिलायेगी। यह आपका मेनिफेस्टो था, मगर हकीकत यह है कि दस करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, तीन करोड़ नौकरियां जो वर्ष 2014 में थीं, उससे भी कम हो गईं और बेरोजगारी का स्तर पिछले 70 सालों में सबसे ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंच गया । यह बात सही है कि आप यह लेकर आए हैं, मगर किसी कमिटमैंट से लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, स्पीकर्स डायरेक्शंस 19ए है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बिल आए, जबकि यह संविधान का संशोधन है, कम से कम दो दिन पहले उसका नोटिस सर्कुलेट करना अनिवार्य होता है। मगर आपकी क्या कमिटमैंट है, इसका पता चल रहा है कि यह फैसला कल हुआ और आज आखिरी घड़ी में, अंतिम दिन यह बिल आप लेकर आए हैं। यानी कि आपको भी विश्वास नहीं था। अगर यह आपकी कमिटमैंट होता तो पहले लाना चाहिए था। मगर अभी भी कम से कम दो दिन का समय देना चाहिए था। मगर आप इसे अंतिम दिन लाए हैं

तो आपकी क्या कमिटमैंट है, इसको लेकर हमें शक होता है। जैसे दो करोड़ नौकरियां जुमला निकल गया, 15 लाख रुपये जुमला निकल गया, यह जुमला नहीं निकलना चाहिए। यह नीति सही है, यह सिद्धांत सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। मगर आपकी नीयत भी सही होनी चाहिए और यह जुमला नहीं निकलना चाहिए, यह बात आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा): अध्यक्ष महोदया, आज इस पवित्र सदन में एक स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है। एनडीए की सरकार जब बनी, माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश के पहले उन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेक कर यह संकल्प लिया था कि इस पवित्र सदन से सबके साथ न्याय होगा। 'सबका साथ और सबका विकास' इस मंत्र के साथ एनडीए सरकार ने काम करना शुरू किया। महोदया, देशहित में कई बड़े फैसले इस सरकार के द्वारा लिए गए। दस प्रतिशत आरक्षण को ले कर 124वें संविधान संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के वे गरीब जो आज बहुत पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हैं, उनके पढ़े-लिखे बच्चों को एक खुशहाली की जिंदगी जीने की राह इस संविधान संशोधन बिल के माध्यम से बनने जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, हम सब सांसद लोग समाज में विचरण करते हैं, सभी वर्ग और सभी तबकों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है। वे सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जब हम क्षेत्र में जाते थे तो हमसे यह सवाल करते थे कि यह बताइए कि हमारा कसूर क्या है? नौकरियों के लिए जब वे कतार में खड़े हों तो आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण, वे नौकरियों से वंचित हो जाते थे। उच्च शिक्षा संस्थान में भी उन गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने के कारण वे संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह जाते थे और फ्रस्ट्रेशन में घर जा कर अपने पिता से पूछते थे कि पिता जी यह बताइए कि हमारा कसूर क्या है? हमने यदि ब्राह्मण घर में जन्म लिया, हमने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, हमने वैश्य वंश में जन्म लिया तो क्या यह हमारा कसूर है?

अध्यक्ष महोदया, कौन व्यक्ति कहां पर जन्म लेता है, यह उसके हाथ में नहीं है। लेकिन सब वर्ग के साथ, गरीबों के साथ न्याय और इंसाफ हो, यह सरकार के हाथ में है और सरकार ने वह अहम फैसला आज ले कर, हिंदुस्तान के तमाम सवर्ण वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोगों को एक संदेश दिया है कि यह सरकार सबकी चिंता करती है, सबके हितों की चिंता करती है। आरक्षण लागू करने के साथ, जो पूर्व से आरक्षण लागू है, जिस वर्ग के लिए, जिस कैटेगरी के लिए, उनके हकों पर कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। पचास प्रतिशत आरक्षण के साथ दस प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया है, हमारे

मित्र हुड्डा जी यहां कह रहे थे कि यह हमारा थॉट था, हमारा विचार था। हरियाणा में हम लाए, आपका थॉट होगा, हमारे अरुण जेटली जी ने आपके मेनिफेस्टो को यहां पढ़ कर दिखा दिया, लेकिन आपकी नीयत नहीं थी । यदि आप लाना चाहते तो संविधान संशोधन के साथ यूपीए सरकार के समय में भी यह बिल लाया जा सकता था, लेकिन तब आपने वह लाने की कोशिश नहीं की। इससे साफ साबित होता है कि गरीबों के लिए किसके मन में दर्द है।

अध्यक्ष महोदया, जिसने गरीबी को जिया हो, जिसने गरीबी को भोगा हो, वह गरीब के दर्द को जानता है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं तो उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को भोगा है और गरीब के उस दर्द को और उसकी पीड़ा को समझ कर यह आज सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लाए हैं। यह सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, वे सामान्य हर धर्म में आते हैं। मुस्लिम समाज के भी जो सामान्य हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अन्य समाज के जो सामान्य हैं, उनको भी इस 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविधान संशोधन के साथ यह जो बिल लाया गया है, आने वाले समय में गरीबी में ज़िंदगी जीने वाले वे करोड़ों नौजवान जो डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहे थे, जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे, हमारे इन सांसदों की आँखों ने देखा है कि जिसके हाथ में ग्रेजुएट की डिग्री है, वह फुटपाथ पर रेहड़ी लगा कर अपनी ज़िंदगी बसर करता था। वह ग्रेजुएट था, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ न मिलने के कारण वह ऑटोरिक्शा चलाता था। वह अपना पेट पालने के लिए बस में कंडक्टरी करता था। परिवार को पालने के लिए ऐसे पढ़े-लिखे सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग के नौजवानों के लिए जो राह नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाई है, आज इस सदन में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है।…(व्यवधान) सत्पथी जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह फैसला करने के लिए कलेजा लगता है, हिम्मत लगती है। हर कोई यह काम नहीं कर सकता है। मैं आज प्रधानमंत्री जी के लिए दो लाइनें सुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा-

मैं दीपक हूँ मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है,
हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है।
हवा से कह दो, ख़ुद को आज़मा के दिखाए,
बहुत दीपक बुझाती है- एक जलाकर दिखाए।
बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri E.T. Mohammad Basheer. You may speak for only two minutes.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam, I thank you very much for giving me this opportunity.

Madam, the dramatic way of bringing this legislation by bulldozing all the healthy parliamentary practices is highly condemnable and objectionable. With every Bill, there is a Statement of Objects and Reasons. The Statement of Objects and Reasons of this Bill is contradictory to the facts. The real object of this Bill is nothing but to create a situation to fish in the troubled waters. Similarly, with regard to the main reason, I would say that it is also nothing but to meet the forthcoming elections.

As far as the principle of reservation is concerned, it is to enhance the social and educational status of unprivileged sections of the society. Reservation is a means to address a situation that has arisen out of oppression, inequality and discrimination against the socially backward sections of the society.

Here, with this legislation, what is going to happen? The Government is now amending Articles 15 and 16 of the Constitution by adding 10 per cent reservation on account of economic criteria. We all know that the criterion of

adding economic base is against the spirit of reservation. The OBCs, the SCs, the STs and the down-trodden section had enough problems and they are still remaining. Many commissions were there and their recommendations were also there. In 1979, Shri Morarji Desai headed Government appointed Second Backward Classes Commission.

Then, in 1983, when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister, she appointed the Gopal Singh Panel. After that Sachar Committee Report came. Then, we got the Jagannath Mishra Commission Report. Finally, we got Prof. Kundu Committee Report. In spite of all these Reports, the condition of the backward classes continues to remain deplorable. All these Committees have categorically stated that the most important thing is affirmative action. What is affirmative action? It is only reservation.

We have to understand one thing more. You are all talking about the Indira Sawhney case. That was the most innovative thing done by the judiciary with regard to reservation. They have categorically stated that the criterion for reservation should not be economic condition. Justice Sawant made it clear that economic criterion would allow higher ups in the hierarchy to monopolise State power, something that the policy of reservation was meant to counter. That has to be noted. This will not stand the judicial scrutiny also. So, that would be another injustice.

There is a counter that people belonging to upper class also have grievances and that they are also facing problems. So, should they not get justice? That is true. Of course, their problems have to be addressed. Nobody

is saying that it should not be addressed. We have to understand one thing. That is reservation is meant to bridge the gap between the upper class and the lower class with regard to employment and education. So, we have to lay emphasis on that.

This is not a poverty eradication programme. There are many schemes and programmes for the poor sections of the society. We are not against any community, whether it is forward or backward. If you compare the work participation and educational status of the backward sections with the forward ones, you will see that the major chunk of the benefits and a lion's share of the benefits is enjoyed by the non-backward sections. It is a fact. …(*Interruptions*)

Now, you are cutting or shortening ten per cent from the merit quota. At the end I would like to say when we are making a legislation, we have to think about its consequences. I am not saying that in a different way. India has witnessed many things with regard to reservation, Mandir and Masjid issues. We all know that.

With this, you are opening up the flood gate of troubles. It should not be done. With all the humbleness at my command, I would like to appeal to the Government to desist from this kind of ill-motivated move. I hope that wisdom will prevail upon the Government and that they will withdraw this Bill forthwith. That is the need of the hour.

With these few words, I conclude. Thank you.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Madam Speaker, in all humility, I welcome and support this historic Bill, which would be a yet another game-changing legislation. Indeed, on a rough estimate, 190 million people who belong to economically weaker sections of the society will be benefited. It is a sizeable number. They have been facing innumerable challenges as they have only hand to mouth existence so far. So, this is a pro-poor landmark Bill that would wipe the tears of millions of poor people of this country, who have been deprived of educational opportunities and chances to get jobs for the last seven decades. It is a long wait for the poor. Since it is provided over and above the existing quota, those who are enjoying the provisions of reservation are not affected by this Bill. This has been the long-standing demand from the weaker sections of the society. The marginalised and the disadvantaged sections of both the majority and minority communities will be benefited. Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Madam Speaker.

HON. SPEAKER: How much time will you take, three minutes or four minutes?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I will conclude very shortly. Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity to take part in the discussion on a historic Bill. Definitely, it is a historic Bill.

The content of the Bill is good. Hence, I support the Bill. But the intention of the Government by bringing this Bill at this juncture is not *bona fide*, is not good. Just for electoral purposes, this Bill is being brought in this House at this juncture.

Madam, this Government came to power on 26th May, 2014. This Government has completed 56 months in office. If the Government is so interested in economically weaker sections of the society, if the Government is having dedicated interest in the cause of the people who are belonging to the weaker sections of the society, what prevented the Government from brining in a legislation, a constitutional amendment, to give benefit to the poorest of the poor people in the country?

Madam Speaker what is the exercise to be done? We have very carefully heard the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji. He has suggested that the exercise will be completed within a short span of time. Madam, this is the last day of the Winter Session. Even if it is passed by two-thirds majority of the Members who are present in the House, definitely it will have to go to the Rajya Sabha and the Rajya Sabha has to pass it.

This is only an enabling provision. The Parliament is only enabling the Government through a constitutional amendment that, they can make a special provision for the advancement of the economically backward people by providing reservation in education and by providing reservation in job opportunities.

This is a constitutional amendment. According to my information, yesterday the Business Advisory Committee met. Even in the Business Advisory Committee also, bringing of such a historic legislative measure has not been disclosed by the Government. It means, it is not being done in a *bona fide* manner; it is not being done in good faith. Why is the House not being taken into confidence when the House is going to take up such a historic Bill? Even the Members of this House are being prevented from making or moving amendments. Why is the Bill being brought in such a hurry or haste?

Almost all the political parties the House are supporting this issue. The last Government, the UPA Government appointed a Committee. SR Sinho Commission was appointed to address, to give recommendations for the people belonging to the forward communities and those who were economically backward. SR Sinho Commission's Report is also there. I think that this Bill has been brought on the basis of the recommendations of the SR Sinho Commission which was appointed by the then UPA Government. That is why, this Bill has also come to this House.

My only question is that the procedural formality has been violated. The Government is taking everything for granted and brining such a constitutional amendment in this House improperly. That is the objection which we would like to make.

Madam, if you see the Constituent Assembly debates, each and every provision of the Constitution has been made after detailed, threadbare discussion. Now, here, Articles 15 and 16, the two Fundamental Rights, are going to be amended and it is benefiting millions and millions of the people in this country those who are economically backward.

Madam, you can see the Constituent Assembly debates regarding reservation policy. Reservation policy was the much-debated issue in the Constituent Assembly. But here, within minutes, we are passing such a Bill. It means that it is not up to the mark. That is the first point which I would like to make.

Madam, the second point which I would like to make is what the scope of the reservation is.

HON. SPEAKER: No second point; it should be your last point.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes Madam. After the neo liberal economic policy which has been pursued during the last three and a half decades, the job opportunities, employment opportunities in the country are nil because indiscriminate and rampant privatisation is going on throughout the country. Even the Government's slogan is 'less Government, maximum Governance'

and also downsizing the Government. These are all the principles which are being followed as a part or in pursuance of the policy which is being pursued.

So, jobless growth is the point, which is being pursued by this Government also.

I am coming to my next point. Now, the law is not before us, and only the Constitutional Amendment is before us. But it is heard that the ceiling limit is being fixed at Rs. 8 lakh. I would like to point out one important statistic, namely, that 93.5 per cent of the Indian population is having an annual income of less than Rs. 2.5 lakh. The real poor should be benefitted when we make a legislation.

Madam, I am concluding. Since this Bill is benefitting the economically-backward people in the country and it is a long-pending demand, so I fully support the contents of the Bill. But at the same time, I have my apprehensions regarding the *bona fides* of the Government in making it as a fruitful legislation. Thank you very much, Madam.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): अध्यक्ष महोदया, सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें दस प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चिति करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने यह कहकर शासन की मंशा पर सवाल खड़े किए कि सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को क्यों लाया गया है? मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि 'अंत भला तो सब भला', All's well that ends well.

अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में आरक्षण का एक लंबा इतिहास है। हमारे देश के नीति निर्माताओं ने समाज की परिस्थितियों का आकलन करते हुए, जो शोषित एवं वंचित तबका है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की हैं। संविधान लागू होने के साथ जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, उनके लिए आबादी के अनुपात में 22.5 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित हुई और 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया, तब देश की पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। हालांकि यह उनकी आबादी के अनुपात में नहीं था। कुल मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के लिए सुनिश्चित की गई। यह एक घोषित आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन, मेरा यह मानना है कि 50.5 प्रतिशत का एक अघोषित आरक्षण इस देश में हमेशा से रहा है, जिसका फायदा हमेशा से सामान्य वर्ग ने उठाया है। सामान्य वर्ग के संपन्न तबके ने 50.5 प्रतिशत के अघोषित आरक्षण का लाभ उठाया है। आज हमारी सरकार जो यह विधेयक लेकर आई है, उसके माध्यम से सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज इतने दिनों तक नहीं सुनी गई है, उन्हें संरक्षण देने के लिए दस प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था उस 50.5 प्रतिशत में से सुनिश्चित की है, जो स्वागतयोग्य है।

अध्यक्ष महोदया, मेरी चिंता गरीबों के साथ-साथ पिछड़ी जातियों के लिए भी है। समाजवादी पार्टी के सदस्य यहां बैठे हुए थे, पिछड़ों को लेकर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाये और बहुत सारे सवाल उठाये, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, वर्ष 2012 में

उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज वह यहां खड़े होकर पिछड़ों की वकालत कर रहे हैं। इनकी सरकार ने त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछड़ों की आबादी 27 प्रतिशत है। दलितों यानि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी 22.5 प्रतिशत है और उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। पिछड़ों की आबादी 55 से 60 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें केवल आरक्षण 27 प्रतिशत ही दिया गया है। चूंकि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2021 में पिछड़ों की जनगणना करायी जाएगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगी कि वर्ष 2021 की जनगणना के बाद जब पिछड़ों के आँकड़े आ जाएंगे तो क्या हमारी सरकार पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बारे में विचार करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उनकी आबादी 55 से 60 प्रतिशत है।

महोदया, हमारे देश में ऐसे राज्य हैं, जहां पिछड़ों के लिए 69 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था है। तमिलनाडु उसका एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं, जिसमें मैं मध्य प्रदेश को कोट करना चाहूंगी, जहां 27 प्रतिशत आरक्षण भी लागू नहीं हुआ है। वहां मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण लागू है। पहले तो आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है और दूसरा, जो 27 प्रतिशत मिला है, वह भी पूरी तरीके से देश के तमाम राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या आबादी के आँकड़े आने के बाद पिछड़ों की आबादी के अनुपात में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि आर्थिक स्थितियों में समय के साथ परिवर्तन आता रहता है, जिन लोगों को आर्थिक आरक्षण का लाभ मिलेगा, जब उनकी आर्थिक परिस्थितियों में कोई बदलाव आएगा, तो क्या इस बात पर नियंत्रण रखने का कोई प्रावधान किया गया है कि तब वे इस आरक्षण का लाभ न उठा सके।

अध्यक्ष महोदया, इस आरक्षण की घोषणा के साथ ही जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके अंदर नौकरी पाने की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि नौकरियां हैं कहां? आज सरकारी नौकरियां पूरे तरीके से घट रही हैं। एक उदाहरण है संविदा का, आउटसोर्सिंग का, जिसमें आज आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल भी लागू नहीं की जा रही है और भर्तियां की जा रही हैं। निश्चित रूप से यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो हमारा प्राइवेट सैक्टर है, जो हमारा निजी क्षेत्र है, उसमें भी आरक्षण के प्रावधान करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी?

एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि न्यायपालिका भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है। अगर आज लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायाधीशों को देखा जाए, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी कहीं भी नजर नहीं आती है। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय कानून मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर यह कहा भी है कि ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्विसेज का गठन करने के लिए यह सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। मैं सरकार से जानना चाहूंगी और आग्रह करूंगी।

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग समय का ध्यान रखिए। दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, चाय पीकर आ जाइए, 9 बजने वाले हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, धन्यवाद।

बुजुर्ग सम्मान के लिए तरस रहे हैं,
किसान उचित दाम के लिए तरस रहे हैं,
देते रहो आरक्षण का यह लॉलीपाप,
आज युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं।

आपने मुझे 124वें संविधान संशोधन बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, सरकार साढ़े चार साल के बाद इस बिल को लेकर आई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो कास्ट सेंसस कराया गया था, क्या आपकी सरकार उसे पब्लिक करने का काम करेगी? किस प्रकार से आप सैक्शन 15 और 16 में अमेंडमेंट लाकर इस रिजर्वेशन को आने वाले समय पर स्टैंड कर पाएंगे, इस पर जरूर मंत्री जी क्लेरिफिकेशन देने का काम करें, क्योंकि इसी सदन में 8वें महीने में प्रधान मंत्री जी के दफ्तर से जवाब आया है कि 9 बेंच की जजमेंट है, जो यह कहती है कि इकोनॉमिक बेसिस पर सैक्शन 16, शेड्यूल 4 के अंदर आप आरक्षण नहीं दे सकते। अगर सरकार इस तरह का संशोधन ला रही है, तो क्यों नहीं सरकार ने शेड्यूल 9 के अंदर इस रिजर्वेशन को लाने का काम किया? अभी मेरे से पूर्व कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि यह तो हमने वर्ष 2013 के अंदर करने का काम किया, फिर गुजरात में हुआ। वह गड्ढा कांग्रेस ने भी खोदा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गड्ढा शायद आप भी खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर एक बेंच बैठायेगा और वह बेंच बैठकर इस आरक्षण के बिल को स्ट्राइक डाउन करने का काम करेगी। क्या सरकार यह गारंटी ले सकती है कि 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट से भी इसे अप्रूव कराकर देश के अंदर इस बिल को लायेंगे, क्योंकि आज आपकी सरकार के पास 100 दिन का समय भी बाकी नहीं है।

महोदया, जहाँ बात क्राइटेरिया की आती है, सरकार ने बिल के अंदर यह खुला निर्णय लिया है कि कमेटी बैठेगी, वह निर्णय करेगी और उसके बाद क्राइटेरिया तय होगा । क्राइटेरिया जमीन के हिसाब से करेंगे, आर्थिक हिसाब से करेंगे, क्या उसके लिए पूरे देश में दोबारा सर्वे कराया

जाएगा, क्योंकि आज जो आंकड़े सरकार के पास हैं, वे तो वर्ष 2011 के हैं। वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के बीच 8 सालों में पता नहीं किस व्यक्ति के आर्थिक हालात में कितनी गिरावट आयी? आज हमें इस देश में आर्थिक मंदी देखने को मिली है। मैं मंत्री जी से जरूर यह निवेदन करूँगा कि वे इस पर भी स्पष्टीकरण दें कि वे किस प्रकार से उस व्यक्ति का आइडेन्टिफिकेशन करेंगे कि वह आर्थिक हालात से कमजोर है। मैं निवेदन करूँगा कि सरकार इस चीज को स्पष्ट करे। अनुप्रिया जी अभी बहुत अच्छी चीज कह रही थीं कि हमने आउटसोर्सिंग में आधे से ज्यादा जॉब्स दे दिये। क्या आउटसोर्सिंग के अंदर भी आप आरक्षण देने का काम करेंगे? महोदया, मैं अंत में कंक्लूड करते हुए एक चीज बोलना चाहूँगा ।

अगर हो युवा के सच्चे हितैषी,
एक और छोटा सा फायदा दे दो,
आरक्षण सर माथे पर आपका,
उसे नौकरियों का जुमला नहीं एक तोहफा देकर जाओ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

" आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील
क्योंकि लोक सभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल।
इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेन्द्र मोदी जी की हील
क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुई है गलत डील।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत ही हैं चालाक,
इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और तीन तलाक।
नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक,
अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत पलक।
नरेन्द्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण
इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण।
राहुल गांधी नहीं नरेन्द्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण,
2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण।
राहुल जी मोदी जी के साथ मत खेलो गलत चाल,
नहीं तो 2019 में तुम्हारा बहुत हो जाएगा बुरा हाल।
राफेल का मत फैलाओ जानबूझकर जाल,
राफेल का मत फैलाओ हमारे सामने जाल,
नरेन्द्र मोदी ही जीतेंगे 2019 का साल। "

अध्यक्ष महोदया, …(व्यवधान) शांति रखिए। सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। मैं बहुत बार मांग करता था कि दलित समाज को आरक्षण मिला है, आदिवासी को मिला है, ओबीसी को मिला है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनोमिकली बैकवार्ड क्लास के लोग है, वे हमारी तरफ देखते थे। सवर्ण समाज में सभी लोग अमीर नहीं हैं। उनमें गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है। आप लोग बोल रहे हैं कि आखिरी दिन है, आखिर का दिन है तो क्या, बिल तो आ रहा है, बिल तो पास हो रहा है। अभी एक दिन में ही तो पूरे बिल नहीं आ सकते हैं, एक-एक करके ही बिल आएंगे। आप लोग हंगामा करते हैं इसीलिए बिल लेट आया है। …(व्यवधान) आप अगर शांति रखते तो बिल

जल्दी आता। …(व्यवधान) आपने जब शांति रखी तब हम यह बिल लाये हैं।…(व्यवधान) अब कांग्रेस पार्टी को ध्यान में आ गया है कि रोज हंगामा करना ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि यह बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों को आरक्षण दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों और सवर्णों में समता होनी चाहिए, अछूतपन खत्म होना चाहिए। इसीलिए नरेन्द्र मोदी जी 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दे रहे हैं। 'सबका साथ सबका विकास' में कांग्रेस का भी विकास है, सबका विकास है, …(व्यवधान) कम्युनिस्ट का भी विकास है, समाजवादी का भी विकास है।

"तुम्हारा है विकास और हम 2019 में काम करेंगे झकास।"

मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस बिल का सपोर्ट करती है।

21 00 hrs

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, I have only eight points to make. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अठावले जी, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, I stand to oppose this Bill. Why do I oppose the Bill? The first point is that this Bill is a fraud on the Constitution.

Secondly, this Bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar because the original purpose of the reservation was to give social justice, to reduce social and educational backwardness.

Madam, the third point is that the Constitution does not recognise economically weaker section at all. It is against the spirit of the Constitution. It is against what the framers of the Constitution have thought. So, this Government cannot have more wisdom than the framers of our Constitution.

My point number four is this. Is reservation given for justice? May I know from the Government whether the *Janeudharis* and the *Savarnas* ever faced untouchability, oppression, discrimination, encounters, police beatings, drop-out, and lower number of people in graduates? These are all traits which are found unfortunately, in our country in *Dalits*, SCs and in castes of the Muslim community. …(*Interruptions*)

Madam, my fifth point is that this exercise is fraught with impropriety since there is no evidence of empirical data. Please show empirical data of backwardness of these *Savarna* people and forward caste people. Where is

the empirical evidence found? It is found in the Reports of the Sachar Committee, Mishra Commission, Kundu Committee. In 2011 census, lowest literacy rate was of Muslims; lowest number of people in schools was of Muslims; highest drop-out rate was of Muslims; and lowest number of people in graduation was of Muslims. …(*Interruptions*)

Madam my sixth point is this. Why I say that this is a burden on States? My State Telangana has passed an Act asking for 10 per cent reservation for the castes of Muslims and 12 per cent for STs. That was backed by empirical evidence. You have refused it for the last six months. …(*Interruptions*)

My seventh point is this. May I know from the Government as to what will happen to the *Maratha* reservation? Are you going to give the *Marathas* reservation under this economic backwardness, whatever it is? This is a fraud on Constitution, Madam.

My last point is this. In Articles 15 and 16, there is no way you can put economic backwardness. If you are so serious about *sabka saath, sabka vikaas*, then what about 1950 Presidential order. Is that not a violation of right to equality? Is that not a violation of Article 21? That is why I say you are playing a fraud on Constitution. It is an insult to Baba Saheb Ambedkar. You cannot pass this Bill in the courts of law. This will be struck down. Today, you can enjoy your *Diwali* or whatever it is. But this will be struck down by courts.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आपने मुझे संविधान के 124 वें संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। यह संशोधन सरकार के लिए एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। कई दशकों से देश की आम जनता के मुख की मांग रही है कि जब एस.सी., एस.टी. के लोगों आरक्षण मिला हुआ है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य श्रेणी के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यह संविधान के अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद-16 में संशोधन से प्राप्त होने जा रहा है। इस विषय पर हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी का स्टैंड साफ है कि वे पहले से ही इस आरक्षण के हिमायती रहे हैं। आज सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्म के लोगों को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण और मोदी जी की सोच का एक उदाहरण है कि कैसे 'सबका साथ सबका विकास' की बात चरितार्थ हो रही है।

छोटी जमीन या घर और सामान्य कमाई वाले लोगों को भी फायदा हो रहा है। इसमें दस फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा, जिससे लम्बे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग पूरी होगी। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के जमाने में भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इंद्रा साहनी जजमेंट तथा 'मण्डल' की बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। आज दो दशक से भी ज्यादा कालखण्ड बीत जाने के बाद जब यह संविधान संशोधन विधेयक आया है तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के साथी भी इस विधेयक का स्वागत करेंगे।

इस देश के लोकतंत्र का खूबसूरत ताना-बाना है, मण्डल की सिफारिश को लागू करने वाले हमारे नेता स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अगड़े समाज से आते थे और आज जब सामान्य श्रेणी के लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, को यह विशेष अवसर दिया जा रहा है तो एक पिछड़े का बेटा नरेन्द्र मोदी जी हैं। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Hon. Speaker Madam, I rise to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill 2019. At the outset, let me say that my Sikkim Democratic Front party supports this Bill. There has already been a lot of discussion on this. So, I do not want to go into the merits of the same. But listening to everybody, what I can say is that whatever is required to be done for a society has been done in Sikkim. If the hon. Chief Minister Shri Pawan Chamling has come back for the 5th term, and is going very strongly into a sixth term, I think that speaks volumes of the kind of social justice that has been meted out to all sections of our society in Sikkim. In fact, the Bill, as it is passed and will flow into the hands of the Sate Government for operationalising the same, will only strengthen the hands of our Government.

The other part that I would like to mention is that we are waiting for the Constitutional rights of the Limo and Tamang communities who have got their status as tribals to get the reservation in the State Assembly for which we need to get the Cabinet approval and it has also to be brought into this particular House. I would also like to mention that in view of the kind of discussion that has ensued today, Sikkim can become a fully tribal State and all the other issues related to Scheduled Tribes and Scheduled Castes have to be resolved and the kind of equitable society that has to be built which was there in Sikkim in 1975 and before needs to be restored.

With these words, I thank you for giving me this opportunity. I support this Bill.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, मेरे आठ सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम लोग इस देश में कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? कई बार इस बारे में कमेटीज बनी हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी तीन कमेटीज बनीं, उनमें बहुत ही क्लियर बात थी कि किसी भी परिस्थिति में एजुकेशन का व्यवसायीकरण नहीं किया जाए। यदि कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन करते हैं, कम्प्लीट रूप से समान एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं तो नेचुरल है कि आरक्षण जैसे सवाल नहीं आएंगे। दूसरी चीज, आपने ओबीसी के लिए 6 लाख रुपये पर आरक्षण का प्रावधान किया और अभी आप सात से आठ लाख रुपये पर आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं। 65 हजार रुपये इकोनोमी वाले और पांच एकड़ जमीन वाले को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं।

65 हजार रुपये कमाने वाले और पांच एकड़ जमीन रखने वाले और आठ लाख रुपये वार्षिक कमाने वाले, आप 2.5 प्रतिशत का जो स्लैब बनाए हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि ओबीसी को छः लाख रुपये और यहां सात लाख रुपये से आठ लाख रुपये है तो गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा?…(व्यवधान) गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है?…(व्यवधान)

तीसरी चीज यह है कि लगातार जातीय जनगणना हुई, लेकिन 142 करोड़ की आबादी में हम सभी जातीय जनगणना पर एक क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सबसे पहले जातीय जनगणना को लाइए। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, उस आधार पर यह कीजिए।…(व्यवधान) सामाजिक-शैक्षणिक आधार जो संविधान का प्रीऐम्बल है, मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को लाने से पहले रामविलास पासवान जी ने 90 शेड्युल की जो बात की है।…(व्यवधान) मैं ऐसे बिलों के समर्थन में हमेशा रहा हूं। समय के अनुसार चीजें चेंज होती हैं। आज पूरा देश यह चाहता है कि किसी भी जाति, वर्ग के गरीब को एक अवसर मिलना चाहिए, वह ऊंची जाति का हो, मेरे बिहार में सुरजापुरी है, कोलइया समाज के लोग हैं, हमारे यहां निषाद हैं, बिंद हैं, तीयर है, केवट है, कैवर्त्य हैं, मेरे यहां शेरशाबादी है।…(व्यवधान) मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई बार ज्यूडिशियल कमीशन की

बात आई है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का सवाल आया है । यदि आप यह करना चाहते हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज ज्यादा नहीं बोलिए, केवल प्वाइंटवाइज बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैडम, रोजगार नहीं है।…(व्यवधान) हम 42 हजार करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बहा देते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन आप आरक्षण के सवाल पर लगातार इस देश में जो एक कयोस पैदा होता है, उसे खत्म करना चाहिए। सरकार जो बिल लाई है, यह आर्थिक आधार पर लाया गया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी, I am sorry, मैं आप जैसे सीनियर माननीय सांसद को बोलने के लिए दो-तीन मिनट का समय दे पा रही हूं। आप इतने समय में अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, मैं जिन बातों के लिए जीवन भर लड़ता आया हूं, आज वह सपना पूरा हुआ है। समाजवादी आंदोलन में हमारे ऊंची जाति के लोग, आज मैं जिनको स्मरण करता हूं, डॉ. वैद्यनाथ झा, डॉ. शिवचंद्र झा, दिगम्बर ठाकुर, भगीरथ झा, जब ये लोग हमारे साथ समाजवादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे कि 'डा. लोहिया बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ'। उस समय जब मैं उनके घर पर जाता था, वे साधारण परिवार के गरीब लोग थे। वे मुझे कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा तो ऊंची जाति, ब्राह्मण के भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिएगा। उनके मन में एक अरमान था कि कभी पिछड़ी जाति का ऐसा आदमी सत्ता में आएगा, जो संपूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा और उस दिन ऊंची जाति के गरीबों के भी बच्चों के अरमान को पूरा करेगा, मैं सोचता हूं कि वह दिन आ गया।

बिहार में रामानंद तिवारी, कपिलदेव सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, जब ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लड़ते थे…(व्यवधान) मैं जानता हूं कि जब बाबू सत्येन्द्र नारायण सिंह के साथ वर्ष 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व का संघर्ष हुआ था तो उस समय मेरी पार्टी में, जनता

पार्टी में 33 राजपूत थे, उनमें से 17 राजपूतों ने कर्पूरी ठाकुर का समर्थन किया था, बाबू सत्येन्द्र नारायण सिंह का समर्थन नहीं किया था। क्या उनका अरमान नहीं था? इसलिए जब वर्ष 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने 26 प्रतिशत आरक्षण दिया तो उन्होंने दिया 12 प्रतिशत पिछड़ा एनैक्सचर-वन, आठ प्रतिशत एनैक्सचर-टू, तीन प्रतिशत महिला, तीन प्रतिशत आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब के लिए, उन्होंने शुरुआत की थी । आज बढ़ते-बढ़ते, हम यहां तक आए हैं। पिछड़ा वर्ग कमीशन का सवाल आया, इतने दिनों नहीं हुआ, उसे जाने दीजिए, लेकिन मुझे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दे पाएगी? यह ऊंची जाति वालों की पार्टी है, यह कभी ऐसा करेंगे? लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके पास करने के समय में भाई राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, कलराज मिश्र जी बैठे हैं ।

इन सभी ऊंची जाति के लोगों ने जब पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया, तो क्या पिछड़े वर्ग के लिए इनकी कुर्बानी नहीं है? क्या इनकी इस कुर्बानी को भूल जाएंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में दो विचारधाराओं का द्वंद रहा है। चाहे वह सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे कुवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो – एक धारा कट्टरपंथी है और एक धारा उदारवादी है। वाल्मीकि से लेकर समाजवादी आंदोलन की विचारधारा को देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी से लेकर सुषमा स्वराज तक उसी वाल्मीकि उदारपंथी धारा के प्रतिपोषक हैं, इसलिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं। श्री नरेन्द्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, वे इस आरक्षण को लाए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जब ऊंची जाति के साथी मुझे कंधे पर उठाकर नेता बना रहे थे, आज सदन में गरजने वाले लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। हमने क्या-क्या नहीं भोगा और उसे भोगते हुए यहां तक आए हैं, हमने सब देखा। अभी धर्मेन्द्र जी बोल रहे थे। क्या वे भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश को बनाने में जनेश्वर मिश्र का क्या इनके पसीने से कम योगदान है, बृजभूषण तिवारी का कम योगदान है, मोहन सिंह का कम योगदान है, राज नारायण का कम योगदान है? आप उनको धन्यवाद दो। ऊंची जाति के लोगों को डॉ. लोहिया

ने कहा था कि आप नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके नमक पर, आपकी खाद पर पिछड़े और दलित के कमल खिलेंगे। उन्होंने खाद बनने का काम किया, पसीना बहाने का काम किया, परिश्रम देने का काम किया। आज पिछड़े दलित के हाथ में सत्ता आई है, तो ऊंची जाति के गरीब बेटे की आंख के आंसू नहीं पोछोगे, तो यह राजनीतिक पाप होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उदार बनकर सोचो।

महोदया, कट्टरपंथी धारा का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। कट्टरपंथी कोई भी धारा हो चाहे साम्प्रदायिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, कट्टरपंथी जात-पात की धारा से मैं लड़ते आया हूं। यदि मैं नहीं लड़ता तो हुक्मदेव नारायण यादव भारतीय जनता पार्टी में क्यों आता? मेरी लड़ाई इसी बात की थी और आज भी लड़ाई है। जीवन के अंतिम क्षण तक कट्टरवाद के विरुद्ध मैं लड़ता आया हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक लडूंगा। भारत ने हमेशा उदारवादी धारा का समर्थन किया है और माना है। आज यह विधेयक सामाजिक समरसता लाने में ऊंच-नीच का भेद मिटाने का काम कर रहा है।

अंत में मैं कहूंगा कि सुषमा स्वराज जी एक समय लीडर ऑफ ओपोजिशन थीं। राजनाथ जी, आडवाणी जी आगे बैठते थे। मैं दूसरी पंक्ति में बैठता था। महिला आरक्षण विधेयक आया था। गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में हम पिछड़ों ने भाजपा में कहा था कि आरक्षण स्वीकार है लेकिन महिला आरक्षण में पिछड़े और दलित के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। माननीय आडवाणी जी ने अपने घर पर सबको बुलाया। पार्टी में सहमति बनी कि उस विधेयक में इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब भी हम पिछड़ा वर्ग की बात करते थे, तो कांग्रेस पार्टी उसमें अड़ंगा लगा देती थी कि इसमें अल्पसंख्यक भी घुसाओ। पता नहीं इनकी पिछड़ों से क्या दुश्मनी है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जाति का क्या एक भी नेता पैदा किया है, तो बताएं या प्रादेशिक स्तर पर भी पैदा किया हो तो बताएं? आपने पिछड़ी जाति का इसलिए विरोध किया कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विरोध करने वाला सबसे अग्रिम पंक्ति में पिछड़ी जाति का था। मुनियप्पा जी, हाथ उठाओ। पीछे-

पीछे ढोल बजाने वाले की गिनती नहीं होती है। गिनती उसकी होती है जो आगे चलता है। आगे कौन था और आपको क्या मिला? मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज हिंदुस्तान में इस लोक सभा टीवी पर, जहां करोड़ों लोग देख रहे हैं, पिछड़े देख रहे हैं, दलित देख रहे हैं, सवर्ण देख रहे हैं और सभी सुन रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आओ श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस उदारवाद की धारा बहाई है, उस उदारता को लेकर चलो। "सबका साथ सबका विकास" अपनाओ। अगर उज्ज्वला योजना में गैस बांटा गया, तो सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, मुस्लिमों को बांटा गया। उसमें कहां विवाद है? इसलिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, वे सभी गरीबोन्नमुखी हैं, झोपड़ी वालों के लिए है, गरीब के लिए है, निर्धन के लिए है, निर्बल के लिए है। आज ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल के लिए आरक्षण का विधेयक आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं स्वागत करता हूं और देश के करोड़ों नौजवानों को कहता हूं कि उठो – नए भारत के निर्माण के लिए एक नए सूरज का उदय हुआ है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सूरज का अभिनंदन करो और इस समाज में सभी को मिलाकर आगे बढ़ो।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, I have a Point of Order.

HON. SPEAKER: Under what rule?

DR. SHASHI THAROOR : Rule 376 of the Lok Sabha Rules relates to the conduct of the business of the House within the cognizance of the hon. Speaker.

Madam Speaker, I have two questions for you. First, have you abolished your own Direction 19 (A) (1) of the Speaker's Directions 2014, under which the hon. Minister was supposed to have given a written notice regarding his intention?

Secondly, I would like a ruling from the Chair about whether any Bill can be brought to this House any time the Government wants without explaining the reasons to the House and without giving in writing the reasons for the exception of the rules. I would also like to know whether the hon. Speaker will give us the reasons as to why the exception was made or whether we have to remain in the dark.

HON. SPEAKER: They have given the letter.

…(*Interruptions*)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): माननीय अध्यक्ष जी, आज और अभी देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने, तो उनका पहला वाक्य था, उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की सरकार है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, he has recently got elected in by-election. It is his first speech and he has given it in writing.

HON. SPEAKER: I cannot give him more than two minutes.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : At least, give him ten minutes to speak. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not ten minutes. You have only two minutes to speak. Not more than that.

SHRI V.S. UGRAPPA (BELLARY): Madam, I am here with the blessings of my Party leadership as well as my voters of Bellary constituency in Karnataka. I am grateful to the hon. Chair and this House for giving me this opportunity.

We should appreciate this Government for introducing this Bill in the fag end of their tenure. It appears that for four and a half years this Government was sleeping like a Kumbhakarana in the Ramayana.

Madam, if they were so keen on social justice, they should have brought this Bill much earlier, which they have not done. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You go on speaking.

SHRI V.S. UGRAPPA : Madam, we have taken an oath that we are going to uphold the provisions of the Constitution of India. The Preamble advocates that there shall be a Social, Economic and Political Justice to all the citizens of this country. As there were inequalities in the society, Dr. B.R. Ambedkar had made provisions in the Constitution for SCs, STs and OBCs. Articles 330 to 342 are for reservation.

Madam, Article 340 provides for the classification of OBCs and Article 341 provides for the classification of SCs.

Article 342 provides for classification of ST. Where is the provision for classification of the economically weaker sections? Unless it is made, this Bill will not stand scrutiny of the judiciary.

Secondly, as per the provisions of article 16 sub-clause 4 and 4A, there is reservation for OBC. So where there is no adequate representation for OBC and where there is no adequate representation for SC/ST, they have made

provisions. There is no provision to give reservation in aided and non-aided institutions. Now they have made provisions to give posts in unaided institutions which would not stand judicial review.

Finally, I would appeal to the Government that if they are so keen, let them bring an amendment to safeguard the interest of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in promotional aspects. There is no adequate representation for women.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि जब भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री बने थे, तो प्रथम भाषण के पहले वाक्य में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी 'सब का साथ, सब का विकास' की बात को लेकर हम काम करेंगे। गरीबों के हकों का संरक्षण करने का काम करेंगे। इन साढ़े चार, पौने पांच वर्षों में उन्होंने जो कहा, उसको एक बार नहीं, अनेक बार ऐतिहासिक निर्णय लेकर कर के दिखाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओ.बी.सी. वर्ग, घुमंतू जाति आदि के हित संरक्षण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आज खुशी का क्षण है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि उसी कड़ी में देश के ऐसे सामान्य वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा के आसपास का जीवन जीते हैं, उनके हित में भी यह ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत कर के उनके हकों को उन तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से हम करने वाले हैं।

आज के इस संविधान संशोधन विधेयक पर लगभग 30 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, वे कई जगह मिली-जुली, ओवरलैप भी हुई हैं। एक ही बात को अपनी-अपनी भाषा में कहने का प्रयास हुआ है। मैं उन सब माननीय सदस्यों का नाम लेकर अगर उल्लेख करना चाहूंगा और जवाब देना चाहूंगा, तो बहुत अधिक समय लगेगा। परंतु इसमें कुछ जो प्रमुख बातें आई हैं, उनके बारे में यहां निवेदन करना चाहता हूं। हमने इस संविधान संशोधन विधेयक के आर्टिकल-15 में एक सब-आर्टिकल-6 जोड़ा है। यह शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को करने वाला है। आर्टिकल-16 के सब-आर्टिकल-6 में रोज़गार मुहैया कराने की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान हमने इसमें किया है। इस पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आरक्षण की सीलिंग की है, वह 50 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु इस संबंध में थॉमस साहब ने ज़ोर देकर कहा था। इसका जवाब हालांकि आदरणीय अरुण जेटली जी ने भली-भांति दिया है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया था कि पहले कई बार ऐसे अवसर आए हैं, जब आरक्षण का प्रावधान करने का प्रयास किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वे जो भी आदेश हुए थे, जितने भी आदेश हुए थे, संवैधानिक प्रावधान के बिना हुए थे। एक अवसर ऐसा भी आया था कि तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी ने भी आर्थिक दृष्टि से गरीब वर्ग के लोगों को दस परसेंट आरक्षण देने का प्रावधान आदेश जारी कर के किया था।

वह भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। निरस्त करने का कारण एकमात्र था कि संविधान में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद भी इस प्रकार का आदेश जारी किया था। अब ऐसा क्यों किया गया था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि उनकी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, जो कहते हैं वह करते हैं और करके दिखाया है। नीति और नीयत अच्छी है, इसीलिए संविधान में प्रावधान करने के बाद हम यह आदेश जारी करके इनको दस परसेंट आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में देने का काम करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रावधान के बाद इसको स्वीकार करेगा, अगर कोई वहां जाएगा। हमने बिना संविधान संशोधन किए ऐसा नहीं किया है। यह करने के बाद ही किया है, इसलिए इस प्रकार की जो शंकाएं हैं, वे शंकाएं निर्मूल हैं। मैं उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शंकाएं करना बंद करें। थॉमस साहब ने यह भी कहा कि यह जल्दबाजी में किया गया निर्णय है। यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया गया है। इस प्रकार के विषय पर लम्बे समय से चर्चा चल रही है।

मंडल कमीशन बना था और मंडल कमीशन ने भी लम्बे विचार-विमर्श के बाद देश भर में जनप्रतिनिधियों से और आम लोगों से मिलकर के और दौरे करके, सबसे बातचीत करके, बुद्धिमान और विद्वान लोगों से बातचीत करके, वकीलों से राय लेकर कुछ राय दी थी और उन्होंने भी यह कहा था कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उस समय

से यह सिलसिला चला था। उसके बाद सिन्नो आयोग भी बना। सिन्नो आयोग ने भी इस विषय में वही प्रक्रिया अपनायी। देश भर के लोगों से सुझाव मांगे, मिले, गये और सुझाव आया। उन्होंने अपना प्रतिवेदन मई-जून, 2010 में दे दिया। मई-जून, 2010 में जब यह प्रतिवेदन मिला था, उस समय जो भी सरकार थी, उसको इस पर विचार करना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हमने किया और हम यह बिल लेकर आए तो अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सत्र के अंतिम दिन क्यों लेकर आए, साढ़े चार साल तक क्यों नहीं लाए? मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लाए, देर से ही लाए, लेकिन अच्छी नीति और नीयत से लाए। आप कम से कम बधाई देकर इसका समर्थन करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आशंका-कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। सदन में लेकर आए हैं और अच्छी नीयत से लाए हैं। इसीलिए संविधान में संशोधन करके इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात आई कि जेपीसी में क्यों नहीं भेज रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैंने बताया कि लम्बे समय से इस पर विचार-विमर्श हुआ है, आम लोगों की राय ली गई है, विद्वान लोगों की राय ली है और संबंधित वर्ग के लोगों से भी राय ली है। आज देश का जो परिदृश्य है, वह इस बात की सीख देता है कि देश के अधिकांश लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के नहीं हैं। वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था है, वे उसके दायरे में नहीं आते हैं, परंतु वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों से भी अधिक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और वे एक बार नहीं, अनेक बार देश भर में मांग करते रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है?

जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं था कि हम इस जाति में पैदा हो गए। लेकिन इस जाति में पैदा होने के कारण हमारे साथ अन्याय और अत्याचार क्यों होता है, उसको दूर करने का प्रयास करो। देश की आजादी के समय से ही यह सारा प्रावधान किया गया था। आवश्यकता थी और है कि ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीब तबके का है, उनको भी शैक्षणिक और रोजगार की दृष्टि से समान अवसर मिलना चाहिए।

इसलिए आज हम यह जो निर्णय करने वाले हैं, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अमीरी और गरीबी की खाई के अंतर को कम करने वाला होगा। जब अमीरी और गरीबी की खाई कम होगी, तो देश में अमन-चैन का वातावरण बनेगा और उस दिशा में हम अग्रसर भी होंगे। यह प्रमुख कारण है। अधिकांश राजनीतिक दलों और माननीय सदस्यों ने एकाध को छोड़ दें, तो सबने समर्थन किया है। मुझे खुशी है, मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा कहूं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूछा गया है कि गरीबी का मापदंड क्या है? मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था, जब विधेयक को प्रस्तुत किया था और प्रारंभिक उद्बोधन दिया था, यह पढ़ कर भी सुनाया था कि उसका आधार जो होगा, उसे मैं फिर से पढ़कर सुनाता हूं –

> आर्टिकल 15(6) और 16(6) के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, उसमें कहा है कि "इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए 'आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग' वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुम्ब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं"।

गरीबी रेखा का मापदंड समय-समय पर परिस्थिति का आकलन करने के बाद निर्धारित किया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आठ लाख का ही ये मापदंड क्यों किया है? माननीय राजीव रंजन जी शायद आज चूक गए, उन्होंने बोला कि ओ.बी.सी. के लिए तो छः लाख का और इसमें आठ लाख का क्यों किया है? मैं उनको निवेदन करके बताना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. की क्रीमीलेयर का आंकड़ा भी दो साल पहले छः लाख रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में वह आठ लाख है। इस सरकार ने दो लाख बढ़ाया है। सामान्यतया इसके पहले भी, जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि हरियाणा की सरकार ने भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, उनके राज्य में और आय का मापदंड भी यही बताया था। … (व्यवधान) यह बिल पास होने के बाद जब नियम, कानून और कायदे बनेंगे, तो जो इसमें लिखा है, उसी के आधार पर मापदंड निर्धारित होगा और विश्वास कीजिए कि अच्छी नीयत से और अच्छी नीति से यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के आधार पर सामान्य वर्ग के लाखों-करोड़ों गरीब परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। इसकी एक

और विशेषता भी है, सामान्य वर्ग के वे सब गरीब लोग इसमें आएंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, महाजन हों, पटेल हों, गूजर हों, जाट हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों और कोई धर्मावलंबी भारतीय नागरिक हो, जो वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था के दायरे में नहीं आते हैं, वे गरीबी रेखा के जीवन-यापन करने वाले होंगे, तो इस विधेयक के पारित होने के बाद इस नियम के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति है, वह सबके हित की है।… (व्यवधान) मुनियप्पा जी मेरी आदत नहीं है, विषय से अलग हटने की, अगर आप विषय से अलग हटने के लिए मुझे बाध्य करेंगे, तो आप बोल नहीं पाएंगे। कोई भी नहीं बोल पाएगा। मैं विषय से ही संबंधित बोलता हूं और विषय से संबंधित ही कोई बोले, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : थावर चंद जी, प्लीज।

… (व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़े वर्गों की जाति में कुछ जातियों को सम्मिलित करने की बात भी कही है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया है। राज्य सरकार प्रस्ताव करती है, तो हम संबंधित प्रस्ताव को आर.बी.आई. के पास भेजते हैं। यदि एस.सी./एस.टी. का मामला है, अगर ओ.बी.सी. का मामला है, तो ओ.बी.सी. आयोग को भेजते हैं। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि इसी सरकार ने ओ.बी.सी. कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है और ओ.बी.सी. कमीशन गठित होने के बाद जो प्रस्ताव आएंगे, उन्हें कमीशन के पास भेजेंगे, कमीशन जो राय देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे।

इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनकी संख्या सवा सौ से अधिक है। आदरणीय तंबीदुरै साहब उनमें से बहुत सारी योजनाओं को गिनाते हुए कह रहे थे कि क्या हुआ, इनका क्या लाभ हुआ। मैं उसके आंकड़े बताऊं, उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री मुद्रा

योजना का उल्लेख किया था। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में बिना सम्पत्ति गिरवी रखे, बिना गारंटी दिए अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को दस लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उनमें 4 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहली बार ऋण लिया है। ये जो रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं, दो करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, जिन चार करोड़ लोगों ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में पहली बार लोन लिया है, उनको रोजगार मिला और केवल उनको ही नहीं, बल्कि उनके यहां एक-एक, दो-दो लोगों को काम पर रखा गया है, अगर ये आंकड़े गिनेंगे तो 12x3=36 करोड़ के आसपास लोग रोजगार में लगे हैं। …(व्यवधान)

महोदया, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं और समय-समय पर ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर यह ऐतिहासिक निर्णय देश के गरीबों के हित में है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाए। धन्यवाद।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I want to seek some clarifications.

HON. SPEAKER: No. Not, now.

DR. M. THAMBIDURAI : Please give me one minute.

In Tamil Nadu, the Justice Party leaders Shri Theyagaraja Chetty, Dr. Madhavan Nair, Dr. Netesa, and Dravidian Leaders Thanthai Periyar, Periyar and Anna fought for the social justice and achieved reservations in educational institutions and Government employment for socially backward classes people. Puratchi Thalaivi MGR, hon. Amma increased reservation to 69 per cent for OBCs, MBCs, SCs and STs in educational institutions and Government employment.

HON. SPEAKER: You have already spoken it in your speech earlier.

DR. M. THAMBIDURAI : Hon. Amma succeeded to include this 69 per cent reservation in the Ninth Schedule of the Constitution of India.

In this regard I requested the hon. Minister that this 69 per cent reservation, which we have got, should also be given a Constitutional effect. For this I asked for an amendment to include this in the Constitution. But the Minister remained silent on this in his reply.

HON. SPEAKER: You have already said it.

DR. M. THAMBIDURAI : Finally, we as an AIADMK party have been requesting for social justice, which will help the socially and economically backward classes. Reservation for economically weaker section would not have much impact. Whatever this Government has provided for 10 per cent

quota for general, economically weaker sections people will create only confusion and lead to corruption. It may not also be implemented properly.

HON. SPEAKER: Okay.

DR. M. THAMBIDURAI : That is why our AIADMK party is objecting to this Bill, and, I am walking out.

21 44 hrs

(At this stage, Dr. M. Thambidurai left the House.)

… (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY(MAHABUBNAGAR) : Madam, please allow me.

HON. SPEAKER: What happened?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : I just want to seek a clarification. Our Telangana Government has made an Act in 2017 for reservation of 12 per cent Muslims and 10 per cent STs. Hon. Pradhan Mantriji is here. I want a clarification in this regard …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No clarification is allowed. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, before I put the motion for consideration to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution Amendment Bill, voting has to be by Division.

Let the Lobbies be cleared—

Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary General to inform about the procedure of operating the Automatic Vote Recording machine.

महासचिव: माननीय सदस्यगण, अब मैं आपको ऑटोमैटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के ऑपरेशन की प्रक्रिया बताना चाहूंगी। इसके पहले कि डिवीज़न स्टार्ट हो, प्रत्येक सदस्य अपनी सीट ग्रहण कर लें और मशीन का संचालन अपनी सीट से करें। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगी, तो महासचिव वोटिंग बटन को एक्टिवेट करेंगे, जिसके पश्चात माननीय अध्यक्ष की सीट के दोनों ओर लगे डिस्प्ले बोर्डों के ऊपर लगे लाल बल्ब जलेंगे और इसके साथ-साथ गॉन्ग की आवाज़ भी सुनाई देगी।

वोटिंग के लिए माननीय सदस्य केवल 'गॉन्ग' की आवाज़ के बाद ही निम्नलिखित प्रकार से दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इस बात को मैं पुन: दोहराना चाहूँगी कि केवल 'गॉन्ग' की साउंड के बाद ही बटन प्रेस करना शुरू करें।

ये दो बटन हैं। प्रत्येक सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा रेड बटन और सीट के डेस्क के ऊपर लगे बटनों में से कोई एक बटन। यदि 'हाँ' है तो उसके लिए ग्रीन कलर, यदि 'ना' है तो लाल रंग और अगर वोट नहीं देना चाहते हैं तो पीला रंग।

'गॉन्ग' की साउंड दोबारा सुनाई देने तक दोनों बटन लगातार और एक साथ प्रेस करना अनिवार्य है, तभी वोट रजिस्टर होगा।

माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके वोट रजिस्टर नहीं होंगे यदि-

1. 'गॉन्ग' साउंड सुनने के पहले ही आपने बटन प्रेस कर दिया हो।
2. 'गॉन्ग' साउंड होने तक दोनों बटन लगातार और एक साथ प्रेस करके न रखा हो।

माननीय अध्यक्ष की सीट के दोनों तरफ इंस्टॉल्ड डिस्प्ले बोर्ड्स पर माननीय सदस्य अपना वोट देख सकते हैं। यदि वोट रजिस्टर नहीं हुआ है तो वे स्लिप के माध्यम से वोट कर सकते हैं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: I shall now put the motion for consideration to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 1 **AYES** **21.52 hrs**

Abdullah, Dr. Farooq

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baker, Shri George

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Baruah, Shri Pradan

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

*Biju, Dr. P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chaudhury, Shri Jitendra

Chauhan, Shri Devusinh

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhotelal, Shri

---

* Voted through slip.

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nand Kumar

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Datta, Shri Sankar Prasad

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gandhi, Shrimati Sonia

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

*Gowda, Shri L.R. Shivarame

* Voted through slip.

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

*Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Hooda, Shri Deepender Singh

Jaiswal, Dr. Sanjay

*Jakhar, Shri Sunil Kumar

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

*Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C.

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shanta

---

* Voted through slip.

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

*Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

---

* Voted through slip.

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Mondal, Shri Sunil Kumar

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

*Patil, Shri Sanjay Kaka

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

---

* Voted through slip.

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rai, Shri Prem Das

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M.B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rathod, Shri D.S.

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sampla, Shri Vijay

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

*Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Gyan

---

* Voted through slip.

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shrimati Savitri

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

Tokheho, Shri

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Udasi, Shri Shivkumar

Ugrappa, Shri V.S.

Usendi, Shri Vikram

Vaghela, Shri L. K.

Vardhan, Dr. Harsh

Varma, Shrimati Dev

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

*Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

---

* Voted through slip.

NOES

Owaisi, Shri Asaduddin

Kunhalikutty, Shri P.K.

Basheer, Shri E.T. Mohammad

Baite, Shri Thangso

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is

Ayes - 319

Noes - 004

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Before I put clauses 2 and 3 to the vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

There are no amendments to clauses 2 and 3. If the House agrees, I shall put clauses 2 and 3 together to the vote of the House in which case the result of the voting shall be taken as applicable to each clause.

The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:
Ayes: 319 + S/Shri Rattan Lal Kataria, Bharat Singh, Sanjay Kaka Patil, Bidyut Baran Mahato, Prof. Richard Hay, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Dr. P.K.Biju, Shri L.R. Shivarame Gowda and Shri Sunil Kumar Jakhar = 328.
Noes : 004
Abstain: Nil

DIVISION NO. 2 **AYES** **21.54 hrs**

*Abdullah, Dr. Farooq

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baker, Shri George

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Baruah, Shri Pradan

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

---

* Voted through slip.

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Dr. P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chaudhury, Shri Jitendra

Chauhan, Shri Devusinh

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nand Kumar

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Datta, Shri Sankar Prasad

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

*Devi, Shrimati Rama

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dohre, Shri Ashok Kumar

* Voted through slip.

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gandhi, Shrimati Sonia

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

*Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

* Corrected through slip for Ayes.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri L.R. Shivarame

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

*Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Hooda, Shri Deepender Singh

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jakhar, Shri Sunil Kumar

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Karandlaje, Kumari Shobha

---

* Voted through slip.

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

*Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Md. Badaruddoza

*Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C.

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

---

* Voted through slip.

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Mondal, Shri Sunil Kumar

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

*Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

* Voted through slip.

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rai, Shri Prem Das

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M.B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rathod, Shri D.S.

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sampla, Shri Vijay

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

*Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

---

* Voted through slip.

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Gyan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

*Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shrimati Savitri

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

Tokheho, Shri

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

---

* Voted through slip.

Trivedi, Shri Dinesh

Udasi, Shri Shivkumar

Ugrappa, Shri V.S.

Usendi, Shri Vikram

Vaghela, Shri L. K.

Vardhan, Dr. Harsh

Varma, Shrimati Dev

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

*Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

---

* Voted through slip.

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

*Yadav, Shrimati Dimple

NOES

Owaisi, Shri Asaduddin

Kunhalikutty, Shri P.K.

Basheer, Shri E.T. Mohammad

Baite, Shri Thangso

ABSTAIN

Nil

* Voted through slip.

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result** of the Division is:

Ayes: 316

Noes: 005

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes: 316 + Shrimati Sushma Swaraj, S/Shri Jual Oram, Rajendra Dhedya Gavit, Rahul Kaswan, Shrimati Rama Devi, Prof. Richard Hay, Dr. Nepal Singh, Maj. Gen. B.C. Khanduri AVSM (Retd.), Dr. Farooq Abdullah, Shri Jai Prakash Naryan Yadav and Shrimati Dimple Yadav.=327
Noes: 005 - Shri Rajendra Dhedya Gavit wrongly voted for Noes. Later on he corrected through slip for Ayes = 004.
Abstain: Nil
** The result of this Division applies to each of the Clauses 2 and 3 separately.

Clause 1 Short title and Commencement

<u>संशोधन किया गया</u>**:**

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4,--

"संविधान 124वां संशोधन अधिनियम, 2019"

के स्थान पर

"संविधान 103 संशोधन अधिनियम, 2019 को रखा जाए।" प्रतिस्थापित करें।

(1)

(श्री थावर चंद गहलोत)

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 3 **AYES** **21.57 hrs**

Abdullah, Dr. Farooq

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

*Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baker, Shri George

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Baruah, Shri Pradan

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

---

* Voted through slip.

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Dr. P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chaudhury, Shri Jitendra

Chauhan, Shri Devusinh

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nand Kumar

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Datta, Shri Sankar Prasad

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

*Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

---

* Voted through slip.

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gandhi, Shrimati Sonia

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri L.R. Shivarame

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

*Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Hooda, Shri Deepender Singh

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jakhar, Shri Sunil Kumar

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Karandlaje, Kumari Shobha

---

* Voted through slip.

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C.

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Mondal, Shri Sunil Kumar

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

*Patil, Shri Sanjay Kaka

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

---

* Voted through slip.

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rai, Shri Prem Das

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M.B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rathod, Shri D.S.

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sampla, Shri Vijay

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Jitendra

*Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Gyan

---

* Voted through slip.

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shrimati Savitri

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

Tokheho, Shri

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Udasi, Shri Shivkumar

Ugrappa, Shri V.S.

Usendi, Shri Vikram

Vaghela, Shri L. K.

Vardhan, Dr. Harsh

Varma, Shrimati Dev

*Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

---

* Voted through slip.

NOES

Owaisi, Shri Asaduddin

Kunhalikutty, Shri P.K.

Basheer, Shri E.T. Mohammad

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 323

Noes:003

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

HON. SPEAKER: Before I put the motion that the Bill, as amended, be passed, to vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

---

* The following Members also recorded/Corrected their votes through slips.
Ayes: 323 + Shri Sanjay Kaka Patil, Shrimati Rama Devi, Prof. Richard Hay, Dr. Nepal Singh, Shri Ramesh Bais and Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava. =329
Noes: 003
Abstain: Nil

DIVISION NO. 4 **AYES** **21 59 hrs**

Abdullah, Dr. Farooq

Adsul, Shri Anandrao

*Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baker, Shri George

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Baruah, Shri Pradan

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

---

* Voted through slip.

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Dr. P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chaudhury, Shri Jitendra

Chauhan, Shri Devusinh

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nand Kumar

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Datta, Shri Sankar Prasad

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

*Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

---

* Voted through slip.

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gandhi, Shrimati Sonia

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri L.R. Shivarame

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

*Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Hooda, Shri Deepender Singh

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jakhar, Shri Sunil Kumar

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Karandlaje, Kumari Shobha

* Voted through slip.

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C.

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

*Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

---

* Voted through slip.

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Mondal, Shri Sunil Kumar

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Rai, Shri Prem Das

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M.B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rathod, Shri D.S.

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sampla, Shri Vijay

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Jitendra

*Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Gyan

---

* Voted through slip.

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shrimati Savitri

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

Tokheho, Shri

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Udasi, Shri Shivkumar

Ugrappa, Shri V.S.

Usendi, Shri Vikram

Vaghela, Shri L. K.

Vardhan, Dr. Harsh

Varma, Shrimati Dev

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

<u>NOES</u>

Owaisi, Shri Asaduddin

Kunhalikutty, Shri P.K.

Basheer, Shri E.T. Mohammad

<u>ABSTAIN</u>

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 323

Noes:003

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended, is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Lobbies may be opened.

… (*Interruptions*)

---

* The follwoing Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes: 323 + Shri L.K.Advani, Shrimati Meenakashi Lekhi, Shrimati Rama Devi, Prof. Richard Hay and Dr. Nepal Singh = 328.
Noes: 003
Abstain: Nil

22 00 hrs

VELEDICTORY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का सोलहवां सत्र, जो 11 दिसम्बर, 2018 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान, हमने 17 बैठकें कीं जो 46 घंटे से भी ज्यादा चलीं।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए । वर्ष 2018-19 के दूसरे बैच के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर 2 घंटे 36 मिनट तक चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

वर्तमान सत्र के दौरान, 12 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए। कुल मिलाकर, 16 विधेयक पारित किए गए । पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं: - The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018; the Surrogacy (Regulation) Bill, 2018; the Consumer Protection Bill, 2018; the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018 as passed by Rajya Sabha; the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018; the Appropriation (No.6) Bill, 2018; the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018; the Companies (Amendment) Bill, 2018; the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2018; the New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018; the Personal Laws (Amendment) Bill, 2018; the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018; the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 as reported by the Joint committee and the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.

सूचीबद्ध विधेयकों में लगभग 82.35 प्रतिशत विधेयक इस सत्र के दौरान पारित किए गए।

सत्र के दौरान, 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे और करीब 4,600 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे।

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् लगभग 81 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 224 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 42 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में राफेल सौदे के बारे में नियम-193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा भी की गई। चर्चा रक्षा मंत्री के उत्तर के साथ पूरी हुई। चर्चा करीब 8 घंटे 21 मिनट तक हुई।

नियम-193 के अधीन एक अन्य अल्पकालिक चर्चा देश के विभिन्न भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में आए चक्रवातों इत्यादि के संदर्भ में, प्रारंभ की गई। चर्चा पूरी नहीं हुई।

मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 52 वक्तव्य दिए गए जिनमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सरकारी कार्य के बारे में 2 वक्तव्य भी शामिल हैं।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 1,870 पत्र सभा पटल पर रखे।

इस सत्र में, सभा ने 48 घंटे से ज्यादा बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अन्तर्गत, सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के 88 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 की छठी अनुसूची पर विचार करने के प्रस्ताव, जो 5 अगस्त, 2016 को श्री विनसेंट एच. पाला के द्वारा लाया गया और जिस पर लम्बी चर्चा के पश्चात् इस विधेयक को 28 दिसम्बर, 2018 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Television Broadcasting Companies (Regulation) Bill, 2015 नामक एक अन्य विधेयक, जो श्री प्रह्लाद सिंह पटेल के द्वारा 28 दिसम्बर, 2018 को पेश किया गया था, पर चर्चा हुई और उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

28 दिसम्बर, 2018 को श्री निशिकान्त दुबे के द्वारा लाया गया The Tourism Promotion Corporation of India Bill, 2015 नामक विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव अनिर्णीत रहा।

माननीय सदस्यगण, सभा के 49 सदस्यों ने अव्यवस्थित आचरण किया और सभा के संचालन को लगातार जान-बूझकर बाधित करके नियमों का उल्लंघन किया। इन परिस्थितियों में मुझे सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ा और मैंने नियम 374क के तहत उनका नाम लिया। परिणामत:, सभा की शेष बैठकों के लिए सभा की सेवाओं से उनका स्वत: निलंबन हो गया।

इस सत्र में विविध महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक एवं उपयोगी चर्चाएं हुईं और सभी माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य मत और विचार रखे। वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने सभा में सार्थक चर्चाएं कीं, लेकिन मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है और मैं कुछ सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी ने नहीं, बल्कि सब ने अच्छा बोला। इस बार सुष्मिता देव, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि जी तथा कल्याण बनर्जी जी जैसे कई सारे सदस्यों ने वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से तथा अभ्यासपूर्ण रूप से इस चर्चा को सार्थक बनाया। श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन तो हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवादी करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं, आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी।

मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। आप लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई है, मगर उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में प्रदान की गई सहायता के लिए संबद्ध एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूं।

---

22 07 ½ hrs

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अब हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब 'वन्दे मातरम्' होगा।

(National song was played)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

22 08 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.